खण्ड-406, अंक-2
मंगलवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1914
(28 अप्रैल, 1992 ई0)

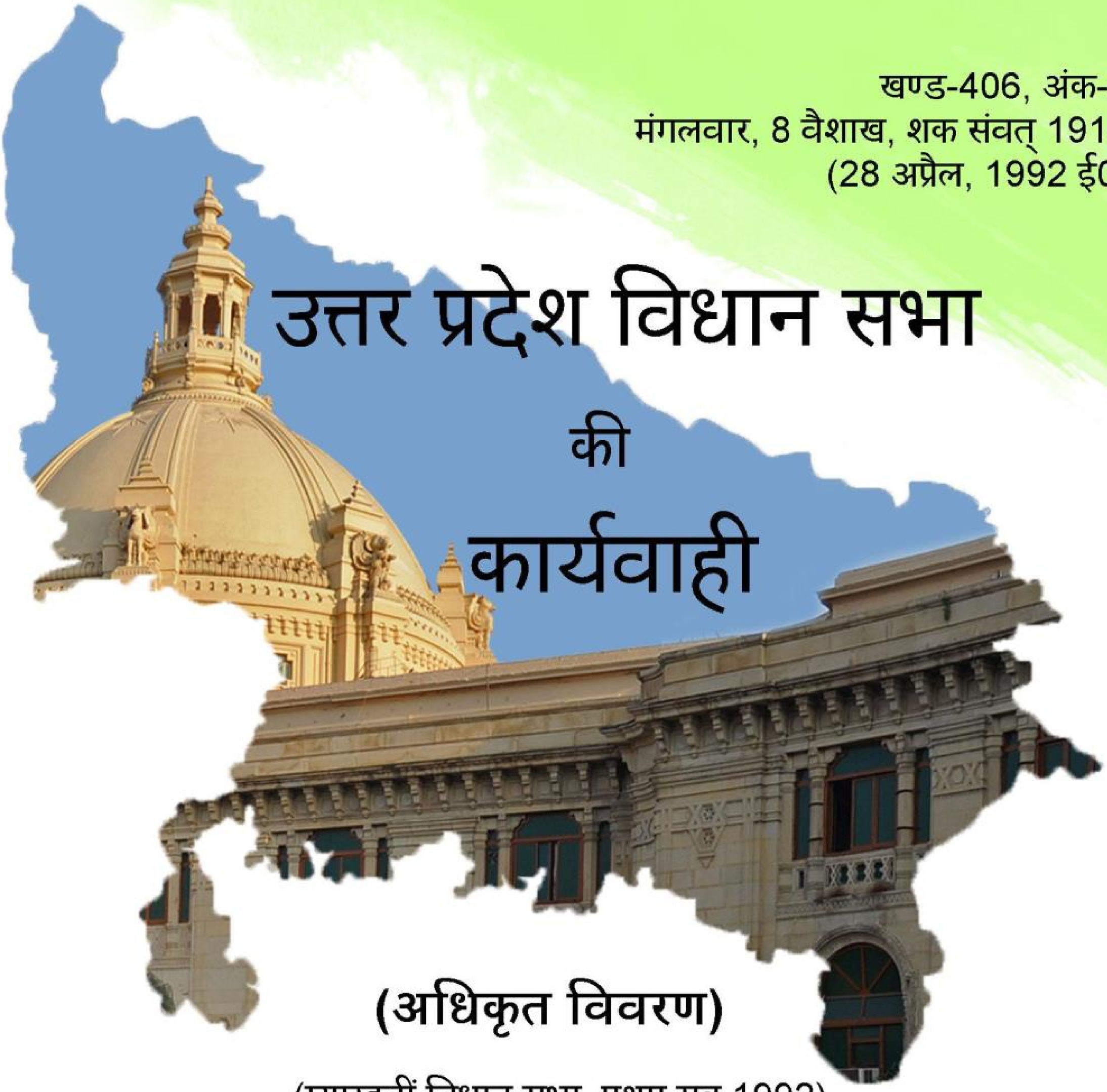

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
जनपद हरिद्वार में आतंकवादियों द्वारा बस यात्रियों की हत्या किए जाने विषयक नियम 311 व 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को प्रश्नकाल स्थगित करके सुने जाने की मांग	1–5
प्रश्नोत्तर	5–88
प्रश्नकाल की शेष अवधि को समाप्त करके हरिद्वार की घटना पर चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल का प्रस्ताव ..	89–109
हरिद्वार हत्याकाण्ड का विशेष प्रकरण सुनने के पश्चात् कार्यसूची के अनुसार विषय को लिए जाने का सुझाव ..	109–110
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ..	110
इलाहाबाद के मोहल्ला नयापुरा (अब्दुल्लापुर नकोली) आचार्य नरेन्द्र देव मार्ग में बसी नई बस्तियों में सड़कें व नालियां बनवाने के संम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110–111
जनपद आगरा के फतेहाबाद विकास खण्ड में आवारा पशुओं द्वारा कृषि फसल नष्ट करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
फैजाबाद की बीकापुर तहसील में राजकीय नलकूपों की खराबी से गम्भीर कृषि संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी से भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
टाउन एरिया कुन्दरकी मुरादाबाद में नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनेक परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक बदल जाने से परीक्षाफल घोषित न किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
जनपद देवरिया में अग्निपीड़ितों को अहेतुक सहायता दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
नियम 56 की सूचनाओं को सुने जाने की मांग––(जारी) ..	113–114
नियम 56 में एक ही सदस्य द्वारा दी गयी दो सूचनाओं को सुने जाने के संबंध में जानकारी	114

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 56 की सूचनाओं को सुने जाने की मांग ..	114–115
श्री लालजी वर्मा को सदन त्याग करने के निर्देश ..	115
श्री अध्यक्ष द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर उसका अनुपालन न होने के संबंध औचित्य का प्रश्न	115–116
दिनांक 21 अप्रैल, 92 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर से संबंधित विधायकों के अपराधिक इतिहास को स्पष्ट करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	116–120
श्री लालजी वर्मा के सदन से निष्कासन की वापसी ..	120
औचित्य के प्रश्न की शेष सूचनाएं ..	120
पत्रकारों पर हो रहे हमले के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	121
राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद की मरम्मत संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश का शासन द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	121–123
श्री मदन भइया, सदस्य विधान सभा को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	123–124
प्रदेश में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	124–125
विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-132 का शासन द्वारा त्रुटिपूर्ण उत्तर दिए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	125
बस्ती जिलान्तर्गत थाना रुधौली में एक निर्दोष व्यक्ति को पेड़ काटने के जुर्म में प्रताड़ित किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	125–126
नवगठित जनपद मऊ में जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	127
इलाहाबाद के क्षेत्र चायल में हैण्डपम्पों की खराबी से संबंधित नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 2 अप्रैल, 92 की सूचना पर नगर विकास मंत्री द्वारा गलत उत्तर दिए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	127–128
जनपद आगरा में यमुना नदी पर गढ़ी महावन पर बने पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाए जाने के संबंध में श्री हरेन्द्रपाल सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	128
विशेषाधिकार हनन विषयक श्री बलराम यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव---(स्वीकृत) ..	128–130
विशेषाधिकार हनन की दी गयी सूचनाओं के संबंध में जानकारी ..	130
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..	130–140
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)---(जारी) ..	140
प्रस्तुत बजट सहकारिता से संबंधित साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	140–141
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)---(स्वीकृत)	141–176
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 76–(श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग–(सेवायोजन)---(स्वीकृत)	176–199
फैजाबाद जनपद के अकबरपुर, टाण्डा व जलालपुर तहसीलों को मिलाकर डाक्टर राम मनोहर लोहिया नगर नाम से एक नये जनपद का सृजन किये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत् चर्चा का स्थगन	199
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	199
जनपद देवरिया की नहरों में पानी न छोड़े जाने से फसलों को हुई क्षति से किसानों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	200
सदन में कोरम के अभाव की सूचना	200–201
नत्थियां	202–206

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	बची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
उदय प्रताप,श्री	गाजीपुर	बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
उमानाथ, श्री	जौनपुर	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	मदन भैया, श्री	मेरठ
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	मारकण्डेय, श्री	बलिया
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई	यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
गिरधारी, श्री	गाजीपुर	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती	रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
जगराम सिंह यादव, श्री	कानपुर नगर	राजेन्द्र, श्री	बिजनौर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धाथनगर	राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तर काशी	राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर	राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबद	राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राम सेवक, श्री	बदायूं
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
श्याद अली, श्री	प्रतापगढ़
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
श्री निवास, श्री	देवरिया
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
शोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
हनुमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

विधान सभा सचिवालय

मंगलवार, 28 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

जनपद हरिद्वार में आतंकवादियों द्वारा बस यात्रियों की हत्या किये जाने विषयक नियम 311 एवं 56 के अंतर्गत दी गयी सूचना को प्रश्नकाल स्थगित करके सुने जाने की मांग

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)––

मान्यवर, आज प्रश्न काल को न लें । हरिद्वार में आतंकवादियों ने 9 लोगों की हत्या कर दी है और यह सरकार चैन से बैठी हुई है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष––

मैं सभी माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे इस विषय पर माननीय सदस्यों ने लिखित सूचना दी हैं जिसमें माननीय नेता विरोधी दल की भी सूचना है । मैंने सभी सूचनाओं को नियम 56 में ले लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह––

मेरा आग्रह है कि इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस प्रदेश में और नहीं हो सकती । हम लोग संभवतः क्वेश्चन आवर को सस्पेंड नहीं करवाते हैं । आज विशेष परिस्थिति में मेरा आग्रह है कि केवल उन माननीय सदस्यों जिन्होंने सूचना दी है, केवल उनको ही न सुनें, बल्कि सभी सम्मानित नेताओं को इस गंभीर विषय पर सुनने की कृपा करें । मान्यवर, क्वेश्चन आवर स्थगित कर दें ।

श्री प्रमोद तिवारी––

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गयी है । बार्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक सिपाही मारा गया । कल जो घटना हुई उसमें 9 लोग मारे गये हैं । मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल को स्थगित करके तत्काल इसको ले लें और सरकार क्या कर रही है उसकी जानकारी आ जाय । प्रदेश में लोगों का जनजीवन सुरक्षित नहीं रह गया है । बसों में यात्रा करने वालों, घर में रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है । हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्व० वीर बहादुर सिंह के भाई पर गोली चलायी गयी है । फतेहबहादुर सिंह जो इस सदन के माननीय विधायक हैं उनके चाचा पर हमला किया गया है । लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है । इससे ज्यादा अहम मसला और कौन हो सकता है ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव––

मान्यवर, यह बड़ी गंभीर घटना है बस से उतार कर 9 लोगों की हत्या कर दी गयी है । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय तिवारी जी ने जो कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । मामले की गंभीरता को समझते हुये प्रश्न काल को स्थगित करके इस विषय को लेने की कृपा करें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी––

मान्यवर, प्रश्नकाल को स्थगित न करें, प्रश्नों को ले लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय यादव जी ने जिस गंभीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुये निवेदन करना चाहता हूं यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, प्रश्न काल को स्थगित करके इसको पहले लेने की कृपा करें ।

श्री राम लखन वर्मा--

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय तिवारी जी, माननीय यादव जी और माननीय दीक्षित जी ने जो बातें कहीं हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । इस गंभीर विषय पर मेरा अनुरोध है कि नियमों को निलंबित करके चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि (घोर व्यवधान)

श्री इस्लाम साबिर--

(घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैंने नियम 56 में एक सूचना दी है, बरेली में एक घटना घट गयी ...(व्यवधान)...वहां आश्रम का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

इस बात का जिक्र उसमें नहीं है ।

श्री इस्लाम साबिर-

(घोर व्यवधान) उस आश्रम का सामान बी० जे० पी० के लोगों ने फेंक दिया है, इस पर चर्चा करावें ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, पहले माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा है उस पर सुनने की कृपा करें । कृपया प्रश्नकाल स्थगित करके जो आतंकवाद की घटना हुई है, उस पर चर्चा करा लें । उसके बाद माननीय विधायक, श्री फतेह बहादुर सिंह का प्रकरण है, बरेली का प्रकरण है, इस्लाम साबिर साहब का, उनको ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो सूचना दी है (घोर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी--

मान्यवर, आज की कार्य सूची में जो प्रश्न हैं..(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने जितनी भी नियम 311 की सूचनायें थीं, उनको नियम 56 में स्वीकार कर लिया है । माननीय नेता, विरोधी दल ने आग्रह किया था, उनकी सूचना आयी है हरिद्वार के बारे में

अपने विवेक के अनुसार उसको सबसे पहले लिया है । मेरा निवेदन है कि प्रश्न काल के बाद मद संख्या 3, 4, 5, 7, इनमें 20 सेकेण्ड का समय लगेगा । मद संख्या 4 में माननीय सदस्य केवल याचिका उपस्थित करेंगे । मैं यह कर सकता हूं कि नियम 300 की सूचनाओं को बाद में ले लूं और प्रश्नकाल के उपरान्त सबसे पहले 311 की सूचनाओं को ले लूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह रोज विधान सभा में देखते हैं कि हम लोग सामान्यतया प्रश्नकाल स्थगित नहीं कराते हैं । मैं मानता हूं कि स्थगित नहीं होना चाहिये, लेकिन आज पूरे प्रदेश में एक विशेष स्थिति पैदा हो गयी है । हरिद्वार में आतंकवाद के कारण भगदड़ मची है । तीर्थ यात्री भाग रहे हैं । दस लोग मर गये हैं । आपसे आग्रह है कि सम्पूर्ण विपक्ष ने एक होकर सभी नेताओं ने मत व्यक्त किया है कि प्रश्नकाल न हो । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सामान्यतया हम इस तरह की कोई बात नहीं कहते कि प्रश्नकाल स्थगित हो, लेकिन आज की विशेष परिस्थिति में आग्रह करूंगा कि प्रश्नकाल स्थगित कर दें । इसको नियम 56 में न लेकर 311 में सबसे पहले सुन लें । आज प्रश्नकाल चलाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता, जब कि इतनी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, अप देख लें, 1 से 20 तक प्रश्नों में ज्यादातर सभी विरोधी दलों के सदस्यों के लगे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसका अनुपालन कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, आज बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गयी है । बस यात्री जा रहे थे, 9 लोग मार दिये गये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नकाल के उपरान्त इन सूचनाओं को पहले ले लेंगें । (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, विरोधी दल अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं चाहता है । स्वयं त्याग करने को तैयार हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

(अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में अराजकता है, हम लोग यह निवेदन कर रहे हैं कि प्रश्न काल आज स्थगित कर दिया जाय और नियम 311 को पहले ले लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाय, तब तक आप कार्यवाही न चलावें ।

(घोर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, नियम 311 में नेता विरोधी दल ने आपको सूचना दी है, श्री मो० हसन, विधायक ने भी आतंकवादियों द्वारा मारे गये लोगों के बारे में नियम 311 में सूचना दी है । मेरा आपसे निवेदन है कि नियम 311 का तो अर्थ ही होता है, काम रोको । आप तो पीठ से जो व्यवस्था देंगे, हमें शिरोधार्य होगी । लेकिन हमारा निवेदन आप सुन लें । इस समय प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लोग आतंकवादियों द्वारा भुने जा रहे हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए प्रश्नकाल को स्थगित करके हम लोगों की बात सुनने का कष्ट करें, क्योंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल के बाद तुरन्त इसको ले लेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप इस विषय पर मतदान करा लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अपनी व्यवस्था पहले ही दे दी ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, या तो आप नेता विरोधी दल और अन्य विरोध पक्ष के नेताओं के आग्रह को स्वीकार कर लें या तो आप मतदान करा लें । मेरा अनुरोध है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सदन अव्यवस्थित है । मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर आप नहीं मानते हैं, तो मैं इस सरकार और मंत्रि मण्डल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, आप इस पर मतदान करा लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । मैं किसी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कहें, तो मैं सदन स्थगित कर दूं । कृपया शान्त रहें ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं इस सरकार और मंत्रिमण्डल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी भी प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(श्री स्वामी नाथ यादव, श्री अंगद यादव, श्री शिव कुमार बेरिया, विशम्भर प्रसाद निषाद आदि सदस्य वेल आफ दि हाउस में आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जब तक मान्यवर, सदन व्यवस्थित नहीं होता है, मैं किस प्रकार से पूरक प्रश्न करूं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 11 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल, 1992

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मन्दिर मस्जिद तोड़े जाने की कोशिशों एवं विवादों को समाप्त करने हेतु विधेयक लाने की मांग

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में कहीं भी भविष्य में मंदिर मस्जिद तोड़े जाने की कोशिशों, विवाद पैदा करने के प्रयासों को हमेशा के लिए खत्म करने हेतु संसद में धर्म स्थल विधेयक की तरह राज्य सरकार भी कोई विधेयक लाने/संकल्प प्रस्तुत करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो विधेयक के उद्देश्य और नीति क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है। 1

टिप्पणीः– उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत आज की कार्य सूची के सभी प्रश्न उत्तरित तथा कार्यवाही के अंश माने गये।

जनपद बांदा में अपहरण के रोकथाम के प्रयास की जानकारी

**2—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में वर्ष 1991-92 में कुल कितने अपहरण काण्ड हुए हैं ? फिरौती के रूप में बढ़ते हुए अपहरण की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद बांदा में वर्ष 1991 में 15 फिरौती के तथा 26 अन्य प्रकार के अपहरण काण्ड हुए एवं वर्ष 1992 में दि० 25-2-92 तक 10 फिरौती के तथा 3 अन्य प्रकार के अपहरण काण्ड हुए हैं । इस प्रकार वर्ष 1991-92 में (दि० 25-2-1992 तक) कुल 25 फिरौती के तथा 29 अन्य प्रकार के अपहरण काण्ड हुए हैं ।

फिरौती के लिए हुए अपहरण की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रश्नगत अवधि में पुलिस निरन्तर प्रयासरत रही । अपहरण के अपराधों के नियंत्रण हेतु पुलिस गश्त, पिकेटिंग व कोम्बिंग कार्य पुलिस द्वारा सतर्कता से किया जा रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर आवास योजनान्तर्गत आवंटियों को आवास उपलब्ध कराया जाना

*1—श्री भरत सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर आवास योजना में पंजीकृत केन्द्रीय/राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों से आवास आवंटन की प्रत्याशा में आवंटन धनराशि जमा करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या आवंटन धनराशि के लिए प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को भेजे गये आवंटन-पत्र में आवंटित आवास संख्या अंकित है ? यदि नहीं, तो आवंटन-पत्र में आवास संख्या अंकित किये बिना आवंटन की धनराशि जमा कराये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

भवनों के आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत व्यक्तियों से आवंटन धनराशि पहले जमा कराई जाती है तथा जो लोग आवंटन धनराशि जमा करते हैं उन्हीं के बीच वास्तविक आवंटन किया जाता है । गोमती नगर में केन्द्रीय/राज्य सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए जो योजना बनाई गयी है उसमें समस्त लोगों के लिए शत-प्रतिशत आवंटन का निर्णय लिया गया है । अतः सभी पंजीकृत व्यक्तियों से आवंटन धनराशि मांगी गयी है । जो लोग आवंटन धनराशि जमा करेंगे उन्हीं लोगों के बीच भवनों के नम्बर लाट्री के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे । लाट्री के उपरान्त आवास संख्या तथा अवशेष धनराशि जमा करने की सूचना आवंटियों को भेजी जायेगी ।

प्रदेश के दस्यु प्रभावित जनपदों की संख्या एवं दस्यु उन्मूलन नीति

*2–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के कितने जिले दस्यु प्रभावित हैं ? क्या दस्यु उन्मूलन हेतु सरकार ने कोई नई नीति तैयार की है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा उसे लागू किस प्रकार से किया जा रहा है ? यदि कोई नीति नहीं बनाई गई है तो क्या सरकार दस्यु उन्मूलन हेतु कोई नई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिह–

प्रदेश के 13 जिले दस्यु प्रभावित हैं ।

पहले से नीति है । फलस्वरूप नई नीति बनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, पूर्व नीतियों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में नई नीति की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ की वर्तमान महायोजना का अनुमोदन

*3–श्री निर्वेन्द्र कुमार, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री सैय्यद कासिम हसन तथा श्री विजय सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासन द्वारा अनुमोदित लखनऊ नगर की महायोजना जो दिनांक 20 फरवरी, 92 से प्रभावी की गयी है, में अनेक गम्भीर त्रुटियां हैं और अनेक महत्वपूर्ण अस्पतालों, स्कूलों, व्यवसायिक क्षेत्रों व कृषि क्षेत्रों को महायोजना में या तो दिखाया नहीं गया है या त्रुटिपूर्ण तरीके से दिखाया गया है जिससे आगे चलकर लखनऊ के लाखों नागरिकों को भीषण परेशानियां पैदा होंगी ? क्या मंत्री जी इस महायोजना को विशेषज्ञों की एक समिति को सौंपकर, मौजूदा त्रुटियों को दूर कराने के उपरान्त इस महायोजना को लागू करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 13(3) के अन्तर्गत लखनऊ की वर्तमान महायोजना अनुमोदित की गयी है जो दिनांक 20-2-92 से प्रभावी है । महायोजना स्वीकृत करने के पूर्व महायोजना प्रारूप पर जनता से आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित की गयी थी । जन साधारण से 150 आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त हुए थे इन सुझावों पर सुनवाई का अवसर देते हुए तथा मान्य सुझावों का समावेश करते हुए महायोजना को अन्तिम रूप दिया गया है । महायोजना में महत्वपूर्ण अस्पतालों, स्कूलों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों को उनके वर्तमान स्थलों पर ही इंगित करते हुए प्रस्तावित किया गया है । चूंकि महायोजना अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप तैयार की गयी है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गाजीपुर के सैदपुर इकाई में डी० आर० डी० ए० योजना के तहत कथित घोटाले के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

*1–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत सैदपुर, जनपद गाजीपुर में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से किये गये 57,910 रुपये की अनाधिकृत

आहरण के संबंध में चार अराजपत्रित कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि यह रुपया बैंक में किसी कर्मचारी ने जमा कर दिया है तो कब और किस आधार पर ? क्या यह धनराशि उस समय जमा की गयी, जबकि संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, तत्कालिक उप कृषि निदेशक के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी ? यदि हां, तो निलम्बित कर्मचारियों को किस सीमा तक दोषी पाया गया है ? यदि दोषी पाया गया, तो इन्हें कब तक बहाल किया जायेगा ?

पंचायती राज राज्यमंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

जी हां ।

आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप कृषि विभाग के आदेश संख्या-4450/12-1-90-110/87. दिनांक 28-8-90 द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह को दण्ड के रूप में एक वेतन वृद्धि रोकते हुए सेन्सर किया गया तथा 3 वर्ष तक आहरण एवं वितरण का अधिकार न देने का निर्णय लिया गया । श्री सिंह द्वारा दिये गये दण्ड के विरुद्ध मा० राज्यपाल को दिये गये मेमोरियल पर पुनर्विचारोपरान्त कृषि अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-121/12-1-91-139/69. दिनांक 26-9-91 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह को दिये गये दण्डादेश को समाप्त करते हुए भविष्य के लिए चेतावनी देकर प्रकरण को समाप्त करने के आदेश पारित हुए हैं ।

तत्कालीन प्रशासक के पत्र संख्या-1045/उ० शि० नि०, दिनांक 2-2-87 के द्वारा इस अनाधिकृत आहरण का बैंक से विरोध करने पर यह रुपया 7 मई, 1987 को बी० एस० ए०, गाजीपुर स्थित सैदपुर इकाई के खाते में बैंक ने स्वयं जमा किया न कि किसी कर्मचारी/अधिकारी ने ।

जी हां । श्री राजेन्द्र सिंह, संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध 4-3-87 को सी० सी० ए० नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी ।

निलम्बित कर्मचारी 1-श्री गजराज सिंह, वरिष्ठ लिपिक/कैशियर, 2-श्री श्रीकृष्ण यादव, प्राविधिक सहायक तथा 3–श्री मुरली धर श्रीवास्तव, प्राविधिक सहायक को निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत 2-2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गयीं जिनका प्रभाव अग्रगामी होना निर्धारित किया गया । श्री गजराज सिंह को भविष्य में कभी कैश चार्ज न देने का आदेश तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए इन तीनों कर्मचारियों को 5-4-89 को बहाल कर दिया गया । चौथे कर्मचारी श्री काशीनाथ चौबे, सहायक लेखाकार को उनके पैतृक विभाग, (कृषि विभाग) को कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रत्यावर्तित करते हुए उन्हें सेवा से पदच्युत करने की संस्तुति सचिव, क्षेत्रीय विकास द्वारा कृषि सचिव को भेजी गयी । जिसके फलस्वरूप कृषि निदेशक ने इनके विरुद्ध अपने पत्र संख्या-442/मु०प्र०/चार/क०लि०/15/5149 एक दिनांक 27-8-91 द्वारा उप कृषि निदेशक, वाराणसी मण्डल को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए श्री चौबे को दीर्घ दण्ड दिये जाने की सम्भावनाओं पर विचार कर अपनी जांच आख्या तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये हैं ।

[मंगलवार दि० 28-4-1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[गोपनीयता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में घटने वाली असामान्य व गैर आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं पुनर्गठन की मांग

*2–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घटने वाली असामान्य व गैर परम्परागत आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने तथा कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए क्या पुलिस बल के आधुनिकीकरण व पुनर्गठन की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इस वित्तीय वर्ष में पुलिस की संख्या में कितनी वृद्धि की जायेगी और कितने नये थाने व पुलिस चौकियां खोली जावेंगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*3 –श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश के कतिपय जनपदों के तराई क्षेत्रों में आतंकवाद में शिकार मृतक पुलिसजनों, नागरिकों तथा गिरफ्तार आतंकवादियों की संख्या और दी गयी आर्थिक सहायता का विवरण

*4–श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत तथा नैतीताल के काशीपुर आदि तराई के क्षेत्र में जून, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक आतंकवादियों द्वारा कितने पुलिस कर्मी एवं नागरिकों की हत्या की गयी है तथा आतंकवादियों की गिरफ्तारी एवं मृतक संख्या क्या है ? क्या उत्पीड़ित परिवारों तथा पुलिस कर्मियों (मृतकों) के आश्रितों को सहायता धनराशि प्रदत्त की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार जून, 1991 की अवधि में प्रश्नगत जनपदों में आतंकवादियों द्वारा 14 पुलिस कर्मी एवं 112 नागरिकों की हत्या की गयी तथा 23 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये एवं 20 आतंकवादी मारे गये ।

जी हां । कुल रु० 20,42,000 की सहायता धनराशि प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में हुई हिंसात्मक घटनाओं में मृतकों की संख्या एवं न्यायिक जांच आयोग का गठन

*5–श्री भागवत पाल–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि वाराणसी दंगे में कितने लोग मारे गये हैं ? क्या यह सत्य है कि जिला प्रशासन की लापरवाही से यह दंगा एक बार कंट्रोल में आने के बाद पुनः भड़का था ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वाराणसी में नवम्बर, 1991 में हुई हिंसात्मक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जा चुका है । आयोग की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए विधायकों को सरकार द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंसों की सीमा बढ़ाने की मांग

*6–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गृह मंत्री कृपया बतलायेंगे कि विधायकों को सरकार द्वारा जारी किये गये शस्त्र लाइसेन्स की सीमा क्या है ? क्या वर्तमान आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए उक्त सीमा बढ़ाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-12-91 गृह सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 1990 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट प्रदेश सीमा तक मान्य तथा सरकार सम्पूर्ण भारत वर्ष की सीमा के लिए मान्य अनिषिद्ध बोर के शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु सक्षम हैं । प्रदेश सीमा का लाइसेंस स्वीकृत होने के उपरान्त सम्पूर्ण भारत वर्ष की मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदकों (जिनमें मा० विधायक भी सम्मिलित हैं) से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/ संस्तुति प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अदिनांकित पत्र प्राप्त हुआ है, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट बस्ती की आख्या मांगी गयी है, जो प्रतीक्षित है । आख्या प्राप्त होते ही निर्णय लिया जायेगा ।

*7–श्री ऊदल–

[विस्तीर्णता तथा दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में नये पुलिस स्टेशन स्थापित करने की नीति तथा उन्नाव जनपद में नये थाने स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

*8–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नये थाने स्थापित किये जाने के संबंध में शासन की क्या नीति है ? इस नीति के अन्तर्गत उन्नाव जिले में कितने नये थाने स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं ? उक्त थाने कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग 1960-61 द्वारा थाने की स्थापना के लिए दिये गये सुझावों के आधार पर शासन द्वारा नये थाने की स्थापना की जाती है । उपरोक्तानुसार नये थाने की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्र में 50,000 की जनसंख्या, देहाती क्षेत्र में 70,000 से 90,000 की जनसंख्या का आधार एवं थाने के लिए 113 वर्ग मील के क्षेत्रफल का आधार लिया जाता है । इसके अतिरिक्त अपराधों की रोकथाम व शान्ति व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करने से प्रदेश के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में

आवश्यकतानुसार नये थाने की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस नीति के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में दो नये थाने "कोतवाली देहात" तथा "तकिया" जिले स्तर पर प्रस्तावित हैं । प्रस्ताव शासन में अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रदेश में वापस लिये गये अग्रिम जमानत के प्राविधान को पुनः लागू करने का प्रस्ताव

*9–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्राविधान आपातकाल में वापस ले लिया गया था ? यदि हां, तो प्रदेश की जनता को मानवाधिकार वापस करने हेतु अग्रिम जमानत का प्राविधान पुनः लागू करने की सरकार की कोई मंशा है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अग्रिम जमानत के प्राविधान को पुनः लागू करने का प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लघु/सीमान्त कृषकों को सिंचाई योजना में मानक से डेढ़ गुना छूट दिये जाने की मांग

*10–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में लघु/सीमान्त कृषकों को लघु सिंचाई योजनाओं में जमीन के मानक के अनुसार अनुदान देने की योजना चल रही है ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखण्ड या अन्य क्षेत्रों की जमीन के अनुपजाऊपन को देखते हुए जमीन के रखने संबंधी सीमा में डेढ़ गुना छूट दी गयी है ? यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड के पिछड़े सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लघु/सीमान्त कृषकों की भूमि सीमा के $1\frac{1}{2}$ गुना रखते हुए लघु सिंचाई योजनाओं में अनुदान राशि देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

हां । (निःशुल्क बोरिंग एवं स्प्रिंकलर के मामले में)

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार बुन्देलखण्ड में डेढ़ गुना भूमि की योजना लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के थाना खैर के मानपुर बाग में घटित हिंसात्मक घटना के संबंध में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण

*11–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-6-89 को जनपद अलीगढ़ की तहसील खैर के मानपुरबाग में पुलिस की गोली से निरपराध 6 कृषकों की निर्मम हत्या हुई थी जिसकी जांच हेतु तत्कालीन सरकार ने एक सेवानिवृत्त जज की देखरेख में आयोग बिठाया था ? इस आख्या में कौन-कौन

अधिकारी दोषी पाये गये ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है तथा घायल लोगों को क्या राहत दी गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 15-6-89 को मानपुरबाग थाना खैर जनपद अलीगढ़ में हिंसात्मक घटनाओं में कुछ व्यक्ति मारे गये थे । इसके संबंध में एक जांच आयोग गठित किया गया था । जांच आयोग की रिपोर्ट का शासन द्वारा परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रदेश के तराई क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाओं की जानकारी, मृतकों की संख्या आदि का विवरण

*12–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1990 से दिसम्बर, 1991 तक तराई क्षेत्रों के जनपदों में आतंकवादियों द्वारा कुल कितनी बैंक डकैतियां, बम विस्फोट एवं मुठभेड़ की घटनायें हुईं । उन घटनाओं में कितने लोग मारे गये ? सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है । क्या सरकार आतंकवादियों के आतंक से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कोई आपरेशन चालू करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में तराई क्षेत्र के जनपदों में आतंकवादियों द्वारा बैंक डकैतियों की 6, बम विस्फोट की 7 तथा मुठभेड़ की 45 घटनायें की गयी हैं । इन घटनाओं में 4 पुलिस कर्मी, 83 नागरिक तथा 31 आतंकवादी मारे गये ।

आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें पुलिस एवं अभिसूचना विभाग का सुदृढ़ीकरण, नवीन पुलिस चौकियों एवं बैरियरों की स्थापना, संवेदनशील थानों का सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त वाहनों एवं वायरलेस सेटों की आपूर्ति, आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य केन्द्रीय बलों की तैनाती सम्मिलित है । दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसे विशेष रूप से शिक्षित एवं आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बलों की और अधिक मात्रा में तैनाती, नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी रखने तथा आतंकवादियों के संचरण/विचरण संबंधी अभिसूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु केन्द्र सरकार से सहायता एवं सहयोग हेतु निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है ।

ऐसा कोई आपरेशन चालू किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सरकार द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रभावी कदम उठाये गये हैं ।

बरेली महानगर स्थित कैम्फर फैक्ट्री को नगर परिधि से बाहर स्थापित करने की मांग

*13–डा० दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली महानगर स्थित कैम्फर फैक्ट्री में अक्सर गैस आदि का रिसाव होता रहता है और कभी भी भोपाल जैसी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त फैक्ट्री को महानगर की परिधि से बाहर ले जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1985 के अवहेलना का आरोप

*14 –श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1985 की धारा-25/41 के अनुसार अस्थायी रूप से की गयी प्रोन्नतियां एक वर्ष से अधिक के लिए वैध नहीं हो सकती, परन्तु इन सेवाओं में मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य नगर नियोजक के पदों पर अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये गये अधिकारीगण पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि नियमों की अवहेलना किये जाने के क्या कारण हैं तथा इस अनियामेतता के कारण अब तक कितनी वित्तीय हानि हो चुकी है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित धारा-25/41 उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रियत सेवा नियमावली, 1985 में ऐसा प्राविधान नहीं हैं, किन्तु नियमावली की धारा-25 (4) में सेवाओं के संबंध में प्राविधान है ।

चूंकि संबंधित अधिकारियों से कार्य लिया जाता रहा है इसलिए वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

*15 –श्री राम लखन वर्मा–

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*16 –श्री मोहम्मद आजम खां–

[राज्य सरकार से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में अधिवर्षता आयु के पश्चात् सेवा में बनाये रखने संबंधी शासन की नीति की जानकारी

*17–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अधिवर्षता आयु के पश्चात् किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा में बनाये रखने के संबंध में वर्तमान सरकार की नीति क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

अधिवर्षता आयु के पूर्ण करने के उपरान्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा-विस्तार/ पुनर्नियुक्ति देने संबंधी शासन की सामान्य नीति शासनादेश संख्या-1/2/1993-कार्मिक-2, दिनांक 6 जुलाई, 1991 में स्पष्ट की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 202–203 पर)

प्रदेश में विगत वर्ष 1991 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमान्तर्गत निरुद्ध एवं रिहा व्यक्तियों की संख्या

*18 –श्री सुखदेव तथा श्री अंगद सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष 1991 में कितने लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द किया गया था ? उनमें से कितने लोगों को रिहा कर दिया गया है । कितने लोग अब तक जेल में बन्द हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विगत वर्ष 1991 में 449 लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द किया गया ।

उनमें से दिनांक 10-1-1992 तक 330 लोगों को रिहा कर दिया गया था तथा 119 लोग जेलों में बन्द थे ।

जनपद फतेहपुर में यमुना नदी के मत्स्य आखेट की नीलामी संबंधी अधिनियम की जानकारी

*19 –श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में वर्ष 1991-92 के लिए यमुना नदी के मत्स्य आखेट की नीलामी जिला परिषद् द्वारा की गयी है जबकि नियमानुसार यमुना नदी के पट्टे पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को संबंधित तहसीलदार व परगनाधिकारी को करने का अधिकार है ? यदि जिला परिषद् को भी नीलामी कराने का अधिकार है तो किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो उक्त नीलामी का औचित्य क्या है ?

श्री कृष्णा स्वरूप वैश्य–

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1991-92 के लिए यमुना नदी के मत्स्य आखेट की नीलामी उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा-239(2) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बहने वाली नदियों में मछली पकड़ने एवं शिकार आदि के कार्य को नियमित व नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनायी गयी उपविधियों के अन्तर्गत, जो उ० प्र० गजट दिनांक 14 अप्रैल, 1990 में अधिनियम की धारा-242(2) के अन्तर्गत आयुक्त इलहाबाद मण्डल द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात् प्रकाशित की गयी है, के अधीन जिला परिषद्, फतेहपुंर द्वारा नियमानुसार पंजीकृत मत्स्यजीवी सहकारी समितियों/मल्लाहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए की गयी है ।

उपविधि के गजट में प्रकाशित होने की तिथि के पूर्व मत्स्य आखेट का पट्टा संबंधित तहसीलदार व परगनाधिकारी द्वारा किया जाता रहा है ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों की सुविधा हेतु होटल स्थापित करने संबंधी परियोजना की जानकारी

*20 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर में पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन विकास निगम द्वारा किसी होटल परियोजना के लिए ज्वाइन्ट वेन्चर हस्ताक्षरित किया गया है ? क्या इस होटल परियोजना हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा रियायती मूल्य पर भूमि भी प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो अब तक भूमि अधिग्रहीत न किये जाने का क्या कारण है ? भूमि कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी हां ।

जी हां ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने सिविल स्टेशन में स्थित भूखण्ड संख्या-35 को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया था, परन्तु इस स्थल के बारे में मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के संबंध में अभी तक स्थगन आदेश लागू होने के कारण तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय न लिये जाने की दशा में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इस भूमि को निगम को हस्तानान्तरित करने में असमर्थ है। उक्त भूमि मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही निगम को उपलब्ध हो सकेगी।

अतारांकित प्रश्न

श्री सुभाष श्रीवास्तव हवलदार मेजर ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, गोरखपुर की भूमि पर जबरन कब्जे के आरोप संबंधी शिकायती पत्र की जानकारी

1—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष श्रीवास्तव पुत्र श्री चौथी प्रसाद श्रीवास्तव हवलदार मेजर, ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, जिला गोरखपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-12-90 व 8-8-1991 जो कि आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जे की जानकारी की शिकायत के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो कब तक की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

2—श्री यदुनाथ सिंह—

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

पंचायती राज विभाग में जिलों पर ग्राम सभा स्तर पर कार्यरत जीप चालकों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग

3—श्री हरिवंश सहाय—

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतराज विभाग में जिलों पर गांव सभाओं के सूद आदि से क्रय जीपों पर पिछले 10 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत जीप चालकों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो किस स्तर पर कार्यवाही लम्बित है और क्यों ? इतनी लम्बी अवधि से कार्यरत जीप चालकों के भविष्य की सुरक्षा हेतु क्या शीघ्र ही उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

श्री बी० के० मिश्र, सहा० निदेशक हथकरघा उद्योग, कानपुर के स्थानान्तरण की मांग

4—श्री शिव कुमार बेरिया—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के यह स्पष्ट आदेश हैं कि जनहित में किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसका स्थानान्तरण 3 वर्ष अथवा विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक न किया जाय ? यदि हां, तो क्या उसे उक्त अवधि तक एक जगह तैनात रखा जा सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि श्री बी० के० मिश्र, सह-निदेशक, उद्योग, हथकरघा, कानपुर को कानपुर मुख्यालय में 10 वर्षों से अधिक लम्बी अवधि तक तैनात रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि यह अधिकारी किस-किस जिले में कहां तैनात रहे हैं ? क्या इसकी पूर्ण सेवाओं की स्थिति से सदन

को अवगत कराना चाहेंगे ? क्या शासन में श्री मिश्रा का स्थानान्तरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

हथकरघा निदेशालय में नियोजन, सांख्यकीय एवं विकास कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादन हेतु एक जानकार एवं अनुभवी अधिकारी श्री बी० के० मिश्र उद्योग निदेशालय से इन्हीं कार्यों के लिए अगस्त, 1981 से प्रतिनियुक्ति पर हैं । अतः जनहित में उक्त कार्यों हेतु मुख्यालय से ही सम्बद्ध रखा गया है ।

श्री बी० के० मिश्र के विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण संलग्न है ।

हथकरघा उद्योग के सम्बर्धन एवं विकासार्थ जनहित में श्री मिश्र का स्थानान्तरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 204 पर)

उ० प्र० हथकरघा निदेशालय के मुख्यालय पर श्री जे० डी० सिंह, वस्त्र निरीक्षक को सम्बद्ध किये जाने की जानकारी

5–श्री शिव कुमार बेरिया–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई क्षेत्रीय कर्मचारी मुख्यालय पर किसी प्रयोजन से सम्बद्ध किया जाता है, तो उसकी शासन के संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या हथकरघा निदेशालय के मुख्यालय पर श्री जे० डी० सिंह, वस्त्र निरीक्षक को सम्बद्ध किये जाने के संबंध में शासन की अनुमति ली गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि यह कर्मचारी लगभग 10 वर्षों से मुख्यालय से ही संबंधित रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस प्रकार की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

सहकारी समितियों को नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण के संबंध में जानकार एवं अनुभवी कर्मचारी की आवश्यकता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए श्री जे० डी० सिंह को मुख्यालय पर रखा गया है जिससे योजना के क्रियान्वयन में काफी मदद मिलती है ।

जिला परिषद में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड-I व II के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड आदि की सुविधा प्रदान किया जाना

6–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् में कार्यरत आशुलिपिक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी लिपिक वर्ग को राज्य कर्मचारियों की भांति वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड, पेंशन आदि दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

समता समिति, उ० प्र० 1989 (स्थानीय निकाय) द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर जिला परिषद् में कार्यरत आशुलिपिक को प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी लिपिकों को वेतनमान व सेलेक्शन ग्रेड दिनांक 1 जनवरी, 1986 से स्वीकृत किया गया है । जिला परिषद् के द्वितीय श्रेणी लिपिक एवं राज्य सरकार के कनिष्ठ लिपिक (जो द्वितीय श्रेणी लिपिक के समकक्ष हैं) के वेतनमानों में समानता है परन्तु जिला परिषद् के आशुलिपिक एवं प्रथम श्रेणी लिपिक एवं राज्य सरकार के आशुलिपिकों एवं प्रथम श्रेणी लिपिकों के वेतनमानों में कुछ भिन्नता है ।

जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रदान की गयी है ।

जिला परिषद् कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग

7–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय के क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषदें, जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने का औचित्य नहीं है ।

प्रदेश में जिला परिषदों में सम्पत्ति कर एवं विभव-कर लिए जाने की जानकारी

8–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी जिला परिषदों में सम्पत्ति एवं बिभव कर लागू है ? इससे होने वाली आय को परिषदों द्वारा किस कार्य हेतु प्रयोग किया जा रहा है ? यदि इसका प्रयोग विकास कार्यों हेतु किया जा रहा है, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन में समस्त जिला परिषदों में एक प्रकार से सम्पत्ति एवं विभव-कर लागू कराने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

प्रदेश की 33 जिला परिषदों में सम्पत्ति एवं विभव-कर लागू है । इससे प्राप्त होने वाली आय को परिषद् की जिला निधि में जमा किया जाता है और जिला निधि से सभी प्रकार के व्ययों के भुगतान के लिए राशि आहरित की जाती है जिन जिला परिषदों में जिला निधि से विकास कार्य कराया जाता है उनमें इस राशि का प्रयोग विकास कार्यों के लिए किया जाता है । चूंकि जिला निधि में अन्य अनेक मदों की आय भी जमा होती है अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि सम्पत्ति एवं विभव-कर की कितने प्रतिशत राशि का विकास कार्यों हेतु प्रयोग की जाती है ।

समस्त जिला परिषदों में एक प्रकार से सम्पत्ति एवं विभव-कर लागू करने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

[9वें गुरु में अता० प्र० सं० 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री बाबू राम पुत्र श्री सरजू निषाद, ग्राम खभराभार, थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया द्वारा होलिका दहन की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा हटाया जाना

10–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबू राम पुत्र श्री सरजू निषाद, ग्राम-खभराभार, थाना-कप्तानगंज, देवरिया का पक्का मकान व नांद, हैण्ड पाइप व चारा मशीन को दिनांक 13-12-91 को श्री ओम प्रकाश उर्फ हीरा सिंह ग्राम प्रधान व परगनाधिकारी व तहसीलदार, तहसील हाटा व श्री राम दरस,

थानाध्यक्ष-कप्तानगंज, देवरिया ने धूर्ततया गिरवा दिया है ? क्या यह भी सत्य है कि नांद को खोदवा दिया व हैण्ड पम्प चारा मशीन को खोदवा कर गायब कर दिया है, जिससे डेढ़ लाख रुपये की उन्हें क्षति हुई हैं । क्या बाबू राम की प्रथम सूचना रिपोर्ट, स्थानीय थाना कप्तानगंज, देवरिया में दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ग्राम प्रधान व परगनाधिकारी व तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत भूखण्ड तहसील के अभिलेखों में होलिका दहन के नाम पर अंकित है । श्री बाबू राम निषाद ने उक्त भूमि पर नींव खोदकर ईटें जोड़ ली थी और होलिका दहन की भूमि को सहन के रूप में प्रयोग कर रहे थे । उसी भूमि पर हैण्ड पम्प, नांद, चारा मशीन गाड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था । ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों की शिकायत पर परगनाधिकारी हाटा व तहसीलदार ने दिनांक 13-12-91 को ग्रामवासियों की सहायता से उक्त अतिक्रमण को हटाया । तत्कालीन थानाध्यक्ष, कप्तानगंज श्री राम दरश अतिक्रमण हटाये जाने के समय सुरक्षा एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु घटना स्थल पर गये थे ।

जी नहीं । श्री बाबू राम अतिक्रमण हटाये जाने के समय अपनी नांद, हैण्ड पम्प एवं चारा मशीन स्वयं उठा कर ले गये ।

श्री बाबूराम निषाद द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई और न ही उनका थाने पर आना प्रमाणित है ।

परगनाधिकारी व तहसीलदार ने जनहित में अतिक्रमण को हटाया था । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी क्षेत्र की सूत कताई मिलों की उत्पादन क्षमता का विवरण

11–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में स्थित सरकारी क्षेत्र की सूत कताई मिलों में पूरी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि पिछले तीन वर्षों में सूत कताई मिलों में उत्पादन में कितना ह्रास हुआ है ? इसके क्या कारण रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में सरकारी क्षेत्र की कताई मिलें राज्य वस्त्र निगम, राज्य कताई कम्पनी तथा राज्य यार्न कम्पनी द्वारा संचालित की जा रही हैं । इनके द्वारा शत-प्रतिशत उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है । वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में उत्पादन क्षमता का उपयोग निम्नवत् हैं :–

(प्रतिशत में)

	1988-89	1989-90	1990-91
1 राज्य वस्त्र निगम	90.48	87.23	92.40
2 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी	79.63	78.78	50.34
3 स्टेट यार्न कम्पनी	79.32	87.08	75.55

क्षमता के उपयोग में कमी के कारण विद्युत में कमी, मरम्मत एवं रख-रखाव, उपयुक्त श्रमिकों की कमी, श्रमिक अशान्ति, कच्चे माल की कमी रही है ।

जनपद देवरिया ग्राम योगिया बुजुर्ग के ग्राम प्रधान के बारे में भ्रष्टाचार के आरोप संबंधी शिकायती पत्र पर जांच

12–श्री अवध पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा पत्र सं०–272 दि० 28-1-92 जो जनपद देवरिया के ग्रा० योगिया बुजुर्ग ब्लाक रुद्रपुर के प्रधान के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ० प्र० को लिखा गया है ? क्या सरकार उक्त पत्र पर जांच कराकर उक्त प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरुप वैश्य–

जी हां । इस विषय पर विधायक श्री हृदय नारायण दीक्षित का पत्र सं०–272, दिनांक 29-1-92 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेशक पंचायत राज उ० प्र० को निदेशित कर दिया गया है ।

इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट उ० प्र० में सी० पी० एफ० स्कीम के अन्तर्गत वेतन से कटौती की जानकारी

13–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंन्ट डेवलपमेन्ट उ० प्र० में सी० पी० एफ० की स्कीम लागू है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पा गये है ? कितनों को लाभ नहीं दिया गया है ? जिन कर्मचारियों की वेतन से सी० पी० एफ० की कटौती की जा रही है, उसमें कटौती का प्रतिशत, संस्थान का शेयर तथा उसमें दिये जाने वाले ब्याज का प्रतिशत क्या निर्धारित है ? क्या इसका पालन नियमानुसार किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । संस्थान के 14 कार्मिक सी० पी० एफ० योजना के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, शेष के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । सी० पी० एफ० नियमावली के अनुसार वेतन से सवा छः प्रतिशत कटौती एवं संस्थान का अंश सवा छः प्रतिशत तथा उक्त पर बचत बैंक के खातों की दरों के अन्तर्गत ब्याज अनुमन्य है, का अनुपालन किया जा रहा है ।

इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट उ० प्र० में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

14–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट उ० प्र० में प्रतिदिन कल दो गनर, दो महिला होम गार्ड पुलिस तैनात है ? यदि हां, तो क्या इसकी आवश्यकता संस्थान को पड़ गयी है ? यदि हां, तो इन पर संस्थान द्वारा कितना धन व्यय किया जाता है ?

श्री कल्याण सिंह–

संस्थान से प्राप्त सूचनानुसार किसी गनर की नियुक्ति नहीं की गयी है । जिला प्रशासन के माध्यम से महिला होमगार्ड तथा एक अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर की फरवरी में तैनाती हुई थी । संस्थान परिसर

में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तत्समय इसकी व्यवस्था हुई थी । इस पर एक हजार चार सौ आठ रुपये का व्यय हुआ ।

गोमती नगर योजना लखनऊ के विशाल खण्ड--2 में स्थिति उ० प्र० राज्य संगीत नाटक अकादमी लखनऊ को आवंटित भूमि को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तन एवं आवंटन की जानकारी

15--श्री तुलसी दास--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गोमती नगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत विशाल खण्ड --2 में उत्तर प्रदेश राज्य संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को भवन कार्यालय हेतु दिया गया भू-खण्ड, जब संगीत नाटक अकादमी ने क्रय नहीं किया, तो उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ ने उपरोक्त कार्यालय भूखण्ड का भू उपयोग बिना शासन के स्वीकृति के परिवर्तित करके 20 आवासीय भूखण्डों में परिवर्तित किया एवं बिना किसी सूचना या लाटरी के आवंटित कर दिया है ? उपरोक्त आवंटनों का आधार क्या था जबकि 22 जुलाई, 1988 शासनादेश के तहत नगद क्रय पद्धति पर आवंटन न किये जाने तथा प्रत्येक भूखण्ड (अवशेष) प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को लाटरी द्वारा आवंटित किया जाने का प्राविधान है ? उक्त आवंटन किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की गोमतीनगर योजना के आवंटियों को भवनों/भूखण्डों का आवंटन

16--श्री तुलसीदास--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ल० वि० प्रा० की प्रतिष्ठित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत पंजीकृत (सन् 1982) के आवंटित भू-खण्डों/भवनों का जिन्होंने जून 1983 से सम्पूर्ण वांछित मूल्य जमा कर रखा है के निबंधन व कब्जे की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? यदि उपरोक्त भूखण्ड/भवन विवादाग्रस्त स्थल पर स्थित है तो उनके स्थान पर आवंटियों को प्राथमिकता के आधार पर परिवर्तित करके भूखण्ड/भवन आवंटित क्यों नहीं किये गये ? क्या यह सही है कि नये पंजीकरणों पर, विकास प्राधिकरण लखनऊ के सक्षम अधिकारियों ने सत्र 1986, 1987 तथा 1988 में भवनों/भूखण्डों को बिना किसी वरीयता तथा लाटरी के आवंटित कर दिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? यह भवन/भूखण्ड सम्पूर्ण मूल्य जमा करने वाले आवंटियों को क्यों नहीं आवंटित किये गये ? विजय खण्ड-1 गोमती नगर योजना के लगभग 50 से अधिक ऐसे आवंटियों को जिन्होंने भवन/भूखण्ड का पूर्ण मूल्य जमा कर रखा है, को आवंटन होना है तो अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 में आवंटित भवनों/भूखण्डों का जिन्होंने जून 1983 से सम्पूर्ण वांछित मूल्य जमा कर रखा है, के निबन्धन व कब्जे की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है परन्तु विभिन्न खण्डों में विभिन्न प्रकार के कतिपय भवन भूखण्ड मौके की स्थिति के अनुसार विवादाग्रस्त हैं जिसके कारण इनकी निबंधन एवं कब्जा देने की कार्यवाही शेष है । विवादाग्रस्त स्थल पर स्थित भूखण्डों/भवनों के आवंटियों में से 11 भवनों/भुखण्डों का आवंटन (समायोजन) उपलब्धता के आधार पर किया जा चुका है जिनमें से दो की रजिस्ट्री पर कब्जा दिया जा चुका है ।

जी नहीं । उस समय प्रचलित नियमों के अन्तर्गत नकद भुगतान अथवा विदेशी मुद्रा में भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर तथा अन्य अभ्यर्थियों को लाटरी द्वारा आवंटन किये गये हैं । सम्पूर्ण मूल्य जमा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आवंटन किये जा चुके हैं ।

विजय खण्ड–1 में 39 भूखण्डों के समायोजन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्ववित्त पोषित पनकी योजनान्तर्गत एम० आई० जी० भवन संख्या-42 का आवंटन एवं कब्जा दिया जाना

17–श्री मथुरा प्रसाद पाल––

क्या आवास मंत्री बनाने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पनकी में एम० आई० जी० (स्वयं पोषित वित्त योजना के अन्तर्गत) भवन निर्मित किये गये हैं ? यदि हां, तो उसमें से मकान नं० 42 किसको आवंटित है और क्या उक्त भवन की पूरी कीमत उसके द्वारा भुगतान कर दी गयी है ? क्या उस भवन का, उसके नाम से पंजीकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो उस भवन के सम्बन्धित व्यक्ति को स्वामित्व व कब्जा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पनकी में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 48 एम० आई० जी० भवनों का निर्माण किया गया है जिसमें से भवन संख्या-42 श्री टी० आर० वर्मा को आवंटित है और पूर्ण धनराशि का भुगतान उनके द्वारा किया जा चुका है । उक्त भवन काउन्टर सेल योजना के अन्तर्गत आवंटित किया गया है तथा भवन का कब्जा भी दिनांक 2-4-1992 को दिया जा चुका है ।

जनपद देवरिया, ग्राम कुर्मीपट्टी निवासी श्री राजेन्द्र यादव पुत्र श्री सुखराम यादव को थानाध्यक्ष तरकुलवा द्वारा जेल भेजा जाना

18–श्री विश्वनाथ––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र यादव पुत्र श्री सुखराम यादव ग्राम कुर्मी पट्टी, थाना बर्धासघाट, जनपद देवरिया को थानाध्यक्ष तरकुलवा ने कथित डकैती में पकड़कर तरकुलवा थाने में 10 दिनों तक अवैधानिक ढंग से हिरासत में रखा और अवैधानिक व अमानुषिक व्यवहार किया एवं जेल भेज दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त थानाध्यक्ष, तरकुलवा को अपराधिक दफाओं में विरूद्ध करने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

श्री राजेन्द्र यादव धारा 395/397 भा० दं० वि० में वांछित अभियुक्त था तथा दिनांक 10-02-92 को उसे हिरासत में लिया गया एवं न्यायिक रिमान्ड पर जेल भेजा गया । तरकुलवा थाने में 10 दिनों तक अवैधनिक ढंग से हिरासत में रखने एवं अमानुषिक व्यवहार करने की बात असत्य पाई गयी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री किशन, अध्यक्ष, मल्लाह बालू खनन सहकारी श्रम संविदा समिति लि०, शुक्ला गंज, उन्नाव के पत्र में एहतमाली क्षेत्र का बालू खनन हेतु पट्टा दिया जाना

19–श्री मथुरा प्रसाद पाल––

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री किशन, अध्यक्ष, मल्लाह बालू खनन सहकारी श्रम संविदा समिति लि०, शुक्लागंज, उन्नाव के पक्ष में हरिहरपुर गैर एहतमाली क्षेत्र का पट्टा बालू खनन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसमें दिनांक 3-9-89 से अब तक डेड रेन्ट का बकाया चल रहा है ? यदि हां,

तो क्या यह सत्य है कि जिला प्रशासन की जानकारी में यह तथ्य आने के बाद, दिनांक 18-2-92 को जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किये हैं कि यदि समिति के ऊपर कोई देय हो तो एम० एम० 11 न जारी किया जाये ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि दिनांक 20-2-92 को बिना उपरोक्त देय को प्राप्त किये, पुनः एम० एम० 11 जारी करने के आदेश जिला प्रशासन ने दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

दिनांक 20-2-92 तक पट्टा धारक का पट्टा नियमानुसार निरस्त न होने तथा खनन कार्य न रोके जाने के कारण एम० एम०-11 जारी न करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया ।

20–श्री मथुरा प्रसाद पाल--

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 3-9-89 से अब तक 3 उत्खनन लिपिकों ने डेड रेन्ट के बकाया का नोटिस समिति के ऊपर जारी नहीं किया है ? क्या यह सत्य हैं कि वर्तमान उत्खनन लिपिक ने भी अभी तक बकाये का नोटिस जारी नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त तथ्य उत्खनन लिपिक/ज़िला प्रशासन की जानकारी में लाये जाने के बाद कि उक्त समिति की ओर से एम० एम० 11 प्राप्त करने के लिये पावर आफ अटार्नी किसी व्यक्ति को नहीं दी गयी है ? क्या अन्य व्यक्ति को एम० एम० 11 जारी की गयी है ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

21–श्री मथुरा प्रसाद पाल--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त समिति को सुरक्षित रूप से बालू खनन हेतु 1.03 मी० की गहराई तक बालू खनन के आदेश है ? यदि हां, तो क्या इस बात की नोटिस, जिला प्रशासन ने समिति को जारी की है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने हेतु, उत्खनन मोहरिर्र/संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला प्रशासन के समक्ष, जिन व्यक्तियों के नाम समिति का पंजीकरण हेतु प्रस्तुत कराया गया है उनके द्वारा यह शपथ पत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाने के बाद, कि उन्होंने समिति के पंजीकरण के लिये बालू खनन के पट्टे के लिये कभी भी आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है, बालू खनन का कार्य जिला प्रशासन ने रुकवाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि अपर जिला अधिकारी (परियोजना) की रिपोर्ट दिनांक 1-2-91, जिसमें यह भी बताया गया है कि उपरोक्त समिति

के नाम पट्टा प्राप्त कराके, श्री तारिक शाह द्वारा परोक्ष रूप से लाभ अर्जित किया जा रहा है, पर प्रभारी अधिकारी, खनिज उन्नाव ने अब तक कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा रिट याचिका सं०-1129 आफ 1992 एम/बी में पारित आदेश के अनुपालन में बालू खनन कार्य को रोकने संबंधी पारित आदेशों को निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

अपर जिलाधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 1-2-92 से संबंधित पत्रादि प्रभारी अधिकारी, खनिज उन्नाव के कार्यालय की पत्रावली में नहीं है । उक्त पत्रादि की फोटो प्रतियां अपर जिलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर ली गई है ।

जनपद जौनपुर अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा दिये गये निर्णय आदेश का स्थगन

22-श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर अन्तर्गत कार्यकारी मजिस्ट्रेट जौनपुर ने दिनांक 30-1-92 को मु० नं० 41/64/92 धारा 133 जा० फौ० सरकार बनाम बाके लाल वगैरह खेमापुर, थाना युमराबाद, शाहपुर में निर्णयी के साथ प्रतिलिपि थाना अध्यक्ष, युमराबाद शाहपुर को इस निर्देश के साथ भेजी है कि उक्त आदेश की तामीली प्रतिवादी पर करके अनुपालन सुनिश्चित करायें ? यदि हां, तो थानाध्यक्ष द्वारा क्या उक्त कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आदेशों का अनुपालन कराया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, मु० नं० 41/64/92 में नहीं, अपितु मु० नं० 40/64/92 में उक्त निर्णय की प्रति भेजी गई है ।

थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक 23-4-92 को तामीली की कार्यवाही की गई । मान० सेशन न्यायाधीश, जौनपुर के आदेश दिनांक 19-2-92 द्वारा अवर न्यायालय के आदेश पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ।

श्री बैजनाथ पुत्र बदूदर, ग्राम सराय मिही, थाना, सतरिख, जनपद बाराबंकी द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

23-श्री छोटे लाल यादव श्री हरदेव सिंह तथा श्री राधेश्याम वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैजनाथ पुत्र बदूदर ग्राम सराय मिही, थाना सतरिख, जनपद बाराबंकी ने, दिनांक 16-5-75 को अपराध नं० 281/75, धारा 436/452 आई० पी० सी० का

दर्ज कराया है ? यदि हां, तो इस घटना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

घटना में नामजद सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और आरोप पत्र दिनांक 27-12-75 को न्यायालय भेज दिया गया था ।

श्री जुबेर अहमद किदवई, सहायक बोरिंग मेकैनिक (लघु सिंचाई) जनपद बाराबंकी के विरुद्ध आरोपों की जांच की मांग

24–श्री छोटे लाल यादव--

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जुबेर अहमद किदवई, सहायक बोरिंग मेकैनिक, (लघु सिंचाई विभाग) जो जनपद बाराबंकी में कार्यरत हैं, इनकी सेवायें 1971-72 में समाप्त की गयी थी ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या था ? क्या सरकार इनके विरुद्ध गम्भीर मामलों की जांच कराकर इन्हें दण्डित करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम टटासू मज्याड़ी (सिमली) में अधिग्रहीत भूमि पर उद्योग लगाने की कार्यवाही की जानकारी

25–श्री रमेश पोखरियाल--

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली के सिमली नामक स्थान में समतल उपजाऊ 700 (सात सौ) वाली भूमि, विगत कई वर्षों तक पूर्ण औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु लाखों रुपये व्यय करके कई वर्षों पूर्व औद्योगिक परिसर की स्थापना हेतु अधिग्रहीत कर ली गयी थी ? क्या आज तक यह भूमि बंजर पड़ी है ? क्या सिमली में सरकार ने किसी उद्योग की स्थापना करने का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम टटासू मज्याड़ी (सिमली) में 581 नाली 13 मुट्ठी अर्थात् 28.85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर उसका कब्जा औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनार्थ उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम को वर्ष 1989 में प्राप्त हो चुका है । उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र के स्थापनार्थ तलपट मानचित्र तैयार कर लिया गया है तथा भूमि विकास के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं उद्योग न स्थापित कर उद्योग के स्थापनार्थ उद्यमियों को भूखण्ड आवंटित करता है । उक्त पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापनार्थ विभिन्न प्रोत्साहन उद्यमियों को उपलब्ध है ।

जनपद वाराणसी के श्री उदय प्रताप सिंह के शिकायती पत्र की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

26–श्री ऊदल––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० एम० मेहरोत्रा, उप सचिव, गृह ने अर्ध शा० पत्र सं०– 166 पी०/6-पु-10-9027/941/90. गृह पुलिस अनुभाग-10 दिनांक 11 दिसम्बर, 90 द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया गया है कि श्री उदय प्रताप सिंह नि० वाराणसी के पत्र दिनांक 27-9-90 की जांच का आदेश, अपराध अनुसंधान शाखा को निर्गत कर दिये गये है ? यदि हां, तो आरोप जो लगाये गये थे क्या वे जांच से सत्य पाये गये है ? इस पर जी० आर० पी० कैण्ट-वाराणसी ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद बांदा के थाना पहाड़ी के ग्राम-रामपुर के श्री भैरमा आदि के भ्रष्टाचार एवं शोषण के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा के थाना पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम रामपुर के श्री भैरमा आदि ने भ्रष्टाचार एवं शोषण के संबंध में शिकायती पत्र दिनांक 15-1-92 को अपर जिला अधिकारी परियोजना बांदा को दिया है ? यदि हां, तो क्या अपर जिला अधिकारी परियोजना ने अपने पत्र संख्या 643 एस० टी०/91-92. दिनांक 17-1-92 क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्मी द्वारा अनुसूचित जाति उत्पीड़न संबंधी मामला पंजीकृत करने का आदेश किया गया है ?यदि हां, तो क्या मुकदमा कायम हुआ है ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत ? क्या यह भी बतायेंगे कि अपराध संख्या क्या है ? क्या मामले की विवेचना की गयी है ? यदि हां, तो क्या लाभार्थी का पम्प सेट बरामद करके कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आरोपित व्यक्ति के बारे में अपराधिक व्यक्ति की थानावार जांच करा ली गई है ? क्या यह सही है कि आरोपित व्यक्ति को राइफल के लाइसेंस की संस्तुति पुलिस पहाड़ी ने की है ? यदि हां, तो उक्त अपराधिक इतिहास को देखते हुए संस्तुति का क्या औचित्य है ? क्या इस प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

अपर जिलाधिकारी (परियोजना) बांदा का पत्र संख्या-643/एसटी/91-92 दि० 17-1-92 अपर पुलिस अधीक्षक बांदा की सम्बोधित किया गया जो दिनांक 20-1-92 को शिकायतकर्ता श्री भैरमा के प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त हुआ है । इस पत्र में क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्मी द्वारा अनुसूचित जाति उत्पीड़न सम्बन्धी मामला पंजीकृत करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि मामले में तत्परता के साथ कार्यवाही किये जाने आदि का उल्लेख किया गया है । प्रार्थना पत्र में अंकित आर की जांच कराये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आये आवेदक ने अपना पम्पिंग सेट स्वेच्छा से आपसी समझौते के आधार पर श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी को दिया था किन्तु बाद में संबंध खराब हो जाने के कारण इस तरह का आरोप लगाकर

प्रार्थना-पत्र दिया था । पहाड़ी पुलिस द्वारा एक अन्य प्रार्थना-पत्र की जांच के दौरान दि० 16-2-92 को उपरोक्त पम्पिंग सेट उसे वापस दिला दिया गया ।

जी हां ।

जी हां ।

यह सत्य है कि आरोपित व्यक्ति का अपराधिक इतिहास है किन्तु उसे शस्त्र लाइसेन्स वर्ष 1979 में प्रदान किया गया था और अब उसे इसी लाइसेन्स के आधार पर नया शस्त्र खरीदने की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की गई है । विभिन्न मुठभेड़ों में तथा बदमाशों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में पुलिस का सहयोग करने के कारण वास्तव में उसके जान का खतरा था जिसके आधार पर यह संस्तुति की गई है ।

थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में अपहरण की घटना की विवेचना की जानकारी

28–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय तथा श्री राम प्रसाद सिंह––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 9/10 फरवरी, 92 को ग्राम विनौरा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर से एक लड़के का अपहरण कर लिया गया जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना जैतीपुर में दिनांक 10-2-92 को लिखे जाने के विरूद्ध प्रधान व नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री कल्याण सिंह––

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर पर मु० अ० सं०-26/92 अंतर्गत धारा-364 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ, जो विवेचना से धारा-365-भा० दं० वि० का पाया गया । इस संबंध में लिखायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दो अभियुक्तों मूंगा लाल एवं केदार प्रधान को नामजद किया गया था । उनमें से अभियुक्त मूंगा लाल ने दिनांक 10-2-92 को न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया एवं उसके विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । दूसरे नामजद अभियुक्त केदार प्रधान की नमाजदी विवेचना से झूठी पायी गयी अतः उसे गिरफ्तार नहीं किया गया ।

29–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय––

[8वें गुरू में अता० प्र० सं०-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा में हुई घटना के संबंध में दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही की जानकारी

30–श्री विजय पाल सिंह तोमर––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में 24 नवम्बर, 1989 को थाना-सिखेड़ा में हुई घटना के संबंध में जो मुकदमा श्री सर्वशक्ति स्वरूप ने क्रमशः तत्कालीन थानाध्यक्ष सिखेड़ा श्री विजय सिंह एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी जानसठ श्री ओ० पी० मिश्रा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना जानसठ श्री रघुवंश मणि पाण्डेय के विरूद्ध कराया था, उसमें आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले में पंजीकृत मुकदमा अप० सं०-94ए/89 अन्तर्गत धारा 147/323/504 भा० दं० सं० व 134 (ए) लोक प्रति० अधिनियम की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा

करायी गयी । अपराध शाखा द्वारा की गयी विवेचनोपरान्त मामले में दिनांक 29-4-91 को अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दिया गया था परन्तु शासन द्वारा पुनः विचारोपरान्त दिनांक 25-11-91 को मामले को अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को पुनः जांच हेतु सौंपा गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री गामा राम शास्त्री–

[दिनांक 27-2-92 को अता० प्र० सं० 103 द्वारा उत्तरित]

अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम-जन्म भूमि स्थित प्लाट नं० 586 के विवादित होने की जानकारी

32–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबरी मस्जिद/राम जन्म भूमि अयोध्या स्थित प्लाट नं० 586 विवादित स्थल है ?

श्री कल्याण सिंह–

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में जिला परिषद् के सहायक अभियन्ता द्वारा फर्जी भुगतान के आरोप की टी० ए० सी० जांच

33–श्री मोहम्मद मुकीम–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर में जुलाई, 1991 एवं अगस्त, 1991 में जिला परिषद् के सहायक अभियन्ता एवं डी० आर० डी० ए० के सहायक अभियन्ता द्वारा लगभग आठ लाख रुपये फर्जी बाउचर के माध्यम से एक साथ ही रोड पर एक ही दिन में तीन-तीन चेकों द्वारा भुगतान किया गया जिसकी शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को की गयी थी ? क्या जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने जांच करवा कर शासन को कार्यवाही हेतु भेज दिया था ? यदि हां, तो उक्त अभियन्ताओं के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जनपद सिद्धार्थनगर में जिला परिषद् अभियन्ता को तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश से अभियन्ता डी० आर० डी० ए० के रूप में कार्य करने के निर्देश दिये गये थे जिस पर वर्ष 90-91 व 91-92 में अभियन्ता, जिला परिषद् द्वारा उन्तीस सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया । प्रश्नकर्ता द्वारा निम्न सम्पर्क मार्गों का अग्रिम भुगतान जुलाई मास में एक ही दिन में कई चेकों के माध्यम से किये जाने की शिकायत जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से की गयी है :–

(1) पिपरा कटेश्वर नाथ सम्पर्क मार्ग ।

(2) खुनियाव रूपडीह सम्पर्क मार्ग ।

(3) इटवा बांसी मार्ग से सन्दलपोत ऊंचडीह सम्पर्क मार्ग ।

जी हां । जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा शासन के ग्राम्य विकास विभाग को प्रारम्भिक जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी थी । अब जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा मामले की जांच टी० ए० सी०

द्वारा कराये जाने का अनुरोध किया गया है । जिसके क्रम में ग्राम्य विकास विभाग से प्राविधिक परीक्षक कोष्ठक द्वारा जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया है ।

लघु सिंचाई विभाग बांदा द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की टी० ए० सी० द्वारा जांच

34–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बांदा एवं प्रभारी लघु सिंचाई बांदा के संयोजक श्री रमेश कुमार मिश्रा का रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 28-10-91 जिसके द्वारा लघु सिंचाई विभाग बांदा में किये जा रहे भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

श्री रमेश कुमार मिश्रा के शिकायती-पत्र दिनांक 28-10-91 में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत ठेकेदारी प्रथा/एग्रीमेंट कराकर नियमों का उल्लंघन किये जाने, चेकडेमों की सीमेन्ट सीधे ठेकेदारों को देने एवं भारी कमीशन लेने, लाखों रुपये की हेराफेरी करने, बिना रजिस्ट्रेशन व अनधिकृत डीलरों से डुप्लीकेट पार्ट्स खरीदने आदि अनियमितताओं की श्री सेहगू राम आर्य, अधिशासी अभियन्ता (ल सिं०) विभाग का बांदा से स्थानान्तरण करके सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग की गयी है । टी० ए० सी० से जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डा० एस० एन० तिवारी की जनपद सुल्तानपुर के चांदा थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा अपमान किये जाने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

35–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 जनवरी, 1992 को जनपद सुल्तानपुर के चांदा थाने में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर डा० एस० एन० तिवारी को थानाध्यक्ष ने मारा-पीटा व अपमानित किया ? यदि हां, तो दोषी थानाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस प्रकरण में अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच की थी । जांच में प्रथम दृष्टया कुछ आरोप सही पाया गया ।

जांच से दोषी पाये गये थानाध्यक्ष, चांदा उप निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है ।

जनपद उन्नाव में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत पम्पिंग सेटों के साथ नकली सेन्टीफ्यूगल पम्पों (पंखों) की आपूर्ति की शिकायतों की जांच

36–डा० गंगा बख्श सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत सेटों के साथ नकली सेन्टीफ्यूगल पम्पों (पंखों) के आपूर्ति की शिकायतों की जांच मार्च-अप्रैल, 1991 में जिला प्रशासन उन्नाव द्वारा करायी गयी ? क्या यह सच है कि जांच में शिकायतें सही पायी गयीं एवं आपूर्ति-

कर्ताओं के विरुद्ध मुकदमें भी कायम किये गये ? क्या यह कार्यवाही मात्र उन्नाव तहसील में हुई जबकि ऐसी शिकायतें सभी तहसीलों से प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या पूरे जनपद की तहसीलों में जांच कराकर फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा पूर्व मंत्रियों/विधायकों को आपूर्ति की गयी फर्नीचर एवं सामान की वापसी के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

37–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किन-किन पूर्व मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों ने राज्य सम्पत्ति विभाग के द्वारा प्रदत्त सामान, फर्नीचर वापस नहीं किया है ? इसकी वापसी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि की है तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिन भूतपूर्व मंत्रियों एवं विधायकों ने राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदत्त सामान एवं फर्नीचर वापस नहीं किया है, उनकी सूची संलग्न है । †

संबंधित मंत्रियों को सामान एवं फर्नीचर वापस करने के लिए नोटिस भेजी गयी है । जिन विधायकों से सामान वापस प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें से कतिपय विधायकों से वसूली करने हेतु विधान सभा/ विधान परिषद् सचिवालय को लिखा गया है । शेष विधायकों के संबंध में समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तरांचल में भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत लम्बित योजनाओं की जानकारी की मांग

38–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति न मिलने की वजह से उत्तरांचल में कितनी स्वीकृत योजनायें व कितनी लागत की लम्बित पड़ी है ? यह योजनायें कब से लम्बित हैं ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द शर्मा)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद मुरादाबाद के हसनपुर नगर स्थित पुराना इमामबाड़ा को क्षति पहुंचाने विषयक शिकायत की जांच की मांग

39–श्री धर्मपाल यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के हसनपुर नगर स्थित पुराना इमामबाड़ा (मसुआ वाला) को कुछ लोगों द्वारा 16 फरवरी, 1992 को तोड़ा गया है ? यदि हां, तो उक्त इमामबाड़े को तोड़ने में कौन-कौन से लोग सम्मिलित थे ? किस पुलिस अधिकारी की देख-रेख में इमामबाड़ा तोड़ने की जांच की गयी है ? क्या सरकार इस घटना की विस्तृत जांच कराने व दोषी लोगों को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद मुरादाबाद के हसनपुर नगर स्थित तथाकथित विवादित इमामबाड़े के संबंध में कुछ व्यक्तियों की ओर से एक वाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, हसनपुर के न्यायालय में दिनांक 24-9-91 को दायर किया गया । उक्त वाद में प्रतिवादी सं०-1 श्री तैयब, निवासी मोहल्ला होली वाला, हसनपुर द्वारा विवादित स्थल (सार्वजनिक सड़क) पर अतिक्रमण करके भवन निर्माण कराये जाने का उल्लेख करते हुए इससे आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होने की बात कही गयी थी । मा० न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विवादित स्थल पर कोई भी निर्माण करने या होने देने से वर्जित किया गया एवं प्रतिवादी सं०-3 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हसनपुर को यह निर्देश दिये गये कि वे आवश्यक बल प्रयोग करके सार्वजनिक सड़क से समस्त अवरोध साफ करायें । मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हसनपुर की मांग पर उन्हें आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया गया जिसके सहयोग से तथाकथित विवादित इमामबाड़े का मलवा नगर पालिका कर्मचारियों एवं मजदूरों की मदद से साफ कराया गया ।

चूंकि मामला न्यायालय की परिधि में है अतः किसी पुलिस अधिकारी से जांच कराने/किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मिर्जापुर थाना मड़िहान के ग्राम गढ़वा में कतिपय व्यक्तियों से बन्धुवा मजदूरी कराने का आरोप

40–श्री भागवत पाल–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम गढ़वा पो० पड़रिया, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर में श्री गोविन्द पुत्र श्री शारदा, श्री नन्हकू पूत्र श्री फागू, श्री भण्डारी पुत्र श्री प्रेम आदि लगभग 100 अ० जा० के लोग श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कैलाश नाथ सिंह के अधीन बन्धुआ मजदूर हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या शासन दोषी व्यक्तियों कों दण्डित करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री नरेन्द्र सिंह के ग्राम उजारपुर में लगे कालीन बुनने के कारखाने में श्री गोविन्द, श्री नन्हकू, श्री भण्डारी काम करते थे । अब ये तीनों व्यक्ति उक्त कारखाने में काम करना छोड़कर स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी मुताबिक काम करते हैं । उक्त कारखाने में काम करने वाले अन्य व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं । किसी को भी बंधुआ मजदूर नहीं बनाया गया है । अतः कोई कार्यवाही करने अथवा किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अयोध्या में विवादित स्थल की चौहद्दी के बाहर अधिग्रहीत भूमि पर सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण

41–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबरी मस्जिद अयोध्या के विवादित स्थल के पीछे की ओर सरकार द्वारा बनाई जा रही दीवार का उद्देश्य क्या है ? क्या इस दीवार में कुछ हिस्सा कब्रिस्तानों का भी शामिल है ? यदि हां, तो क्या यह दीवार राम मन्दिर का भाग कहलायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

अयोध्या में विवादित स्थल के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर दिनांक 7 व 10 अक्टूबर, 91 की अधिसूचना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के बाहर दीवार का निर्माण किया जा रहा है। अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाई जा रही दीवार से विवादास्पद ढांचे की सुरक्षा भी और सुदृढ़ होगी।

जिस भूमि पर दीवार निर्माण हो रहा है, उस पर मौके पर कोई कब्रिस्तान नहीं पाया गया।

सरकार द्वारा राम मन्दिर का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत उद्योग हस्तिनापुर (मेरठ) की बैलेंस शीट समय से प्रस्तुत न करने के विरुद्ध कार्यवाही

42–श्री विजय पाल सिंह (आगरा)–

क्या पंचायत राज मंत्री को जानकारी है कि पंचायत उद्योग हस्तिनापुर (मेरठ) जो प्रति वर्ष लाखों का कारोबार करता है, की बैलेंस शीट वर्ष 1986-87 से नहीं बनी है ? यदि हां, तो क्या उत्तरदायी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

पंचायत उद्योग हस्तिनापुर, मेरठ की वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 की बैलेंस शीट बनी है। बैलेंस शीट समय से प्रस्तुत न करने के कारण संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनियों में स्थित पार्कों के सौन्दर्यीकरण की मांग

43–श्री किशन गोपाल–

क्या आवास मंत्री आगरा पश्चिमी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कालोनीज में बने पार्कों का सौन्दर्यीकरण कराने का आदेश शीघ्र प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पार्कों पर हुए अवैध कब्जों से भी भूमि मुक्त करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

आगरा पश्चिमी क्षेत्र में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 12 आवासीय कालोनियां विकसित की गई, जिनमें पार्कों के सौन्दर्यीकरण की योजना भी क्रियान्वित की गई। न्यू शाहगंज स्थित कालोनी के विकसित दो पार्कों को स्थानीय जनता द्वारा नष्ट कर दिये जाने के उपरान्त प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-1-92 द्वारा उक्त दोनों पार्कों में सार्वजनिक प्रयोगार्थ सुलभ शौचालय बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

न्यू शाहगंज, अशोक नगर व यातायात नगर की कालोनियों के एक-एक पार्क में किये गये अवैध अस्थायी निर्माण को नियमानुसार हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक ब्लिट्ज के अलीगढ़ स्थित संवाददाता श्री शैलेन्द्र कुलश्रेष्ठ की सुरक्षा व्यवस्था एवं उनके विरोधियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

44–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक ब्लिट्ज के अलीगढ़ स्थिति संवाददाता श्री शैलन्द्र कुलश्रेष्ठ को अलीगढ़ में आबकारी आयुक्त (सहायक) श्री रघुवीर सिंह ने 31 दिसम्बर की शाम को जान से मारने की धमकी दी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी सुरक्षा हेतु शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उस दिन मारने की धमकी देने वाले सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कोई मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्रीय विकास विभाग के सी० ए० डी० एवं डी० पी० ए० पी० सेल में लिपिक वर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माह में सम्पूर्ण दिवसों का वेतन देने का औचित्य

45–श्री प्रागी लाल अहिरवार–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिपिक वर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अवकाश के दिनों का भी वेतन दिए जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत सी० ए० डी० तथा डी० पी० ए० पी० सेल के लिपिक वर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को माह अगस्त 1991 से जनवरी 1992 तक की अवधि में माह के सम्पूर्ण दिवसों (राष्ट्रीय पर्व सहित) के वेतन भुगतान का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी उक्त अवधि के भुगतान की पुष्टि कार्यालय खोले जाने वाले रजिस्टर से करायेंगे तथा मस्टर रोल की पुष्टि तथा स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो इसमें शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

केवल कार्य पर उपस्थित रहने के दिवसों का ही भुगतान किया जाता है ।

माह अगस्त, 1991 से जनवरी, 92 तक की अवधि में लिपिक वर्ग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को माह के सम्पूर्ण दिवसों (राष्ट्रीय पर्व सहित) के लिए पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है, अपितु माह के जिन कार्य दिवसों में उपस्थित रह कर कार्य किया, केवल उन्हीं दिवसों के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है ।

कार्यालय की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टर रोल से उपरोक्त उत्तर की पुष्टि करा ली गयी है ।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

पुलिस विभाग में राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों पर क्रिमिनल केस चलने के समय प्रक्रिया में भिन्नता का आरोप

46–श्री राम सरन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब पुलिस विभाग एक ही है तो क्या कारण है कि अराजपत्रित अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में क्रिमिनल केस चलने पर उसे चार्ज पर नहीं रखा जाता, जबकि

राजपत्रित अधिकारी को विभागाध्यक्ष बनाकर जनपदों में रखा जा सकता है ? किन नियमों के आधार पर एक विभाग को दो हिस्सों में मानते हुए प्रक्रिया में यह भिन्नता है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम गंवाणा पट्टी हिंसरिया खाल ब्लाक देव प्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल में पंचायत घर के निर्माण में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

47–श्री लाखी राम जोशी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गंवाणा पट्टी हिंसरिया खाल ब्लाक देव प्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल में पंचायत घर के निर्माण में हुई अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को प्रश्नकर्ता द्वारा जून, 1990 को की गयी थी ? उपरोक्त शिकायत पर खण्ड विकास अधिकारी देव प्रयाग विकास खण्ड की जांच की गयी थी ? जांच में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

जनपद मिर्जापुर के थानाध्यक्ष अदलहाट पर नारायनपुर ब्लाक के पूर्व उप प्रमुख श्रीराम कपिल सिंह आदि को अवैधानिक ढंग से बन्द किये जाने के विरुद्ध जांच

48–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री भागवत पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के प्रख्यात समाज सेवी, नारायनपुर ब्लाक के पूर्व उप प्रमुख श्री रामकपिल सिंह व उनके गांव के एक व्यक्ति को अदलहाट थाना-प्रभारी श्री बी० एन० शर्मा ने दिनांक 28-10-91 को अवैधानिक तरीके से 6-7 घंटे तक "लाकअप" में बन्द रखा और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप पर सायंकाल लगभग 7 बजे रिहा किया और जांच कार्यवाही से बचने के लिये जी० डी० में अपनी फर्जी वापिसी सायंकाल 7.50 पर अंकित किया, जबकि थाना प्रभारी के सुबह से ही थाने पर मौजूद थे ? यदि हां, तो उक्त थाना प्रभारी के विरुद्ध धारा-342 के तहत अभियोग पंजीकृत करके कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? क्या शासन अदलहाट थाना प्रभारी को निलम्बित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर दण्डित करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत शिकायतों से संबंधित श्री राम कपिल सिंह का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सहित पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी के माध्यम से पुलिस अंधीक्षक, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष अदलहाट के विरुद्ध श्री राम कपिल सिंह के अन्य पत्र भी प्राप्त हुए हैं । उप निरीक्षक स्वतंत्र सिंह को जनपद मिर्जापुर से बलिया स्थानान्तरित कर दिया गया है । शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी चुनार द्वारा की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर थाना अदलहाट के श्री राम सिंह 'वागीश' को रायफल लाइसेंस दिये जाने की जानकारी

49–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह तथा श्री भागवत पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सिंह "वागीश" निवासी-ग्राम-घरबासपुर, थाना-अदलहाट ने आत्मरक्षार्थ एक रायफल लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने सम्यक् जांचोपरान्त शासन को लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु अनुशंसा की है तथा उ० प्र० शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद जिलाधिकारी ने दिनांक 10-6-91 को लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस अभी तक जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ? जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस जारी न किए जाने के बारे में शासन की नीति क्या है ? क्या सरकार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस अविलम्ब जारी करने हेतु आवश्यक निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पूर्व मंत्रिगणों पर राज्य सम्पत्ति विभाग के अवशेष सामानों के वापसी का विवरण

50–श्री सुरेश तितौरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किस-किस पूर्व मंत्री पर राज्य सम्पत्ति विभाग का ऐसा क्या-क्या सामान शेष है जो उन्हें विभाग से मंत्री बनने पर दिया गया था मगर मंत्री पद से हटने पर सामान विभाग में अभी वापिस नहीं प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उनसे यह सामान वापिस लेने हेतु कोई पग उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिन भूतपूर्व मंत्रिगणों से जो सामान वापस प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी सूची संलग्न है । †

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय रेलवे पुलिस लखनऊ में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण की जानकारी

51–श्री इन्द्र पाल सिंह तथा डा० जी० एस० विनोद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जी० आर० पी० (राजकीय रेलवे पुलिस) लखनऊ में ऐसे कितने पुलिस कर्मचारी हैं जो 3 वर्ष या अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य स्थानों पर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी० आर० पी० लखनऊ में ऐसे एक उप निरीक्षक, 16 हेड कान्सटेबिल तथा 167 कान्सटेबिल हैं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

ऐसे पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरण नीति में निर्धारित अवधि को देखते हुए वार्षिक स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय रेलवे पुलिस, लखनऊ अनुभाग में वर्णित प्रकार के पुलिस कर्मियों को अटैच किये जाने की जानकारी

52—श्री इन्द्र पाल सिंह तथा डा० जी० एस० विनोद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय रेलवे पुलिस लखनऊ अनुभाग में लगभग एक वर्ष में ऐसे कितने पुलिस कर्मचारी हैं जो कि अवकाश के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण रेलवे पुलिस लाइन से अटैच हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी पुलिस कर्मचारियों को सरकारी कार्यहित में पुलिस लाइन से हटा कर चौकी/थानों में तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार वर्णित प्रकार के कोई पुलिसकर्मी नहीं है । अवकाश के कारण गैरहाजिर होकर जो भी कर्मचारी जी० आर० पी० लाइन में आमद कराते हैं, अवकाश निस्तारण के उपरान्त उसे अविलम्ब नियुक्ति के थाने पर वापस कर दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी अर्द्ध शासकीय पत्र के अनुसार कतिपय अनुभाग अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन को समर्पित किया जाना

53—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों को सम्बोधित सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग के अर्धशासकीय प० सं०-4854/बीस-इ०-1-91-612(1)/91 दिनांक 12-8-91 में यह अपेक्षा की गयी है कि उनके विभागों में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को किसी भी दशा में सचिवालय प्रशासन विभाग को समर्पित न किया जाय ? यदि हां, तो उक्त आदेश के विपरीत किन-किन विभागों के कितने अनुभाग अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन विभाग को समर्पित किया गया और उन्हें कितनी अवधि तक बाध्य प्रतीक्षा में रहना पड़ा तथा बिना कार्य के उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ा ? क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-4054/बीस-ई-1-91-612(1)/91, दिनांक 12-8-91 द्वारा शासन के समस्त प्रमुख सचिवों, सचिवों तथा विशेष सचिवों से यह अनुरोध किया गया है कि उनके विभागों में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को समर्पित करने के स्थान पर उनके स्थानान्तरण हेतु तथा यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित हो तो उन्हें समर्पित किये जाने के स्थान पर समुचित साक्ष्यों सहित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन विभाग

को प्रेषित किया जाय । उक्त पत्र द्वारा किये गये अनुरोध के पश्चात् निम्नलिखित दो विभागों से उनके सामने अंकित कुल चार अनुभाग अधिकारियों को सचिवालय प्रशासन विभाग को समर्पित किया गया :–

1–आवास विभाग	1–श्री राम स्वरूप बाल्मीकी
	2–श्री जंग बहादुर सिंह
2–उत्तरांचल विकास विभाग	1–श्री कामेन्द्र बिहारी
	2–श्री सुरेन्द्र चन्द्र शर्मा

श्री राम स्वरूप बाल्मीकी दिनांक 22-9-91 से 13-10-91 तक,–श्री जंगबहादुर सिंह दिनांक 26-9-91 से 11-10-91 तक तथा श्री कामेन्द्र बिहारी दिनांक 26-12-91 से 1-1-92 तक बाध्य प्रतीक्षा में रहे । श्री बाल्मीकी को रु० 3,048/= (रुपये तीन हजार अड़तालिस) मात्र की धनराशि का भुगतान बाध्य प्रतीक्षा अवधि के वेतन के रूप में किया गया है । श्री जंग बहादुर सिंह को बाध्य प्रतीक्षा अवधि के वेतन रु० 2326.20 (रुपये दो हजार तीन सौ छब्बीस तथा बीस नये पैसे) मात्र का बिल भुगतान हेतु बना दिया गया है । श्री कामेन्द्र बिहारी की बाध्य प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान उन्हें अभी नहीं हुआ है । श्री सुरेश चन्द्र शर्मा की नियुक्ति के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

सचिवों ने उक्त अनुभाग अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर समर्पित किया है । उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को इस विषय पर पुनः लिखा जा रहा है ।

श्री श्याम सिंह महा मंत्री भारतीय जनता पार्टी महानगर कानपुर तथा पूर्व महामंत्री भा० ज० पा० युवा मोर्चा श्री राम प्रकाश पाण्डेय के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र पर कर्यवाही

54–श्री सत्य देव पचौरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भा० ज० पा० महानगर कानपुर के महामंत्री श्री श्याम सिंह व पूर्व महामंत्री भा० ज० पा० युवा मोर्चा श्री राम प्रकाश पाण्डेय के संबंध में मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया पत्र संख्या 638776 दिनांक 25-11-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इस विलम्ब का क्या कारण है तथा इस विलम्ब के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच जिलाधिकारी द्वारा कराई जा रही है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

दारुलशफा वि० नि०–2 का सूट संख्या–90 का आवंटन निरस्त करने की मांग

55–श्री मुन्ना चौहान–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा में विधायक निवास–2 का सूट संख्या–90 किसी विधायक को न देकर किसी सरकारी अधिकारी को आवंटित किया गया है, जबकि विधायकों की जटिल आवासीय समस्या विद्यमान है ? यदि हां, तो क्या उक्त सूट संख्या–90 का आवंटन अविलम्ब निरस्त कर उसे किसी विधायक को आवंटित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-आर-382(स)/32-2-89-3(8)/87 दिनांक 3 अप्रैल, 1989 द्वारा विधायक निवास–2 का कक्ष संख्या–90 जो "ख" श्रेणी का है, श्री आदित्य कुमार दुबे सहायक विधान परिषद्, सचिवालय को कब्जा प्राप्त करने की तिथि से केवल 3 मास के लिये नियमित किराये पर आवंटित किया गया । उक्त आवास का कब्जा श्री दुबे द्वारा 24 अप्रैल, 1989 को प्राप्त किया गया । चूंकि आवंटन आदेश प्रभावी नहीं है । अतः उसे निरस्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के दैनिक पत्र "नये लोग" के पूर्व सम्पादक श्री दिनेश महेश्वरी के लापता होने की सी० आई० डी० जांच

56–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के दैनिक पत्र "नये लोग" के पूर्व सम्पादक श्री दिनेश महेश्वरी के 10-4-91 से लापता हो जाने संबंधित ज्ञापन फैजाबाद जनपद के पत्रकारों द्वारा दिनांक 16-7-91 व 27-2-92 को उन्हें दिया गया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण ज्ञापन को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञापन में क्या लिखा गया है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सी० आई० डी० जांच प्रचलित होने के कारण ज्ञापन सदन पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

प्रकरण की सी० आई० डी० जांच प्रचलित है ।

पट्टी बाजार जनपद प्रतापगढ़ में जनता व पुलिस के मध्य हुए संघर्ष की घटना में निलम्बित पुलिस कर्मियों की बहाली

57–श्री शिवा कान्त ओझा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 19 जनवरी, 1988 को पट्टी बाजार (प्रतापगढ़ जनपद) में गोली चलाकर हत्या करने वाले अभियुक्त पुलिस कर्मियों को जो निलम्बित थे, उन्हें जांच के दौरान ही सेवा में ले लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19-1-88 को पट्टी बाजार जनपद प्रतापगढ़ में जनता व पुलिस के मध्य हुए संघर्ष की घटना के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पट्टी श्री रामानन्द गुप्ता को पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 20-1-88 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया था ? उक्त निलम्बन आदेश के विरुद्ध निरीक्षक श्री गुप्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका दायर किये जाने के फलस्वरूप मा० न्यायालय से दिनांक 10-5-88 को स्थगन आदेश प्राप्त हो गया । इसी बीच निलम्बित निरीक्षक श्री गुप्ता का स्थानान्तरण पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद के आदेश दिनांक 2-2-88 के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ से जनपद सुल्तानपुर किया गया,

जिसके अनुपालन में श्री गुप्ता को दिनांक 15-2-88 को निलम्बित अवस्था में ही जनपद सुल्तानपुर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया । निरीक्षक श्री रामानन्द गुप्ता को सम्यक विचारोपरान्त पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के आदेश संख्या त-403/88, दिनांक 27-6-88 द्वारा बहाल किया है ।

श्री रामजस पुत्र श्री राम हरख निवासी ग्राम-खरदौरी, थाना-उतरौला, जनपद गोण्डा द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत के सम्बन्ध में कार्यवाही

58–श्री समीउल्ला खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खरदौरी, परगना व तहसील-उतरौला, जनपद गोण्डा के गाटा सं० 835, जोकि सार्वजनिक रास्ता है, में श्री रामजस पुत्र राम हरख, निवासी ग्राम-खरदौरी, परगना तहसील व थाना उतरौला, जनपद-गोण्डा ने दो पक्के कमरों का निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध निर्माण को रोकने के लिए परगना मजिस्ट्रेट, उतरौला ने उतरौला पुलिस को दि० 19-10-91, 23-10-91 व 16-2-91 को निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उक्त अवैध निर्माण हो गया है ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? दोषी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त अवैध निर्माण के पश्चात उक्त श्री रामजस ने ग्राम की नाली गाटा सं० 384 में भी अवैध निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

गाटा सं० 835 से सटे गाटा सं० 836 पर श्री रामजस का कई कमरों का मकान बना है । गाटा सं० 835 जोकि सार्वजनिक रास्ता है पर कोई अवैध निर्माण न करने हेतु परगना मजिस्ट्रेट उतरौला का आदेश सं० 19/10/91 एवं 23/10/91 श्री रामजस पर तामील किया गया ।

गाटा सं० 835 पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध निर्माण को रोक दिया गया है । मामला परगना मजिस्ट्रेट उतरौला के न्यायालय में विचाराधीन है ।

59–श्री राम देव आचार्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में राष्ट्रीय पर्वों के सुअवसर पर आयोजित परेड/बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र जारी किया जाना

60–श्री दया राम वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी है तब से 15 अगस्त व 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्वों के आयोजनों पर जनपद लखनऊ के प्रशासन/पुलिस ने लखनऊ जनपद में निवास करने वाले सांसदों, विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को आमंत्रित करना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में लखनऊ का प्रशासन मानता है ? यदि हां, तो इस पर इन्हें न बुलाने हेतु कौन जिम्मेदार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार 15 अगस्त के कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूर्व वर्षों की भांति किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया । 26 जनवरी, के अवसर पर आयोजित परेड/वीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जारी किए गये ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक सिविल सेवा में अनुसूचित जाति जन जाति के कार्यरत अधिकारियों की संख्या तथा अधिकांशतः अधिकारियों को लखनऊ मुख्यालय से सम्बद्ध किये जाने का आरोप

61–श्री कल्पनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सेवा में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी कार्यरत हैं ? कितने अधिकारियों को प्रदेश मुख्यालय कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है ? कितने फील्ड में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि ज्यादातर अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी लखनऊ मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सम्भवतः मा० सदस्य का आशय प्रादेशिक सिविल (कार्यकारी शाखा) सेवा से है । इस सेवा में अनुसूचित जाति के 180 अधिकारी और जनजाति के 7 अधिकारी कार्यरत हैं ।

30 अधिकारी मुख्यालय कार्यालयों में नियुक्त हैं । 157 अधिकारी फील्ड में कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

संयुक्त सचिव, श्री डी० एन० राय लो० नि० वि० का स्थानान्तरण गोरखपुर करने के बाद लखनऊ में रोके जाने का कारण

62–श्री श्याम नारायन–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, श्री डी० एन० राय, लोक नि० वि० का स्थानान्तरण गोरखपुर विकास प्राधिकरण करने के बाद पुनः उन्हें लोक नि० वि० लखनऊ में ही रोका गया है ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण रोकने का क्या कारण है ? क्या श्री डी० एन० राय, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण का स्थानान्तरण तत्काल लोक निर्माण विभाग से अन्यत्र किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, शासन द्वारा श्री डी० एन० राय, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग को मुख्य नगर अधिकारी/उपाध्यक्ष, नगरपालिका/विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पद पर स्थानान्तरण के आदेश जारी किये गये थे, परन्तु विभागीय सचिव की संस्तुति कर कार्य हित में तथा उनकी व्यक्तिगत कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए उनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिये गये थे । उक्त कारणों से फिलहाल उन्हें स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड (आलमबाग) को नये मास्टर प्लान में कामर्शियल घोषित किया जाना तथा अवैध निर्माण हटाया जाना

63—श्री सतीश भाटिया—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या कानपुर रोड (आलमबाग) को नये मास्टर प्लान में सड़क के किनारे के भाग को कामर्शियल घोषित किया गया है ? यदि हां, तो सड़क के मध्य से कितने फीट छोड़कर निर्माण हो सकता है ? क्या जो लोग बिना नक्शा पास कराये, निर्माण कार्य करवा रहे हैं , उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

लखनऊ की वर्तमान महायोजना में कानपुर रोड पर आलमबाग तिराहे से तालकटोरा की ओर जाने वाली सड़क पर रेलवे लाइन तक के पश्चिम की ओर तथा आलमबाग तिराहे से कानपुर की ओर जाने वाली सड़क पर टेढ़ी पुलिया तक का भू-उपयोग बाजार स्ट्रीट हेतु आरक्षित है । आलमबाग तिराहे से लखनऊ की ओर जाने वाली सड़क के उत्तर की ओर लगा हुआ 800 मीटर लम्बाई तक का क्षेत्र का भू-उपयोग व्यवसायिक निर्धारित है ।

कानपुर रोड़ की चौड़ाई 30 मीटर निर्धारित की गयी है तथा भवन मानचित्र स्वीकृत करने के पूर्व सड़क के मध्य से दोनों ओर 15 मीटर छोड़ने के उपरान्त महायोजना के मापदण्डों के अनुरूप ही भवन मानचित्र स्वीकृत किये जा सकते हैं ।

अनधिकृत निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के धारा 27 व 28 अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

श्री सुखराज निवासी ग्राम-सुरैना, थाना-धनघटा जिला-बस्ती के पुत्र की हत्या विषयक शिकायती पत्र पर जांच एवं कार्यवाही

64—श्री राम लखन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक आवेदन पत्र जो श्री सुखराज निवासी-सुरैना, थाना-धनघटा जनपद बस्ती के पुत्र की हत्या किये जाने तथा स्थानीय पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज न किये जाने आदि विषयक विगत माह फरवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

क्षेत्राधिकारी, खलीलाबाद की जांच के आधार पर दि० 28-02-92 को थाना धनघटा पर मु० अप० सं० 44/92 अन्तर्गत धारा 302 भा० दं० वि० बनाम मोहन बेलदार कायम किया गया । जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

श्री मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की ''एकता यात्रा'' का प्रदेश में प्रवेश एवं बाहर जाने की तिथि एवं सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय धन की जानकारी

65–श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री नरेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भा० ज० पा० के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी की ''एकता यात्रा'' किस दिन प्रदेश में आयी तथा किस दिन प्रदेश के बाहर गयी ? क्या यह सत्य है कि इस एकता यात्रा की सुरक्षा का प्रबन्ध पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार ने अपने ऊपर लिया था ? यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या-क्या इन्तजाम किया गया था ? उस पर शासन द्वारा कितना धन व्यय हुआ ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा दिनांक 11 जनवरी, 1992 को प्रदेश में आयी तथा दिनांक 17 जनवरी, 1992 को प्रदेश के बाहर गयी । एकता यात्रा के समय शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा प्रबन्ध प्रशासन द्वारा किया गया था । सुरक्षा व्यवस्था हेतु बैरीकेटिंग तथा पुलिस का बन्दोबस्त किया गया था । प्राप्त सूचना के अनुसार 18 जनपदों में रु० 28,61,907.70 पै० व्यय उक्त मदों में हुआ है ।

जनपद इलाहाबाद के थाना करछना पर कथित अभियुक्त की रिहाई का आरोप एवं विवेचना

66–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के थाना करछना में अपराध संख्या-280/91 दिनांक 24-10-91 को किन-किन दफाओं में किन-किन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है ? क्या यह सही है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बावजूद क्षेत्राधिकारी के हस्तक्षेप से थाने से छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ? क्या मंत्री जी दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके अभियुक्तों को पुनः दण्ड दिलाने का प्रयास करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अभियोग दिनांक 24-10-91 को नहीं बल्कि दिनांक 25-10-91 को भारतीय दण्ड विधान की धारा 467/468/420/506 के अन्तर्गत अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं सौरभ त्रिपाठी के विरुद्ध पंजीकृत हुआ है ।

जी नहीं, दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था और आवश्यक जानकारी करने के उपरान्त उन्हें वापस जाने दिया गया ।

उक्त अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है ।

जनपद इलाहाबाद के थाना माण्डा में फर्जी तरीके से आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस जारी किये जाने की जांच की मांग

67–श्री राजेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के थाना माण्डा के अन्तर्गत फर्जी पता दिखाकर आग्नेयास्त्र का लाइसेंस नं० 6881 जारी कराया गया है ? यदि हां, तो क्या गलत पतों के

आधार पर आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने के मामलों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या स्थित राम कथा पार्क में खुदाई स्थल पर लगे कतिपय निर्माण सामग्री के भुगतान विषयक आरोप की जानकारी

68–श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 फरवरी, 1992 को राजस्व मंत्री द्वारा राम कथा पार्क अयोध्या, जनपद फैजाबाद में खुदाई स्थल पर लगे ईटें, चूना, सीमेन्ट आदि के भुगतान हेतु आदेश दिये गये हैं ? इसके लिए बजट में कितनी धनराशि का प्रविधान किया गया है और अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? इसके लिए कब-कब धन की मांग की गयी ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीमती अजीजुन्निशा को पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़ित करने की सी० आई० डी० जांच में दोषी पाया जाना

69–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 90 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री प्रदीप कुमार यादव विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 द्वारा उत्तरित मामले की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा पूर्ण की जा चुकी है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सी० आई० डी० जांच में पाया गया कि श्रीमती अजीजुनिशा को उप निरीक्षक, पी० के० मिश्रा, कान्स० हनुमान व कान्स० बेनी माधव ने अनावश्यक रूप से बन्दी बनाया तथा उन्हें उत्पीड़ित किया । साथ ही साथ पुलिस कर्मियों द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवमानना भी की गयी । दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग स्वीकृति विचाराधीन है । साथ ही कर्तव्यों के पालन में असावधानी एवं उपेक्षा के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं सहा० लेखक कान्स० सिया राम को दोषी पाया गया । श्रीमती अजीजुनिंशा का डाक्टरी परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राम नगर में न कराकर बड़ागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया गया । डा० असलम ने अजीजुनिशा के पति के प्रभाव में आकर डाक्टरी परीक्षण किया । इस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया । जिसके लिए उन्हें भर्त्सना प्रविष्टि प्रदान की जा चुकी है ।

गोण्डा जनपद के करनैलगंज थानान्तर्गत ग्राम नौवन पुरवा मजरे काशीपुर में पड़ी डकैती काण्ड में मृतकाश्रितों को आर्थिक सहायता

70–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6/7 नवम्बर, 1991 की रात में ग्राम नौवन पुरवा मजरे काशीपुर थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा में एक डकैती हुई थी जिसकी सूचना थाना करनैलगंज में मु० अ० सं०-760/91 धारा 396 भा० द० वि० के तहत दर्ज है ? क्या इस डकैती में डाकुओं से मुठभेड़ में राम नरेश नामक व्यक्ति की हत्या हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक राम नरेश के आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप में कोई धनराशि दी गयी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का मामला विचाराधीन है ।

जनपद कानपुर (देहात) के मुहल्ला पालीवाल नगर रूरा में श्रीमती विभा उर्फ मुनिया की दहेज हत्या की विवेचना

71–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-12-91 को मोहल्ला पालीवाल नगर रूरा थाना रूरा जनपद कानपुर (देहात) में श्रीमती विभा उर्फ मुनिया की दहेज हत्या की गयी है ? क्या इसकी रिपोर्ट थाना रूरा में दिनांक 17-12-91 को की गयी है ? इसके विवेचना अधिकारी कौन हैं । विवेचनाधिकारी ने अब तक क्या निष्कर्ष निकाले हैं ? क्या इसकी जांच पुलिस अधीक्षक स्तर के किसी अधिकारी से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विवेचना श्री वीरेन्द्र सिंह, क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है । विवेचना प्रचलित है । पुलिस अधीक्षक से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद लखनऊ के स्पोर्ट्स कालेज में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों का शासकीय नियमानुसार वेतन अवकाश एवं पेंशन अंशदान जमा कराया जाना

72–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिनियुक्ति पर स्पोर्ट्स कालेज में नियुक्त प्रवक्ताओं/सहायक अध्यापकों का शासकीय नियमानुसार नियोजक प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ द्वारा "वेतन अवकाश" एवं पेंशन अंशदान समय से विधिवत् जमा नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या विद्यालय में शिक्षा अध्यापकों/खेल अध्यापकों हेतु निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध है ? क्या शिक्षाध्यापकों को इससे वंचित रखते हुए गैर शिक्षक कर्मचारियों को निःशुल्क आवास आवंटित कर उनके वेतन से 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी नहीं । महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त न होने के कारण कुछ कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं हो पा रहा है । महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार अंशदान जमा करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त स्पोर्ट्स कालेज के कर्मचारियों हेतु भी निःशुल्क आवास की व्यवस्था है ।

जी नहीं ।

शैक्षिक अध्यापकों की भांति गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के कारण उनके वेतन से 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) की कटौती नहीं की जा रही है ।

फैजाबाद जनपद में पालिटेक्निक के पास लाज होटल के सामने से ट्रक नं० यू० पी०-78, बी–4847 के दोनों पिछले पहिए खोल लिए जाने के आरोप

73–श्री अनिल कुमार तथा श्री बाला प्रसाद–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 14-15 जनवरी, 92 की रात्रि में जनपद फैजाबाद में पालीटेक्निक के पास लाज होटल के सामने से ट्रक नं० यू० पी०–78, बी–4847 के दोनों पिछले पहिए होटल मालिक की साजिश से खोल लिये गये थे ? इस संबंध में ट्रक ड्राइवर द्वारा काफी प्रयास के बावजूद भी एफ० आई० आर० थाना कैण्ट, फैजाबाद में दर्ज नहीं की गयी तथा थानाध्यक्ष कैण्ट द्वारा ट्रक ड्राइवर व क्लीनर की पिटाई की गयी तथा रुपया 1100 भी छीन लिये गये ? क्या मंत्री जी इस संबंध में दोषी होटल मालिक एवं पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ऐसी घटना घटित होनी नहीं पायी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में अयोध्या स्थित मौनी सी सी छावनी सनातन मन्दिर में जिला पुलिस प्रशासन पर ताला बन्द करने का आरोप

74–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि अयोध्या स्थित मौनी सी सी छावनी सनातन मंदिर में जिला प्रशासन द्वारा ताला बन्द किया गया है ? यदि हां, तो क्या इससे पूजा करने वालों के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है ? क्या सरकार ताला बन्द करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? मंदिर खोलने के लिए कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अयोध्या स्थित मौनी सी सी छावनी सनातन मंदिर में जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ताला नहीं लगाया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य वस्त्र उद्योग निदेशालय कानपुर में औद्योगिक पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती करने की मांग

75–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1991 में राज्य वस्त्र उद्योग निदेशालय कानपुर में औद्योगिक पर्यवेक्षक के रिक्त पदों हेतु बहुत से डिप्लोमा छात्रों ने आवेदन किया था ? उसके बारे में अभी तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? यदि कार्यवाही हो रही है, तो कब तक होगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय के अन्तर्गत पर्यवेक्षक-कम-आंकिक वेतनमान रु० 950–1500 के 36 पद जुलाई, 1991 में विज्ञापित किये गये थे ।

शासनादेश सं०-20/1/91-कार्मिक-2-1991, दिनांक 26-9-1991 में निहित प्रतिबन्धों एवं व्यय में मितव्यता को ध्यान में रखकर इन पदों पर भर्ती नहीं की गयी और निकट भविष्य में इन पदों पर भर्ती प्रस्तावित नहीं है ।

आगरा जनपद में मंजूश्री सिनेमा को तोड़कर आवासीय भवन का निर्माण

76–श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा में मंजूश्री सिनेमा तोड़ कर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वह कामर्शियल बिल्डिग या रेजिडेन्सियल बिल्डिग का नक्शा पास कराकर बनायी जा रही है ? क्या यह सच है कि कामर्शिल बिल्डिग के रूप में इस बिल्डिग का नक्शा आगरा के पूर्व कमिश्नर मा० धर्मेन्द्र देव मिश्रा जी ने मार्च, 91 को निरस्त कर दिया था ? यदि हां, तो क्या वह बिल्डिग शासन के नियमों के विरुद्ध नक्शा पास कर बनाई जा रही है ? क्या इस बिल्डिग का नक्शा पास कर बनाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आगरा में दिनांक 5-9-91 को मंजूश्री सिनेमा तोड़कर आवासीय प्रयोजन हेतु विधिवत् मानचित्र स्वीकृत कराकर आवासीय भवन बनाया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पंचायत राज निदेशालय के आदेशोपरान्त लखनऊ जनपद में ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन भुगतान न करने का आरोप

77–श्री बलराम यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय पंचायत राज के परिपत्र सं०-2/2758/90-2/43/90, दिनांक 22-10-90 के अन्तर्गत दिये गये आदेशानुसार पंचायत उद्योग में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से हो रहा है ? यदि हां, तो इस आदेश का पालन लखनऊ जनपद में न किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन में प्रादेशिक विकास दल के जवानों के ड्यूटी भत्ता आदि के भुगतान की मांग

78–श्री राम पाल वर्मा–

क्या युवा कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के प्रादेशिक विकास दल के जवानों ने योगदान दिया था ? यदि हां, तो उनके ड्यूटी भत्ता आदि का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां।

वर्ष 1990-91 में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के 72 प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों ने योगदान दिया था, जिनमें से 51 स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जा चुका है।

21 स्वयं सेवकों का भुगतान उनको बुलाने पर भी उपलब्ध न होने के कारण अभी नहीं किया जा सका है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में अनुरक्षण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग को भवन/जलकर हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

79–श्री अशोक कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 90-91 में अनुरक्षण खण्ड–1 को भवन/जलकर हेतु धनराशि रु० 128.04 लाख मिला था ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का भुगतान उक्त मद में न करके किसी अन्य मद में किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय वर्ष 1990-91 में अनुरक्षण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग को गृहकर एवं जलकर हेतु कुल 161.02 लाख रु० की धनराशि का आवंटन किया गया था।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में महघेटी पेयजल योजना तथा कतिपय अन्य योजनाओं को कुमायूं जल संस्थान नैनीताल को स्थानान्तरित किया जाना

80–श्री पूरन चन्द–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड-गरुड़, बैजनाथ, जनपद अल्मोड़ा में सन् 1981-82 में महघेटी पेयजल योजना व सन् 1981-82 में गड़खेत पेयजल योजना तथा 1984-85 में सोलियाबजानी पेयजल योजना का निर्माण कार्य जल निगम द्वारा आरम्भ किया गया था ? क्या वर्तमान में कुमाऊं जल संस्थान नैनीताल को उक्त योजनायें स्थानान्तरित की गयी हैं ? यदि हां, तो

इन तीनों योजनाओं में ग्रामवासियों को कितने दशकों में पेयजल सुलभ किया जा सकेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

विकास खण्ड गरुड़ बैजनाथ की महघेटी पेयजल योजना वर्ष 1983 में तथा गड़खेत व सोलियाबजानी पेयजल योजना नवम्बर, 1990 में कुमाऊं जल संस्थान को हस्तान्तरित की जा चुकी है। योजनायें क्षतिग्रस्त है। वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत करते हुए इनको ठीक कराने का कार्य किया जायेगा तथा उसके बाद इसका लाभ ग्रामवासियों को प्राप्त हो सकेगा।

जनपद चमोली के बनसौली पेयजल योजना को तत्काल ठीक कराकर जलापूर्ति की मांग

81–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जनपद के अन्तर्गत नारायण बगड़ ब्लाक में वणसोली पेयजल योजना पर लाखों रुपये खर्च हुए हैं किन्तु विगत कई वर्षों से एक बूंद पानी भी उक्त योजना उपलब्ध नहीं करा सकी है ? पेयजल के लिए छटपटाते लोगों को उक्त योजना से क्या तत्काल लाभ पहुंचाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा–

केवल 1.37 लाख रु० योजना पर व्यय हुआ है। यह योजना वर्ष 1990 में सड़क निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त होने से पेयजल समस्या उत्पन्न हुई। इस योजना को यथाशीघ्र ठीक करवा दिया जायेगा।

जनपद गढ़वाल में पेयजल आपूर्ति से वंचित ग्रामों की संख्या एवं जलापूर्ति की मांग

82–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में कितने गांव पेयजल आपूर्ति से वंचित हैं ? कब तक उन्हें पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द शर्मा-

जनपद पौड़ी गढ़वाल में 237 ग्राम स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं, जिन्हें धन की उपलब्धता के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में लाभान्वित करने का अनुमान है।

सूत मिल बाराबंकी में शिशिक्षुओं की भर्ती एवं आरक्षण का विवरण

83–श्री छोटे लाल यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूत मिल जनपद बाराबंकी में दिनांक 20-9-91 के पूर्व में की गई अपरेन्टिस श्रमिकों की भर्ती में श्रमिकों की सम्पूर्ण संख्या से कितने प्रतिशत कम श्रमिकों का चयन किया है ? क्या दिनांक 20-9-91 को एक हजार अपरेन्टिस श्रमिकों की भर्ती जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति हेतु की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अपरेन्टिस श्रमिकों का कोटा शिशिक्षु अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक शिशिक्षु परामर्शदाता एवं प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाराबंकी द्वारा वर्ष 1991 में निर्धारित किया गया था जिसके अनुसार विभिन्न श्रेणियों में कुल 41 शिशिक्षुओं की नियुक्ति की जानी थी। उक्त कोटे

के अनुसार दिनांक 20-9-91 के पूर्व अपेक्षित संख्या में शिशिक्षुओं की नियुक्तियां कर ली गयी थीं। चूंकि कोटा पूरा हो चुका था, अतः दिनांक 20-9-91 को शिशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

84–श्री बची सिंह रावत–

[6वें शुक्र में अता० प्र० सं०–147 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

85–श्री सतीश भाटिया–

[6वें शुक्र में अता० प्र० सं०–48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद के संकिसा बौद्ध तीर्थ स्थल का असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण किये जाने का मामला

86–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत वर्ष सन् 1991 तथा जनवरी 92 में जापान, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड एवं श्रीलंका तथा भारतवर्ष के कोने-कोने से आये बौद्ध तीर्थ यात्रियों को बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल संकीसा जनपद फर्रुखाबाद में बने पवित्र बौद्ध तीर्थ स्तूप में दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा लोहे का गेट लगवाकर रोका गया और पचरंगी ध्वज फहराने से रोका गया एवं बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की मूर्तियों को पधारा गया ? यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन ने विश्व के पैमाने पर धार्मिक तनाव को बचाने के लिये कोई कार्यवाही की ? क्या यह भी सच है कि वहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा सुरक्षित बौद्ध स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कमरे का निर्माण कर अतिक्रमण किया है ? यदि हां, तो कमरे के निर्माण की स्वीकृति किसने दी और कमरा किसने बनवाया ? क्या यह भी सच है कि फेसिंग का तार तोड़ दिया गया और अवैधानिक रूप से वहां पर विद्यालय संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों क्या सरकार बौद्ध जगत के धर्मावलम्बियों की भावनाओं का आदर करने हेतु अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

क्षेत्र में धार्मिक स्थल को लेकर कोई तनाव नहीं है फिर भी इनकी सुरक्षा हेतु ग्राम संकिसा में वर्ष 1956 से पुलिस चौकी कार्यरत है।

यह कमरा बिसारी देवी मंदिर के पुजारी श्री बाबूराम गिरि द्वारा काफी समय पूर्व बनवाया गया था, जिसके संबंध में पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 1990 में थाना स्थानीय पर मु० अ० सं० 142/90 धारा 30(1) प्राचीन पुरातत्व अधिनियम 1958 श्री बाबू राम गिरि के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। इसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

जी नहीं। बल्कि फैंसिंग के तार पुराने होने के कारण कहीं-कहीं स्वयं टूट गये हैं।

जी नहीं।

न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यथानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फैजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी के रिक्त पद को भरने की मांग

87–श्री लाल जी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में मुख्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद का पद दिनांक 13-9-91 से अधिकारियों की उपलब्धता न होने के कारण रिक्त है ।

जनपद बांदा में कतिपय नदियों पर बालू मौरंग के उठाने पर दुबारा शुल्क वसूली का आरोप

88–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, बांदा को बालू घाटी के ठेकों के संबंध में पत्रांक ख 537378 दिनांक 23-11-91 प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि वर्ष 1991-92 में बांदा में किन-किन नदियों में किसके नाम से नीलामी व पट्टे पर बालू घाट दिए गए हैं ? पट्टों का पूर्व विवरण क्या हैं तथा सरकार द्वारा नदी से ठेकेदारों द्वारा बालू/मौरंग स्टाक करने का भी ठेके के साथ आदेश होता है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या दुबारा मौरंग उठाने पर उनसे सरकारी शुल्क वसूल की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, बांदा के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 व 91-92 में लखनऊ स्थित कतिपय कालोनियों के अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित एवं व्यय धनराशि की जानकारी

89–श्री श्रीराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 90-91 तथा 91-92 में सिविल अनुरक्षण खण्ड–1 द्वारा राजकीय कालोनी, बादशाह नगर, गुलिस्तां कालोनी, महानगर लखनऊ के अनुरक्षण कार्य हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? आवंटित धन के विरुद्ध कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

सिविल अनुरक्षण खण्ड–1. लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को राजकीय कालोनी बादशाह नगर, गुलिस्तां कालोनी व महानगर कालोनी, लखनऊ के अनुरक्षण/विशेष मरम्मती कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में क्रमशः रु० 8.51 लाख, रु० 4.19 लाख तथा रु० 7.37 लाख की धनराशि और वित्तीय वर्ष 1991-92 में क्रमशः रु० 8.51 लाख, रु० 4.19 लाख तथा रु० 7.87 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी ।

राजकीय कालोनी बादशाह नगर, गुलिस्तां कालोनी व महानगर कालोनी के अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में क्रमशः रु० 9.8 लाख, रु० 2.85 लाख व रु० 7.77 लाख

तथा वर्ष 1991-92 में क्रमशः रु० 8.39 लाख, रु० 4.03 लाख व रु० 8.38 लाख का व्यय किया गया है।

लखनऊ नगर के कतिपय राजकीय कालोनियों के सोक पीटों एवं मैन होलों की सफाई आदि पर धन व्यय करने में अनियमितता किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

90—श्री श्रीराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 89-90. 90-91 तथा 91-92 में राजकीय कालोनी बादशाह नगर लखनऊ के सोक पीटों एवं मैनहोलों की सफाई पर कितना धन व्यय किया गया ? आवासीय ब्लाकों की बाहरी सतह की रंगाई/पुताई पर कितना व्यय किया गया ? किन-किन ब्लाकों की बाहरी सतह की रंगाई/पुताई की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य में शिथिलीकरण तथा अनियमितता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई) के आदेशान्तर्गत श्री बलिहारी चौधरी को प्रोन्नति एवं वेतनमान प्रदान किया जाना

91—श्री राम लखन—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (लघु सिंचाई) के आदेश सं० 18131/स्था०-3(724)/90, दिनांक लखनऊ जनवरी, 1991 एवं 18132/स्था०-3(724)/90, दिनांक लखनऊ जनवरी 5, 1991 का अनुपालन होकर सम्बन्धित कर्मचारी को उसका लाभ मिल रहा है? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को 1-1-90 से 2200–4000 रु० का वेतनमान एवं राजपत्रित स्तर मिलना चाहिए था ? यदि हां, तो अभी तक 2200–4000 रु० का वेतनमान न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। दिनांक 24-4-1992 को दिनांक 1 जनवरी, 1984 से दिसम्बर 1989 तक का वेतन अवशेष का भुगतान कर दिया गया है। जनवरी 1990 से उन्हें प्रोन्नति वेतनमान दिनांक 23-4-92 को स्वीकृत किया गया है, जिसका भुगतान शीघ्र किया जायेगा।

जी हां।

श्री बलिहारी चौधरी को 2200–4000 रु० का प्रोन्नति वेतनमान एवं राजपत्रित प्रतिष्ठा दिनांक 23-4-92 के आदेशों से प्रदान कर दी गई है।

92—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

[दिनांक 21-4-92 को अता० प्र० सं० 133 द्वारा उत्तरित]

93—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

गोण्डा जनपद में निःशुल्क बोरिंग में अनियमितता के आरोप की जांच की मांग

94—श्री घनश्याम शुक्ल—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री को जानकारी है कि 1 जनवरी, 1991 से 15 जनवरी, 1992 के बीच में जनपद गोण्डा के सभी विकास खण्डों में जो निःशुल्क बोरिंग करायी गयी है, मानक के अनुसार नहीं करायी गयी है तथा घटिया किस्म के पाइप लगाए गए हैं तथा निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कार्य भी नहीं

कराया गया है ? क्या सरकार शासन स्तर से जांच कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

निश्चित शिकायत प्राप्त होने पर जांच करायी जा सकती है ।

जनपद गोण्डा में जिला सेक्टर के अन्तर्गत पंचायत भवनों का निर्माण

95–श्री राम प्रताप सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में जिला योजनान्तर्गत शासन द्वारा गोण्डा जनपद में कुल कितने पंचायत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए ? क्या शासन द्वारा सभी भवनों के निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

वर्ष 1991-92 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत गोण्डा जनपद में चार पंचायत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये और सभी चार पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया है ।

जनपद बलिया थाना उभांव के अन्तर्गत बाबा भरतदास पूर्व माध्यमिक विद्यालय संहियां बेल्थरा बाजार के प्रांगण में अवैधानिक रूप से किये जा रहे कब्जे को हटाया जाना

96–श्री राधे श्याम वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत थाना उभांव के बाबा भरत दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, संहियां, बेल्थरा बाजार के प्रांगण में कुछ लोगों द्वारा पुलिस की सहायता से कब्जा किया जा रहा है ? क्या यह सच है कि थाना उभांव के थानाध्यक्ष द्वारा कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों से मिलकर काफी पैसा लेकर विद्यालय की भूमि पर कुछ लोगों से कब्जा भी करा दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य द्वारा कितनी बार स्थानीय पुलिस अधीक्षक बलिया से लिखित शिकायत की गयी है ? क्या सरकार इस गम्भीर प्रकरण की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 20-11-91 को थाना उभांव पर लिखित सूचना दी गयी कि गांव के कुछ लोग, लाठी भाले से लैस होकर उक्त विद्यालय की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं । इसके आधार पर थाना उभांव पर मु० अ० सं० 320/91 धारा 447/109 भा० दं० वि०, वीर बहादुर, अच्छे लाल व रमाकान्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के दौरान तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण पर दिया और वे न्यायालय से स्वीकृत जमानत पर हैं । जांच में आरोप सिद्ध होने पर, आरोप पत्र, दिनांक 3-3-92 को न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है ।

जी नहीं, बल्कि विद्यालय की भूमि का विवाद दो गुटों की प्रतिद्वन्दिता का परिणाम है, जिसके लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 भा० दं० वि० की कार्यवाही की गयी है ।

प्रबन्धक द्वारा एक बार थानाध्यक्ष उभांव से और प्रधानाचार्य द्वारा दो बार पुलिस अधीक्षक बलिया से लिखित शिकायत की गई है ।

पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही की गयी है । किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

जनपद बलिया के थाना उभांव में जून, 91 से जनवरी, 92 तक हुई हत्याओं का विवरण

97–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के थाना उभांव में माह जून, 1991 से जनवरी, 92 तक उक्त थाना क्षेत्र में कितनी हत्यायें हो चुकी हैं ? इसके लिए कौन स्थानीय पुलिस कर्मी जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त सभी हत्याओं के पते व नाम की सही सूची सदन के पटल पर रखेगी ? क्या लापरवाही करने वाले पुलिस (थानाध्यक्ष) को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में 6 व्यक्तियों की हत्या के अभियोग पंजीकृत हुए ।

इसके लिए किसी पुलिस कर्मी का दोष प्रतीत नहीं होता ।

जी हां, प्रश्नगत सभी हत्याओं के नाम व पते निम्नवत् हैं :–

(1) श्री सूर्यदेव पुत्र श्री जीऊत यादव, निवासी भुजैनी, थाना भीमपुरा,

(2) श्री राम आषीष लाल, निवासी ग्राम भेड़कुल, थाना उभांव,

(3) एक व्यक्ति का नाम पता अज्ञात,

(4) श्री दीपा पुत्र श्री सरन चौहान, निवासी बोल्डीह, थाना उभांव,

(5) एक नवयुवती, सर्वा, नाम पता अज्ञात तथा

(6) श्री चन्द्रदेव भर, निवासी हल्दी, रामपुर, थाना उभांव ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ में विकास प्राधिकरण के स्थापना की मांग

98–श्री विजेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला गाजियाबाद में हापुड़ नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास प्राधिकरण की आवश्यकता है ? अगर है, तो अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ? कब तक विकास प्राधिकरण की स्थापना वहां की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कि सभी पहलुओं को देखने के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा ।

मिर्जापुर जनपद के थाना लालगंज अन्तर्गत ग्राम पतुलकी में गोवध का आरोप

99–श्री सुरेन्द्र नाथ तथा श्री पूरन प्रकाश–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतरांकित प्रश्न संख्या–123 के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मिर्जापुर के सम्मानित पत्रकार श्री शशि भूषण दुबे एवं कृष्ण कान्त दुबे (स्वतंत्रता सेनानी) गणेश शंकर (प्रधान) शिव करन (पूर्व प्रधान) आदि के जान-माल को गो हत्यारों से खतरा है ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी सुरक्षार्थ अब तक क्या प्रबन्ध सुनिश्चित किया है ? यदि नहीं, तो उनके जान-माल की सुरक्षा में लापरवाही किये जाने हेतु कौन

जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी प्रश्नगत लोगों के जान-माल की सुरक्षार्थ सैडो/पुलिस गनर प्रदान किये जाने का आदेश गृह सचिव/पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, ऐसी कोई सूचना प्रकाश में नहीं आयी ।

उपरोक्त के कारण शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बदायूं जनपद के जरीफ नगर थाना द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी

100–श्री रामेश्वर नाथ चौबे–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 6-12-91 तथा 7-12-91 को धारा 147/148, 141, 307 आई० पी० सी० धारा 299/91, धारा 2/3 उ० प्र० गैंगस्टर अधिनियम थाना-जरीफ नगर, क्षेत्र परगना सहसवान, बदायूं के अन्तर्गत सुरेश तथा महेश (दोनों भाई) की उपरोक्त धारा में फर्जी गिरफ्तारी हुई है? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि श्रीमती पुष्पा देवी, पूर्व विधायक, बदायूं द्वारा इस संबंध में गुन्नौर थाने पर सही जानकारी के लिए जाने पर वहां के इंस्पेक्टर ने इनको सही जानकारी न देकर उनके साथ उस दिन दुर्व्यवहार किया है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-12-91 को थाना जरीफनगर, जनपद बदायूं की पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधी महिपाल को गिरफ्तार किया गया था एवं उसके साथी सुरेश, महेश तथा अन्य पांच मौके से भागने में सफल हो गये थे ।

दिनांक 7-12-91 को उक्त मामले में वांछित अपराधी सुरेश, महेश को थाना गुन्नौर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ।

मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने का औचित्य नहीं प्रतीत होता ।

इस संबंध में श्रीमती पुष्पा देवी पूर्व विधायिका बदायूं द्वारा थाना गुन्नौर पर जानकारी हेतु जाने पर उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा सही वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था । उनके साथ पुलिस द्वारा दुव्यर्वहार किये जाने की पुष्टि नहीं हुई है ।

मुजफ्फर नगर शहर में आवास विकास द्वारा नागरिकों से जमा कराये गये धन की जानकारी एवं कालोनी में निर्माण की मांग

101–श्री सुरेश–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर शहर में मकानो की किल्लत को दृष्टिगत करके आवास विकास विभाग में एक कालोनी बनाने हेतु नागरिकों से 1977 में तथा फिर दोबारा 1984 में धन जमा कराया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब तक कालोनी निर्माण की प्रक्रिया चालू नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना में कितने नागरिकों का कितना धन जमा है ? उक्त कालोनी के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० हथकरघा निगम लि०, कानपुर के मऊ आइमा उत्पादन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट में गबन दर्शाया जाना

102–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० हथकरघा निगम लि०, कानपुर के अधीन हथकरघा निगम मऊ आइमा उत्पादन केन्द्र पर सूत एवं जनता धोती संबंधी आडिट रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० हथकरघा निगम लि०, कानपुर को जनवरी, 1992 में प्राप्त हुई है ? क्या रिपोर्ट में 85 लाख का गबन दर्शाया गया है ? यदि हां, तो इस गबन में कौन-कौन लोग दोषी हैं ? उनके नाम व पद क्या हैं ? उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

हथकरघा निगम के अधिकारियों द्वारा जांच करायी गयी थी ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में लगभग 96 लाख रुपया की कमी दर्शायी गयी है ।

कमी के सन्दर्भ में परियोजना प्रबन्धक श्री जेड० एच० रिजवी को आरोपित किया गया है ।

श्री जेड० एच० रिजवी परियोजना प्रबन्धक हैं । उनके विरुद्ध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

तत्कालीन निदेशक, उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम एवं प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी अन्तरिम जांच रिपोर्ट की जानकारी की मांग

103–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन निदेशक, उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी अंतरिम जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 1-2-91 को अपर निदेशक, उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में किन-किन बिन्दुओं पर प्रबन्ध निदेशक दोषी पाये गये हैं ? उस पर कौन सी कार्यवाही अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन निदेशक उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध चल रही सी० आई० डी० की जांच का स्थगन

104–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन निदेशक उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम तथा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० लघु उद्योग निगम कानपुर के विरुद्ध चल रही खुली सतर्कता की जांच को शासन ने

दिनांक 13 मई, 1991 को स्थगित कर दिया है ? यदि हां, तो जांच का आदेश किन-किन कारणों से हुआ था ? क्या इनके विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या दोष प्रमाणित हो चुका है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के पद पर प्रोन्नति में धांधली का आरोप

105–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991-92 में सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टरों की प्रोन्नति में क्या कुछ ऐसे भी सब इंस्पेक्टरों को प्रोन्नति दे दी गयी है जिसके विरुद्ध कई जांचें लम्बित हैं ? यदि नहीं, तो श्री राधा कृष्ण शर्मा जो मुरादाबाद में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त थे को विभागीय जांच तथा जनता की शिकायतों पर लम्बित जांच के बावजूद किन परिस्थितियों में प्रोन्नत कर दिया गया ? क्या वे इस प्रकरण की जांच कराने के उपरान्त उन्हें पदावनति करेंगे तथा उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री राधा कृष्ण शर्मा नामक किसी उप निरीक्षक को जनपद मुरादाबाद से निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति प्रदान नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कालोनी, कानपुर नगर के आवासों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये गये अवैध कब्जा को हटाने की मांग

106–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी कानपुर नगर के आवासों में गत 5 वर्ष में कितने प्रशासनिक अधिकारी अवैध कब्जा किये हैं जो कानपुर से स्थानान्तरित होने पर भी बिना पेनाल्टी रेंट दिये रह रहे हैं ? पेनाल्टी रेंट न वसूलने में जिला प्रशासन कानपुर नगर के गत 5 वर्षों में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? अवैध कब्जा करने वाले अधिकारियों तथा कानपुर नगर के प्रशासनिक उत्तरदायी अधिकारियों के विपरीत क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में कताई मिल की स्थापना की मांग

107–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में कताई मिल स्थापना का मामला वर्ष 1989-90 से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के थाना बैदपुरा के नवनिर्मित भवन में लगाये गये पत्थर पर अपराधी व्यक्ति का नाम अंकित होने का आरोप

108–श्री अशोक दुबे–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना बैदपुरा जनपद इटावा के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन हेतु लगाये गये पत्थर पर एक ऐसे अपराधी का नाम अंकित है जिसके ऊपर उसी थाने में कई अपराधिक मुकदमें दर्ज हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन व्यक्ति दोषी है ? प्रदेश सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इस गम्भीर त्रुटि को सुधारने हेतु तत्काल कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विजिटल सिस्टम डिवीजन अपट्रान इण्डिया, लि० गोमती बैराज, लखनऊ में टेक्नेशियन "बी" के मृतक कर्मचारियों की संख्या एवं मृतकाश्रितों को सेवा में लिए जाने की मांग

109–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1990 से दिसम्बर, 1990 में विजिटल सिस्टम डिवीजन अपट्रान इण्डिया लि०, गोमती बैराज, लखनऊ में कितने टेक्निशियन "बी" की मृत्यु हुई थी ? उनके नाम क्या हैं ? उत्तर प्रदेश नियुक्ति अनुभाग संख्या-6/12-1983-नियुक्ति-4, दिनांक 7-10-74 के नियम संख्या-5 के अन्तर्गत मृतक के कुटुम्ब के आश्रित की नियुक्ति के संबंध में जून, 1990 में मृतक की माता श्रीमती सहाना परवीन, 1/383, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ का कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? कब तक इस पर नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में केवल एक टेक्निशियन "बी" श्री मकसूदुल हसन फारूकी की सड़क दुघर्टना में मृत्यु हुई थी ।

जी हां ।

श्रीमती सहाना परवीन ने मृतक के छोटे भाई श्री मेराजुल हसन फारूकी की नियुक्ति का अनुरोध किया था जो संदर्भित शासनादेश में दी गयी कुटुम्ब की परिभाषा के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं था । अतएव उस पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक के भाई को सेवा में लिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतएव उसकी नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है ।

बांदा जनपद के थाना जसपुरा पैलानी में अराजक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र जनपद के बाहर से प्राप्त करने की शिकायत

110–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक क 200722 दिनांक 15-11-91 जनपद बांदा के थाना-जसपुरा पैलानी में अराजक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र जनपद के बाहर से बनने संबंधी पुलिस अधीक्षक बांदा को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कौन-कौन दोषी पाये गये ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

111–श्री हरिवंश सहाय–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा में प्राक्कलन स्वीकृत चेकडेमों की संख्या, क्रय की गयी निर्माण सामग्री एवं शिड्यूल नं० की जानकारी

112–श्री श्याम लाल रावत–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस० आर० आर्य अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद बांदा में अब तक कितने चेकडेमों का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है ? प्रत्येक चेकडेमों के निर्माण में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की क्रय खदानों का नाम एवं दूरी कार्य स्थल से कितनी है ? सामग्री का शिड्यूल नं० कितना है ? सीमेन्ट का क्रय, कितनी मात्रा में किन तारीखों में किया गया तथा फर्म के नाम क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

35 चेकडेमों का ।

निर्माण सामग्री ठेकेदारों से खुली निविदा आमंत्रित करने के बाद प्राप्त किये गये हैं ?

सिंचाई विभाग का बुन्देलखण्ड हेतु शिड्यूल नं० 6 है ।

सूची मा० मंत्री जी ग्राम्य विकास के कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है ।

उ० प्र० सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों को उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने की मांग

113–श्री विजय पाल सिंह तोमर तथा जाहिद हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सचिवालय के सभी अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों (वेतनमान रुपये 2000–3500) के पदों को उच्चीकृत करके विशेष कार्याधिकारी (वेतनमान रुपये 3000–4500) में कब तक कर दिया जायगा ? यह सत्य है कि कार्मिक अनुभाग–1 तथा 2 के पदों को इसी वेतनमान में उच्चीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो अन्य सभी अनुभागों को उक्त पदों को उच्चीकृत न करने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

ऐसा कोई प्रस्ताव सचिवालय प्रशासन विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

जी नहीं । कार्मिक अनुभाग–1 व 2 में वर्तमान में रु० 2000–3500 के वेतनमान में स्वीकृत अनुभाग अधिकारी के दो पदों को आस्थगित रखते हुए विशेष कार्याधिकारी के दो निःसंवर्गीय राजपत्रित पद (एक पद कार्मिक अनुभाग–1 तथा एक पद कार्मिक अनुभाग –2 के लिए) कार्मिक अनुभाग–1 व 2 के कार्य के महत्व, जटिलता एवं विशिष्टता, को ध्यान में रखते हुए रुपये 3000–4500 के वेतनमान में सृजित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सूचना निदेशालय में सूचनाधिकारी के पदों पर आरक्षण कोटा की जानकारी-

114–श्री दल सिंगार –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के 44 वर्षों बाद भी सूचना निदेशालय में एक भी अनुसूचित जाति का सूचना अधिकारी तैनात नहीं है ? यदि हां, तो नियमों को शिथिल करके विशेष चयन के माध्यम से अनुसूचित जाति का कोटा 31 मार्च, 1992 तक पूरा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री को यह भी जानकारी है कि सूचना निदेशालय पर अनुवादक/ निरीक्षकों के पदों का आरक्षित कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या प्रोन्नति कोटा 31 मार्च, 1992 तक पूरा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

सूचना विभाग में सूचना अधिकारी के कुल 36 पद हैं जिनमें से 24 सीधी भर्ती और 12 प्रोन्नति कोटे में हैं । इनमें से अनुसूचित जाति के लिए सीधी भर्ती में 5 व प्रोन्नति कोटे में 2 पद आरक्षित हैं । सीधी भर्ती के एक पद के लिए वर्ष 1987 में अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, परन्तु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका । वर्ष 1988 में एक पद पर सीधी भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया । सितम्बर 1991 में सीधी भर्ती के 5 पदों (वर्ष 1987 की एक अग्रेनीत रिक्ति, वर्ष 1989-90 की एक, 1990-91 की दो रिक्तियां तथा पदोन्नति कोटे की एक रिक्ति को सीधी भर्ती से भरने के निर्णय के फलस्वरूप रिक्ति) पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया है । पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर कोटा पूरा हो जायेगा । प्रोन्नति हेतु पोषक संवर्ग में एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी उपलब्ध है, जो अभी प्रोन्नति की पात्रता क्षेत्र में नहीं आता है । भविष्य में पात्रता में आने पर उसकी प्रोन्नति की जा सकेगी ।

वर्तमान में अनुवादक के कुल 20 पदों के विरुद्ध 13 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 7 सीधी भर्ती तथा 6 प्रोन्नति कोटे में हैं । प्रोन्नति कोटे में एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी है । इस प्रकार पदोन्नति में कोटा पूरा है । सीधी भर्ती हेतु वर्ष 1985 में एक पद हेतु अधियाचन भेजा गया, जिसे लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1987 में विज्ञापित किया गया परन्तु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सका । वर्ष 1988 में पुनः एक पद हेतु अधियाचन आयोग को भेजा गया । बाद में आयोग द्वारा वर्ष 1990 में, वर्ष 1985 व 1988 के अधियाचन के विरुद्ध 2 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया । इस पर कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सका । आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनः विज्ञापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर कोटा पूरा हो जायेगा ।

निरीक्षक के 12 पदों के विरुद्ध 2 अनुसूचित जाति के कर्मचारी कार्यरत हैं । इस प्रकार कोटा पूरा है ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना लालगंज में अनुसूचित वर्ग के श्री राम गरीब के उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

115–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना लालगंज अन्तर्गत देल्हूपुर के श्री राम गरीब ने दिनांक 21-1-92 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को अनुसूचित वर्ग पर उत्पीड़न की घटना का उल्लेख करके कार्यवाही करने की मांग के संबंध में दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण में अब कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक को दिये गये पत्र से पूर्व श्री राम गरीब द्वारा दिनांक 12-1-92 को थाना लालगंज पर लिखित सूचना दी गयी कि गांव के सुखदेव नाई व नजरू पुत्रगण झूरी द्वारा मटर के खेत में बकरियां पड़ जाने के कारण उसके भतीजे व परिवार के अन्य सदस्यों को लाठी/डण्डा से मारा गया। इस सूचना पर उक्त थाने पर मु० अ० सं० 13/92 धारा 308/323/504/506 भा० दं० वि० प्रतिवादीगण के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की गयी तथा आरोप सिद्ध होने पर आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद में थाना अतर्रा में प्रतिनिधि दैनिक जागरण कानपुर के साथ घटित घटना की मजिस्ट्रेटी जांच

116–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अतर्रा प्रतिनिधि दैनिक जागरण कानपुर श्री कृष्ण दत्त दीक्षित द्वारा दिनांक 9-2-92 को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बांदा को सम्बोधित एवं जिला मजिस्ट्रेट बांदा, उप महानिरीक्षक झांसी पुलिस महानिदेशक लखनऊ गृह सचिव उ० प्र० मुख्य मंत्री उ० प्र० शासन आदि को पृष्ठांकित दिनांक 7-1-92 को, अतर्रा में घटित घटना के बावत कार्यवाही के संबंध में दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि घटना के दिनांक 7-1-92 को थाना अतर्रा में जिला मजिस्ट्रेट बांदा एवं परगना मजिस्ट्रेट अतर्रा व बबेरू की मौजूदगी में घटना की लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक, बांदा को मुकदमा कायम करने को दी गयी है ? यदि हां, तो मुकदमा न करने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त पत्रकार की चोटों का मुआइना किया गया है ? यदि हां, तो कितनी एवं किस स्वभाव की चोटें हैं ? क्या उसमें अब कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच क्षेत्राधिकारी, नरैनी द्वारा की गयी । जांच में आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पाये गये । अब इस प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जांच प्रचलित है ।

जी हां ।

प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु० अ० सं० 8ए/92 धारा 147/342/323 भा० दं० वि० थाना अतर्रा पर पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है ।

उक्त पत्रकार द्वारा चोटों का मुआइना स्वयं कराया गया है ।

साधारण स्वभाव की चोटें आयी हैं ।

प्रकरण की मजिस्टिरियल जांच प्रचलित है ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना सागीपुर के ग्राम पोथमपुर में बन्धुआ मजदूरी एवं बेगार प्रथा को समाप्त करने की मांग

117–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना सागीपुर अन्तर्गत पोथमपुर के श्री जगदम्बा प्रसाद पाल आदि ने दिनांक 27-1-92 एवं 1-2-92 को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को दिनांक 17-12-91 व 25-1-92 को घटनाओं का सन्दर्भ करते हुए प्रभावी कार्यवाही के लिए पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उल्लिखित घटनाओं में बन्धुआ एवं बेगार प्रथा के सामाजिक एवं आपराधिक दोषों के प्रचलन के लक्षणों को देखते हुए कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में प्रान्तीय रक्षक दल के जवानों हेतु मानदेय की व्यवस्था एवं विनियमितीकरण आदि की मांग

118–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के साथ द्वितीय रक्षापंक्ति (विंगपुलिस) में शान्ति और सुरक्षा का कार्य देखने वाले पी० आर० डी० (प्रान्तीय रक्षक दल) जवानों के बारे में पी० आर० डी० ऐक्ट प्रदेश में प्रभावी है ? यदि हां, तो ऐक्ट की मंशानुसार वर्तमान समय में इनके कार्य और उपयोगिता को देखते हुए अवैतनिक सदस्यों के लिए मानदेय की व्यवस्था, जवानों का भत्ता भुगतान करने के बजाय इनकी सेवाओं का विनियमितीकरण किये जाने, वर्दी उपलब्ध कराये जाने आदि कार्यों को पूरा कराने के लिए युवाकल्याण विभाग से हटाकर गृह विभाग के अधीन पृथक शाखा खोलकर पी० आर० डी० जवानों को वांछित न्यूनतम सुविधायें व कर्मचारी हित की अन्य औपचारिकता पूरी कराने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । पी० आर० डी० ऐक्ट, 1948 पूरे प्रदेश में पी० आर० डी० के जवानों पर प्रभावी है । पी० आर० डी० विंग आफ पुलिस वर्ष 1957 में प्रदेश के कुछ जनपदों में स्थापित की गयी थी । वर्ष 1962 में होमगार्ड्स की स्थापना के उपरान्त यह पी० आर० डी० विंग आफ पुलिस समाप्त कर दी गयी ।

वर्ष 1971 में इस विभाग का मूल नाम प्रान्तीय रक्षक दल को परिवर्तित करके प्रादेशिक विकास दल रखा गया तथा शान्ति एवं सुरक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों का दायित्व भी सौंपा गया है । प्रादेशिक

विकास दल के जवानों को सुविधा व उनके हित की अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु कार्यवाही युवा कल्याण अनुभाग द्वारा की जाती है । गृह विभाग के अधीन पृथक शाखा खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड, दुगड्डा के ग्राम बालासौंड़ को विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटित एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण

119–श्री मुन्ना चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बालासौंड़, विकास क्षेत्र दुगड्डा, जनपद पौड़ी गढ़वाल को वित्तीय वर्ष 1990-91 में विभिन्न योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? ग्राम बालासौंड़ में उक्त धनराशि में से कुल कितना रुपया ईट के खड़ंजे पर व्यय किया गया है ? क्या यह कार्य निर्धारित मापदण्डों के आधार पर कराया गया था ? यदि हां, तो इस कार्य की मटीरियल कोष्ठ पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तत्कालीन संयुक्त निदेशक उद्योग, मेरठ के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

120–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में तत्कालीन संयुक्त निदेशक उद्योग मेरठ के विरुद्ध अपर ने अपनी जांच रिपोर्ट नवम्बर, 90 में उद्योग निदेशक को भेजी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के संबंध में जांच रिपोर्ट भेजी गयी थी । इस प्रकरण में लिए गये निर्णयानुसार तत्कालीन संयुक्त निदेशक उद्योग से रुपया 5334 तथा 75 पैसे की धनराशि की वसूली उनकी ग्रेच्युटी से समायोजित करने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री शम्भू प्रसाद जोशी (सेवानिवृत्त) खादी पर्यवेक्षक, खादी उद्योग विभाग को राज्य कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान करने की मांग

121–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-सा–3-1152/दस-915-89, दिनांक 1-7-89 के अन्तर्गत श्री शम्भू प्रसाद जोशी, खादी पर्यवेक्षक (सेवा निवृत्त) खादी योजना, उद्योग विभाग जो दिनांक 15-2-78 को सेवा निवृत्त हुए, को राज्य कर्मचारी की भांति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो कब तथा किस दर से ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जायेगा ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

जी नहीं ।

बोर्ड कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सेवा निवृत्त लाभ दिनांक 1-1-86 से दिये जा रहे हैं । श्री जोशी दिनांक 15-2-78 को सेवा निवृत्त हुए थे, अतः वह इसके लिए पात्र नहीं थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल में उग्रवादियों हेतु पुलिस द्वारा किराये पर ली गयी जीप के मृतक चालक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग

122–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 7 व 8 अगस्त, 1991 को नैनीताल जनपद में उग्रवादियों द्वारा कुछ पुलिस कर्मियों तथा पुलिस द्वारा किराये पर ली गयी प्राइवेट जीप के चालक की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जीप के चालक जो पुलिस की ड्यूटी पर था, के आश्रितों को भी एक लाख रुपया की धनराशि मुआवजे के रूप में दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विपिन चन्द्र जोशी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, शाहजहांपुर का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं स्थानान्तरण

123–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिला परिषद् में कार्यरत अपर मुख्य अधिकारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ? क्या फरवरी, 92 में उन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के शासकीय आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या उसका पालन उनके द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि इनके अधीनस्थ कार्यरत कर-अधिकारी व कार्य-अधिकारी ने सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश को लिखित रूप से अनुरोध किया है कि वह उक्त अधिकारी के साथ कार्य करने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

श्री विपिन चन्द्र जोशी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, शाहजहांपुर (जिन्हें सम्प्रति जिला परिषद्, पिथौरागढ़ स्थानान्तरित किया गया है) के मानसिक स्वास्थ्य के परीक्षण हेतु उन्हें माह जनवरी, 92 में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण इस संबंध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को पुनः आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

जी हां । श्री विपिन चन्द्र जोशी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला शाहजहांपुर से जिला परिषद् पिथौरागढ़ स्थानान्तरित किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

जनपद वाराणसी के नगवां में विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा दर्जनों मकानों को अवैध रूप से गिराये जाने का आरोप एवं जांच की मांग

124–श्री ऊदल–

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि स्थान नगवां शहर वाराणसी में करीब दो दर्जन मकानों की ता० 17-2-92 को विकास प्राधिकरण वाराणसी ने पुलिस की मदद से गिरवा दिया है और कब्जा हटाने में

बहुत से लोगों को मारा-पीटा गया है ? क्या उक्त मकान गिराने में सचिव, उप सचिव, इंजीनियर तथा अन्य कर्मचारी विकास प्राधिकरण वाराणासी के सम्मिलित थे ? क्या लंका थाने की पुलिस की पूरी मदद ली गयी थी ? क्या सरकार इस प्रश्न पर जांच करायेगी कि जो मकान गिराये गये हैं उन पर नगर महापालिका वाराणसी ने नम्बर दे दिये हैं ? क्या उनमें बिजली तथा पानी का कनेक्शन भी अधिकृत है और अदालत से स्टे आर्डर भी है।

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फिरोजाबाद में लाल ईंट से निर्मित फर्जी भट्ठी चलाने का आरोप एवं जांच की मांग

125–श्री किशन गोपाल–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद में जो लाल ईंट से निर्मित पकाई भट्ठियां चलाई जा रही हैं, इनमें से 50 प्रतिशत इकाईयां फर्जी हैं ? क्या यह भी सत्य है कि यह इकाईयां 100 प्रतिशत कोयले की सप्लाई उठाकर उसे बेंचती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लाल ईंट की भट्ठी को बन्द कराके, नियमानुसार बने ईंट की भट्ठी लगवाने व ब्लैक हो रहे कोयले के कारोबार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाने का आदेश प्रदान करेंगे ? क्या चलने वाली फर्जी इकाईयों की गुप्त जांच कराकर उनको निरस्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

फिरोजाबाद में चल रही पकाई भट्ठियां फर्जी नहीं हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1992 में स्थानान्तरण की निर्धारित नीति की जानकारी एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण की योजना

126–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या विभिन्न विभागों की कार्य कुशलता को बढ़ाने एवं जनता को राहत प्रदान करने हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी स्थानान्तरित करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

चालू वर्ष 1992 की स्थानान्तरण नीति अभी तक घोषित नहीं की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में चिनहट विकास खण्ड में स्थापित लघु उद्योग की स्थापना, तिथि, नाम एवं प्राप्त वित्तीय सहायता की जानकारी

127–श्री तेज भान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उजरियांव गृह स्थान योजना-2 लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट विकास खण्ड में विजईपुर ग्राम के भूखण्ड संख्या–213, 215, एवं 239/402 पर शासनादेश सं०–3782/18-4-233/जी/77, दिनांक 20-6-1978 के तहत कोई लघु उद्योग स्थापित हुआ है ? यदि हां, तो उक्त लघु उद्योग का नाम, स्थापना की तारीख तथा किस तारीख को किस वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ? क्या विवरण सदन के पटल पर रखने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट विकास खण्ड में विजईपुर, ग्राम के भूखण्ड संख्या 213 एवं 215 पर निम्न तीन इकाइयां स्थापित हुई हैं :–

1–मेसर्स मां भगवती ग्रामीण औद्योगिक सेवा समिति–यह इकाई दिनांक 30-12-83 को स्थापित हुई है । इस इकाई को खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से 1983-84 में रु० 80,000 तथा वर्ष 1984-85 में रु० 50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ।

2–मेसर्स अवध इण्डस्ट्रीज–यह इकाई वर्ष 1982 में स्थापित हुई है । इस इकाई ने आंध्रा बैंक, शाखा अमीनाबाद, लखनऊ से रु० 35,000 का ऋण प्राप्त किया है । इस इकाई ने आंध्रा बैंक के समस्त ऋण की अदायगी कर दिया है और यह इकाई वर्ष 1985 से बन्द हो गयी है ।

3–मेसर्स इण्टरक्राफ्ट इन्जीनियरिंग प्रा० लि०–यह इकाई वर्ष 1991 में स्थापित हुई है । इस इकाई ने किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया है । यह इकाई कार्यरत है ।

उक्त ग्राम के भूखण्ड संख्या 239/402 में एक इकाई मेसर्स जनता स्टील इण्डस्ट्रीज दिनांक 21-12-79 को स्थापित हुई थी । इस इकाई को वर्ष 1979 में उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा रु० 85,760 तथा वर्ष 1983 में रु० 8,700 की सहायता प्रदान की गयी है, जिसकी अदायगी इकाई द्वारा की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त इस इकाई को दिनांक 27-2-84 को जिला उद्योग केन्द्र मार्जिन मनी ऋण रु० 32,470 एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक, इन्दिरा नगर, लखनऊ से वर्ष 1980 में रु० 60,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ।

उजरियांव गृह स्थान योजना-2, लखनऊ की योजना के प्रारूप की जारी अधिसूचना की जानकारी

128–श्री तेज भान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उजरियांव गृह स्थान योजना-2 लखनऊ की योजना के प्रारूप की कब किस तारीख को अधिसूचना जारी हुई है उक्त अधिसूचना के समय कितने ऐसे भवन, औद्योगिक इकाई वहां कार्यरत रही है ? क्या कोई सर्वे भी अधिसूचना के पूर्व हुआ था ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उपरोक्त योजना की अधिसूचना के बाद किसी भूखण्ड औद्योगिक इकाई, मकान आदि को भूमि अर्जन से मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ब्यौरेवार उनकी संख्या, लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मां भगवती ग्रामीण औद्योगिक सेवा समिति, इस्माइलगंज, लखनऊ की स्थापना एवं प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण

129–श्री तेज भान सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि मां भगवती ग्रामीण औद्योगिक सेवा समिति, इस्माइलगंज, लखनऊ की स्थापना किस दिनांक को की गयी है ? क्या इसे किसी वित्तीय संस्थान से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करायी गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मयंकर सिंह–

दिनांक 4-1-84 को संस्था का पंजीकरण प्रमाण-पत्र अधिनियम संख्या 21-1860 के अन्तर्गत जारी किया गया ।

जी हां ।

उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मां भगवती ग्रामीण औद्योगिक सेवा समिति, इस्माइलगंज, लखनऊ को निम्न वर्षों में निम्नवत् वित्तीय सहायता प्रदान की गयी ।

वर्ष	मद पूंजीगत	कार्यशील पूंजी	उद्योग का नाम
1983-84	80,000.00	–	लौह कला उद्योग हेतु
1984-85	—	50,000.00	,, ,,
1985-86	—	1,00,000.00	,, ,,
1986-87	—	1,50,000.00	,, ,,
1986-87	—	90,000.00	,, ,,
1987-88	—	70,000.00	,, ,,
1988-89	—	2,00,000.00	,, ,,
1989-90	—	1,00,000.00	,, ,,
1989-90	1,65,000.00	80,000.00	पिन उद्योग हेतु
योग:–	2,45,000.00	8,40,000.00	

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की मांग

130–श्री प्रीतम सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद का 27 गंगेश्वरी विधान सभा क्षेत्र उ० प्र० में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ? क्या उसमें कोई छोटा/बड़ा उद्योग नहीं स्थापित है ? क्या गंगेश्वरी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का वर्गीकरण जनपदों के आधार पर किया गया है । मुरादाबाद जनपद "स" श्रेणी का पिछड़ा जनपद घोषित है ।

उक्त क्षेत्र में विभिन्न उद्योग स्थापित हैं ।

सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । परन्तु पिछड़े जनपदों में उद्योग स्थापित करने हेतु शासन द्वारा उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर द्वारा आपूर्तित कपड़े का वर्गीकरण करने एवं कतिपय कार्य हेतु अनुबंधित फर्म के नाम की जानकारी देने की मांग

131–श्री हरिबंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य हथकरघा निगम लि०, कानपुर ने मार्च, 1978 में अपने द्वारा आपूर्तित कपड़े का वर्गीकरण करने, ठप्पा लगाने, संवेष्ठन एवं गांठों को बांधने के लिए फर्म के साथ अनुबंध किया है ? वर्ष 1985-86 तथा 86-87 में कितनी गांठें तथा कपड़े वापस किये गये ? कितनी गांठें तथा कपड़ा दिनांक 31 दिसम्बर, 1991 तक वापस नहीं किया गया ? क्या समझौते में माल की समयबद्धता, आश्वासित तथा सुरक्षित वापसी के लिए कोई प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति नहीं ली गई थी ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन-कौन अधिकारी हैं ? इनके विरुद्ध कौनसी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उद्योग निदेशक और उ० प्र० हथकरघा निगम लि०, कानपुर के संयुक्त ऋण योजनान्तर्गत ऋण वितरण, वसूली एवं बुनकरों को राहत दिया जाना

132–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 1980 में उद्योग निदेशक, कानपुर तथा उ० प्र० हथकरघा निगम लि० के प्रबन्ध निदेशक, कानपुर दोनों के द्वारा संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत हथकरघा बुनकर योजना के तहत 31 मार्च, 1987 तक कितने रुपये की धनराशि लाभार्थियों में वितरित की गई ? 31 मार्च, 1991 तक ब्याज सहित कितना धन वसूल हुआ तथा कितना धन बकाया है ? वसूली हेतु कौनसी कार्यवाही की जा रही है ? इसमें कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, जिनके कारण वसूली नहीं हो सकी है ?

श्री कल्याण सिंह–

हथकरघा बुनकर ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 से वर्ष 1987 तक रु० 327.92 लाख के ऋण वितरित किये गये ।

31 मार्च, 1991 तक रु० 694.68 लाख ब्याज सहित बकाया था तथा कुल 72.12 लाख की धनराशि की मूलधन के तहत वसूली हुई है ।

वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त भी बुनकरों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण वसूली सम्भव नहीं हो पा रही है, अतः बुनकरों को शासन द्वारा साधारण ब्याज की राहत दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

जनपद मिर्जापुर के मोहनपुर पहाड़ी के औद्योगिकीकरण की जानकारी

133—श्री भागवत पाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्योग लगाने की शासन की प्राथमिकतायें क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि मोहनपुर पहाड़ी, वि० खण्ड पहाड़ी, जनपद मिर्जापुर में अभी तक कौन-कौन से उद्योग लगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित हुआ है ? अभी तक शासन की ओर से उक्त स्थान पर कुल कितने उद्योग लगाने की योजना की तैयारी में, धन खर्च किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उद्योग लगाने हेतु उक्त मोहनपुर पहाड़ी में स्थल का सर्वे कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग लगाने की प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु प्रदेश में लघु, हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर ग्रामीण व रेशम जैसे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देना ।

(2) क्षेत्रीय असुंतुलन समाप्त करना तथा पिछड़े जनपद, विशेषकर ग्रामीणांचलों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष सुविधायें देते हुए तीव्र विकास सुनिश्चित करना ।

(3) आधारभूत उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में बढ़ावा तथा बुनकरों को सस्ते दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराना व बनाये गये माल की विपणन-व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

(4) नये उद्योगों की स्थापना द्वारा प्रदेश की जनता, विशेषकर शिक्षित युवकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, कारीगरों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना ।

(5) उद्यमिता के विकास को प्रोत्साहित करना ।

(6) स्थानीय प्रौद्योगिकी व स्वदेशी शोध पर आधारित उद्योगों को नये तकनीकी के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन देना ।

(7) आम उपयोग में आने वाली ऐसी वस्तुएं, जिनका उत्पादन घरेलू व लघु उद्योग कर सकते हैं, उनका बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन करने को प्रोत्साहित न करना ।

(8) प्रदेश के लघु, ग्रामीण, हथकरघा, रेशम व हस्तशिल्प उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देते हुए मध्यम व बृहद् उद्योगों की ओर सेक्टर व अन्य ऐसे क्षेत्र जो लघु औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता के बाहर हैं और लघु व ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहायक हैं, की स्थापना सुनिश्चित करना ।

(9) वर्तमान में स्थापित उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास व रुग्णोन्मुख इकाइयों को समुचित सहायता व परम्परागत ग्रामीण व लघु उद्योगों का, अधिकाधिक रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिकीकरण ।

(10) औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का आवश्यकतानुसार विकास ।

(11) खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स, ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स, प्लास्टिक, इन्जीनियरिंग, चर्म, पेट्रोकेमिकल्स व केमिकल्स, कपड़ा, स्पोर्ट्स, ग्लास व सिरैमिक्स, फाउन्ड्री एवं अन्य स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन ।

(12) प्रक्रियाओं का सरलीकरण, समयबद्ध सहायता एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभागीय व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

(13) प्रदेश में स्वस्थ्य, उत्साहजनक एवं प्रगतिगामी औद्योगिक वातावरण का सृजन ।

(14) सार्वजनिक उद्यमों की प्रबन्ध व्यवस्था व कार्यकुशलता में सुधार ।

मोहनपुर पहाड़ी विकास खण्ड में कोई उद्योग लगाना प्रस्तावित नहीं है और न कोई योजना विचाराधीन है ।

मोहनपुर पहाड़ी ब्लाक में ग्रामीण औद्योगीकरण की दृष्टिगत रामनगर सिकरी में एक मिनी औद्योगिक आस्थान रु० 5.12 लाख खर्च करके पूर्ण हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के थाना कर्वी के अन्तर्गत ग्राम सपहा के श्री राम दास पुत्र श्री राम बचन की गिरफ्तारी

134—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना कर्वी के अन्तर्गत, ग्राम सपहा के श्री राम वचन ने दिनांक 2-8-91 को उप पुलिस महानिरीक्षक, झांसी व उच्च अधिकारियों को तत्कालीन उप अधीक्षक, कर्वी द्वारा उसके पुत्र श्री राम दास को पकड़ने एवं उत्पीड़न करने की शिकायत हेतु प्रार्थना पत्र दिया है ? क्या यह सही है कि दिनांक 25-7-91 को परगनाधिकारी, कर्वी एवं 26-7-91 को अपर मुख्य दण्डाधिकारी,-कर्वी को भी सूचना दी गई है ? पुलिस ने उन्हें पकड़ने से अपनी सूचना से इन्कार किया है ? क्या मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सहायक निबंधक ने डी नं०-2936/एच (एस०सी०)/बी०आई०एल०सी०/91, सुप्रीम कोर्ट इन्डिया दिनांक 21-8-91 द्वारा डी० जी०, पुलिस, लखनऊ से विवेचना करके एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी गई है ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्थानीय पुलिस ने बाद में दिनांक 9-8-91 को उक्त श्री राम दास का चालान अदालत भेजा है ? यदि हां, तो क्या स्थानीय पुलिस के आचरण की पूरी जांच की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही होगी ? यदि नहीं; तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां,मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सहायक निबन्धक का पत्र संख्या-2936/एच/एस०सी०/पी०आई०एल०सी०/91 दिनांक 21-8-91 को प्राप्त हुआ था । प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराई गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं । वांछित जांच आख्या दिनांक 13-12-91 को मा० उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली को भेज दी गई है ।

स्थानीय पुलिस थाना कर्वी में अभियुक्त राम दास को गिरफ्तार नहीं किया गया है । अभियुक्त राम दास अन्तर्राज्यीय कुख्यात दस्यु ददुवा गिरोह का सहयोगी सदस्य है और अप० सं० 53/91 धारा 364/120 बी थाना बहिलपुरवा में वांछित था और पुलिस को उसकी तलाश थी किन्तु स्थानीय पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी थी ।

यह अभियुक्त दि० 9-8-91 को थाना मानिकपुर में अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके संबंध में मु०अ०सं० 115/91 धारा 25 शस्त्र अधिनियम में पंजीकृत हुआ था ।

विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है । जांचोपरान्त स्थानीय पुलिस का कोई दोष नहीं पाया गया, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

उ० प्र० सचिवालय संघ के चुनाव की मांग एवं कार्यकाल की जानकारी

135—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सचिवालय संघ का चुनाव वर्ष 1989 में हुआ था ? यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए हुआ था ? क्या सचिवालय संघ अब भी काम कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सचिवालय संघ के संविधान के अनुसार चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने का कष्ट करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का चुनाव माह सितम्बर, 1989 में हुआ था ।

संघ के संविधान के अनुसार निर्वाचित कार्यकारिणी के कार्यकाल की अवधि एक वर्ष के लिये होती है, किन्तु वह तब तक कार्य करती रहेगी जब तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो जाता है ।

जी हां । सचिवालय संघ अब भी काम कर रहा है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ का चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराने के सम्बन्ध में संघ के अध्यक्ष को पत्र दिनांक 1-4-92 भेजा गया है ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र की जानकारी

136—श्री जाहिद हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-11-91 को चीफ सेक्रेट्री, उत्तर प्रदेश को तथा आपको सम्बोधित राज्य मंत्री गृह, सेक्रेट्री होम/सेक्रेट्री जुडिशियल तथा डी०जी०पी० श्री सत्यदेव सिंह एडवोकेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद आदि के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उसमें की गई मांगों के आधार पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । श्री सत्यदेव सिंह एडवोकेट ने पत्र दिनांक 26-11-91 दिया है । उक्त पत्र में उल्लिखित श्री यशवीर सिंह त्यागी, उप निरीक्षक से संबंधित प्रकरण मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। फलस्वरूप शासन द्वारा इस प्रकरण में कोई टिप्पणी किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

आगरा जनपद के फतेहाबाद में ग्राम धनौला कलां में स्थित देवी मन्दिर पर पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव

137—श्री विजय पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में थाना निबोहरा में ग्राम धनौला कलां में देवी जी के मन्दिर पर पुलिस चौकी स्थापित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह—

ग्राम धनौला कलां में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी को उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने की मांग

138–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति के व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी का वेतनमान अभी तक उच्चीकृत क्यों नहीं किया गया है ? क्या सचिवालय के व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारियों के वेतनमान दो वर्ष पहले ही उच्चीकृत कर दिए गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत प्रकरण वेतनमान विसंगति के संदर्भ में उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित था । विचारोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण विशेषतः वेतनमान की विसंगति के निराकरण के लिये नहीं अपितु उनके उच्चीकरण का है । इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

सचिवालय संवर्ग व्यवस्थापक एवं व्यवस्था अधिकारी के वेतनमान पहले उच्चीकृत किये जा चुके हैं । दोनों संवर्गों की स्थिति एवं प्रबन्धन में भिन्नता है ।

स्थानीय अभिसूचना इकाई, फतेहगढ़ के सब इन्सपेक्टर स्वर्गीय श्री दया शंकर द्विवेदी के मृत आश्रितों का सेवायोजन एवं समस्त देयों का भुगतान

139–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय अभिसूचना इकाई, फतेहगढ़ में सब इन्सपेक्टर के रूप में कार्यरत स्वर्गीय श्री दया शंकर द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय श्री रामादीन द्विवेदी की हत्या अक्टूबर, 1990 में सेवा के दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण कर के कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके परिवार को पेंशन, ग्रेच्युटी, फण्ड, बीमा आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मृतक के आश्रित पुत्र को शैक्षिक योग्यता एवं एक पैर पोलियोग्रस्त होने के कारण उसे सिविल पुलिस के स्थान पर सब इन्सपेक्टर (मिनिस्टीरियल) के पद पर अब तक नियुक्ति न प्रदान किए जाने का मूल कारण क्या है ? शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थानुसार क्या सरकार उक्त मृतक आश्रित की नियुक्ति सब इन्सपेक्टर (मिनिस्टीरियल) के पद पर किए जाने के आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । स्व० श्री दया शंकर द्विवेदी के परिवार को वर्तमान में अनन्तिम पेंशन रुपये 968 प्रतिमाह स्वीकृत की जा चुकी है तथा उनके परिवार को नियमानुसार देय फण्ड 90% मु० रु० 34992 तथा बीमा धनराशि मु० रु० 33157 के भुगतान हेतु पुलिस मुख्यालय के क्रमशः पत्र संख्या–बारह-ए–2057-90, दिनांक 25-9-91 तथा पत्र संख्या–बारह-ए–359-90, दिनांक 9-4-91 द्वारा आदेश ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को एवं स्व० कर्मचारी के आश्रितों को भेजा जा चुका है । इसके अतिरिक्त स्व० कर्मचारी के आश्रितों को असाधारण पेंशन/उपादान दिये जाने विषयक प्रकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है, जिस पर परीक्षणोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार ग्रेच्युटी (उपादान) स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

स्व० श्री दया शंकर द्विवेदी के आश्रित पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी को सेवारत मृतक आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अन्तर्गत लाभ देते हुए पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या–दस–374-90,

दिनांक 27-4-91 द्वारा कान्स० के पद पर भर्ती किये जाने हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को आदेश दिये गये थे, जिसके अन्तर्गत श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी को कान्सटेबिल के पद पर भर्ती किया जा चुका है और वे वर्तमान में जनपद खीरी में कार्यरत हैं । चूंकि श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी को उक्त नियमावली का लाभ देते हुए पहले ही कान्सटेबिल के पद पर सेवायोजित किया जा चुका है, अतः उन्हें पुनः उक्त नियमावली का लाभ देकर मिनिस्टीरियल संवर्ग में सेवायोजित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री विक्रमाजीत, ग्राम पंचायत अधिकारी, मसौली, बाराबंकी के देय अवशेषों के भुगतान की मांग

140—श्री अकबर—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विक्रमाजीत, ग्राम पंचायत अधिकारी, मसौली, बाराबंकी की दिनांक 22-11-90 को हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो उनकी जी० पी० एफ० धनराशि, बीमा धनराशि, ग्रेच्युटी एवं पेंशन आदि देयकों के भुगतान उनकी विधवा पत्नी को न किए जाने का क्या कारण है ? उक्त देयकों का भुगतान कब तक दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जी हां ।

मृतक कर्मचारी के आश्रित को फण्ड, ग्रेच्युटी व पेंशन का भुगतान किये जाने से पूर्व नियमानुसार निर्धारित अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति स्व० श्री विक्रमाजीत की विधवा पत्नी द्वारा न किये जाने के कारण उन्हें देय देयकों का भुगतान करना सम्भव नहीं हो सका है ।

श्री विक्रमाजीत की विधवा द्वारा जैसे ही अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति कर दी जायेगी उनको देय देयकों का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायगा ।

जनपद मुरादाबाद में ब्रास उद्योग की रजिस्टर्ड चालू एवं बन्द इकाइयों की संख्या

141—श्री जाहिद हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में ब्रास उद्योग की कितने एस० एस० आई० में यूनिट रजिस्टर्ड हैं ? उनमें से कितनी चालू हैं और कितनी बन्द कर दी गयी हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद मुरादाबाद में ब्रास उद्योग की 3243 इकाइयां लघु उद्योग में पंजीकृत हैं तथा पंजीकृत इकाइयां में से 2275 इकाइयां वर्तमान में चालू हैं तथा 968 इकाइयां बन्द हैं ।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निरस्त करके पुनः आमंत्रित किये टेण्डरों की जानकारी

142—श्री सुन्दर लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1990 से लेकर जनवरी, 1992 के मध्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कितने टेण्डर निरस्त करके पुनः टेण्डर आमंत्रित किए गए ? उसका विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनवरी, 1990 से लेकर जनवरी, 1992 के मध्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा कुल 32 टेण्डरों को निरस्त करके पुनः टेण्डर आमंत्रित किये गये ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 205–206पर)

143–श्री सुन्दर लाल–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर जिला परिषद् के डाक बंगले से कथित अनाधिकार कब्जा को हटाने की मांग

144–श्री अखिलेश–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश ने गोरखपुर जिला परिषद् के डाक बंगला जो शहर में है उसके कक्ष पर अनाधिकार कब्जा हटाने के लिए जिला परिषद् गोरखपुर को माह सितम्बर से नवम्बर, 1989 के बीच लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जिला परिषद् गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर से नवम्बर, 89 के मध्य सचिव, पंचायतीराज का कोई पत्र गोरखपुर शहर में स्थित डाक बंगला पर अनाधिकृत कब्जा हटाने के संबंध में उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में लेड एसिड बैट्री बनाने वाले निर्माताओं की संख्या एवं आपूर्ति की जानकारी

145–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लेड एसिड बैट्री बनाने के कितने निर्माता हैं ? क्या यह सरकार द्वारा अप्रूव्ड हैं ? यदि हां, तो क्या सरकारी विभाग द्वारा इन बैटरियों की खरीददारी की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिक मूल्य में प्रदेश के बाहर के निर्माताओं से बैट्री खरीदने के क्या कारण हैं क्या सरकार इस पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश में लेड एसिड बैट्री बनाने वाले निर्माताओं की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

प्रदेश में सरकारी विभागों को लेड बैट्री की आपूर्ति करने के लिए 7 इकाइयां दर अनुबंध पर 30-9-92 तक के लिए अनुमोदित हैं । ये सभी इकाइयां उत्तर प्रदेश की हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त बैट्री की आपूर्ति उत्तर प्रदेश की इकाइयों के लिए आरक्षित है । अतः सम्पूर्ण क्रय उपरोक्त अनुमोदित इकाइयों से ही किया जाता है । बाहर से कोई क्रय नहीं किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर में उग्रवादी घटनाओं में मारे गए लोगों को आर्थिक सहायता

146—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जनपद में जनवरी, 92 से फरवरी, 92 के मध्य उग्रवादियों द्वारा मारे गये लखनऊ निवासी दिवाकर जुत्सी के परिवार को सरकार ने कम आर्थिक सहायता दी है ? उग्रवादियों द्वारा मारे गये परिवार के लोगों को सरकार अधिक आर्थिक सहायता देती है ? क्या मंत्री जी शेष आर्थिक सहायता देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

लखनऊ निवासी श्री दिवाकर जुत्सी की हत्या उग्रवादियों द्वारा जनपद लखीमपुर में दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 को की गयी थी । इस घटना में उक्त श्री दिवाकर जुत्सी के अतिरिक्त अन्य 9 व्यक्ति भी मारे गये थे । इस घटना के सभी मृतकों के आश्रितों को रु० 20,000 की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ।

उग्रवादी घटनाओं में मारे गये लोगों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । कुछ मामलों में मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ।

उपरोक्त के कारण प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ नगर में अवैध तरीके से कार्य कर रही सहकारी समितियों के विरुद्ध कार्यवाही

147—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री लखनऊ नगर में सहकारी आवास समितियों द्वारा अवैध आवास कालोनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान में अवैध तरीके से कार्य कर रही सहकारी आवास समितियों पर सरकार कोई रोक लगायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

लखनऊ नगर की ऐसी सहकारी आवास समितियां, जो अवैध आवास कालोनियों का निर्माण करती हैं, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

जनपद बस्ती में अज्ञात ग्राम के आम रास्ते पर किये गए अतिक्रमण को हटाये जाने की जानकारी

148—श्री बाबू खां—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि शासन के पत्रांक 2042/91-गोपन-7, दिनांक 9 मई, 1991 के द्वारा जनपद बस्ती के किसी ग्राम के आम रास्ते के अतिक्रमण आदि के मामले में उच्चस्तरीय जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को शासन द्वारा निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण तथ्यों तथा जांच आख्या से अवगत कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

जांच से पाया गया कि उक्त मामला अपर जिला अधिकारी, बस्ती के न्यायालय में विचाराधीन है। स्थानीय पुलिस द्वारा भी सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के संबंध में दोनों पक्षों के विरुद्ध 107/116 (3) द०प्र०सं० तथा 133 द०प्र०सं० की कार्यवाही की जा चुकी है।

जनपद आगरा में जारी किये गए आग्नेयास्त्रों एवं लम्बित लाइसेंसों के निस्तारण की मांग

149—श्री विजय सिंह राणा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में जनवरी, 1988 से जनवरी, 1992 तक आग्नेयास्त्र-रायफल, बन्दूक या रिवाल्वर/पिस्टल के कुल कितने नये लायसेंस जारी किये गये हैं ? कुल कितने प्रार्थना-पत्र अभी लम्बित हैं ? लाइसेंस प्राप्त करने की अवमुक्त श्रेणी अर्थात् वारिसी, चोरी/डकैती से प्रभावित आदि को इसी अवधि में कुल कितने लाइसेंस दिये गये हैं ? कुल कितने लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं के इन श्रेणियों में आवेदन लम्बित हैं ? इन्हें लाइसेंस जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ के थानाध्यक्ष, गोमती नगर द्वारा फर्जी ढंग से निर्दोष कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही करने का आरोप

150—श्री देवेन्द्र पाल सिह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-1-92 को थाना गोमतीनगर, लखनऊ में थानाध्यक्ष को कसाडा लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लि० के डाइरेक्टर द्वारा एफ० आई आर० की तहरीर दी गयी परन्तु थानाध्यक्ष ने मुकदमा न कायम करके दिनांक 15-1-92 को रात्रि 10 बजे उसी कम्पनी में मुखविर खास की सूचना पर दबिश दी ? क्या थानाध्यक्ष ने 20 हजार रुपये लेकर कतिपय निर्दोषों को पकड़ा और उन पर अमानवीय अत्याचार किए तथा मु० अ० सं०-10/92 धारा-406, 420, 467, 468 में उन निर्दोष कर्मचारियों को जेल भेज दिया ? क्या सरकार द्वारा उक्त दोषी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ० प्र० लघु सिंचाई विभाग के बरेली में पदस्थ ज्येष्ठ अवर अभियन्ता (मेके०) के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

151—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग के बरेली में पदस्थ ज्येष्ठ अवर अभियन्ता (मेके०) के विरुद्ध जनपद शाहजहांपुर के स्टोर से सम्बन्धित अनियमितताओं के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, बरेली द्वारा माह सितम्बर, 91 में भेजे गये आरोप पत्र पर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ? इतने दिनों तक कार्यवाही लम्बित रखने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आदेश दिनांक 25-4-92 द्वारा आरोप पत्र अनुमोदित करते हुये विधिवत् जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

पटल सहायक के स्तर पर कार्य अवरुद्ध होने के कारण विलम्ब हुआ । संबंधित पटल सहायक का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

जनपद बांदा के थाना कर्वी के सब इन्सपेक्टर द्वारा एडवोकेट श्री मुन्ना लाल सिंह को अपमानित करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

152–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना कर्वी के ग्राम कपसेटी के श्री मुन्ना लाल सिंह एडवोकेट ने सब इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा उनको अपमानित करने तथा घटना की टेलीफोनिक सूचना दिनांक 30-10-91 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को दी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता ने श्री मुन्ना लाल का शिकायती पत्र दिनांक 31-10-91 के संदर्भ सहित मुख्य मंत्री, उ० प्र० को दिया गया है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति शासन में सी० एम० बी० को०/एम-3/45-265/पु०/91, दिनांक 19-11-91 को रजिस्टर में चढ़ा कर पुलिस अधीक्षक, बांदा को भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसी पत्र में पुलिस अधीक्षक, बांदा ने सब इन्सपेक्टर, कर्वी से जांच के लिए आदेश भेजा है ? यदि हां, तो उक्त जांच का औचित्य क्या है ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र सदन के पटल पर रक्खा जाएगा ? क्या इसमें शासन स्तर से अब कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

153–श्री बंशीधर राज–

[दिनांक 7-4-92 को अता० प्र० सं० 190 द्वारा उत्तरित]

154–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दिनांक 21-4-92 को अता० प्र० सं० 21 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुरादाबाद के उप निरीक्षक श्री यशवीर सिंह त्यागी का वेतन रोके जाने की जानकारी

155–श्री जाहिद हुसैन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में उप निरीक्षक श्री यशवीर सिंह त्यागी का वेतन करीब नौ माह से रोक रखा गया है जबकि वेतन को सरकारी कोष से निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त वेतन उप निरीक्षक को न देकर किस खाते में जमा किया गया है ? क्या ऐसा कोई नियम है कि उच्च आफिसर अपने अधीनस्थ अधिकारी का वेतन ड्यूटी के दौरान उसके बीमारी अवकाश पर चलते हुए मनमाने ढंग से रोक सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत वेतन रोका जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के विरुद्ध शासन कार्यवाही करते हुए, उक्त उप निरीक्षक का वेतन उक्त अधिकारी के वेतन से दिलवाने की कृपा करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री यशवीर सिंह त्यागी, तत्कालीन उप निरीक्षक का जनपद मुरादाबाद में 9 माह का वेतन नहीं रोका गया है । श्री त्यागी का जुलाई, 1991का वेतन आहरित किया गया था, किन्तु लम्बी अवधि तक उनके अनधिकृत रूप ने अनुपस्थित रहने के कारण उसे राजकीय कोष में जमा कर दिया गया । माह अगस्त व सितम्बर, 1991 का वेतन आहरित नहीं किया गया । दिनांक 17-10-91 को यह उप निरीक्षक स्थानान्तरण पर जनपद रामपुर के लिए कार्यमुक्त हो गये ।

जी नहीं । मनमाने ढंग से वेतन रोकने का अधिकार किसी अफसर को नहीं है । किन्तु वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूलनियम 73 के अन्तर्गत कोई भी राजकीय कर्मचारी अनुपस्थिति के लिए अवकाश वेतन पाने का अधिकारी नहीं है, जब तक कि उसका अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत न कर दिया जाये ।

जी नहीं । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कृत्य नियम सम्मत है । अवकाश नियमित होने पर ही नियुक्ति स्थान से वेतन आहरित किया जायेगा ।

श्री एस० के० सिंह, थानाध्यक्ष, रुदौली, बाराबंकी के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

156–श्री राम देव आचार्य–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० के० सिंह, थानाध्यक्ष, रुदौली, जनपद-बाराबंकी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने सम्बन्धी श्री पहाड़ी पुत्र मातादीन निवासी मो० नरियापार, कस्बा व थाना रुदौली, जनपद उपरोक्त का प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-2-92 पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर द्वारा दर्ज कराई गयी स्क्रेप स्केण्डल कांड की विवेचना एवं अभियुक्त के गिरफ्तारी की मांग

157–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर (शाहजहांपुर) की ओर से कई लाख रुपयों के स्क्रेप स्केण्डल कांड की प्रथम सूचना रिपोर्ट माह फरवरी, 1992 अथवा उसके आसपास थाना तिलहर, शाहजहांपुर में करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 11-2-92 को मुख्य लेखाकार, सहकारी चीनी मिल, तिलहर द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल के विरुद्ध मु०अ०सं०-84/92 धारा-409/408/420-भा० दं० वि० एवं कार्य प्रबंधक, मेरठ शुगर मशीनरी, रेलवे रोड, मेरठ के विरुद्ध मु०अ० सं०- 83/92 अंतर्गत धारा-409/420/460 भा० दं० वि० के अभियोग थाना तिलहर पर पंजीकृत कराये गये ।

उक्त दोनों अभियोगों से संबंधित प्रपत्र दिनांक 18-2-92 को कोआपरेटिव सेल, बरेली को भेजे गये । दिनांक 3-4-92 को उक्त दोनों अभियोगों से संबंधित प्रपत्र विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता द्वारा इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिये गये कि चीनी मिल उक्त शाखा के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है । अतः विवेचना स्थानीय पुलिस से ही करायी जाये । तद्नुसार उपरोक्त अभियोगों की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है एवं इस संबंध में किसी भी अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

जनपद मैनपुरी के भोगांव रजवाहा के अधूरे कार्य को पूरा कराने की मांग

158—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी में कस्बा भोगांव के समीप मधनी नामक तालाब से सन् 1989-90 में कोई नाला खोदा गया है ? यदि हां, तो कहां से कहां तक ? क्या यह सत्य है कि उक्त नाला पूरा न खोदा जाकर, नरसिंहपुर तक आधा ही खोदा गया है, जिससे हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी है ? यदि हां,तो क्या सरकार नरसिंहपुर से आगे नाला, नगला पट्टी तक खुदवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जी हां ।

भोगांव रजवाहा से कुलाबा संख्या 20 ए पर 251 मीटर, 20बी पर 542 मीटर तथा 22 पर 608 मीटर कुल 1401 मीटर नाला मथन्नीपुर तालाब से नरसिंहपुर तालाब तक ।

यह सत्य है कि नाला केवल नरसिंहपुर तक ही खोदा गया है । परन्तु यह सही नहीं है कि इससे हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है । क्योंकि नरसिंहपुर तालाब से आगे नगला पट्टी के पास खर्रा नाला तक 3 कि० मी० तक का क्षेत्र समादेश के कुलाबा कमाण्ड में नहीं पड़ता है, अतः नाला और आगे नहीं खोदा जा सका । यह नाला ग्राम नरसिंहपुर के प्रधान एवं ग्रामवासियों की मांग पर ही तथा उनके सहयोग से बनाया गया था तथा किसानों ने अपनी भूमि स्वेच्छा से इस नाले के निर्माण के लिए दी है । इस गांव की भूमि डिप्रेशन (निचला स्थान) में होने के कारण बरसात में जल भराव की समस्या कुछ क्षेत्रों में रहती है । नाले का नरसिंहपुर से आगे का भाग बन जाने पर यह समस्या दूर हो जायेगी ।

जी हां ।

नरसिंहपुर से आगे नगला पट्टी खर्रा नाले तक 3 कि० मी० लम्बे नाले के निर्माण हेतु "10 लाख कुआं योजना" के अन्तर्गत गत वर्ष परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मैनपुरी को 73,300 रु० का प्रस्ताव भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया है । परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मैनपुरी द्वारा इसकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है और इस हेतु उपरोक्त धनराशि अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर इसका शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायेगा ।

जनपद फैजाबाद की जिला चयन समिति द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी

159—श्री पवन कुमार पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की जिला चयन समिति द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु वर्ष 1985 में बनायी गयी सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति रिक्त

पदों पर न किये जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गयी याचिका संख्या 1058 सन् 1987 राजकुमार आदि बनाम उ० प्र० सरकार आदि में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दि० 13-12-88 एवं 15-12-88 का अलग-अलग निर्णय दे दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार के विरुद्ध दायर की गयी उक्त याचियों की याचिका का विवरण तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों निर्णयों का विवरण क्या है ? क्या निर्णयों द्वारा दिये गये आदेशों का पालन जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा पूरा कर लिया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भित दूसरा आदेश दिनांक 15-12-89 है ।

याचियों ने दि० 11-6-85 को कनिष्ठ लिपिकों/टंककों की 60 रिक्तियों के लिए जिला चयन समिति फैजाबाद की संस्तुतियों के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने की मांग की थी । संदर्भित आदेशों में 30 जून, 1986 तक की ऐसी समस्त रिक्तियां, जो भरी न गई हों, को उक्त समिति की संस्तुति के अनुसार भरने के निर्देश दिए गए ।

उपरोक्तानुसार 60 रिक्तियों में से 52 के विरुद्ध नियुक्तियां कीं जा चुकी हैं । शेष 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के झांसी मण्डल में चेक डेमों का निर्माण एवं सिंचन क्षमता की जानकारी की मांग

160–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के झांसी मण्डल में वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह जनवरी तक कितने चेक डैम कहां-कहां और कितनी-कितनी लागत से तैयार कराये गये ? इन चेक डैमों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में, कितने-कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है ? क्या यह भी बतायेंगे कि चेक डैमों का निर्माण कराये जाने के लिए मण्डलीय बैठकों में चेक डैम निर्माण कार्यों के बारे में विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी आपत्तियों के बावजूद झांसी मण्डल के जनपद हमीरपुर में कुछ चेक डैमों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ में चल रहे आई० टी० आई० कालेज एवं भवनहीन विद्यालयों तथा स्वीकृत ट्रेडों की जानकारी

161–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनपद पिथौरागढ़ में कितने आई० टी० आई० कालेज हैं ? उनमें से कितनों के अपने भवन हैं तथा कितने विद्यालय भवनहीन हैं ? उन विद्यालयों में स्वीकृत ट्रेडों के लिए वांछित संख्या में कितने अध्यापकों की कमी है एवं साज-सज्जा व उपकरणों का अभाव है ? क्या शासन द्वारा उक्त सभी कमियों को पूरा करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जनपद पिथौरागढ़ में 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से 2 संस्थान अपने भवन में चल रहे हैं तथा अवशेष 6 संस्थान भवनहीन हैं ।

उन संस्थानों में स्वीकृत ट्रेडों के लिए कुल 57 अनुदेशकों के पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से अभी तक 28 पद रिक्त हैं । तीन संस्थानों में साज-सज्जा की कमी की पूर्ति हेतु अतिरिक्त धनराशि दी जा चुकी है, अवशेष 5 संस्थानों में साज-सज्जा की आंशिक कमी है ।

जी हां ।

उक्त सभी कमियां आगामी वर्षों की जिला योजनाओं के उपलब्ध परिव्यय के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना लक्षित है ।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक पर भ्रष्टाचार के आरोप की विभागीय जांच

162–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990 में तत्कालीन विधायक सुरेश कुमार दुबे ने अपने पत्र दिनांक 6-1-90 तथा पुनः 20-4-90 के साथ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा की गई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार संबंधी 17 पृष्ठीय आरोप पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को दिया था जिस पर क्या सतर्कता जांच के आदेश मुख्य मंत्री जी ने दिया था ? यदि हां, तो क्या कारण है कि पूर्व मुख्य मंत्री के काल में सतर्कता जांच आरम्भ नहीं हुई तथा आम चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्य मंत्री ने जांच ही रद्द कर दी ? क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्तमान विधान सभा सदस्य भगवती प्रसाद शुक्ल तथा रामकुमार शुक्ल ने तथा वर्तमान राजस्व मंत्री ने अपने पत्रांक 159/वीआईपी, दिनांक 12-7-91 द्वारा भी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिए गए भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच वर्तमान मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पद से हटा कर कराने की मांग की है ? यदि हां, तो अभी तक पद से हटाए न जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र प्राप्त हुये । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने प्रश्नगत शिकायतों की सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराये जाने के आदेश दिये थे । बाद में शासन द्वारा पुनर्विचारोपरान्त सतर्कता जांच के स्थान पर विभागीय जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया । कालान्तर में मामले की समीक्षा की गई तथा विभागीय जांच को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया । वर्तमान सरकार द्वारा इस मामले की पुनः समीक्षा की गयी और यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के विरुद्ध विभागीय जांच पुनः प्रारम्भ की जाय ।

चूंकि सम्प्रति उक्त विभागीय जांच प्रगति पर है, अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में उच्च शिक्षण हेतु संचालित महाविद्यालयों की जानकारी

163–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी जनपद में उच्च शिक्षा हेतु कितने महाविद्यालय खुले हैं ? क्या यह सत्य है कि अन्य जनपदों में खुले महाविद्यालयों के अनुपात में टिहरी जनपद की उपेक्षा हुई है ? यदि हां, तो वर्तमान में कितने महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव शासन

के पास विचाराधीन हैं ? क्या अंजनीसैण, लम्बगांव, धनसाली में महाविद्यालय खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

सम्प्रति टिहरी जनपद में तीन महाविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालय, चम्बा, संघटक महाविद्यालय, टिहरी तथा औंकारानंन्द सरस्वती महाविद्यालय, देवप्रयाग संचालित हैं। इस संबंध में टिहरी जनपद की कोई उपेक्षा नहीं की गयी है। वर्तमान में टिहरी जनपद में किसी भी महाविद्यालय के खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अंजनीसैंण, लम्बगांव एवं धनसाली में महाविद्यालय खोले जाने पर शासन द्वारा सम्प्रति विचार नहीं किया जा रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रपति पदक प्राप्त सेवानिवृत्त कान्सटेबिल श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी को पुलिस पदक का लाभ दिये जाने की मांग

164–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक प्राप्त कान्सटेबिल नं० 77 सी० पी० श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुलिस पदक पर लभ्य पेंशनरी लाभ दिये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी एक निश्चित अवधि के भीतर श्री द्विवेदी को लभ्य देयों का बकाया सहित भुगतान सुनिश्चित करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह---

जी हां।

वीरता पुलिस पदक प्राप्त कान्सटेबिल श्री पीताम्बर दत्त द्विवेदी को वीरता के पुलिस पदक भत्ते का लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा पुलिस पदक के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या 35 प्रेज/71, दिनांक 15-7-71 की प्रतिलिपि दिनांक 31 अगस्त, 1971 को पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र०, लखनऊ को भेज दी गयी थी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके पेन्शन में पुलिस पदक के भत्ते का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जनपद जालौन के थाना कुठौन्द के पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर निर्दोष व्यक्ति की हत्या के आरोप की सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग

165–श्री श्रीराम––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक पुलिस एवं डकैतों के मध्य मुठभेड़ हुई है ? यदि हां, तो कितनी बार और कहां-कहां ? क्या उक्त अवधि में हुई मुठभेड़ों में कुछ डकैत पुलिस द्वारा मारे गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन तथा उनके नाम व पता क्या हैं ? उक्त मृतक डकैतों के विरुद्ध किस-किस थाने पर क्या-क्या अभियोग पंजीकृत थे ? क्या यह सत्य है कि माह अक्टूबर, 1991 में थाना कुठौन्द की पुलिस ने ग्राम पारेन के जंगल में एक डकैत को मारा था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कथित मृतक डकैत एक सीधा साधा नागरिक व इटावा जनपद का निवासी था ? क्या वह अपनी रिश्तेदारी ग्राम कोटा मुस्तकिल, थाना कुठौन्द में आया था, जहां से दिन में पुलिस ने उसे पकड़ कर उक्त ग्राम के पास जंगल में फर्जी मुठभेड़ दिखा कर उसकी हत्या की थी ? यदि हां, तो क्या इस मामले को सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बौद्ध तीर्थ स्थल, संकिसा जनपद फर्रुखाबाद में प्राप्त प्रतिमा की पुरातत्व विभाग द्वारा जांच एवं स्थापित करने की मांग

166-श्री राम औतार शाक्य--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला प्रशासन ने 1990 व 1991 में बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा कब्जे में लेकर जमा कर रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक पुरातत्व विभाग द्वारा इस बात की जांच कराई ? यदि हां, तो उक्त प्रतिमा कितनी पुरानी है और उसकी कीमत क्या है ? क्या सरकार उक्त प्रतिमा को संकिसा पर्यटन केन्द्र में ही बौद्ध स्तूप पर स्थापित कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकारी अभिलेखों में प्रतिमा के स्वरूप को अंकित कर दिया गया है ? क्या उस प्रतिमा की मिल्कियत अथवा निस्तारण के विषय में कोई विवाद भी लम्बित है ? यदि हां, तो सरकार बुद्ध बिहार निमार्ण समिति संकिसा, फर्रुखाबाद, बौद्ध विकास परिषद् संकिसा, शाक्य उत्थान समिति, फर्रुखाबाद, अखिल भारतीय भिक्षु संघ शाखा, उत्तर प्रदेश को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया--

वर्ष 1990 में बौद्ध स्थल, संकिसा से भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा कब्जे में लेकर जिला अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा राजकीय कोषागार, फतेहगढ़ में रखी गई है ।

पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्रतिमा की जांच कराई जा रही है । महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली से काल व कीमत निर्धारण के लिये अनुरोध किया गया है ।

प्रतिमा को संकिसा पर्यटन केन्द्र में ही स्थापित करने कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्नगत प्रतिमा के स्वरूप को अभिलेखों में अंकित करा दिया गया है ।

प्रतिमा की मिल्कियत अथवा निस्तारण के विषय में जिला स्तर पर कोई विवाद लंबित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर के 100 मीटर के अन्तर्गत गैर हिन्दू का प्रवेश वर्जित होने का आरोप

167-श्री फरीद महफूज किदवई--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर के 100 मीटर के अन्दर किसी गैर हिन्दू का प्रवेश वर्जित है ? यदि हां, तो क्या यह सहीं है कि मुख्य मंत्री के साथ प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री एजाज रिजवी शपथ ग्रहण समारोह के बाद उस परिसर में गये थे ? यदि हां, तो सरकार इस आदेश के अवहेलना करने वाले के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्त्ता के शिकायती पत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी की मांग

168–श्री पवन कुमार पाण्डेय––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित कराया गया पत्र दि० 13 अगस्त, 1991 संलग्नकों सहित मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने इस पत्र को कार्यवाही के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भेजा है ? यदि हां, तो इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

जी हां ।

ज्ञात किया जा रहा है ।

जनपद शाहजहांपुर के मीरानपुर थानान्तर्गत जय श्री साड़ी इम्पोरियम की दुकान में घटिया चोरी की घटना की सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच एवं पुलिसजनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

169–श्री सुन्दर लाल––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना-मीरानपुर में जय श्री साड़ी इम्पोरियम की दुकान में 65000 रु० की चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना-कटरा में 218/87 धारा-457-380 भा० दं० सं० पंजीकृत है इसकी विवेचना स्थानीय पुलिस तथा एस० एस० आई० एस० एजेंसी तथा बरेली जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई इसके पश्चात् उच्च स्तर की सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा भी जांच की जा रही है ? इस चोरी में थाना-कटरा की पुलिस द्वारा कितने मुल्जिम पकड़े गये तथा कब ? शासन द्वारा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह––

जी हां ।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने पर अपराध को असत्य पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर दिनांक 12-1-88 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट को रोक कर विवेचना एस० आई० एस० को सौंपी गयी और उनके द्वारा भी दिनांक 5-12-80 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर प्रश्नगत विवेचना को पुनः नये सिरे से करने के लिये एस० आई० एस० को निर्देश दिये गये ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा करायी गयी । सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा प्रेषित अंतिम जांच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि यह घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी हो चुकी है ।

इस चोरी में थाना-कटरा की पुलिस द्वारा न तो किसी को हिरासत में लिया गया है और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया है ।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही न करने के लिये उपनिरीक्षक श्री यतेश कुमार पुनियां, हेड कांसटेबिल श्री यादराम सिंह, उपनिरीक्षक श्री आनन्द प्रकाश तथा कांसटेबिल राम दयाल प्रसाद को दोषी

पाया गया था जिसके आधार पर श्री पुनियां को दुष्चरित्र प्रविष्टि प्रदत्त की गयी, उपनिरीक्षक श्री आनन्द प्रकाश का स्थानान्तरण कर दिया गया, राम दयाल प्रसाद के विरुद्ध आरोप के प्रमाणित न होने पर दोषमुक्त कर दिया गया तथा श्री यादराम सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो पायी ।

जनपद बांदा के थाना रैपुरा के श्री कंचन सिंह पुत्र श्री मिठाई लाल निवासी ग्राम मगरहाई के क्षेत्राधिकारी, कर्वी बांदा द्वारा अपहरण के आरोप की विवेचना

170–श्री राम प्रसाद सिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा तहसील कर्वी थाना रैपुरा अंतर्गत गांव मगरहाई के श्री मिठाई लाल का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ उनके पुत्र कंचन सिंह को क्षेत्राधिकारी, पुलिस कर्वी द्वारा दिनांक जून, 16-17 सन् 1991 को पकड़कर गायब करने सम्बन्धी व दिनांक 3-9-91 को रिहाई/अपहृत को छुड़ाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को प्राप्त हुये है जो कि पुलिस अधीक्षक, बांदा को उपयुक्त कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या संलग्न शिकायती पत्रों में अपर मुख्य दण्डाधिकारी, कर्वी का आदेश मुकदमा कायम करके विवेचना करने संबंधी भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अपर मुख्य दण्डाधिकारी, कर्वी के आदेशानुसार थाना कर्वी में मुकदमा रजिस्ट्रीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कब और किन धाराओं में ? उक्त मुकदमें की विवेचना किसके द्वारा की जा रही है ? क्या इस प्रकरण में आरोप तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कर्वी के ऊपर हैं ? यदि हां, तो जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

पुलिस अधीक्षक, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार माननीय राज्यपाल के निजी सचिव के पत्र संख्या-4562/पी-एस० एच०ई०(2) दिनांक 6-9-91 के साथ केवल प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 3-9-91 उन्हें प्राप्त हुआ है । इसके साथ श्री मिठाई लाल निवासी मगरहाई थाना रैपुरा बांदा का कोई शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक बांदा के अनुसार उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्नगत प्रकरण की जांच श्री अशोक कुमार अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई । जांचकर्ता अधिकारी द्वारा श्री मिठाई लाल निवासी मगरहाई को अनेकों बार बुलाया गया एवं उसके गांव जाकर सम्पर्क का प्रयास किया गया परन्तु वह उपलब्ध नहीं हुआ ।

थाना कर्वी के अभिलेखों के अनुसार श्री मिठाई लाल पुत्र श्री रामेश्वर निवासी मगरहाई थाना रैपुरा द्वारा अपर मुख्य दण्डाधिकारी कर्वी के न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आदेश संबंधी कोई प्रविष्टि नहीं मिल सकी है और न इस संबंध में पूर्व में थाना कर्वी में कोई मुकदमा ही पंजीकृत हुआ है परन्तु मुख्य दण्डाधिकारी कर्वी के न्यायालय से जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जानकारी की गयी तो यह ज्ञात हुआ कि उनके यहां से मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश जारी हुआ है, जिसकी प्रतिलिपि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी है । आदेश की उक्त प्रति से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा प्रभारी निरीक्षक कर्वी के लिए अभियोग पंजीकृत कराने हेतु आदेश जारी किया गया है ।

माननीय न्यायालय के आदेश एवं जांचकर्ता अधिकारी की संस्तुति के आधार पर थाना कोतवाली नगर बांदा में अ० सं० शून्य धारा 342 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है एवं संबंधित प्रपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना कर्वी भेज दिये गये हैं । इस अभियोग की विवेचना पुलिस

उपाधीक्षक, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री बलिकरन सिंह को आवंटित करते हुए उन्हें यह निर्देश दिये गये हैं कि वे इस अपराध की विवेचना को निष्पक्षता से शीघ्र पूर्ण करें ।

जनपद शाहजहांपुर स्थित पिपरौल में बिन्दल एग्रो केमि० लि० की खाद फैक्ट्री के गार्डों द्वारा घायल किये गये श्री लखपत राम की माली के पद पर नियुक्ति

171–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 1991 को जनपद शाहजहांपुर स्थित पिपरौल में बिन्दल एग्रो केमि० लि० की खाद फैक्ट्री में कार्यरत गार्ड ने श्री लखपत नामक हरिजन को गोली मार कर घायल कर दिया था ? क्या उक्त फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, पूर्व डी० आई० जी० पुलिस हैं ? यदि हां, तो क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर घायल के परिवार से बयान हल्फी लिखवा ली है ? यदि हां, तो फैक्ट्री गार्ड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त गार्ड के विरुद्ध धारा-307 का अभियोग दर्ज कराकर जेल भिजवायेंगे और घायल परिवार के आश्रित को उक्त फैक्ट्री में नियुक्त कराकर उसे मुआवजा दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां, उक्त फैक्ट्री के जनरल मैनेजर पूर्व डी० आई० जी० पुलिस हैं, किन्तु यह सत्य नहीं है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर घायल के परिवार से बयान हल्फी लिखवा ली है ।

वादी की सूचना पर थाना कांट पर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा-147/148/149/307/34 के अन्तर्गत अभियोग संख्या-11/91 पंजीकृत किया गया तथा बिन्दल फैक्ट्री के अभियुक्तगण ऋषिपाल सिंह व फतेह बहादुर सिंह, सिक्योरिटी आफिसर हाजिर न्यायालय होकर जेल गये थे तथा इस समय जमानत पर हैं । उक्त अभियोग अभी विवेचनाधीन है ।

घायल श्री लखपत पुत्र कल्याण, ग्राम किसुरहाई, थाना कांट को दिनांक 19-3-92 को रु० 900 प्रतिमाह वेतन पर माली के पद पर नियुक्त किया जा चुका है । फैक्ट्री द्वारा मुआवजा की धनराशि स्वीकृत किये जाने का कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है ।

172–श्री अंगद सिंह यादव–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बदायूं के थाना मुसाझाग के श्रीमती चमेली देवी निवासिनी ग्राम सकतपुर के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था

173–श्री हरदेव सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बदायूं के थाना-मूसाझाग में स्थित ग्राम-सकतपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की सरेआम गोली मार कर हत्या दिनांक 6-11-1991 को कर दी गयी थी, उसमें स्थानीय पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक परिवार की विधवा श्रीमती चमेली देवी की क्या सुरक्षा व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में दिनांक 6-11-91 को श्रीमती चमेली देवी द्वारा थाना-मूसाझाग पर दी गयी सूचना के आधार पर 7 अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध संख्या-221/91 धारा-147/148/149/302 भा० दं० वि० पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी । प्रथम सूचना में अंकित सभी नामजद सात अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया । दिनांक 15-10-90, 27-3-91 तथा 8-4-91 को दोनों पक्षों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107/116(3) के अन्तर्गत चालान कर पाबन्द मुचलका कराया गया तथा श्रीमती चमेली देवी जब अपने ग्राम सकतपुर बेला आती हैं तो उन्हें तथा उनके परिवार की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाती है । उनके मृत पुत्रों को पूर्व में स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस, पुत्र बंधुओं के नाम कर दिये गये हैं ।

प्रदेश में पुलिस विभाग में कार्यरत कुक एवं कहारों को चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान देने एवं आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

174–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक थानों में जो खाना बनाने वाले रसोइया/पानी भरने वाले नियुक्त हैं उनका वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर है । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसमें अनु० जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक यह आरक्षण कोटा पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार शासन के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अंशकालिक 733 कुक एवं 733 कहार नियत वेतन क्रमशः 650 रुपये एवं 450 रुपये पर ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभारी द्वारा नियुक्त होकर थानों पर मेस के स्टाफ हेतु कार्यरत हैं । इन अंशकालिक कुक एवं कहारों को रेगुलर वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा 24 जनपदों में पूर्ण है । शेष 31 जनपदों में शासन की नीतियों के अनुसार अभ्यर्थी न मिलने की दशा में कोटा पूर्ण नहीं किया जा सका है । तीन जनपदों में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है और 5 जनपदों में सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के संकिसा नामक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल का अतिक्रमण करने के विरुद्ध जांच

175–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में संकिसा नामक स्थान एक ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल है ? यदि हां, तो कितना क्षेत्रफल पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत आता है और सरकार ने उसको सुरक्षित रखने की क्या व्यवस्था की है ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बौद्ध स्तूप जहां पर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां गाड़ी गई थीं, वहां पर दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा अतिक्रमण करके, लोहे का गेट लगाकर व अन्य धर्मों के देवी-देवताओं की मूर्तियां रखकर बौद्ध तीर्थ यात्रियों एवं बौद्ध भिक्षुओं का प्रवेश रोक दिया गया है ? क्या यह भी सच है कि यहां पर बलात्

विद्यालय चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने अवैधानिक कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां पर बौद्ध भिक्षुओं एवं विदेशी बौद्ध तीर्थ यात्रियों पर हमले किये गये जिसकी शिकायत जिला प्रशासन फर्रुखाबाद को 1987, 1988, 1990 एवं वर्ष 1991 में की गयी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी हां ।

पुरातत्व विभाग के अधीन प्रश्नगत तीर्थ स्थल का 4.81 एकड़ क्षेत्रफल है । सुरक्षा की दृष्टि से बौद्ध स्तूप के चारों ओर कटीले तारों की बाड़ लगी हुई है तथा पुरातत्व विभाग द्वारा एक चौकीदार भी तैनात है ।

इस संबंध में जांच करायी जा रही है ।

बौद्ध स्तूप परिसर में कोई विद्यालय नहीं चलाया जा रहा है अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

इसकी जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

176–श्री अभिमन्यु सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बांदा के मेसर्स हसन एण्ड सन्स, बांदा के ट्रांसपोर्ट में रखे 20,000 कारतूसों को माल खाने में रखवाने के आदेश

177–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मे० अजहर हसन एण्ड सन्स, बांदा के 20,000 कारतूस ट्रांसपोर्ट मे लगभग 8-10 महीने से पड़े हैं जिसकी सूचना अनेकों बार फर्म द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी जा चुकी है ? माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत आज तक जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने कारतूस को सेफ कस्टडी में क्यों नहीं रखवाया ? क्या कारतूसों की इतनी बड़ी मात्रा का ट्रांसपोर्ट में बांदा जैसे जिले में सुरक्षित रह सकते हैं ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार शस्त्र व्यवसायी ने दिनांक 10-6-91 एवं 4-7-91 को सूचित किया कि उनके क्रमशः 10,000 व 10,000 कारतूस कुल 20,000 कारतूस ट्रांसपोर्ट में हैं जिन्हें मालखाने में रखवा दिया जाय ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जिला मजिस्ट्रेट को कारतूसों को सेफ कस्टडी में रखवाने के आदेश नहीं दिये गये थे बल्कि व्यवसायी को दिये थे । जिला मजिट्रेट द्वारा उक्त कारतूसों को फार्म 14

के जनपद बांदा स्थित किसी शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा करने के आदेश दिनांक 13-8-91 को किये गये तथा इस आशय की नोटिस लाइसेंसी को निर्गत की गयी । दुकान बन्द होने के कारण नोटिस उस पर तामील नहीं हो सकी । फलतः लाइसेंसी के फतेहपुर स्थित आवास पर सूचित किया गया । लाइसेंसी का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त कारतूसों को मालखाने में जमा कराने के आदेश दे दिये गये हैं । चूंकि कार्यवाही प्रचलित है अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के मे० अजहर हसन एण्ड सन्स शस्त्र विक्रेता की दुकान पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा सील किये जाने की जानकारी

178–श्री ओम प्रकाश (बिजनौर)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में मे० अजहर हसन एण्ड सन्स शस्त्र विक्रेता की दुकान पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष सील की गयी ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत पुलिस इन्सपेक्टर ने उक्त दुकान सील की ? क्या पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा सील का नमूना कागज में लेकर उस पर लाइसेंसी के हस्ताक्षर लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शस्त्र की दुकान की चाबी, पुलिस इन्सपेक्टर को अपने साथ ले जाने के अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो शासन इस संबंध में उक्त पुलिस इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा ? क्या यह भी सत्य है कि पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा नई स्कूटर को भी दुकान के अन्दर लगभग 20 महीने से बन्द कर रखा गया है ? यदि हाँ, तो किस अपराध में वह प्रयुक्त थी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । आयुध नियमावली, 1962 के नियम 27 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत इन्सपेक्टर द्वारा शस्त्र व्यवसायी की दुकान का निरीक्षण किया गया । अनियमितता पाये जाने पर इन्सपेक्टर द्वारा शस्त्र व्यवसायी की उक्त दुकान सील की गयी ।

जी नहीं ।

चूंकि दुकान लाइसेंसी श्री अनीस की उपस्थिति में सील मुहर की गयी थी अतः इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

दुकान को सील किये जाने की दशा में चाबी की सुरक्षा की दृष्टि से थाना कोतवाली, बांदा के रोजनामचा में रिपोर्ट कर चाबी सदर मालखाना में जमा की गयी । अतः पुलिस इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राप्त सूचनानुसार अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं है ।

179–श्री राम पाल सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद बांदा के सी० ओ० थाना कर्वी द्वारा श्री राजबहादुर सिंह के विरुद्ध गैंगेस्टर के दर्ज मुकदमे की जांच की मांग

180–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के तहसील/थाना कर्वी के श्री राजबहादुर सिंह के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित दिनांक 3-12-90 व 8-12-90 एवं 7-2-91 को मुख्य मंत्री उ० प्र०, डी० जी० पी० लखनऊ, आई० जी० इलाहाबाद, डी० आई० जी० झांसी, जिलाधिकारी, बांदा व पुलिस अधीक्षक बांदा को अलग-अलग प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन शिकायती-पत्रों पर अलग-अलग किसने, क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि इन शिकायती पत्रों में संबंधित सी० ओ० कर्वी द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में चालान को धमकी का जिक्र था ? यदि हां, तो क्या संबंधित सी० ओ० कर्वी द्वारा गैंगेस्टर की कार्यवाही श्री सिंह के विरुद्ध की गयी है ? यदि हां, तो कब तथा इसका क्या औचित्य है ? क्या गैंगेस्टर के मुकदमे कायम किये जाने की जांच होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बरेली में स्थित सी० एम० ओ० निवास के अहाते में पट्टे पर दी गयी भूमि का पट्टा निरस्त किये जाने का प्रयास

181–श्री प्रमोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बरेली स्थित सी० एम० ओ० निवास के अहाते में बहुत बड़ी भूमि है जिस पर भू-माफिया की नजर टिकी हुई है और किसी भी सूरत से उसे हथियाना चाहते हैं ? यदि हां, तो इस भूमि को भू-माफिया से बचाने के लिए सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बरेली में स्थित सी० एम० ओ० की कोठी के अहाते में लगभग 3.5 एकड़ भूमि वर्ष 1932 में राज्य सरकार द्वारा श्री हाजी मोहम्मद खां पुत्र श्री इनायतुल्ला खां निवासी मो० कटरा चांद बरेली को 99 वर्ष के पट्टे पर इस शर्त के साथ दी गयी थी कि वे इस भूमि पर सिविल सर्जन के निवास हेतु भवन निर्माण करके रुपये 150 प्रतिमाह किराये पर 99 वर्ष के लिए सरकार को सब-लेट करेंगे । तब से यह भवन स्वास्थ्य विभाग के पास किराये पर है । पट्टेदारों ने दिनांक 18-4-90 को भूमि तथा भवन खाली कराने की नोटिस मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया था । इस संबंध में उ० प्र० शासन, चिकित्सा विभाग ने अपने पत्र संख्या दिनांक 29-11-90 द्वारा प्रश्नगत भवन व भूमि खाली न किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली को दिये हैं । वर्तमान में उक्त भूमि के पट्टेदारों ने अपने-अपने आधे भाग का इकरारनामा वय कतिपय व्यक्तियों के पक्ष में क्रमशः दिनांक 23-2-89 व 24-2-89 को किया है । उक्त पट्टेदारों के पट्टे निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(12 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

प्रश्नकाल की शेष अवधि को समाप्त करके हरिद्वार की घटना पर चर्चा कराये जाने के संबंध में नेता विरोधी दल का प्रस्ताव

(समय 12 बजे)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रस्ताव करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि अब सदन की कार्यवाही स्थगित करके इस गम्भीर विषय पर 311 में चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही स्थगित करके तो मैं नहीं कहूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

प्रश्नकाल की शेष अवधि को समाप्त करके।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल का यह सुझाव कि प्रश्नकाल की शेष अवधि को समाप्त करके अब हरिद्वार की घटना पर माननीय विभिन्न दलों के नेतागण और आप लोगों के विचार आ जायं इस पर आपको क्या कहना है।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, वैसे तो प्रश्न प्रहर बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रतिपक्ष का ही यह प्रश्न प्रहर होता है हम तो शासन की नीति स्पष्ट करते हैं। अगर वह चाहते हैं कि प्रश्न प्रहर न हो तो ठीक है लेकिन यह कोई परिपाटी न बने कोई पूर्व दृष्टान्त न बने। मान्यवर, 311 में इस प्रकार से प्रश्न प्रहर को समाप्त करके चर्चा कराना संसदीय परिपाटी के हित में नहीं है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप चर्चा करा दें, चर्चा को ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेतागण के विचार आ जायं बिना परिपाटी बनाये हुए बिना पूर्व दृष्टांत बनाये हुए।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना इस प्रदेश में घटित हुई है, कल ही इस सदन में माननीय प्रमोद तिवारी जी ने इस तरह की 6 लोगों की हत्या के सम्बन्ध में सूचना दी थी और उन्होंने अपनी बात कही थी। मान्यवर, सामान्य रूप से जब से यह सरकार इस प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है तब से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रायः समाप्त हो गयी है और अगर अच्छी हो गयी है मेजर साहब तो साढ़े चार सौ लोग 10 माह में आतंकवाद के शिकार हुए हैं सम्भवतः साढ़े चार सौ लोग पंजाब में भी आतंकवाद के शिकार नहीं हुए हैं क्या यह स्थिति अच्छी मानी जायेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस प्रदेश में आतंकवादियों ने हरिद्वार मेले के पहले कुम्भ मेले के पहले चेतावनी दी थी कि हम हरिद्वार मेले में जरूर आक्रमण करेंगे तो इनके बी० जे० पी० के लोग, इनके मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि यहां पर कोई भी घटना मेले में नहीं घटने पायेगी। मान्यवर, सी० आर० पी०, पी० ए० सी०, बी० एस० एफ० सब कुछ लगाने के बाद वहां पर 10 लोगों की हत्या कर दी गयी और यह घटना अभूतपूर्व इसलिये भी है कि पहली बार जिस तरह से पंजाब में हो रहा था बसों से उतारकर लोगों को खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया, 10 लोग मारे गये हैं और 40 लोग घायल हैं जिनमें से कई लोग आज भी जो स्थिति मुझे पता चली है, वह भी दम तोड़ देंगे मान्यवर, यह सरकार करना क्या चाहती है, कैसी सरकार है, इस सरकार के बारे में जनता को आश्वासन दिया था, यह आपकी परिकल्पना है रामराज की और खुले आम लोग मारे जा रहे हैं। आज आप उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जबकि सदन में बयान करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगा दी गयी है। इसी तरह से 100 लोग रामनगर और नैनीताल में मार दिये गये थे। इतने ज्यादा लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, जितने पंजाब में भी नहीं होंगे। मुख्य मंत्री बार-बार सदन में कहते हैं कि इसको गम्भीरता से ले रहे हैं। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई जनरल बयान दे कि फौज बहादुरी से लड़ रही है लेकिन हम पीछे हटते जा रहे हैं। आज कुम्भ मेला खत्म हो गया है लेकिन तीर्थयात्री वहां हैं। वहां पर कहीं कोई दूसरी घटना न घट जाय। जैसा हर मोर्चे पर हुआ है, सरकार विफल हो रही है। आतंकवादी घटनाओं से 450 से ज्यादा लोग इस प्रदेश में पिछले 10 महीनों में, इनके रामराज्य में, मारे गये हैं। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती है। इस सरकार को एक मिनट भी शासन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और फिर से चुनाव की मांग करनी चाहिए।

हमारी पार्टी के नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने डाकुओं का सफाया करने के बाद जब उनके भाई स्वर्गीय सी० पी० सिंह की हत्या हो गयी थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। एक परम्परा बनायी थी। आप राम राज्य की दुहाई देते हैं। अगर नैतिक चरित्र है तो इस्तीफा देना चाहिए और फिर से चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। दस महीने के कार्यकाल में जो कुछ भी इस प्रदेश की जनता के साथ किया है उतना बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ है। एक आग्रह है कि सम्मानित नेताओं को सुनें ही लेकिन जिन सम्मानित सदस्यों ने नोटिस दी है उनके अधिकार का हनन इसलिये न हो जाय कि नेतागण बोल लिये और उनकी बारी नहीं आयी। आप सामान्यतः जैसे बुलवाते हैं उसमें थोड़ी सी छूट देकर दो-दो मिनट सुने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं विचार करूंगा। जिन्होंने सूचना नहीं दी है उनको नहीं सुनूंगा लेकिन जिन्होंने सूचना दी है वे अपनी बात दोहरायें नहीं। उनको सुन लूंगा।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, कल आप इस पीठ पर विराजमान नहीं थे, उपाध्यक्ष महोदय इस पीठ पर थे और मैंने कल नियम-56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और सरकार को यह बताया था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आतंकवादियों ने रुद्रपुर में छः लोगों की हत्या कर दी है, उस पर मैंने सरकार को सूचित किया था कि आपकी लापरवाही से, आपकी कमजोरी से तथा आपकी गलत नीतियों के कारण आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और जनजीवन आतंक के साये में जी रहा है। उस समय गृह राज्य मंत्री ने यह जवाब दिया था कि हम पूरी ताकत के साथ आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। अभी उनकी आवाज की खनक खत्म भी नहीं हो पायी थी कि कल दस लोगों को हत्या बस से उतारकर, उन्हें खींच कर, एक लाइन में खड़ा करके मार दिया, जिसमें 9 लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया, एक व्यक्ति अस्पताल में मरा और 35 लोग घायल हैं, जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह बच पायेंगे या नहीं बच पायेंगे।

मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि आजादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बस में यात्रा करने वाली निरीह लोगों को बस से खींच कर आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। यह घटना उस क्षेत्र की है जो सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है। वहां पर कुम्भ मेला लगा हुआ था और सरकार ने अपनी सारी ताकत कुम्भ मेले में झोंक रखी थी। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आतंकवादियों ने इतनी बड़ी वारदात इतने चलते फिरते रास्ते पर की और उसके बाद भी वह सुरक्षित निकल कर भाग गये और पुलिस उन्हें देखती रही। दूसरी दुखद बात यह है कि वहां पर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस तरह से घटना की आशंका थी और जब इस प्रकार की आशंका थी तो फिर भय मुक्त समाज का दावा करने वाली यह सरकार की पुलिस कहां सो रही थी। मान्यवर, इतने निरीह लोगों की हत्या होती है और पुलिस वहां पर घंटों बाद पहुंचती है तो यह पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिह्न है। मान्यवर, वह क्षेत्र सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र था और वहां पर भी इस तरह की घटना हो गयी है तो यह आजादी के बाद की पहली घटना है जब बस से उतारकर लोगों को मारा गया और इसके साथ ही साथ एक अत्यन्त दुखदपूर्ण स्थिति है, और वह यह है कि जहां पर यह घटना हुई है उस स्थान पर इसके पूर्व कोई और घटना नहीं हुई थी। मान्यवर, आज आतंकवादी गतिविधियां सिर क्यों उठा रही हैं उसका एक मात्र कारण यह है कि आज जो सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है, यह सरकार आतंकवादी तत्वों को पोषित करने वाली है और यह संविधान की रक्षा नहीं कर पा रही है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रही है यह धर्म के नाम पर उग्रवादी को बढ़ावा दे रहीं है। चूंकि उग्रवादी ताकतों को बढ़ावा दे रही है इसलिये इसमें प्रदेश की निरीह जनता इनकी गोलियों का निशाना बन रही है, उनको गोलियों से भूना जा रहा है। मान्यवर, आज इनमें जरा भी नैतिकता नहीं रह गयी है, इन्होंने कहा कि हमारे पास सैन्य बलों की कमी है, यदि इनके पास कमी होती तो यह विधान सभा में एक प्रस्ताव लाते लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भी केन्द्र सरकार ने सैन्य बल और हथियार उपलब्ध कराये हैं, पिछले दो महीने से यह सरकार चल रही है, मेरी निश्चित जानकारी में है, आज विधान सभा में नीचे चले जाइये जो सुरक्षा के लिये साधन और हथियार उपलब्ध कराये गये हैं, आतंकवादियों से लड़ने के लिये, उन सभी को यह अपनी जिप्सी में रखकर अपने साथ रखते हैं और उसे लेकर यह शादी ब्याहों में जाते हैं। आज इनकी स्थिति यह हो गयी है कि इनमें आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ने की इच्छा नहीं रह गयी है। मुख्य मंत्री ने यह दावा किया था कि नानकपत्ता में एक भी आतंकवादी नहीं है, वहां पर कोई भी आतंकवादी कार्यवाही नहीं हो रही है और हमने डी० जी० को भेजा है और जो उसकी रिपोर्ट आयी है उसमें यह कहा गया है कि आतंकवाद नाम की कोई चीज यहां पर नहीं है लेकिन आज हो क्या रहा है। आज उत्तर प्रदेश की निरीह जनता को गोलियों से भूना जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि या तो यह सत्ता में बने रहें और अगर सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो इन्हें आतंकवादियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना

घटित होगी, जिसमें जनता का बलिदान होगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए । आज इनको प्रेरणा लेनी होगी स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से, स्व० राजीव गांधी जी से जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते-लड़ते अपनी जान तक कुर्बान कर दी मगर आतंकवाद के सामने अपना सर तक न झुकाया । आज इसके दो कारण हो सकते हैं– एक तो इनके उग्रवादी स्वरूप के कारण और दूसरा आतंकवाद के सामने घुटने टेक देने के कारण और तीसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जब तूफान आता है तो टिटहरी एक पक्षी है, जो अपना सर नीचे कर लेता और पांव आसमान में कर देता है ताकि अगर आसमान फूट पड़े तो वह पांवों से उसे रोक सके । आज इनकी स्थिति भी उसी टिटहरी की तरह हो गयी है यह सच्चाई से आंख मूंदकर सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, उसके अलावा इन्हें सुरक्षा की कोई चिन्ता नहीं है । आज पूरा प्रदेश आतंकवाद की चपेट में जल रहाहै और यह केवल बयानबाजी कर रहे हैं । अन्त में मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि सरकार पर मुझे विश्वास नहीं है, इसलिये नहीं है कि सरकार में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, अगर इनमें जरा भी नैतिकता हो तो पूर्व उदाहरणों को कहीं से ग्राह्य करते हुए त्यागपत्र देकर जनता के बीच में जाते, यहीं उन लोगों के लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी । यह जनता के बीच में जाकर देख लें, इन्हें पता लग जायेगा कि कानून व्यवस्था इन्होंने और बिगाड़ी है या नहीं । आज इस महत्वपूर्ण घटना पर माननीय मुख्य मंत्री जी को सदन में मौजूद रहना चाहिए था और वह बताते कि प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्य मंत्री में भी इतना साहस नहीं है कि वह हम लोगों को विश्वास में ले सकें । अभी वहीं एक रटा-रटाया जवाब आ जायेगा कि हम बड़ी प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं । मान्यवर, अप्रैल महीने में 40 लोगों की हत्यायें हुई हैं और पिछले 10 महीनों में 500 ज्यादा लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं आखिर उत्तर प्रदेश की निरीह जनता कब तक अपनी जान से हाथ धोती रहेगी ।

मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कृपया हम सब लोगों की भावनाओं से राज्यपाल महोदय को अवगत कराये और तत्काल इस सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करें । इस सरकार को एक मिनट भी अपने स्थान पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है । नैतिकता के नाते इनको तुरन्त त्याग-पत्र दे देना चाहिए । इस विषय पर केवल नेताओं को ही न सुने, यह विषय अब किसी एक का नहीं रह गया है, यह विषय पूरे प्रदेश का है इसलिये जो सम्मानित सदस्य विशेष रूप से पश्चिम व उत्तरांचल के जो बोलना चाहे, उनको भी अवश्य सुन लें और इस विषय पर आप सरकार न सुनें क्योंकि इनको सुनने से कोई फायदा नहीं है, यह अभी कह देंगे कि हम बड़ा विचार कर रहे हैं मान्यवर, रोम जल रहा था और न्यूरो बांसुरी बजा रहा था, इस तरह की इनकी स्थिति है । मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें और सरकार को तुरन्त बर्खास्त करने की सिफारिश करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, [illegible] हरिद्वार-दिल्ली मार्ग पर बड़ी लोमहर्षक घटना घटी । शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में [illegible] घटना है कि रोडवेज की बस से उतार कर लाइन में खड़ा करके लोगों को गोलियों से भून दिया गया । आप भी इस बात से आश्वस्त होंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति इस कदर बदतर हो गयी है कि लोग बसों से उतारे जायें, लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाय । मान्यवर, हम पंजाब के बारे में सुना करते थे, लोगों को बसों से उतारा गया, खेतों में ले जाकर और [illegible] से भून दिया । मेरी समझ में यह आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का

तराई का इलाका मिनी पंजाब बन गया है और यदि समय रहते, यह सरकार चेतना में नहीं आयी तो उत्तर प्रदेश का सारा इलाका आतंकवाद में डूब जायेगा। मेरी यह जानकारी में आया कि आतंकवादी इलाकों में कई पुलिस चौकियां बंद कर दी गयी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सुल्तानपुर, बाजपुर, टांडा की पुलिस चौकियों को बंद कर दिया गया है। आखिर सुरक्षा का सवाल है, यह निरीह ग्रामीण जनता अपनी फरियाद लेकर कहां जायेगी ? आपने पुलिस चौकियों को इसलिये बन्द कर दिया क्योंकि आपकी पुलिस के लोग वहां काम करने में असमर्थ थे, लोगों के पास हथियार नहीं थे।

मान्यवर, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद यह तीनों शब्द ऐसे प्रचलित हो गये हैं जिनकी परिभाषा करना मुश्किल हो गया है। जिला लखीमपुर खीरी निघासन तहसील के सम्पूर्णानगर थाने में 6 फीट ऊंची दीवार बना दी गयी और वहां लिखकर टांग दिया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर शाम 6 बजे के बाद न आये। मान्यवर, आप सोचें कि जब पुलिस थाने के दरवाजे पर यह लिखा होगा तो मैं समझता हूं कि कानून और व्यवस्था का स्थिति इससे ज्यादा बदतर नहीं हो सकती। आप वहां जाकर देख लें। मान्यवर, काशीपुर में बमकांड हुआ था, उसकी जांच कमेटी में मैं भी गया था। मुझे मालूम हुआ कि पुलिस के लोग वहां अपनी वर्दी उतारकर सादी वर्दी में घूमते हैं। कुछ साल वहां कोई कालेज सनातन धर्म के नाम से है, जब मैं वहां के डाक बंगले में बैठा था, किसी महिला ने वहां बम रख दिया, इस पर वहां के सारे कालेज बन्द कर दिये गये। मैंने पुलिस वालों से कहा कि आप लोग जाकर देखें कि सच्चाई क्या है, तब सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले वहां गये। श्रीमन्, मैं तो कहना चाहूंगा कि हम लोग जन प्रतिनिधि हैं और तराई के लोगों को भी ओ० रेडो-गनर दिये गये हैं, शाम के बाद जब वह लोग घर जाते हैं तो वह भी अपनी वर्दी उतारकर सादी वर्दी में जाते हैं। आतंकवाद की समस्या बड़ी प्रबल है। पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आतंकवाद लखनऊ के दारुलशफा तक आ गया है। तो फिर आप कब चेतेंगे। पानी गले से ऊपर आ गया है। इसके बाद भी यदि आप इस पर गम्भीरता से नहीं सोचते हैं तो आपको सरकार में रहने का कोई भी नैतिक दायित्व नहीं रह जाता है। हरिद्वार तो एक पवित्र स्थली है और आतंकवादियों ने पहले से ही कह रखा था कि हम यहां कुछ कांड अवश्य करेंगे। लोगों को बसों से उतारकर मारा गया जिसमें महिलायें भी हैं और बच्चे भी हैं। यह एक जघन्य अपराध हुआ है। सरकार चाहे किसी की भी हो आतंकवाद को रोकने के लिये प्रभावी कदम अवश्य उठाये जाने चाहिए। आज पत्रकारों पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं मैं बनारस का जिक्र करना चाहूंगा। हमारे पी० टी० आई० के ब्यूरो चीफ श्री कविन्द्र नरायण जी पर प्राण घातक हमला हुआ, कुमारी सरोज सिन्हा जो एक दैनिक सान्ध्य की रिपोर्टर हैं, को जान से मारने की धमकी दी गयी और जागरण के पत्रकार पर हमला हुआ। हमलों में शारीरिक संघातिक चोटें पहुंचाई गयीं। पुलिस को कानून व्यवस्था सुधारने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए परन्तु कार्यवाही करना तो दूर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मेरे एक आवेदन पत्र पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने 24 मार्च को आदेश किये कि आर्य प्रतिनिधि सभा में सुरक्षा व्यवस्था की जाय। इस कागज को यहां से एक किलोमीटर दूर एस० एस० पी० के कार्यालय में जाना था जो आज तक नहीं पहुंचा है, तो इसी प्रकार आतंकवाद की समस्या से निपटने का उनका आदेश इनकी सरकार गिराने के बाद ही पहुंचेगा। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है। मैं सरकार से इस्तीफा देने की बात इसलिये नहीं करता, न मेरे कहने से यह इस्तीफा देंगे और न स्वयं ही हटेंगे। इस्तीफा मांगने से मात्र एक परम्परा का निर्वाह हो जाता है इसलिये माननीय अध्यक्ष जी हमारी इन भावनाओं को आप अवश्य राज्यपाल महोदय तक जरूर पहुंचा दें और यह सिफारिश करें कि आतंकवाद के साथ ही साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में यह सरकार अक्षम व असफल

हुई है इसलिये इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । मैं यह भी मांग करता हूं कि जो निरीह प्राणी, जिनका कोई दोष नहीं था, इस घटना में मारे गये हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और जो घायल हैं उनकी उचित सहायता की जाय ।

श्रीमन्, मैं स्वयं अपनी ओर से मारे गये इन लोगों के प्रति शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि प्रदेश में यह अपनी तरह की पहली घटना हुई है । माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने एक अच्छी व्यवस्था दी कि इस विषय पर सारे माननीय नेता व माननीय सदस्य जो अपना विचार रखना चाहें रख सकते हैं । सत्ता पक्ष के लोग भी वाकिफ होंगे कि आज आतंकवाद की छाया केवल विपक्षी लोगों के ऊपर नहीं मंडरा रही अपितु सत्ता पक्ष के आदमियों पर भी इसका प्रहार हो सकता है । यह एक उभयनिष्ठ समस्या है । मैं अभी बिजनौर, नजीबाबाद व धामपुर की ओर गया था, मुझे मालूम हुआ कि आपने एक गुप्त आदेश कर रखा है कि सड़कों के किनारे गन्ना, अरहर व मक्का न बोई जाय क्योंकि इनमें आतंकवादी छिप जाते हैं । क्या गन्ना, अरहर व मक्का न बोने से आप आतंकवादियों के छिपने पर अंकुश लगा सकते हैं इसके लिये तो आपको फोर्स को तैयार करना होगा । राजा परीक्षित ने तो इतनी भारी व्यवस्था कर रखी थी फिर भी सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गयी थी । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने नियोजन के बारे में एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें सभी विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया था उसी प्रकार आतंकवाद की समस्या के निवारण हेतु एक सर्वदलीय बैठक बुलाने हेतु आप निर्णय लें । हम लोग चाहते हैं कि हमारी राय आप लेना चाहेंगे, हमसे पूछना चाहेंगे कि आतंकवाद का मुकाबला कैसे हो, तो हम भी सहयोग देने के लिये तैयार हैं । यह इतना महत्वपूर्ण मसला है कि इस पर सारे सदस्यों को सुनें, आपने सारी कार्यवाही रोककर सुनने की यह व्यवस्था की है इसका हम आदर करते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर पूरी चर्चा कराई जाय । आतंकवाद का सफाया करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है, हम मांग कर रहे हैं कि कोई भी ठोस कदम उठाये जायं, यह घटना आज वहां हुई है, कल लखनऊ में होगी, तीसरे दिन किसी तीसरे जिले में होगी, तो यह बढ़ता ही रहेगा । तराई क्षेत्र में अभी चकबन्दी नहीं हुई है, हजारों-हजार एकड़ खेत लोगों के पास हैं । जो रेवेन्यू अधिकारी वहां जाते हैं, उनका अपहरण कर लिया जाता है । जितने बड़े-बड़े फार्म बने हुए हैं बड़े से बड़ा अधिकारी चला जाय उसको कोई पूछने वाला नहीं है । तो आप उसे सीलिंग ऐक्ट में लायें और लोगों के पास कम जमीन रहे ताकि जो बड़े-बड़े छुपने के स्थान हैं उनमें कमी आये, यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इस पर व्यवस्था देने के लिये सरकार को निर्देश दें कि आतंकवाद का सफाया करने के लिये यह लोग कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप बोलेंगे या माननीय मुलायम सिंह जी बोलेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

यही बोलेंगे– नेता तो हमारे यही हैं ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मुलायम सिंह जी देश के नेता है । श्रीमन्, जो राष्ट्रीय समस्यायें होती हैं, उन पर राजनीतिक टकराव की भाषा या राजनैतिक प्रतिस्पर्द्धा से बहस करने से समस्या का हल नहीं हो सकता है । तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, इस समय जो पूरे प्रदेश में गम्भीर से गम्भीर समस्या है उसमें भी यह सरकार राजनैतिक लाभ का दृष्टिकोण लेती है और उसी तरह की भाषा का भी इस्तेमाल करती है । संवेदनशील मामलों को भी हल्के ढंग से लिया जाता है।

श्रीमन्, यह समस्या ऐसी है कि जिसका समाधान करने के लिये सरकार को विपक्षी दलों से भी सहयोग लेना चाहिए और समाज के अन्य वर्गों से भी सहयोग लेना चाहिए तभी उसका समाधान निकल सकता है । श्रीमन्, कल आप यहां नहीं थे हमारे माननीय सदस्य स्वामी नाथ यादव और मुहम्मद आजम खां साहब ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से हम कहेंगे, राजनीतिक भाषा का ही इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा हमारा हिन्दू राष्ट्र रहा है, हिन्दू राष्ट्र है और हिन्दू राष्ट्र रहेगा । इस तरह की भाषा का प्रयोग आज के सामाजिक वातावरण में जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सरकार करेगी तो उसका असर समाज में पड़ेगा । हम यह नहीं कहते हैं कि उसी भाषा से इस तरह की घटना हुई लेकिन इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए । अल्पसंख्यक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिये बहुसंख्यक उग्रवाद बढ़ाकर नहीं किया जा सकता है। इससे देश टूट जायेगा । इस तरह की एक घटना 11 जुलाई को हुई जिसमें नौ तथाकथित उग्रवादियों को मुठभेड़ में मारा गया, सरकार ने न्यायिक जांच कराने की बात सदन में की, आश्वासन हुआ लेकिन न्यायिक जांच की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जायेगी मुझे जानकारी मिली कि अभी तक उसकी कार्यवाही ठीक से शुरू नहीं हुई । तमाम सिक्ख संगठनों ने विपक्षी लोगों ने सी० बी० आई० से जांच कराने की मांग की । क्या हो जाता अगर सी० बी० आई० को जांच दे देते । लेकिन सरकार ने हठधर्मिता अपनाई। इस तरह के मामलों में राजनैतिक दृष्टि से लाभ लेने की बात में उलझे रहेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे और आगे आने वाला इतिहास भी हमें माफ नहीं करेगा ।

इसलिये इसमें प्रदेश की जिम्मेदारी सरकार पर ही नहीं हम सब लोगों पर – पूरी विधान सभा पर है। सरकार में रहे लोगों की कुछ गल्तियों से हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा मिला और इस प्रदेश में जो आतंकवाद बढ़ रहा है इसमें भी प्रदेश सरकार की गल्तियों को नकारा नहीं जा सकता है । इसलिये मैं आप के माध्यम से इस गम्भीर मसले पर यही कह सकता हूं कि उत्तर तैयार होगा, कुछ अधिकारियों ने तैयार किया होगा और कुछ संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी योग्यता के अनुसार कुछ शब्द और गढ़ लिये होंगे । इसको राजनैतिक रूप में नहीं लिया जाना चाहिए और जैसा इस बारे में हमारे विपक्ष के विभिन्न नेताओं ने राय दी, इस मसले का हल सबके सहयोग से ही ढूंढा जा सकता है । एक साल हो रहे हैं सरकार को, लेकिन अभी इनकी चुनाव की गरमी नहीं उतरी है और राजनैतिक बदले की भावना अभी सरकार के मन में समाप्त नहीं हुई है । यहां सदन में आज हमें कहना पड़ रहा है कि राजनैतिक भावना से सरकार का कार्य करना बन्द नहीं हुआ है । अभी कल ही इस सदन में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह के भाई की नाजायज गिरफ्तारी का मामला उठाया गया था । एक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं सैकड़ों घटनायें हैं इस सरकार द्वारा उनके परिवार जनों को उत्पीड़ित करने की । आज इनके परिवार की जान जोखिम में डाली जा रही है ।

कल इस पर यहां पर बहस हुई थी । आज संसदीय कार्य मंत्री जी उसका पूर्ण व्योरेवार उत्तर देंगे । हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री के भाई की पांच साल बाद परची काटी गयी है । मुल्जिम बनाया गया है । चूंकि इनके दरोगा ने इनके मन को खुश करने का कार्य किया है, इसलिये उसके खिलाफ यह कुछ नहीं करेंगे, उसको और बढ़ावा देंगे । कुछ बातें ऐसी होती हैं लोकतंत्र में जिनको पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठ कर लिया जाता है । आज समाज के हर क्षेत्र में असन्तोष पैदा हो रहा है, जो आप के कर्मों से बराबर बढ़ता चला जा रहा है । तराई में आतंकवाद का जो मामला है उसे हमारे समय में भी डा० दिनेश जौहरी जी अकसर अपने प्रस्ताव द्वारा उठाते रहते थे । लेकिन जब भी हुआ मैंने कभी भी उस पर राजनैतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया । परन्तु जब नौ आतंकवादियों की मुठभेड़ का मामला यहां उठाया गया तो उस पर राजनैतिक भाषा का ही प्रयोग इनकी सरकार द्वारा किया गया था ऐसे भी मामले हुए हैं जब हम संसदीय कार्य मंत्री थे प्रधान मंत्री राजीव गांधी आगरा आने वाले थे तो उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में सवाल यहां उठाया गया था तो मैंने उस गम्भीर मसले पर स्वयं कुछ न कहकर यही कहा था कि आज मुख्य मंत्री नहीं हैं, वह आयेंगे तो इसका उत्तर देंगे । लेकिन आज इतने गम्भीर मसले पर, जबकि कुछ देर सदन स्थगित रहा, उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं । चाहिए था कि मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित रहते और वह यहां पर सबकी राय सुनते और वह स्वयं इसका यहां पर उत्तर देते । लेकिन वह भी गम्भीरता से इस को नहीं ले रहे हैं । अल्पसंख्यकों के मन चाहे जितना दुखे, इनको अपने वोट की रोटी सेंकने से ही सिर्फ मतलब है ।

अब सरकार को इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने को जोखिम में डालना पड़ेगा और विषम समस्याओं के हल के लिये हमेशा जोखिम भरे कदम उठाने पड़ते हैं । इसलिये हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री जी जिम्मेदार मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वह इस मामले में राजनैतिक टकराहरट या कटुता की भावना के साथ इसका उत्तर न दें । जो दस लोग मरे हैं, हमारी सूचना है कि 22 लोग मरे हैं, सही सूचना आपके पास होगी उसे आप हमें देंगे । जो आप की गलतियों से आतंकवाद बढ़ा है और यह निरीह और निर्दोष लोग इसके शिकार हुए हैं उनके परिवार के लोगों को कम से कम एक लाख रुपया आज ही आप देने की घोषणा करें ।

श्री राम लखन वर्मा–

मा० अध्यक्ष महोदय, आये दिन आतंकवाद के शिकार लोगों की बातें पूरे प्रदेश में सुनने को आ रही हैं । भाजपा सरकार भयमुक्त समाज का नारा देकर सरकार में आयी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के 5 कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो स्वयं अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था में चलते हैं और वह अपने को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं तो समाज को वह क्या सुरक्षित कर पायेंगे । श्रीमन्, सुरक्षा व्यवस्था से वह अपने को सुरक्षित कर लिये हैं तो समझते हैं कि पूरा समाज सुरक्षित आ गया है । आज हम सभी लोग आतंकवाद की चर्चा यहां कर रहे हैं । विपक्ष के सभी नेतागण अपने विचार और सुझाव दे रहे हैं । श्रीमन्, आतंकवाद हो क्यों रहा है, इसकी जड़ कहां है, इस पर जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद को नहीं सुधारा जा सकता है । जब तक ऊंच-नीच, जातिवाद की खाई बनी रहेगी तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा । मेरी जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि जब स्व० महात्मा गांधी जी हत्या हुई थी तो हत्यारा नाथूराम गोड़से ब्राह्मण समाज का था और उन्हें मारा था, तो मेरा कहना है कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती है जबकि उस समय किसी

ब्राह्मण के परिवार का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ था। जब स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की हत्या हुई थी तो वह सरदारों ने किया था चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया था। तो मेरा मानना है कि आज केवल सिख आतंकवादी है और जब किसी के अधिकारों और स्वाभिमान की सुरक्षा नहीं हो पायेगी तो कल मुसलमान और अनुसूचित जाति के लोग आतंकवादी हो सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी आप सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर आपस में बैठकर विचार-विमर्श करें ताकि कोई अच्छा नतीजा इस समस्या का निकल सके। लेकिन पूर्व सूचना के बावजूद भी सरकार इतनी अक्षम है कि वहां राम भक्त जनता की यह सरकार कोई सुरक्षा नहीं कर पायी जिनकी बदौलत यह लोग सरकार में आये हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं कर सके।

मान्यवर, आज बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है कि बस से उतारकर 10 लोगों को मार दिया गया और काफी घायल हुए हैं जबकि आतंकवादियों ने इसकी सूचना सरकार को पहले ही दे दिया था किन्तु इसके बावजूद कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी। मान्यवर, आये दिन पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनायें हो रही हैं और उसकी हम यहां चर्चा करते हैं लेकिन सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसलिये नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि यह सरकार अक्षम है प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने में। तो इसको एक क्षण भी सरकार में बने रहने का औचित्य नहीं है। जैसा कि हमारे सभी दलों के नेताओं ने बताया कि आतंकवाद एक हौव्वा हो गया है। हम सुनते थे, पेपर में पढ़ते थे कि पंजाब में आज सैकड़ों लोग मारे गये, दसियों लोग मार डाले गये, घरों से निकाल कर मार दिये गये। आज प्रदेश में इस तरह का आतंकवाद देखने को मिल रहा है। लाइन में खड़ा करके बच्चों, पुरुषों और स्त्रियों की निर्मम हत्या हो रही है यह क्या पंजाब से कम है ? मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि यह बहुत गम्भीर समस्या है, इस पर आज पूरा समय देकर, पक्ष और विपक्ष के जो भी माननीय सदस्य इस पर विचार देना चाहेंगे, आप सुनें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल–

मान्यवर, हमारे प्रदेश की कानून और व्यवस्था बहुत ही बदतर है। आये दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं कि रोजाना कहीं न कहीं बम फट रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं और मर भी जा रहे हैं। श्रीमन्, आतंकवाद की चेतावनी तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन पीलीभीत में पिछले वर्ष सिक्खों की हत्या हुई। कहना था कि वह तीर्थयात्री थे। अब वह मामला न्यायालय की जांच की परिधि में है इसलिये कहना नहीं चाहता। यह उसी का परिणाम हुआ कि यह सब घटनायें हो रही हैं। परसों ही 6 व्यक्तियों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी और कल की जो घटना है कि बस से उतारकर के 10 व्यक्तियों की हत्या की गयी और 35 लोगों को घायल किया गया। वह तीर्थयात्री थे और हरिद्वार-दिल्ली मार्ग से जा रहे थे। जबकि हरिद्वार की सुरक्षा कुम्भ मेले की सुरक्षा सरकार ने बड़े पैमाने पर की थी और आज भी वहां सुरक्षा की काफी व्यवस्था है। तो मैं समझता हूं कि यह जो कुछ हो रहा है श्रीमन्, यह सरकार की निष्क्रियता की वजह से हो रहा है। सरकार का कहना है कि बहुत सी फोर्स वहां लगा दी है। यह भी कर दिया है कि जो इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उन लोगों को वहां भेजा गया है। जो अपने से कायर है वह दूसरे की रक्षा क्या करेगा। इसी का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। औराई थाने में एक एस० ओ० थे। बिना मुकदमा लगाये एक घोषिया व्यक्ति को बन्द कर दिया। डी० आई० जी० ने जांच किया। एक पेज का रिपोर्ट कर दी और सरकार ने उसे वहां इन्स्पेक्टर बनाकर भेज दिया है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये ऐसे लोग, जो में नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे लोगों

की फौज लगाई गई है कि वह आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे । आतंकवाद की जड़ जहां है वह सब लोग जानते हैं कि कहां इसकी जड़ है और आतंकवादियों को जो चुनौतियां मिली हैं, उसी का यह फल है कि आज आतंकवाद हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है जबकि दो साल पहले आतंकवाद हमारे प्रदेश में नहीं था । अखबार में मैंने भी पढ़ा, जैसा कि माननीय कैलाशनाथ जी ने जिक्र किया । सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि आतंकवाद को रोकने के लिये सड़कों से 100 मीटर हटाकर गन्ना बोया जाय, अरहर और मक्के की खेती की जाय कि आतंकवादी उसमें छिपने न पायं । क्या 100 मीटर की दूरी पर नहीं छिप सकते ? क्या चप्पे-चप्पे पर फोर्स लगा रखी है ? इस तरह का निकम्मा आदेश निकालकर सरकार अपने कुकृत्यों को छिपाना चाहती है । इसलिये आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि सभी दलों के नेताओं को बुलाकर इस गम्भीर मसले पर सरकार विचार कर ले और कोई सख्त कदम आतंकवाद को रोकने के लिये उठावे । मान्यवर, जैसा कैलाशनाथ सिंह जी ने कहा यह बहुत बेशरम है पता नहीं कितनी हत्यायें करा दें इतनी हत्यायें होने के बाद भी आपको दुख नहीं है, क्षोभ नहीं है । मैं कैसे समझूं कि आपकी सरकार न्याय की सरकार है, कानून व्यवस्था की सरकार है, शान्ति और अमन कायम करने की सरकार है श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबकी बातों को आप सुनें और इस गम्भीर मसले पर विचार करने की कृपा करें ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय सदन में उठा हुआ है । हमारे देश का एक हिस्सा पहले से आतंकवाद की आग में जल रहा था । बहुत दुर्भाग्य है कि जो हमारा सूबा कम से कम बचा हुआ था लेकिन यह इतनी निकम्मी सरकार आयी है इसलिये मैं कहना चाहता हूं श्रीमन् कि यह जो इनका रामराज्य है इस रामराज्य में जितने लोग मारे जा रहे, दस महीने में जो हुआ है पांच सौ के करीब लोग भून दिये गये । इसका कोई निराकरण नहीं हुआ इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर सब लोगों से विचार कर ले, चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अलग से बैठक करके भी जानने की कोशिश करें और इसके बारे में कोई प्रभावी कदम उठायें । श्रीमन्, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार से भी बात करनी पड़ेगी । बिना भारत सरकार को समझाये, हम भारत सरकार के बिना आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । समय रहते इस आतंकवाद पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा प्रदेश इस आतंकवाद की लपेट में आ जायेगा तब बहुत मश्किल हो जायेगी । श्रीमन्, यह राम भक्त की सरकार है । रामलीला देख रहे राम भक्तों को आतंकवादियों ने भून दिया था । कैसी है यह सरकार, जो न्याय नहीं दे सकती है, आतंकवादियों से लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती है । जन-जीवन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है । इतनी बड़ी घटना के बाद, दस लोग मार दिये गये, छः लोग पहले मारे गये, अभी मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि अभी सूचना आयी है कि 22 लोग मारे गये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सूचना है यह गलत भी हो सकती है । इस सूचना का भी पता लगाना चाहिए जो लोग मारे गये हैं जो लोग घायल हुए हैं वह निर्दोष लोग थे । उनको एक लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए जो घायल हुए हैं उनको 25-25 हजार की सहायता देनी चाहिए । आतंकवाद की समस्या पर काबू पाने के लिये सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए यह दल विशेष की समस्या नहीं है । यह पूरे प्रदेश की समस्या है । हम इस समस्या को दल से ऊपर मानते हैं । जब से इस सरकार ने कुर्सी सम्भाली है इस उत्तर प्रदेश में आतंकवादी घटनायें होनी शुरू हो गयी हैं । अब तो उत्तर प्रदेश भी उस चरण में पहुंच गया है जिस चरण में पंजाब है ।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने निकम्मा शब्द का प्रयोग किया है। यह असंसदीय है।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मैं कोई बात राजनीतिक मंशा से नहीं कह रहा हूं बहुत गम्भीरता से अपनी बात कह रहा हूं। पहले जनता पंजाब और काश्मीर की घटनाओं के बारे में सोचती थी कि कैसे इस समस्या का हल होगा, आतंकवाद से कैसे निपटा जायगा लेकिन वह समस्या तो वहां पड़ी की पड़ी रह गयी आतंकवाद उत्तर प्रदेश में भी छा गया। मैं जानता हूं कि इस सरकार के रहते यह आग बुझने वाली नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो सरकार जानते हुए कि पंजाब और काश्मीर में क्या हालत है इस सदन में बार-बार दंभ भरे शब्दों में हिन्दू राष्ट्र का एलान करती है तो जो गैर हिन्दू हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, सरकार यह नहीं सोचती कि जो सिक्ख हैं उन पर क्या असर पड़ेगा ? अभी तराई में आतंकवाद की घटनायें हो रही हैं धीरे-धीरे यह पूरे प्रदेश में फैलने वाली हैं। केवल दंभ भरे नारे देने से, हिन्दू राष्ट्र कह देने से, केवल भाषण दे देने से यह घटनायें रुकने वाली नहीं हैं इससे आतंकवादी घटनायें और बढ़ेंगी। जब तक यह सरकार इस तरह के नारे बंद नहीं करेगी यह घटनायें बढ़ेंगी, घटेगी नहीं। यह सरकार संविधान में यकीन नहीं रखती, कानून में यकीन नहीं रखती तो लोकतंत्र चलेगा कैसे। आतंकवाद से लड़ने में यह सरकार बिल्कुल असफल है। अभी तराई के 10-12 जिलों में ऐसी घटनायें हो रही हैं धीरे-धीरे यह प्रदेश भर में फैल जायेंगी और सरकार इनको रोक नहीं पायेगी। मेरे यहां एक अफसर आये हुए थे वह कह रहे थे कि रात को जंगल विभाग वालों ने जंगल में जाना छोड़ दिया है और शाम के 6 बजे के बाद जंगल की रखवाली आतंवादी कर रहे हैं। पुलस थानों में 6 बजे के बाद कोई नहीं जाता। थानों में बोर्डों में कालिख पोत दिया गया है या बोर्ड हटा दिये गये हैं। दूर दराज की जो पुलिस चौकियां थीं वह चौकियां हटा ली गयी हैं। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम आतकंवाद से निपटेंगे। यह सरकार जो भयमुक्त समाज का नारा देती है आज उत्तर प्रदेश में लोग दहशत में जी रहे हैं कि आज जो तराई के इलाके में आतकंवादी घटनायें हो रही हैं, हमारे इलाके में भी आ जायंगी। लोगों में यह चिंता व्याप्त हो गयी है। इस सरकार ने शांति व्यवस्था का नारा दिया था जिसके विपरीत आतकंवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर इस सरकार में जरा भी नैतिकता हो तो सरकार को इसतीफा दे देना चाहिये अगर इस्तीफा नहीं दिया तो यह आतंकवाद अभी तो तराई में है यह यहां पर आ जायेगा और हम लोगों का चलना दूभर हो जायगा, हम लोगों का अपने क्षेत्रों में जाना दूभर हो जायेगा। कुछ महीनों पहले रामलीला देखने वाले लोग मारे गये थे। यह राम भक्तों की सरकार है, राम भक्तों की हत्या हो गयी और इस सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। अफसोस जाहिर नहीं किया। बसों से उतार कर जो सरे आम एक दर्जन लोगों का कत्ल हुआ, फिर भी यह सरकार इस्तीफा देने के लिये तैयार नहीं होगी। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को भेजने का नहीं है,मेरा तो इन्हीं से कहना है कि इनको त्याग-पत्र जरूर दे देना चाहिये और उत्तर प्रदेश को आतकंवाद की आग में जलने से बचाना चाहिये। दूसरा निवेदन यह है कि जो लोग मर गये हैं कल की घ्टना में, उनके लिये आज ही कम से कम और कोई सहायता तो नहीं दे सकते, उनकी जान नहीं बचा पाये उनको एक-एक लाख रुपया मुआवजे का और जो घायल हैं, उनके लिये दवा की व्यवस्था और उनके परिवार के लिये 50–50 हजार रुपये के मुआवजे का इन्तजाम करें। इसके साथ ही मान्यवर, आप इस महत्वपूर्ण सवाल पर इस सदन में सारे नियमों को रोक कर चर्चा करावें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, जो हरिद्वार में कुम्भ मेले में बस पर घटना घटी, दर्दनाक तो है ही, साथ ही सरकार की अक्षमता भी सिद्ध करती है । अभी तक आतंकवाद से निपटने में सरकार ने जो दावा किया, विफल हुई । पहले दावा किया और राम लीला में आतकंवाद से निपटने में विफल हुई । बम विस्फोट में आदमी मरे । अभी 6 आदमियों को घरों से पकड़ कर मार डाला आतंकवादियों ने और सरकार देखती रह गयी । सरकार जितना दावा करती है उससे ज्यादा आतंकवाद प्रबल हो जाता है । तो या तो सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि हमारा दावा गलत है और इंतजाम नहीं कर सकते । अगर इंतजाम नहीं कर सकते तो अपनी पुलिस का सही इस्तेमाल करें और उसका मनोबल बढ़ावे । आतकंवाद को लेकर उनका मनोबल इतना कमजोर है कि पुलिस के थाने शाम को 6 बजे बन्द कर दिये जाते हैं ताकि कहीं थाने पर हमला न हो जाय, तो थाना रक्षक डरपोक हैं तो रक्षा कैसे होगी, तो पुलिस का मनोबल बढ़ावे और आतंकवाद क्यों है, इस पर विचार गोष्ठी करें ? सबकी राय लें । सबको वास्तविकता से परिचित करावें तो इस पर विचार हो, नहीं तो यह सरकार के बस की बात नहीं रह गयी है । भयमुक्त समाज का दावा होता है और समाज भयग्रस्त होता जा रहा है । डाकुओं की समस्या है, उसको नहीं निपटा रहे हैं । माफिया गिरोहों की समस्या नहीं निपटा रहे हैं । आतंकवाद की समस्या है, नहीं निपटा रहे हैं । सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो रही है और दावा यह है कि भयमुक्त समाज बनाएंगे । मान्यवर, भयमुक्त समाज बनेगा, समता के आधार पर । जब तक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता देश में नहीं आएगी, तब तक भयमुक्त समाज बनने वाला नहीं है और ये बना रहे हैं हिन्दू राष्ट्र, तो यह यहां की मान्यताओं के अनुरूप है ? मान्यवर, हिन्दू शब्द, कल मैं सुन रहा था, हिन्दू शब्द स्वयं फारसी का शब्द है, इसका अर्थ है काफिर, कुफ्र करने वाला, रहजन, काला आदमी, आप उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिन्दू राष्ट्र किसी भी सांस्कृतिक किताब में दिखा दें जिसमें हिन्दू राष्ट्र या धर्म का जिक्र हुआ हो । सनातन धर्म का जिक्र है लेकिन हिन्दू राष्ट्र या धर्म का जिक्र नहीं है । भारतीय राष्ट्र हो जायगा । यह सरकार समता का शासन करना चाहती है और विषमता पैदा कर रही है तो इनका शासन कैसे निष्पक्ष हो सकता है और कैसे भयमुक्त कर सकते हैं ?

(समय 1 बजे)

मान्यवर, हरिद्वार में 10 आदमी मारे गये और 40 घायल हुए हैं । ये सब निरापराध थे । सरकार को अपनी खुफिया पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए और पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि वे आतंकवादियों का मुकाबिला करने के लिए तैयार हो सकें । आज हालत यह हो गयी है कि इन मुट्ठी भर आतंवादियों का मुकाबिला करने की शक्ति इस सरकार में नहीं है । इसके लिए सरकार को खुद शर्म आनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

*श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, आज बड़े दुःख के विषय पर विचार-विमर्श हो रहा है । आज यह सरकार जो राम भक्तों के नाम पर सरकार में आई है, वह राम भक्तों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है और दलगत भावनाओं से ग्रसित होकर अपने विपक्षियों को जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्हें खत्म करने के

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिए उलझे हुए हैं, जिनके नाम पर यह सरकार आई है, उन्हीं की रक्षा यह नहीं कर पा रही है। राम लीला में राम भक्तों की हत्यायें हुईं। तराई क्षेत्र में आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में आतंकवादियों को सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है। कानून-व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। मैं अपने को अन्य नेताओं के विचारों से सम्बद्ध करते हुए मांग करता हूं कि सरकार आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी नीति स्पष्ट करें ताकि जो राम राज्य की कल्पना की बात आपने कही थी, वह साकार हो सके। जिन लोगों की हत्यायें हुई हैं, उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और जो घायल हुए हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाय।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर अब काफी विचार आ चुके हैं। नियम 56 और नियम 311 में जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, उनको पहले अवसर दूंगा और यदि समय बचा तो अन्य माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा।

* श्री मोहम्मद हसन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही दु:खी दिल के साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा रूप और भी बढ़ जाता है, जब मैं यह देखता हूं कि जब भी किसी गम्भीर विषय पर इस हाउस में चर्चा होती है, तो हमारे माननीय राज्य गृह मंत्री, शाही जी हमेशा मुस्कराते, हंसते रहते हैं, कुछ ऐसा लगता है कि उनकी सरकार को इस बात का एहसास ही नहीं है कि आज हम किस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और इसके नतीजे क्या निकल सकते हैं। मान्यवर, जहां पर यह घटना हुई, वह मेरे क्षेत्र से केवल 30 किलो मीटर दूर है। मैं एक बात और साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे वक्ताओं ने शायद यह सोचा है, जहां पर यह घटना हुई है, वह तराई का इलाका है, यह तराई का इलाका नहीं है, बल्कि जहां यह घटना हुई, यह हमारे बेस्टर्न यू० पी० का और मैदानी इलाका है। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे वेस्टर्न यू० पी० में और सहारनपुर, रुड़की के आस-पास इस तरह की घटना हो जायगी। इस घटना से इस सरकार का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिये। जिम्मेदारी को कबूल करते हुये इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। हिन्दुस्तान के अलावा और अगर किसी यूरोपियन देश में ऐसा होता तो वहां की सरकार खुद इस्तीफा दे देती। मान्यवर, बस से महिलाओं को उतारा गया, बच्चों को उतारा गया और काफी तादाद में गोलाबारी की गयी और उनको मारा गया और बहुत से लोग घायल हैं और सूचना मिली है कि जो लोग घायल हैं, उनकी हालत गम्भीर है। मान्यवर, कल 6 आदमियों के मारे जाने की चर्चा की गयी, उसके आसूं पुछ भी नहीं पाये कि यह घटना हमारे सामने आ गयी। मान्यवर, दारुलशफा से मैं विधान सभा आ रहा था तो गेट पर लोग नारे लगा रहे थे, इन्साफ दो वरना इस प्रदेश को कश्मीर और पंजाब बना देंगे। मान्यवर, उनके इन नारों की आवश्यकता क्यों हुई। घटनाओं का सिलसिला इस प्रकार से जारी है कि जैसे वाकई हम पंजाब और कश्मीर में बैठे हों। मान्यवर, कल की घटना से निश्चित रूप से सभी लोगों का दिल दहल गया है और चकित हो गये हैं और डर गये हैं। मान्यवर, कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन यह सरकार किसी की सुरक्षा नहीं कर

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पा रही है । आपकी जो पुलिस है वह आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है । बदले की भावना से जो शरीफ लोग हैं, निहत्थे लोग हैं, उनको आतंकवादी परेशान कर रहे हैं । सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार में इस तरह की घटना होती है, तो फिर कौन शख्स अपने को सुरक्षित महसूस करेगा । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग मारे गये हैं और घायल हुये हैं उनको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाये और उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाये और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिये ।

*डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं सरकार की आलोचना करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, सत्ता सम्भाली है, उत्तर प्रदेश जो आतंकवाद से अछूता था वह 9 महीने में आतंकवाद की चपेट में आ गया है । इस पर विचार करने के लिये इसकी पृष्ठ भूमि में जाना पड़ेगा मान्यवर, दिसम्बर और जनवरी महीनों में जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा की थी और यह एलान किया था कि कश्मीर उनके साथ 5 लाख लोग जायेंगे, लेकिन उनके साथ चन्द आदमी ही जा सके और 12–13 मिनट में लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरा कर वापस चले आये । जब से बी०जे०पी० की सरकार आयी है, अल्प संख्यक वर्ग में ऐसी भावना पैदा हो गयी है कि वह सुरक्षित नहीं रह गये हैं । मुख्य मंत्री जी ऐसे बयान देते हैं कि यह हिन्दू राष्ट्र है । जो बयान मुख्य मंत्री जी देते हैं, उससे अल्प संख्यक वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचती है । उससे एक नये तरह का तनाव उभर कर सामने आ गया है । मुख्य मंत्री जी जब भी किसी बात पर ध्यान देते हैं, तो वह मन्दिर निर्माण की बात करते हैं, मन्दिर गिराने की बात करते हैं और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं . और माननीय मुख्य मंत्री जी अपने प्रेस विज्ञप्ति में कह चुके हैं कि 25 करोड़ रुपया आतंकवाद को खत्म करने के लिए खर्च करने जा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि अभी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उनकी सरकार के समय में कोई आतंकवाद नहीं था, यह भाजपा की सरकार जो अखंड भारत का सपना देख रही है और करोड़ों-करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय का बीज पैदा कर रही है तो यह आतंकवाद बढ़ेगा नहीं । मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए कम से कम इतना मुआवजा दिया जाय जितना एकता यात्रा के दौरान मारे गये लोगों को अपने आप इस सदन में मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया था । एक अनुरोध और है कि पूरे प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में पुलिस आम जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है । मेरा अनुरोध है कि प्लेन्स में जो पुलिस के अधिकारी आम जनता का शोषण कर रहे हैं उनको आतंकवादियों से मुकाबले के लिए उधर भेज दिया जाय और मारे गये लोगों के परिवार को उचित कम्पनसेशन दिया जाय ।

* श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह दुखद घटना हुई है इसके संबंध में पूर्व में भी इस सम्मानित सदन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों ने अनेकों बार जिक्र किया था । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जिन हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जिन हालात में जिन्दा हैं उसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं है । मान्यवर, पहले भी माननीय भाटी जी ने और कई लोगों ने इस सदन में चर्चा की थी, कुम्भ के पर्व से पूर्व आतंकवादियों ने एक एलान किया था कि हम आतंक मचायेंगे और लोगों की

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हत्या करेंगे तो 14 तारीख को कुम्भ तो खत्म हो गया और 27 तारीख को यह घटना हुई । घटना के पहले हम लोगों ने बार-बार कहा था, हमारे जिले के बराबर का जिला है हमारे जिले के 20–25 कि०मी० की दूरी पर यह घटना हुई है । मान्यवर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, सहारनपुर के खादर के क्षेत्र में आतंकवादी स्वतंत्रता से रह रहे हैं और स्वच्छन्द रूप से घूम रहे हैं शहर भी इनसे नहीं बचा है । इनके संबंध वहां के स्थानीय अपराधियों से हैं और ये खुद भी क्राइम करते हैं और स्थानीय अपराधियों को हायर करके पैसा देकर के उनसे क्राइम करवाते हैं । माननीय वित्त मंत्री जी अभी गोलमोल जवाब दे देंगे मेरा उनसे अनुरोध है कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसको गम्भीरता से लें । पुलिस वहां पर असहाय है । वहां पर ए० के० 47. एस०एल०आर० और स्टेनगन खुले आम मिल रही है और बराबर सामूहिक हत्याएं हो रही हैं और यह हथियार स्थानीय बदमाशों को आतंकवादियों से प्राप्त होते हैं । हमारे क्षेत्र में चार हत्यायें हुईं मुजफ्फरनगर में सामूहिक हत्यायें आम बात है हत्या करने वाले यही क्रिमिनल लोग हैं जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं और ये हत्याएं पैसा लेकर के करते हैं और रिपोर्ट उन लोगों के खिलाफ होती है जो हत्याएं कराते हैं और ये लोग साफ बच जाते हैं और पुलिस जानते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं करती है । आज हालत यह हो गयी है कि किसान अपने ट्यूबवेल तक नहीं जा सकता है आज क्रेशर, थ्रेशर बन्द हैं आतंकवादियों का नंगानाच हो रहा है रोज अपहरण होते हैं । मान्यवर, कुम्भ तो शांतिपूर्वक निपट गया मैं वहां के एस०एस०पी० कुम्भ को बधाई दूंगा । जो लोग मारे गये हैं उनके परिवार को कम से कम 2–2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाय और आपने चेकिंग की व्यवस्था की लेकिन चेकिंग नहीं हो रही है मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां-जहां से वह बस गुजरी है और जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो ।

रणवीर मलिक एक दरोगा था उसने एक आतंकवादी को पकड़ लिया । ए० के०–47 राइफल बरामद की लेकिन आपने बजाय उसको पुरस्कार देने के उसको सजा दे दी । इसी प्रकार श्री जगदीश भाटी और श्री जयपाल तोमर आतंकवादी गतिविधियों में मारे गये । आपने उनको एक पैसा भी नहीं दिया क्योंकि वह श्री मुलायम सिंह की सरकार के समय में मारे गये थे । मैं मांग करता हूं कि जो लोग मारे गये हैं उनको क्षतिपूर्ति दी जाय और जिन लोगों ने आतंकवादियों का मुकाबला किया है उसको सम्मानित किया जाय ।

श्री विजयपाल सिंह तोमर–

मान्यवर, आतंकवाद की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है । उत्तर प्रदेश में जब से वर्तमान सरकार आयी है आतंकवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया है । यह आतंकवाद दो प्रकार का है । जनता दल के कार्यकर्त्ताओं पर हमले किये जा रहे हैं हरिजनों का उत्पीड़त हो रहा है छात्र छात्राओं पर गोलियां चलाई जा रही हैं असलियत के लोगों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं । प्रतिदिन अपहरण की घटनाएं हो रहीं हैं । पिछले महीनों में मेरठ के सरधना क्षेत्र से तीन अपहरण हुए हैं । वहां के स्थानीय गुण्डे आतंकवादियों से सांठ-गाठ किए हुए हैं, वहां पर अपहरण, डकैती और हत्याओं का सिलसिला जारी है । दूसरी प्रकार का आतंकवाद वह है जिसमें सामूहिक रूप से नरसंहार हो रहे हैं । जब से सरकार आयी है 450 से ऊपर लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गये हैं जैसा कि मा० नेता विरोधी दल ने बताया । पहली घटना जो पीलीभीत की थी जिसमें मुठभेड़ के नाम पर कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हो गई थीं उसमें अगर कोई सही कदम उठाया होता तो बात इतनी आगे तक न बढ़ती । मेरठ से लेकर जिस जगह यह घटना हुई है वहां तक 20 स्थानों पर चेक पोस्ट है कल कड्डी गांव में 11 आदमी मारे गये हैं और 35 लोग घायल अस्पतालों में दाखिल हैं । मेरठ से मुजफ्फरनगर तक रास्ते में चेक पोस्टों पर साधारण

लोगों को आधे-आधे घण्टे तक परेशान किया जाता है । तलाशी के नाम पर लेकिन बदमाश लोग निकल जाते हैं । मुजफ्फरनगर में बी० एस० एफ० का जवान मारा गया था । मुजफ्फरनगर, बिजनौर और हरिद्वार में तमाम आतंकवादी घूम रहे हैं । मेरठ के हस्तिनापुर के इलाके में तमाम उग्रवादी घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र के परीक्षित गढ़ और किठौरा थाना क्षेत्रों में आतंकवादी हैं । पुलिस के पास वे हथियार नहीं हैं जो आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें । मेरा सुझाव है कि मेरठ का जो परीक्षित गढ़ किठौरा और हस्तिनापुर का इलाका है वहां के पुलिस कर्मियों को एस०एल०आर० और ए०के०–47 राइफलें उपलब्ध करा दी जायं ताकि वे आतंकवादियों का मुकाबिला कर सकें । इस घटना में जिनकी हत्याएं हुयी हैं उनको एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और घायलों को 50–50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, सवाल यह है कि आज आतंकवाद उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ा, पंजाब से कैसे पहुंचा । आज सत्ता पार्टी में बैठे हुए हैं, लोग अगर हिन्दू और पंजाबियों को लड़ायेंगे तो क्रिया दर प्रतिक्रिया होगी, उसी का परिणाम है कि आज आतंकवाद उत्तर प्रदेश में पहुंच गया । जब यहां पर बैठकर सदन के बाहर चिल्लायेंगे कि यह हिन्दू राष्ट्र है तो फिर अगर पंजाबी सिक्खिस्तान की बात करते हैं तो घबराना नहीं चाहिये । आपने संविधान की मूल प्रस्तावना को नष्ट किया है, तो वे सिक्खिस्तान की मांग क्यों नहीं करने लगेंगे । आपने इसको जन्म दिया है । आपने संविधान के विपरीत आचरण न किया होता तो पूरे हिन्दुस्तान की यह हालत न होती । कपूरथला में जो हो रहा है, कपूरथला की स्थिति उत्तर प्रदेश में चल रही है । जब से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं यह आतंकवाद लखनऊ की सरजमी में बढ़ गया है । इससे पहले उत्तर प्रदेश में आतंकवाद नहीं था । मुलायम सिंह, वी० पी० सिंह की सरकारें खराब थीं, ऐसा आप लोग कहते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या हैं ? राम भक्तों की हत्या आपकी गलत नीतियों के कारण हुई है । सीधे-सीधे खींचकर मारा गया । बिहार की सरकार को भंग करने के लिए आपने बहुत चिल्लाया था । आये दिन 10–10, 20–20 लोगों की निर्मम हत्यायें लालू प्रसाद की सरकार में नहीं हुई जैसी आपकी सरकार में हो रही हैं । आपकी नीतियां गलत हैं, यह सरकार भंग कर दीजिए । निसहाय गरीब लोग दर्शन करने हरिद्वार जा रहे थे, उनकी हत्या कर दी गयी । 311 में यह सवाल इसलिए दिया है कि नियमों को निलम्बित करके इस प्रदेश को आतंकवाद के प्रभाव से बचाने के लिए इस सदन में चर्चा करायें ।

श्री ठाकुर वीरेन्द्र सिंह–

हरिद्वार और रुड़की के बीच बस को रोककर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है कि उससे पूरा प्रदेश सहम उठा है । खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले इस वक्त आतंकवाद के साये में जी रहे हैं । एक तो जनता आतंकवाद के कारण आना नहीं चाहती थी कुम्भ मेले के अवसर पर, लेकिन आपने यकीन दिलाया कि कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होने पायेगी । सब लोग निर्भय होकर हरिद्वार के अन्दर आये थे । लोगों में यकीन आ गया, उन्होंने हरिद्वार में लाने का काम किया । आतंकवादियों ने जो चुनौती दी थी उन्होंने उस चुनौती को बहुत दुस्साहसी ढंग से पूरा करने का काम किया है । यह आतंकवादी किसी जंगल के मार्ग से नहीं आये, पैदल नहीं आये, लुक-छिप कर नहीं आये । पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर, जो पुलिस के नाके हैं उनके बीच से होकर मैटाडोर में बैठकर, जो महत्वपूर्ण मार्ग है हरिद्वार और रुड़की के बीच का जो सहारनपुर व मुजफ्फरनगर को मिलता है, वहां यह दुर्घटना हुई है । सरकार की अक्षमता के ऊपर सवाल खड़ा हो

हो गया है । मैटाडोर में आकर सारे नाकों को तोड़ते हुए बस में बैठे निर्दोष लोगों को उतार कर गोलियों से भून दिया । 10 लोग मरे 30–35 लोग घायल हुए । सरकार में इन्सानियत, मानवता है तो इस्तीफा दे देना चाहिये । उसकी वजह यह है कि आतंकवाद के जिस चुनौती को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया था उसको यह सरकार पूरा नहीं कर पायी है और लोगों में यह विश्वास नहीं रहा कि यह सरकार उनके जानमाल की सुरक्षा कर पायेगी । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का सवाल है और इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो जघन्य काण्ड हुआ है इस काण्ड को देखते हुए सरकार को इस्तीफा देना चाहिए । एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा वह यह है कि आज मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं सहारनपुर जनपद जिसकी सीमाएं हरियाणा और हिमांचल प्रदेश से मिली हुई हैं, उसके सम्बन्ध में मैं पूर्व में ही आगाह कराना चाहता हूं कि आज सहारनपुर आतंकवादियों का पनाहगार बन रहा है और आतंकवादी वहां शरण लेते हैं और कोई भी अप्रिय घटना सहारनपुर में घटित हो सकती है तो इसे आप गम्भीरता से लें और दूसरा इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

(श्री लालजी वर्मा के उठने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय लालजी वर्मा जी आपको दो सूचनायें हैं । एक तो इसी विषय पर दूसरी टान्डा के विद्युत समस्या के बारे में । अगर आप इस पर बोल लेते हैं तो दूसरी पर नहीं बोल पायेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी दूसरी सूचना नियम–56 में है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम–311 की सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है ।

(श्री विजय सिंह राणा के उठने पर)

माननीय राणा जी, मैंने पहले भी आग्रह किया है कि जिन माननीय सदस्यों का नाम इसमें नहीं है वे कृपया इस विषय पर न बोलें । आज अभी श्री जगदीश मुनि ने भी मुझे लिखकर दिया है लेकिन मैं उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहा हूं । इसलिए कृपया बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस घटना की यहां पर चर्चा हुई है वह वास्तव में बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है । लेकिन अभी माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से आतंकवादी घटनायें होने लगी हैं, तो मैं उस समय सोच रहा था और कहा जाता है कि पीपुल्स की जो मेमोरी होती है वह शार्ट होती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो यह सोच रहा था कि यहां आतंकवादी हत्याओं का प्रारम्भ कब से हुआ यह जब से हुआ है जब इस आदरणीय सदन के सदस्य श्री कत्याल की, जो कि कानपुर के विधायक थे, हत्या की गयी थी । उसके बाद फरवरी, 91 में इसी चारबाग स्टेशन और गाजियाबाद में जो घटनायें हुई हैं उसे हम भूले नहीं हैं, लेकिन इसे याद करके हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं यह हमारी जिम्मेदारी है । मान्यवर, फिरोजाबाद से मेरठ होते हुए एक बस हरिद्वार जा रही थी, उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम की, जिसका नम्बर यू० पी०–81 9222 था । रात को साढ़े नौ बजे एक डी० सी० एम० टोयटा ने उसे

ओवर टेक किया और उस बस को रोका और कुछ लोग, जो आतकंवादी थे और उस डी० सी० एम० टोयटा में सवार थे, अन्दर घुसे । उस बस में कुल 24 सवारियां थीं उसमें जितनी महिलाएं बच्चे थीं उन्हें नीचे उतारा और जितने पुरुष उसमें बचे थे उनको गोलियों से भून दिया । कुल 11 हत्याएं हुई हैं, जो बालक बचा था वह भी मर गया है, 5 लोग घायल हैं, तो यह स्थिति है । इसमें से 8 लोग पहचाने जा चुके हैं । उसमें उस बस का ड्राइवर, कन्डक्टर और एक बी० एच० एल० का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, श्री तलवार वह भी मृतकों की सूची में शामिल है वहां के एस० पी०, डी० एम०, आई० जी०, कमिश्नर सब गये । मान्यवर, जांच के हित में बहुत सी बातें कहना आवश्यक नहीं है, लेकिन वह लोग भी प्रकाश में आ गये हैं, जिन्होंने यह किया है । अभी थोड़े दिन पहले, आप लोगों को जानकारी होगी, सतनाम सिंह की हत्या की गयी थी, उसी के गिरोह के लोगों का इसमें हाथ है । मान्यवर, चीजों को देखा जा रहा है । यह बड़ी भारी चुनौती है और यह सही है कि आतंकवादियों ने चेतावनी दी थी कि कुम्भ मेले के अवसर पर कोई गलत काम करेंगे, लेकिन आप सबके कृपापूर्ण सहयोग से सरकार ने इस बड़े भारी दायित्व को सम्भाला और लाखों-लाख लोग मेले में आये और कोई हादसा नहीं हुआ । उधर के माननीय सदस्यों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कही है और यह एक राष्ट्रीय समस्या है । आतंकवाद केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं और जगह भी है, इससे निपटना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे सबके सहयोग से मामला चलेगा । मान्यवर, एक बात यहां और उठी किसी ने 20 हजार किसी ने एक लाख देने की बात कही । मैं बताना चाहता हूं कि तत्काल निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी मृतक हैं, उनके परिवार के लोगों को 20 हजार रुपया दिया जाय और प्रत्येक मृतक के परिवार की स्थिति को ध्यान में रखकर उनके योगक्षेम की पूरी-पूरी चिन्ता सरकार करेगी, उसमें अर्थ की कोई सीमा नहीं रहेगी ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं अभी बोलते समय एक ध्वनि निकली और मुंह से सिक्ख शब्द का प्रयोग हुआ । हमारी एक मान्यता है कि सिक्ख कोई हमसे अलग नहीं हैं । हर सिक्ख अकाली नहीं हैं और हर अकाली आतंकवादी नहीं हैं, इसलिए हर आतंकवादी को सिक्ख के नाम से जोड़ देना कदाचित उचित नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है । चन्द लोग जो गुमराह हो गये हैं वरना इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनका उद्भव इस काम के लिए हुआ था कि वह हिन्दुओं की रक्षा करें । लेकिन आज यह दुर्भाग्य है । इसके अनेकों कारण हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता । लेकिन इतना अवश्य सही है कि हर सिक्ख आतंकवादी नहीं है । चन्द लोग गुमराह हो गये हैं और जो शान्ति और व्यवस्था के लिए कलंक बन गये हैं, बाधक बन गये हैं । हम उनको काबू में करने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं । इस संबंध में भारत सरकार ने क्या किया, हम इसमें नहीं जाना चाहते । एक कठिनाई है, हमारे सामने । मुख्य मंत्री जी ने भी पहले कहा है कि एक भूसे की कोठरी है, उसमें अंधेरा है और एक सुई गिर जाय तो उसे ढूंढ़ना कितना कठिन है, ठीक उसी तरह से आतंकवादियों की स्थिति है । वह कहीं मेले में चले जायें, कहीं चौपाल में चले जायें, कहीं किसी अलाव पर चले जायें, इसलिए थोड़ा सा फर्क है । हमारी सरकार पूरी तरह से इस समस्या के समाधान में जुटी है और हम आतंकवाद पर काबू पायेंगे । एक सुझाव और दिया गया, मैं उसका स्वागत करता हूं । यह राष्ट्रीय समस्या है और हम सबको मिलकर इस पर विचार करना चाहिए । सम्भवतः ऊदल जी ने कहा था कि जिस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के मौके पर हम लोगों ने बैठकर विचार किया, उसी प्रकार इस पर विचार करना चाहिए । मान्यवर, इस समस्या को कोई राजनैतिक घरौंदा में बांधना उचित नहीं है । मान्यवर, जहां तक इस समस्या का ताल्लुक है, हम इस विषय पर पहले भी साथ बैठना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से बैठक नहीं हो पायी थी, हम इस पर अवश्य परामर्श करेंगे, विचार करेंगे । हम इसे किसी राजनैतिक घरौंदे में बांधना

नहीं चाहते हैं । आतंकवाद की समस्या राष्ट्रीय समस्या है और इसको खत्म करने के लिए हर सम्भव प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ, जो मृतक हैं, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के दुख और संवेदना के साथ हम अपने को सम्मिलित करते हैं । मान्यवर, हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते, लोगों ने तराई क्षेत्र की बात कही है, पश्चिमी जिलों की बात कही है वे घटनायें हैं । हमारे सिपाही भी हमारे ही परिवार के व्यक्ति हैं और इन्हीं के बल पर हमें यह काम करना है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या हो रहा है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है । आतंकवाद से निपटने के लिए हमें जिन हथियारों, सामग्री व जीपों तथा वायरलेस की आवश्यकता होगी उसके लिए कहीं भी वित्तीय समस्या बाधक नहीं होगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी यह हमारा संकल्प है । किसी भी तरह से समस्या को टालने का सवाल नहीं है । हम उसे ओझल नहीं करना चाहते हैं । इसलिए मान्यवर, मैंने इस विषय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत कर दिया है अतएव अब इसमें कार्य-स्थगन की कोई आवश्यकता नहीं है । चर्चा भी इस विषय पर हो गयी है और जिम्मेदारी के साथ इस समस्या से निपटने के लिए हम जुटे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मरने वाले लोगों को सहायता देने के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि इसके लिए कोई धन की सीमा नहीं निर्धारित की है । जो उनके योगक्षेम में.....

(सर्वश्री नरेश अग्रवाल, महेन्द्र सिंह भाटी, स्वामीनाथ यादव, बेनी प्रसाद वर्मा आदि कई विपक्षी सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मृत्यु के उपरान्त सभी परिवार एक जैसे हैं उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर मुझसे कोई गलती हो गयी हो तो मैं उसमें सुधार कर लूंगा । मैंने परिवार की बात कही । अभी हमारे सामने परिवारों की स्थिति नहीं आई है कोई ऐसा परिवार हो सकता है जहां बालक नौकरी के लायक हो गया हो और किसी परिवार में महिला नौकरी के लायक हो गयी हो और किसी परिवार में कोई भी नौकरी के लायक न हो । अधिकतम जो भी सहायता परिवार को दी जायेगी, पूरे योगक्षेम के हिसाब से उसकी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, एक आदमी के परिवार से दूसरे आदमी का परिवार वैरी करेगा । एक्सग्रेशिया तो मिलना ही चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, 20-20 हजार रुपया बांटा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् तथा शासन की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके सुनने के पश्चात् मैं अपेक्षा करता हूं कि शासन इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विपक्ष ने सर्वसम्मति से यह मांग की थी कि मृतकों को 1-1 लाख रुपया दे दिया जाय । पिछली सरकारों ने भी दिया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी बता तो दिया है कि 20-20 हजार रुपये बांटे जा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह धनराशि कोई मुआवजा नहीं है । जान की कीमत कोई 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख नहीं होती । यह हादसा हुआ है इससे हमारी पूरी सहानुभूति है । इसलिए मैंने योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया है जिसमें अर्थ की कोई सीमा नहीं होती । परिणाम तो माननीय सदस्य देख लेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह सरकार लोगों की रक्षा नहीं कर पा रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गयी है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा व उनके दल के अन्य माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं उक्त सूचना को अग्राह्य करता हूं । अब मैं अगली सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर जी की लेता हूं । माननीय दिनेश चन्द्र सोनकर जी आपने स्वास्थ्य विभाग के बारे में सूचना दी थी (व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मैं भी इस संबंध में सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जब गृह विभाग की मांग आयेगी तो उसमें आप कह सकते हैं । इसमें सबको नहीं सुना उन्हीं को आमंत्रित किया जिनके हस्ताक्षर हैं और दल के नेताओं को आमंत्रित किया ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, आपने हमें बोलने की इजाजत नहीं दी इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं.

(श्री इकबाल महमूद सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, नियम 56 में जो मैंने सूचना दी है वह स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (सेवा पूर्व प्रशिक्षित) के संबंध में है । इस संबंध में कहना चाहता हूं कि शासनादेश के तहत इनकी नियुक्तियां हुई वह शासनादेश है प०क०/869/1611-81-4-96/77. दिनांक 23-7-81 ।

(व्यवधान)

हरिद्वार हत्या काण्ड का विशेष प्रकरण सुनने के पश्चात् कार्य-सूची के अनुसार विषय को लिए जाने का सुझाव

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने विशेष परिस्थितियों में इसको लिया । अब तो एजेण्डा के अनुसार आना चाहिए । पहले 301 आना चाहिए । उन मदों को छोड़कर आगे चला जाना कैसे सम्भव होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपका कहना है कि कार्य-सूची के अनुसार चलें ।

श्री लाल जी वर्मा–

इसका मतलब यह हुआ कि 56 और 311 की मद समाप्त हो गयी ।

श्री अध्यक्ष–

जो सूची में है उसको ले लें आधा मिनट लगेगा । (व्यवधान) फिर नियम 56 की सूचना सुन लेंगे । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

फिर 301 की सूचनाओं का क्या होगा ?

श्री लाल जी वर्मा–

नियम 56 की एक सूचना पहले ले लेंगे फिर 4 सूचनायें बाद में ले लेंगे तो यह ठीक नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस एक विशेष सूचना के लिए सभी विरोधी दलों के नेताओं ने आग्रह किया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी उस समय सहमत हो गये तो ऐसा किया (व्यवधान) अब जो प्रक्रिया है प्रतिदिन की उसी के अनुसार चलें । (व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

नियम की इसमें बाध्यता नहीं होनी चाहिए आप जिसको चाहें ले लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आपने नियम 56 में एक मामला ले लिया है और लोगों को उस पर सुन लिया जो बाकी चार हैं उनको अगर नहीं लेंगे तो यह उचित नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग ही आपत्ति करते हैं मैंने दूसरी सूचना पुकार ली थी । उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो या तो मैं स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करूं । (व्यवधान) मुझे कार्य समाप्त कराना है । माननीय राणा जी ऐसा करें नियम 56 की चार सूचनायें शेष हैं बहुत कम समय लगेगा आपकी व्यस्तता को मैं समझ रहा हूं (व्यवधान) ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह बात गलत होगी (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं महसूस कर रहा हूं (व्यवधान) फिर तो ऐसा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है (व्यवधान) मैं ले रहा हूं उसी विषय को । मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं (व्यवधान) अब आप मुझे अपने हिसाब से चलने दीजिए जैसा प्रतिदिन कर रहा हूं । फिर (व्यवधान)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 28-4-92 को नियम 301 के अन्तर्गत हमें कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं हैं । पहली सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की इलाहाबाद के मुहल्ला नया पुरा (असदुल्लापुर नकौली) आचार्य नरेन्द्र देव मार्ग में बसी नयी बस्तियों में सड़कें व नालियां बनवाने के संबंध में । दूसरी सूचना श्री विजय पाल सिंह जी की फतेहाबाद विकास खण्ड में आवारा पशुओं द्वारा कृषि फसल नष्ट करने के संबंध में । तीसरी सूचना श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी जी की फैजाबाद की बीकापुर तहसील में अधिसंख्य राजकीय नलकूपों की खराबी के कारण किसानों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में । चौथी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । पांचवीं सूचना है श्री अकबर की टाउन एरिया कुन्दरकी मुरादाबाद में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय अनियमिततायों के संबंध में । छठी सूचना है श्री हृदय नारायण जी की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा बहुत से परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक बदल जाने से परीक्षाफल घोषित न किये जाने के संबंध में और सातवीं सूचना है श्री स्वामी नाथ यादव की देवरिया जनपद में अग्नि पीड़ितों को अहेतुक सहायता देने के संबंध में । शेष सूचनायें अग्राह्य हुईं ।

(सदन की सहमति से सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं)

इलाहाबाद के मोहल्ला नयापुरा (अब्दुल्लापुर नकौली) आचार्य नरेन्द्र देव मार्ग में बसी नयी बस्तियों में सड़कें व नालियां बनवाने के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान इलाहाबाद नगर में स्थित नगर महापालिका, इलाहाबाद सीमान्तर्गत मोहल्ला नयापुरा (असदुल्लापुर नकौली) आचार्य नरेन्द्र देव मार्ग में बसी नयी बस्तियों में सड़क नाली का

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अभाव एवं पेयजल की समस्या से ग्रसित क्षेत्रीय नागरिकों की समस्या के संबंध में एवं नधपूरा तथा कालानगर के बीच में पड़ने वाले नाले पर पुल न होने से क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में हो रही भारी कठिनाइयों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस संबंध में मुख्य नगर अधिकारी नगर महापालिका इलाहाबाद एवं उपाध्यक्ष इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपरोक्त समस्याओं को इनके समक्ष कई बार उठाया भी गया किन्तु उदासीनतापूर्ण रवैये के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

जनपद आगरा के फतेहाबाद विकास खण्ड में आवारा पशुओं द्वारा कृषि फसल नष्ट करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विजय पाल सिंह–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत फतेहाबाद विकास खण्ड में आवारा पशुओं (गाय आदि) जो मालिकों द्वारा मुक्त कर दी गयीं हैं एवं अब स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। जिनकी संख्या लगभग 500 के आस-पास है वहां के निवासी किसानों की उपज को भयंकर रूप से हानि पहुंचा रही हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में विकाराल रूप धारण कर लिया है और वहां के किसान निरीह होकर अपने फसलों की बरबादी देख रहे हैं, यदि उक्त समस्या का निदान शीघ्र ही नहीं किया गया तो सिवाय किसानों के पलायन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि इन आवारा किस्म की गायों को पकड़वा कर गो-सदन में भिजवाने की कृपा करें ताकि मेरे क्षेत्र के किसानों को राहत अनुभव कर सकें और मूल्यवान फसल को बचाया जा सके।]

फैजाबाद की बीकापुर तहसील में राजकीय नलकूपों की खराबी से गम्भीर कृषि संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी–

[मान्यवर, फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील में 90 प्रतिशत से अधिक राजकीय नलकूपों की खराबी से किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। इधर गत 3 माह से जो भी राजकीय नलकूप खराब हुए उन्हें ठीक नहीं कराया गया वस्तुतः किसानों के गेहूं, गन्ना व अन्य फसलों में राजकीय नलकूपों के चलने पर भी उनकी नालियों व गूलों के टूटने के कारण खेतों तक पानी न जा सका।

फैजाबाद के राजकीय नलकूपों के वर्कशापों में बिगड़े नलकूपों के मोटर स्टार्टर का जखीरा जमा हो गया है बड़े पैमाने पर मोटर के तार व अन्य उपकरण खुले बाजार में चोर बाजारी से बेचे जा रहे हैं।

अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता कभी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण के लिए न तो जा रहे हैं और न ही उन्हें कोई चिन्ता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थिति भयावह है इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट कर बीकापुर ग्रुप की समस्त खराब नलकूपों को तुरन्त ठीक कराने तथा बीकापुर तहसील मुख्यालय पर एक वर्कशाप खोलने की मांग करता हूं।]

जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्रान्तर्गत घाघरा नदी के भीषण कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा के अन्तर्गत घाघरा नदी के भीषण कटान से इस क्षेत्र की कई गांव सभायें नदी में विलीन होने की स्थिति में आ गयी हैं। जिसमें ग्राम सभा सूरजपुर रोशनपुर, धर्मपुर तथा परसिया एवं सिहूलीया मुख्य रूप से आते हैं जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम परसीया में एक पक्का ठोकर बनाने हेतु स्वीकृत मिल गयी है जिस पर कार्य प्रारम्भ है। लेकिन ग्राम सूरजपुर एवं रोशनपुर ग्राम को बचाने हेतु पक्का ठोकर बनाना जनहित में आवश्यक है। ग्राम रोशनपुर एवं सूरजपुर की आबादी लगभग 10 हजार के ऊपर है कम से कम तीन सौ घर हैं अगर यह ग्राम कटा तो शासन को भी इनको बसाने हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। जनहित में पक्का ठोकर बनाना अति आवश्यक है।

अतः इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करूंगा कि शासन की स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें।]

टाउन एरिया कुन्दरकी मुरादाबाद में नेहरू रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अकबर–

[मान्यवर, कुन्दरकी टाउन एरिया जनपद-मुरादाबाद में शासन द्वारा प्राप्त 90 हजार रुपये नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में व्यापक पैमाने पर विभिन्न मदों आदि पर दिये गये अनुदान का हेरा-फेरी किया गया है। वाटर पाइप लाइन बिछाने के नाम पर घटिया किस्म के पाइपों को लगाकर सरकारी धन की खुली लूट की गयी है। टाउन एरिया के सदस्यों को बिल्कुल जानकारी तक नहीं होने पाई है।

अध्यक्ष एवं सचिव, टाउन एरिया कुन्दरकी के इस अवैधानिक कार्य से सार्वजनिक हितों का कुठाराघात हुआ है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य-संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाय और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनेकों परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक बदल जाने से परीक्षाफल घोषित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनावश्यक रूप से परीक्षाफल रोके जाते हैं और घोषित करने में टालमटोल होता है । वर्ष 1990-91 की परीक्षाओं में बहुत से परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक बदल जाने के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया जा सकता था । उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज, महसी, जनपद बहराइच केन्द्र में सम्पादित हाई स्कूल परीक्षा में केन्द्र व्यवस्थापक एवं दो अध्यापकों की मिलीभगत से परीक्षार्थी अशोक कुमार सिंह व कुमारी वीरमती देवी के अनुक्रमकों की अदला-बदली की गई कुमारी वीरमती देवी परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुईं । लिखा-पढ़ी करने पर केन्द्र व्यस्थापक ने इस मामले में एक वर्ष बीतने के बाद भी आज तक परीक्षार्थी अशोक कुमार का परीक्षाफल घोषित नहीं किया है ।

इसी प्रकार वर्ष 1993 में इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थी श्री मान सिंह का अनुक्रमांक 496475 का परीक्षाफल भी घोषित नहीं किया गया है । इसी प्रकार अनेकों उदाहरण हैं जिससे जनरोष है ।

अतः लोक महत्व की उस समस्या को सदन की जानकारी में लाकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद देवरिया में अग्निपीड़ितों को अहेतुक सहायता दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामीनाथ यादव–

[मान्यवर, देवरिया जनपद में भीषण अग्निकाण्ड इस वर्ष हुआ है परन्तु जिला प्रशासन सम्पूर्ण गांव जल जाने के पश्चात् शासनादेशों के विपरीत कार्य कर रहे हैं तथा तत्कालीन अहेतुक सहायता धनराशि तथा गृह अनुदान की राशि को आवंटित नहीं कर पा रहे हैं । तहसील सलेमपुर अन्तर्गत ग्राम धनौती बनकटा दीक्षित में भीषण अग्नि काण्ड के पश्चात् वहां के अधिकारियों ने वहां के लोगों को अहेतुक सहायता धनराशि इसलिए नहीं दी है कि उन लोगों के पास भूमि और नौकरी है लोगों का पूरा मकान, सामान, अनाज जलकर राख हो गया, लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । परन्तु अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं । जबकि वहां के लोग एक-एक दाने के मुहताज हैं ।

इस संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नियम 56 की सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें । उस पर व्यवस्था दे दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है । इस संबंध में जो संगत नियम हैं उस पर हमारी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

किस विषय पर लूंगा और किस ढंग से लूंगा, इस पर कोई व्यवस्था नहीं (व्यवधान)

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

अब लाल जी वर्मा जो कुछ कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई सदस्य इस पर कुछ भी कहे वह लिखा नहीं जायेगा ।

नियम 56 में एक ही सदस्य द्वारा दी गयी दो सूचनाओं को सुने जाने के संबंध में जानकारी

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इस संबंध में आपकी सहायता के लिये कुछ कहना चाहता हूं उसे सुन लें । आप जो व्यवस्था दे देंगे वह ठीक होगी, नियमों को निलम्बित करने का आप को अधिकार है, लेकिन नियम यह है कि यदि कोई एक सदस्य दो सूचनायें दे दें तो उसकी दोनों सूचनायें सुनी जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इनकी पहली सूचना नियम 56 में तो तीन लोगों के साथ थी । इनके साथ तीन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किये थे (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अभी इनकी दूसरी सूचना सुनूंगा ।

नियम 56 की सूचनाओं को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री लाल जी वर्मा–

[xxx] मेरी व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें, उस पर व्यवस्था दे दें ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

जब मैं नियम 56 लूंगा तो आप इसको कहियेगा ।

श्री अध्यक्ष–

डा० बृजभान जी आप बोलें (व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें । नियमों के विपरीत यदि कोई कार्य होगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण करें । मा० सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) मा० सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री लाल जी वर्मा को सदन त्याग करने के निर्देश

श्री अध्यक्ष–

आप अपना स्थान ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसलिये प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 (1) के अनुसार आप सदन का त्याग करें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मैं सदन का त्याग कर रहा हूं [xxx]

(श्री लाल जी वर्मा सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने पर उसका अनुपालन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, इस सदन में अनेक मा० सदस्यों द्वारा ढेर सारी सूचनायें दी जाती हैं और नियमों के तहत आप किसी मा० सदस्य को सुन लेते हैं, किसी को ग्राह्यता पर सुन लेते हैं और किसी को लिखित सूचना के आधार पर सरकार को निर्देश दे देते हैं कि सरकार इस तरह से काम करे । मान्यवर, नियम यह है कि जिसे देखें जो विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा जारी किये गये करण संख्या 16 के अनुदेश संख्या 19 में साफ लिखा है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये शासन द्वारा जो भी कार्यवाही की जाये उसकी सूचना मा० सदस्य को और विधान सभा को यथाशीघ्र भेज दी जायेगी । लेकिन मान्यवर, मेरा कहना है कि मा० सदस्य को कृत कार्यवाही की सूचना सरकार नहीं भेजती है । इसलिये निवेदन है कि संसदीय मूल्यों को कायम रखने और उनकी रक्षा करना विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी है । सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी इसलिये बढ़ जाती है कि सत्ता पक्ष के लोग ही अन्ततः जिम्मेदार हैं । इसलिये अनुरोध है कि आप व्यवस्था दें और शासन को निर्देश दें कि कृत कार्यवाही से मा० सदस्य को शासन अवगत करा दिया करे ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मा० सदस्य ने जो ध्यान आकृष्ट किया वह नियमानुकूल है और हमारा प्रयास होता है कि कृत कार्यवाही से मा० सदस्य को अवगत करा दिया जाय । लेकिन यदि कोई विलम्ब हो रहा है तो उसको हम दिखवा लेंगे ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

डा० बृजभान और मा० संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे ऐसी शिकायतें मिली थीं कि अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों का समय से अनुपालन नहीं किया जा रहा है और सूचनाओं पर कृत कार्यवाही से मा० सदस्यों को समय से अवगत नहीं कराया जाता है, इसलिये अपेक्षा करता हूं कि आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मा० सदस्यों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर कार्यवाही समय से हो और उन मा० सदस्यों को समय से सूचना भी दी जाय ।

दिनांक 21 अप्रैल, 92 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर से संबंधित विधायकों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक शब्द प्रयोग होता है, वह यह है कि ''आपराधिक इतिहास बता दूंगा'' और इसके नाम पर सदस्यों की सुरक्षा की बात उठायी जाती है तो सरकार की तरफ से बड़े स्वाभिमान और दम्भ से कह दिया जाता है कि मैंने आपके आपराधिक इतिहास को बता दिया तो आगे गड़बड़ हो जायेगा । मान्यवर, 'आपराधिक इतिहास' एक ऐसा शब्द है, जिसकी परिभाषा अभी तक हम लोग नहीं जान पाये हैं । एक बार आपकी अनुज्ञा से यह सवाल लाया गया था और उसके उत्तर में माननीय शाही जी, राज्य गृह मंत्री जी ने यह बताने की चेष्टा की थी कि आपराधिक इतिहास जिन माननीय सदस्यों के हैं, उनको सुरक्षा के लिये आर्म्स लाइसेंस नहीं दिये जा सकते हैं । मैंने अपनी नोटिस में 21 अप्रैल, 1992 की सूचना का भी हवाला दिया है जिसमें सरकार द्वारा आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस जारी किये जाने की नीति का उल्लेख किया गया है । सरकार की आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जाने की नीति के अन्तर्गत यह कहा गया था कि लाइसेंस उन्हीं विधायकों को दिये जायेंगे जिनका आपराधिक इतिहास न हो । जब अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तो आपने कृपापूर्वक माननीय गृह राज्य मंत्री को इशारा किया था कि वह आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर दें माननीय मंत्री जी इस शब्द की व्याख्या नहीं कर पाये । इस ''आपराधिक इतिहास'' शब्द का प्रयोग सरकार विपक्ष के माननीय सदस्यों को अपमानित करने के लिये करती है । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कलराज मिश्र जी ने एक सूची जारी की थी । उस सूची के आधार पर इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों को अपराधी बना दिया था । आपराधिक सूची और आपराधिक इतिहास शब्द की परिभाषा सुनिश्चित होनी चाहिए । मेरा भी नाम इस सूची में था ।

मान्यवर, 1975 में जब श्री जय प्रकाश जी आन्दोलन चला रहे थे, उस समय मैं भी जेल गया था । हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र जी भी उसमें रहे होंगे । देश की भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े नेता हैं, श्री अटल बिहारी जी, वह भी उस समय जेल गये थे । तो मान्यवर, उस अपराध के आधार पर, जो देश के लिये, देश को बचाने के लिये जेल जाने वाले लोगों ने किया हो वह अपराध नहीं हैं । जानबूझकर किसी को अपराधी कहा जायेगा तो इससे अधिक शर्मनाक और बात क्या हो सकती है । इस तरह की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जाती है । इसी तरह से 21 अप्रैल, 1992 को एक सवाल और था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने हिसाब से आपराधिक इतिहास क्या है ?

इसको स्पष्ट किया था । वह सवाल मैंने उन्नाव जनपद के बी० जे० पी० के कोई एक कार्यकर्ता ही कहिये, उनका नाम है कृष्णा दत्त शुक्ला, निवासी मौरावां के हैं उनके ऊपर नौ मुकदमें हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिसके ऊपर 9-10 मुकदमें हों तो इसके लिये आपराधिक इतिहास नहीं बनता और उसे रिवाल्वर का लाइसेंस, गनर और अन्य सुरक्षा दी जा सकती है । मान्यवर, इस तरह से जब कोई और अपराधी, जिसके ऊपर हत्या के मुकदमें हों, डकैती के मुकदमें हों, लूट के मुकदमें हों तो उसकी परिभाषा अपने ढंग से आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में यह सरकार कर लेती है । विपक्ष का कोई कार्यकर्ता हो तो उसके सम्बन्ध में यह परिभाषा लागू की जाती है ।

मान्यवर, हम आज तक आपराधिक इतिहास नहीं समझ पाये हैं । आपने कृपा करके शाही जी को निर्देशित भी किया था कि वह इसकी व्याख्या कर दें । इसी तरह से झांसी के सजायाफ्ता श्री मूलचन्द्र पुत्र बाबूलाल जी निवासी नई बस्ती झांसी के हैं जिनके ऊपर 21 मुकदमें गुण्डई के हैं, 294 है, बलात्कार और भी न जाने कितने मुकदमें हैं अगर मैं पढ़ूं तो सदन का समय खर्च होगा । 21 मुकदमें वाले व्यक्ति के लिये सरकार कहती है कि यह अपराधी नहीं है । इनको गनर मिला है, सुरक्षा सुविधायें मिली हैं । मान्यवर, आज यह स्पष्ट हो जाना बहुत जरूरी है कि आपराधिक इतिहास का क्या तात्पर्य है । सरकार की दृष्टि में अपराधी कौन है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि न्यायालय में किसी व्यक्ति पर जब मुकदमा होता है तो वह दो कारणों से ही छूटता है । एक तो यह कि वह निर्दोष होता है और दूसरा यह है कि उसमें गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा । मान्यवर, इस तरह से यह बात भी कुछ बड़ी स्पष्ट नहीं थी । आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि इस "आपराधिक इतिहास" शब्द की सही परिभाषा क्या है ? मान्यवर, अक्सर यह सरकार, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, जिनको सरकार चाहती है किसी न किसी तरह से बदनाम करे, उनके लिये इस शब्द का प्रयोग करती है । आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसकी ठीक-ठीक परिभाषा बताई जाय । मान्यवर, यह व्यवस्था आपके माध्यम से चाहता हूं ।

[समय : 2 बजे]

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में कैसे आएगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, 300 में इसलिए आता है कि 21 तारीख को राज्य गृहमंत्री जी से कहा था कि वह बतायें आपराधिक इतिहास से क्या तात्पर्य है और आज यही मामला सदन के संज्ञान में है, आपके संज्ञान में है तो मान्यवर, यह नियम 300 में आता है ।

(व्यवधान)

(श्री राम औतार शाक्य के उठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी ने कह दिया है अब आप क्यों खड़े हो रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा । मान्यवर, जैसा आपने निर्देशित किया कि नियम 300 में कैसे आता है मान्यवर, यह विधायक और यह सदन संविधान के तहत यहां बैठे हैं । विधायक भी किसी संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार चुनकर आता है । विधायकों को अपराधी कह देना उनकी सुविधा छीन लेना चाहे किसी मापदण्ड के आधार पर यह कह देना कि यह खतरनाक है बराबर अपराध करता रहा है यह सही नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि कोई नागरिक जो यह सूचना देता है कि मेरे जीवन को खतरा है तो यह फर्जी कार्यवाही कर मुकदमें कायम करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, सरोही जनपद मैनपुरी में कृष्ण मोहन के घर में घुसकर लाइसेंस और बंदूक तथा कारतूस ले गये पुलिस वाले ।

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना को इसमें क्यों ले आए ?

श्री राम औतार शाक्य–

.मान्यवर, 7-3-92 सांय 4 बजे का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

बोलने की स्वतंत्रता का इस प्रकार से उपयोग न करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कह दूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने दो बातें रखीं एक तो इन्होंने सूची का हवाला दिया जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है । और दूसरी जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और जो दो दलों के अध्यक्षों द्वारा प्रकाशित की गई है । इस सदन से उस सूची का कोई मतलब नहीं है । दूसरी बात आपराधिक इतिहास के बारे में कही गई तो आपराधिक इतिहास में जिसका इतिहास रहता है, या जो अपराध करता है इसमें नियमों के अनुसार तय होता है जैसे जिलाधिकारी को किसी ने दिया किसी के बारे में, कि इसका आपराधिक इतिहास क्या है तय करें, तो वह जो आपराधिक इतिहास तय करते हैं उसमें अगर आप गलत समझते हैं तो उसमें अपील की व्यवस्था है इसमें सम्मान और असम्मान जैसी कोई बात नहीं है, न ही कोई भेद का सवाल है उसमें चाहे उधर के बैठने वाले हों, चाहे इधर के बैठने वाले हों नियम सबके लिए एक ही हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

किसी पर मुकदमा चले वह अपराधी है या जो छूट गया वह अपराधी है ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा दायरा बहुत सीमित हैं नियम 300 के मामले में । माननीय दीक्षित जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूं ।

* श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, आपने कहा कि मेरा दायरा बहुत सीमित है तो फिर हमारे अधिकारों को कौन संरक्षण देगा ? यह बात कहकर आप हमारा अहित कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 300 की सूचना के बारे में कहा है कि मेरा दायरा सीमित है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस सदन में अपराधी शब्द और आपराधिक इतिहास शब्द अक्सर आते हैं । सरकार की तरफ से स्पष्ट करा दीजिये कि इसका तात्पर्य क्या है, सरकार की दृष्टि मैं कौन अपराधी है और कौन नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

किसी और उचित समय पर और किसी उचित नियम में इसकी व्याख्या करवा दी जायगी ।

*श्री महराज सिंह यादव–

मान्यवर, जो सूची प्रकाशित हुयी है इसमें हमारा भी नाम है । हम लोगों को बदनाम करने के लिये यह सूची प्रकाशित करायी गयी है । हमारा नाम कहीं किसी मामले के संबंध में नहीं मिलेगा । यह जो सूची प्रकाशित की गयी है इसकी जांच करवायी ज़ाय कि सत्तापक्ष और विपक्ष में कौन-कौन से लोग अपराधी हैं । जनता जब ऐसी सूचनायें अखबारों में पढ़ती है तो उसके दिमाग पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है ।

*श्री शिव कुमार बेरिया–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, यह लिखा नहीं जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जा रहा है ।

श्री शिव कुमार बेरिया–

[× × ×]

श्री लालजी वर्मा के सदन से निष्कासन की वापसी

* श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, हमारे साथी माननीय लालजी वर्मा को आपने बाहर जाने के निर्देश दिये थे । मान्यवर, आप उन पर नाराज हो गये । मेरा निवेदन है कि उनको वापस बुलाने के लिये आदेश कर दें । अपने आदेश को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैंने अपना आदेश वापस ले लिया है । मैं किसी पर नाराज नहीं होता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया, अगर किसी को आपने अनुशासनहीनता के कारण सदन की सेवा से हटाया है तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि उनको एक मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने वापस ले लिया है ।

औचित्य के प्रश्न की शेष सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

शेष जो सूचनायें हैं मेरे विचार से वह प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है के निर्वाचन या प्रवर्तन से संबंधित नहीं हैं ।.....

(कुछ मा० सदस्यों के खड़े होने पर)

इसमें शेष जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे मेरे विचार से नियम 300 से संबंधित नहीं हैं । फिर भी मैं सुन लेता हूं । मेरा निवेदन है कि एक-एक मिनट में अपनी बात कह दें । मैं सबकी बात सुन लूंगा ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पत्रकारों पर हो रहे हमले के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली के अन्तर्गत एक दरोगा ने अमर उजाला के एक पत्रकार मौर्या को मारा पीटा, इस सम्बन्ध में मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं। उस पत्रकार ने उस थाने से संबंधित अपराधों को विस्तृत रूप से क्रमानुसार छाप दिया क्योंकि थाने में अपराध लिखे नहीं जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो उस पत्रकार को धमकाया गया, बेइज्जत किया गया और जान से मारने की धमकी दी गयी। आज स्थिति यह है कि, आप संरक्षण दें, अगर पत्रकार पत्रकारिता के माध्यम से सभी बातों को उजागर नहीं कर सकेंगे तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। लिखने की स्वतंत्रता के अन्तर्गत उस पत्रकार ने इस सरकार के दरोगा की सही बात छाप दी तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि गोरखपुर में भी स्वतंत्र चेतना के पत्रकार को मारा गया। हर जगह पत्रकारों को मारा-पीटा और बेइज्जत किया जा रहा है। उनको मारा-पीटा जायगा और पुलिस प्रताड़ित करेगी तो पत्रकारिता और लोकतंत्र कैसे जिन्दा रहेंगे। इसलिये जरूरी है जो यह मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, मैं निवेदन करूंगा कि इसको नियम 300 में औचित्य के रूप में स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ यादव की सूचना सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम 300 में यह सूचना नहीं आती, इसलिये अग्राह्य कर रहा हूं।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की मरम्मत संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश का शासन द्वारा अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, में एक गम्भीर मामला सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पढ़ लिया है। यह बता दें कि नियम 300 में कैसे ग्राह्य हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपने सुनने के लिये कहा तो मैं बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, मैंने इसमें संविधान के अनुच्छेद 214, 215 और 216 का हवाला दिया है, देखने का कष्ट करें। इसी के द्वारा न्यायालयों का गठन होता है। हमारी यह परिपाटी नहीं है, पहली बार एक बात सदन में आ रही है कि अगर कानून का सहारा छोड़ देंगे तो कानून बहुत कमजोर हो जायगा। जिस मुद्दे पर मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं। इसमें शासन और सरकार की तरफ से कानून का आदर नहीं होगा तो यह समझा जायगा कि न्यायालय के फैसले का अनादर हुआ है, अवमानना हुई है। अवमान हुआ है और मान्यवर, कुछ दिनों पहले, इसकी तिथि तो नहीं जानता, हाई कोर्ट की खण्ड पीठ, लखनऊ में एक दरख्वास्त लगी और यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि की मरम्मत..... (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह मैं इजाजत नहीं देता हूं । मैं खाली यह जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के किन नियमों के प्रवर्तन और निर्वचन की बात है अथवा संविधान के प्रवर्तन और निर्वचन की बात है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मामला सदन में रोज आया है और न्यायालय के ताल्लुक से आया है । इसमें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला हुआ है, उसकी कापी मेरे पास है । मैं इसमें मन्दिर और मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा हूं, यह मामला ही अलग है । इसके बारे में 3-9-91 को फैसला हो चुका है, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं, उसका दायरा सीमित रहता है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर यह सूचना नियम 300 में नहीं दी जा सकती है, तो फिर आखिर नियम 300 में कौन सी सूचना दी जा सकती है ? मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि 3-9-91 को इसमें हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला किया है । मान्यवर, 3-9-91 को न्यायालय ने मरम्मत कराये जाने की अनुमति दे दी थी । यह अनुमति मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के लगभग तीन महीने के बाद दी गयी थी । यदि सरकार चाहती तो यह दरख्वास्त खारिज भी करवा सकती थी, मगर ऐसा न करके सरकार ने स्वतः मरम्मत की अनुमति न्यायालय से प्राप्त की, लेकिन किसी कारणवश उसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई जा सकी है, जिससे न्यायालय के द्वारा दी गयी राहत का अवमानना हो रही है । मान्यवर, दोनों पक्ष उसे अपनी प्रापर्टी क्लेम करते हैं । मान्यवर, वह इमारत टूटे नहीं, उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसमें कोई नुकसान न हो, मान्यवर, 30-9-91 को और 2 अक्टूबर, 1991 को जो कुछ हुआ है, जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी मरम्मत नहीं कराई गयी है । मान्यवर, सरकार को न्यायालय के फैसले का आदर करना चाहिए । मान्यवर, इसके आखिरी पैराग्राफ में कहा गया है–"वी परमिट द स्टेट गवर्नमेंट टू कैरी आउट द रिपेयर्स रीफर्ड टू इन पैराग्राफ–5" ऐसी स्थिति में अदालत आपको रिपेयर की इजाजत दे रही है । लेकिन उक्त मस्जिद और राम मन्दिर की मरम्मत नहीं की जा रही है । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर इस न्यायालय के फैसले को सरकार नहीं मानती है और राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद की मरम्मत नहीं कराना चाहती है, तो आप इसमें उचित निर्देश देने की कृपा करें । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि न्यायालय के फैसले का पालन यह सरकार करेगी या नहीं करेगी ?

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने पहले ही कह दिया कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, तो इसमें जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में सरकार से कुछ घोषणा करने की अपेक्षा की है और चर्चा की है। पूरी सूचना को पढ़ने के बाद और माननीय सदस्य को उस पर सुनने के बाद मैं समझता हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री मदन भइया सदस्य विधान सभा को सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र चल रहा है और हमारे दल के एक माननीय सदस्य जो पिछले उप चुनाव में निर्वाचित हुये थे, अब तक इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाये हैं। वह हमारे दल के सदस्य हैं और हमारे दल के लोग ही नहीं जानते हैं कि उनका चेहरा कैसा है, उनको अभी देखा तक नहीं है। श्रीमन् सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सदन के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं, उनकी रक्षा करे और उनमें किसी प्रकार से बाधा न डाली जाये। उनके अधिकारों की आप सुरक्षा करें। मदन भइया दिल्ली जेल में बन्द हैं, हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं है कि वह किस दफा में बन्द हैं और उन पर कितने मुकदमें चलाये जा रहे हैं और उनको कब तक छोड़ा जायेगा। श्रीमन्, इस सदन ने भी और न्यायालय ने भी यह फैसला दिया है कि जब तक किसी के खिलाफ अपराध साबित न हो जाये, उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता है। मान्यवर, मदन भैया दिल्ली जेल में बन्द हैं। जब वह इस सदन के सदस्य निर्वाचित हो गये, तो उनके मामले की समीक्षा जल्दी करनी चाहिये थी और सरकार को दिल्ली प्रशासन पर दबाव डालना चाहिये था कि उनको रिहा करें जिससे वह इस सदन की कार्यवाही में भाग लें सकें, उनको इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिये था, बजट सत्र चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है आप मदन भैया के मामलों की समीक्षा करायें और उनको इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया जाये।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हर सदस्य को संवैधानिक अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाही में भाग ले। माननीय सदस्यों ने इस सदन में उनकी शक्ल नहीं देखी है। आप कम से कम उनको एक बार बुला तो दें और उनका परिचय करा दें।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जहां तक उनके हितों की सुरक्षा का प्रश्न है, आप व्यवस्था करें। जनता ने उनको चुना है और वह अपनी जनता का प्रतिनिधित्व इस सदन में नहीं कर पा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने जिस बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है, उसके सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 190(4) को देखने का कष्ट करें, जिसमें यह व्यवस्था है कि "यदि किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा, परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जायेगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये स्थगित रहता है।" मान्यवर, यहां पर स्थिति भिन्न है। आपने उनको शपथ दिला दी, लेकिन यहां पर लाने का जहां तक सवाल है, वह किसी मामले में इनवाल्व हैं। किसी दूसरे प्रदेश की सरकार ने उनको बन्द किया है। नियमावली में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उस सरकार पर दबाव डाल सकें, या अपील कर सकें कि उनको वह छोड़ दे। अगर ऐसी व्यवस्था होती तब तो दूसरी बात है, लेकिन वह किसी अपराधिक मामले में बन्द हैं, तो कैसे दबाव डाला जाये। अगर वह रिहा हो जायेंगे, तो वह इस सदन में हिस्सा लेंगे, कोई रुकावट नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो अन्तर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, उनमें तो सरकार हस्तक्षेप करती ही है, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं दिल्ली प्रशासन से जानकारी प्राप्त करूंगा कि उनके ऊपर कितने और किस दफा में मुकदमें चल रहे हैं और उनके समाप्त होने में कितना समय लग सकता है ? मैं पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा।

माननीय वर्माजी ने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है, वह इस नियम के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इस व्यवस्था के साथ इसे अग्राह्य करता हूं।

प्रदेश में लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शिवकुमार बेरिया–

मान्यवर, जब से यह सरकार इस प्रदेश में आई है तब से निरन्तर लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। मान्यवर, उसका एक उदाहरण है कि कानपुर शहर के बी० एन० एस० डी० कालेज के छात्र बिजली न आने के कारण सड़क पर मीटिंग कर रहे थे रात्रि में पुलिस ने उन छात्रों पर भयंकर रूप से लाठी चार्ज किया और इतना ही नहीं छात्रों पर लाठी चार्ज करने के बाद पुलिस सीधे छात्रावास में घुस गयी बिना अनुमति लिये हुए और वहां पर कई छात्रों को मारा गया और उसके बाद कमरा नं० 71 में बी०एस-सी० का छात्र रहता था उसका भाई उससे मिलने आया था जिसका नाम भूपेन्द्र सिंह था वह अपने कमरे में बैठा हुआ पढ़ रहा था उनको मारा गया और जेल भेज दिया गया और तमाम छात्रों को जो छात्र छत पर सोते हैं पुलिस छतों पर चढ़ गयी और उनको मारा पीटा गया उनका सामान लूट लिया गया और उसके बाद जेल में भेज दिया गया आज 35 छात्र जेल में बन्द हैं छात्रों के खून से पूरा छात्रावास लाल हो गया है और छात्रावास के कमरों के दरवाजे टूटे हुए हैं और पुलिस की इस दरिन्दगी के बाद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है अब उन छात्रों का क्या दोष है मैं चाहता हूं कि आप प्रयास करें कि संसदीय कार्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन आ जाय कि जो

निर्दोष छात्र हैं उनको अविलम्बनीय छोड़ा जायेगा और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेरिया जी को सुनने के बाद मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं । यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 का शासन द्वारा त्रुटिपूर्ण उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिवंश सहाय जी आपकी सूचना तो नियम 300 में आती नहीं है इसमें शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है ।

* श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, यह काफी महत्वपूर्ण मामला है । मान्यवर, मालवीय आयुर्वेद कालेज, भटनीपार, देवरिया खुला हुआ है उसमें बी० एम० एस० की पढ़ाई होती है मैंने इसका प्रश्न किया था कि किस विश्वविद्यालय से इसकी मान्यता है तो जवाब मिला कि बी० एम० एस० की पढ़ाई के लिए कोई मान्यता नहीं है मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 2 माह से 500 छात्र विधान सभा के बाहर अनशन कर रहे हैं उनसे पिछले 5 साल के अन्दर 50 लाख रुपया वसूल हुआ है, कालेज बन्द कर दिया गया, छात्र लखनऊ में आ गये कि उन लोगों ने 50 लाख रुपया डोनेशन के नाम पर लिया है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना है और निवेदन है कि यह 500 छात्र हैं और इन्होंने 50 लाख रुपया डोनेशन भी दे दिया और सड़कों पर खड़े हैं मैं चाहता हूं कि इनका समायोजन कर लिया जाय और जिन लोगों ने 50 लाख रुपया वसूले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करायें, यह छात्रों के भविष्य का सवाल है । पिछले 10 साल से यह कालेज चल रहा है और जिनसे यह डोनेशन लिया गया है वह विधान सभा के गेट नम्बर 2 के बाहर अनशन कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिवंश सहाय जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम 300 में नहीं आती है फिर भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्र निकाल दिया जायेगा ।

बस्ती जिलान्तर्गत थाना रुधौली में एक निर्दोष व्यक्ति को पेड़ काटने के जुर्म में प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री विजय सिह राणा–

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि दिवाकर विक्रम सिंह जी के जिले का मामला है आप उनको सुन लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं आपको लिखकर दे चुका था, यह आपके संज्ञान में आ चुका है यह उसी से संबंधित था, इस सदन में उठाया गया है ।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति को पकड़ कर उससे 5 हजार रुपये दरोगा ने रात में वसूले । जांच के लिए सी० आई० डी० को भेज दिया है । एक तारीख को सी० आई० डी० के इंस्पेक्टर ने मौके पर जाकर जांच की । मुझे पता चला है कि प्राइमा फेसी केस स्टैब्लिस्ड हो गया है जिससे रुपया लिया गया उसने अपना बयान दिया है जिससे उसने रुपया उधार लिया था उसने अपना बयान दिया है उसके बाद से आज तक न तो जांच को पूरा किया जा रहा है और न आगे कोई कार्यवाही हो रही है । इस बीच में संबंधित थानाध्यक्ष रोजाना जिन लोगों ने बयान दिये हैं उनको प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं । कल मुझे सूचना मिली कि दो व्यक्तियों के बयान हल्फी जबरदस्ती लिखवा लिया । अगर यह स्थिति रहेगी तो घूसखोरी की शिकायत की आवश्यकता ही क्या रह जाती है । यह मामला पहले भी आपके संज्ञान में ला चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना में केवल एक वाक्य समझ में नहीं आ रहा है । यह जो आप ने लिखा है कि मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषित भयमुक्त समाज की घोषणा में 33 गये हैं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, राणा जी ने कहा है इसलिए मैंने बता दिया है । ज्यादा जानकारी आपके और मुख्य मंत्री जी के पास है । प्रतिशोध की जो कार्यवाही हुई है उस पर मा० मुख्य मंत्री जी निर्णय भी ले चुके हैं और आदेश भी दे चुके हैं । प्रश्न केवल इतना है कि दरोगा या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध घूसखोरी की शिकायत की जाती है वह प्राइमाफेसाई स्टैब्लिस्ड हो जाती है तब भी उसको खुली छूट दे दी जाती है। इस पर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक दरोगा के खिलाफ रिश्वत का आरोप लगा, आरोप के बाद लोगों का बयान हो गया जिसने पहले बयान दे दिया था उसी से बाद में एफेडेविट लगवा दिया गया क्या यह साबित नहीं करता है कि दरोगा ने धौंस दी और मामले को बदलने का प्रयास किया । अगर ऐसा होगा तो भयमुक्त समाज कैसे स्थापित होगा ?

श्री अध्यक्ष–

श्री विजय सिंह राणा और दिवाकर विक्रम सिंह को सुनने के बाद मैं संतुष्ट नही हूं । नियम 300 के अन्दर जो सूचना दी है उसे निरस्त कर रहा हूं । मैं मा० गृह राज्य मंत्री का ध्यान इस और आकृष्ट कर रहा हूं ।

---

* सदस्यता ने [illegible]

नवगठित जनपद मऊ में जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इस सदन में यह घोषणा की जा चुकी है कि नवसृजित जनपदों में जिला परिषदों का गठन हो चुका है । इसकी अधिसूचना 21 दिसम्बर, 91 को कर दी गयी इसकी सूचना सदन में दे दी गयी । इतना मैं जानता हूं कि मऊ जनपद के बारे में व्यक्तिगत रूप से कहूंगा किसी जनपद में अभी तक किसी जिला परिषद् का गठन नहीं हुआ है । अगर गठन हो जाता तो अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था लेकिन किसी भी जनपद में परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है । गठन के बाद कोई बैठक अभी तक नहीं हुई, गठन के बाद परिषद् की समितियों का गठन नहीं हुआ है, जिला परिषद् काम नहीं कर रही हैं जब कि पूरे नवसृजित जनपदों का सीमांकन हो चुका है । इसके बाद भी वर्तमान सरकार इसलिये चुनाव कराने की घोषणा नहीं करती क्योंकि वह जानती है कि जिला परिषदों के अध्यक्ष इन जनपदों में इनके नहीं हो पायेंगे । मऊ जनपद में एक ही इनकी पार्टी का विधायक है, मैं चाहूंगा कि तत्काल माननीय संसदीय कार्य मंत्री घोषणा करें कि इनके चुनाव वे कब करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है, इसलिये निरस्त कर रहा हूं ।

इलाहाबाद के चायल क्षेत्र में हैण्ड पम्पों की खराबी से संबंधित नियम 51 के अन्तर्गत दिनांक 2 अप्रैल, 1992 की सूचना पर नगर विकास मंत्री द्वारा गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की सूचना है, सोनकर जी आपके लिये रास्ता निदेश 165 का है । क्योंकि आपने कहा है कि उत्तर निराधार है अगर उत्तर निराधार है तो निदेश 165 में प्रक्रिया है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, पूरा उत्तर निराधार है, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

अगर उत्तर निराधार है वक्तव्य निराधार है तो निदेश 165 में दे सकते हैं आप प्रक्रिया का अनुपालन करें यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, केवल एक मिनट सुन लें ।

मान्यवर, जनता ने इसलिये चुनकर भेजा है कि जनता की समस्या को सदन के माध्यम से शासन के संज्ञान में लायें उसका सही ढंग से निराकरण हो शासन की तरफ से सही उत्तर सदन के अन्दर आये । हमने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी, यह 2 अप्रैल, 1992 को सूचना दी थी, हमारे विधान सभा क्षेत्र चायल में सारे कुएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सूखे जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें उत्तर क्या निराधार है ?

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मात्र हैंड पम्प के बारे में सूचना दी वह यह दी कि 1342 पूरे चायल में हैंड पम्प हैं जिसमें से मात्र 9 खराब हैं यह बिल्कुल निराधार वक्तव्य है। उसके आधार पर सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि हमारी जो क्षेत्रीय समस्या है उसका तत्काल निदान करें और सदन में सही उत्तर माननीय मंत्रीगण दिया करें इसका निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 की इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं वह चाहें तो निदेश 165 के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

जनपद आगरा में यमुना नदी पर गढ़ी महावन पर बने पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र पाल सिंह आदि की याचिका †

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद आगरा में यमुना नदी पर गढ़ी महावन पर बने पैन्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने के संबध में श्री हरेन्द्र पाल सिंह राणा, निवासी ग्राम बमरौली कटरा, आगरा तथा श्री राम सिंह, निवासी ग्राम कुठावली, आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(व्यवधान)

विशेषाधिकार हनन विषयक श्री बलराम यादव, स० वि० स० द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, गलतबयानी के संबंध में मैंने एक सूचना दी थी, उस पर क्या हुआ यह जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना पढ़ देता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय, यह हम लोगों ने देख ली है।

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष–

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 27 अप्रैल, 1992 को सदन के दिनांक 28 अप्रैल, 1992 से 13 मई, 1992 तक के उपवेशनों के अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

अप्रैल, 1992	
28 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
29 बुधवार 30 गुरुवार	
मई, 1992	
1 शुक्रवार 2 शनिवार 3 रविवार 4 सोमवार 5 मंगलवार	बैठक नहीं होगी ।
6 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992–93 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
7 गुरुवार	1–उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण –आधा घंटा । 2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
8 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
11 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1992–93 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–4.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

12 मंगलवार
13 बुधवार असरकारी दिवस ।]

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो सूचना आज माननीय अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार हनन की दी गयी सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपके यहां विशेषाधिकार की नोटिस दी जाती है तो आपके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि हम इसका परीक्षण करा लेंगे । हमने इस संबंध में एक नोटिस करीब डेढ़ दो माह पहले दी थी, फरवरी की नोटिस है परन्तु अभी तक उसका परीक्षण नहीं हो पाया है तो मेरा विशेषाधिकार में नोटिस देने का औचित्य क्या रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले अद्यतन स्थिति से अवगत हो जाऊं । आप मेरे कक्ष में आकर मुझ से बात कर लीजियेगा ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मेरा भी इसी से सम्बन्धित एक मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

आप भी मुझसे कक्ष में मिल लीजियेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 56 की दूसरी सूचना ले रहा हूं । पहली सूचना को मैं सुन चुका हूं । दूसरी सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की है, तीसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल व श्री हृदय नारायण दीक्षित की है, चौथी सूचना श्री इस्लाम साबिर, श्री नरेश अग्रवाल व श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की है इसमें श्री नरेश अग्रवाल को सुनने का कोई प्रश्न ही नहीं है और पांचवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय की है । इन पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा तथा बाकी जो पांच सूचनायें श्री बाबू राम यादव की, श्री लाल जी वर्मा की, श्री बलराम यादव की, श्री महक सिंह व श्री विजय सिंह राणा की तथा श्री महेन्द्र सिंह भाटी व श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की हैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा था कि लालजी वर्मा को नियम 311 में सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें ।

* गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जब तक स्वामी नाथ यादव एवं लालजी वर्मा किसी विषय पर बोलें नहीं तब तक विषय अधूरा रह जाता है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, इससे पहले भी आपने मुझे बोलने का मौका दिया था । उस समय मैंने एक शासनादेश का उल्लेख किया था जोकि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था । उस शासनादेश के अन्तर्गत पिछली सरकार ने इस प्रदेश की आम जनता तक, गरीब जनता तक, ग्रामीण जनता तक स्वास्थ्य की जो योजनायें हैं, उसे दूर दराज तक पहुंचाने के लिये एक व्यवस्था की थी इस व्यवस्था के तहत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती की गयी थी । उनसे तीन साल के लिये एक बांड भराया गया था और उन्हें कार्य पर लगा दिया गया था । इसके साथ ही साथ एक बात और थी, वह यह कि उनका नाम सेवायोजन कार्यालय से मंगाया गया था और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया । जब उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया तो वहां से उनका नाम काट दिया गया । उसे यह मानते हुए कि उनका नाम काटा गया कि वे अब बेरोजगार नहीं हैं और उन्हें रोजगार मिल गया है । आज जिन बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनके नाम सेवायोजन कार्यालय से काट दिये गये हैं यह भी ज्ञात हुआ कि उनमें जो महिला कार्यकर्ता थीं उनको नौकरी पर फिर से बहाल कर दिया गया है यह उचित है और जो एक हजार के लगभग जो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उनको यह सरकार फिर से नौकरी पर बहाल करे ताकि उन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका उन्हें लाभ मिल सके इसके लिये सरकार को सोचना चाहिए और जो संघर्ष कर रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिये वह उनसे वार्ता करे और तत्काल एक ऐसा उपाय ढूंढ़ें जिससे कि समस्या का समाधान हो सके और उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर अनुबंध ठीक से पढ़ लेते तो शायद विषय कुछ सरल हो गया होता। यह सही है कि 1571 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था, उसमें से लगभग 600 की नियुक्ति की जा चुकी है शेष बच गये हैं । हमने पता लगवाया कि कितने पद रिक्त हैं, तो मालूम हुआ कि 35 पद रिक्त हैं, उन 35 पदों पर भरती कर दी जाय, इसके लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं, शेष के बारे में हम कार्यवाही कर रहे हैं । जहां तक महिलाओं का सवाल है, उसमें माननीय सदस्य को नाराज नहीं होना चाहिए जहां तक नियम की बात है, एक महिला और एक पुरुष को रखते हैं । जो रिक्तियां आयीं, उसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिल गयी और अब हम 35 पुरुष रखने जा रहे हैं, शेष के बारे में जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी ।

–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना श्री नरेश अग्रवाल की है।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, इस प्रदेश की जनता को तो पत्र और पत्रकारों की स्वतंत्र लेखनी और निरपेक्षता पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब से इस उत्तर प्रदेश में इस सरकार का गठन हुआ है, तब से जो पत्र और पत्रकार इनके पक्ष में नहीं लिखते, उनको प्रताड़ित करने का सरकार ने नियम बना लिया है मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से एक ऐसे ही विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से निकलने वाला जनमोर्चा एक अकेला ऐसा समाचार पत्र है जो सहकारिता के माध्यम से चल रहा है और आज 34 वर्ष के अन्दर इस पत्र ने 75 रुपये की पूंजी को 75 लाख कर दिया, यह प्रशंसनीय है। चूंकि यह सरकार इस पत्र के माध्यम से अपने पक्ष में लिखवाना चाहती थी, जिसको इस पत्र ने नहीं किया, इसी वजह से इस पत्र को बंद करने का सरकार षड़यन्त्र कर रही है। मान्यवर, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने कई बार इस तरह के मामलों को प्रश्नों के माध्यम से सदन में रखा और आपने प्रश्न संदर्भ समिति में भी दिया है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का पहला पत्र था, जिसने फैजाबाद में 30 अक्टूबर, और 2 नवम्बर की घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये, उसकी सूचना दी। उत्तर प्रदेश की सरकार, जो राम भक्तों के नाम पर आई है, उसके द्वारा अयोध्या में कितने मन्दिर तोड़े गये, इसकी भी सूचना सबसे पहले इस पत्र ने दी, यही इसका दोष था, जिससे वहां के सांसद, एम०एल०ए० और यह सरकार इस पत्र से नाराज हो गयी। मान्यवर, अभी वहां के डी० आर० ने एक गोपनीय पत्र संख्या–569, दिनांक 25-4-92, ए० आर० फैजाबाद को भेजा और लिखा कि वह दो दिन के अन्दर यह सूचना दें कि इस पत्र ने अपने पिछले 5 वर्षों की आडिट रिपोर्ट दाखिल की या नहीं और यदि दाखिल नहीं की है तो उस पर क्यों न कार्यवाही कर दी जाय। श्रीमन् में बताना चाहता हूं कि इस पत्र की सोसाइटी ने पांचों वर्ष की आडिट रिपोर्ट आडिट कराकर दाखिल कर दी। श्रीमन्, आप जानते हैं कि लखनऊ में प्रतिदिन अखबार के साथ घटना घटी, उसके साथ भी सरकार ने इसी तरह का कृत्य किया, हमारे कानपुर के एक पत्रकार बन्धु के साथ घटना हुयी, स्वतंत्र चेतना के साथ गोरखपुर में घटना हुयी और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जानते होंगे कि किन-किन पर घटना होने वाली होगी या हो रही है। श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत वाक स्वतंत्रता और स्वतंत्र लेखनी का अधिकार दिया गया है। यदि हम उस अधिकार का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल न कर पायें तो संविधान का उल्लंघन है और अगर सरकार किसी सोसाइटी को इस मारे जबरदस्ती करके अपने पक्ष में बिठाना चाहती है, तो यह भी गलत है। अभी आशीष विक्रम राव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी से मिला था, मेरी भी बात हुयी थी, श्री राव सीनियर पत्रकार हैं। श्री शीतला पाल सिंह जो सम्पादक हैं, उन्होंने यदि आरोप लगाया तो यह गम्भीर आरोप है.....

(इस समय 2 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मेरे ख्याल से तो अभी सरकार ने प्रजातंत्र के प्रथम व द्वितीय खम्भे पर अत्याचार किया है परन्तु चौथा खम्भा पत्रकारिता का है। अगर इस पर अत्याचार जारी रहा तो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी लोकतंत्र ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रहेगा। आपका यह अत्याचार, अनाचार व नादिरशाही ज्यादा दिनों तक प्रदेश में नहीं चलेगी। आप यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार वाकई में इस सोसाइटी को ग्रहण करके

उसमें प्रशासक बैठाने जा रही है । डी० आर० ने जो यह पत्र लिखा है (पत्र संख्या 559/आडिट भवन, दिनांक मार्च 25-4-1992) इसकी नियति क्या है, इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी माननीय श्री अग्रवाल जी ने जो विषय उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है । माननीय मुख्य मंत्री जी अक्सर अपनी सरकार के सम्बन्ध में यह बयान देते रहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है । कोई भी सरकार पारदर्शी तभी हो सकती है जब पत्रकारों को अपने लेखन के सम्बन्ध में इतनी छूट हो कि किसी भी सीमा तक सरकार के कृत्यों पर अपनी टिप्पणी कर सकें । जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसीन हुई है तब से पत्रकारों में भय व्याप्त है । मैं नहीं कहता कि यह सरकार के इशारे पर हो रहा है परन्तु जिस ढंग से भी यह हो रहा है आज पत्रकार अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, आपको भी स्मरण होगा इस आदरणीय सदन में "प्रतिदिन" के साथ जो हुआ उसके सम्बन्ध में मामला उठा था और भी ऐसे तमाम पत्र हैं जिनकी मान्यताएं निरस्त कर दी गई । छोटे–छोटे अखबार जो विभिन्न जनपदों से निकल रहे थे उन पर भी किसी न किसी रूप में यह सरकार शिकंजा कसती जा रही है । आज वे अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और न ही अपने कार्यों को सम्पादित करने में स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं । श्रीमन् जनपद फैजाबाद से निकलने वाला अखबार "जनमोर्चा" के मामले को यहां उठाया गया । यह एक अकेला ऐसा अखबार है जिसमें मजदूरों की भागीदारी जो कोआपरेटिव सोसाइटी के प्रबन्ध तंत्र में होनी चाहिए, उसे इस अखबार ने सुनिश्चित किया है और अपने 5 कर्मचारियों को इसमें शामिल किया है । इसकी कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं । प्रेस कौंसिल ने भी इसकी प्रशंसा की है । जब यह विवाद छिड़ रहा था कि अयोध्या में इतने लाख लोग मार दिये गये तो उस समय इस अखबार ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की और इसके लिए प्रेस कौंसिल ने भी इसकी सराहना की । चूंकि वर्तमान सरकार ने यह इरादा कर लिया है कि पत्रकार वही अच्छा है जो मुख्य मंत्री जी की, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की व तमाम मंत्रियों का गुणगान करे और उनके फोटोओं को प्रकाशित करें । मान्यवर, आप भी स्वयं लेखक रहे हैं । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण सरकार की ओर से बनाया जाना चाहिए जिसमें पत्रकार स्वतंत्र रूप से और निर्भीकता पूवर्क अपनी बात लिखे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए । जिस पत्र का उल्लेख किया गया है । जनमोर्चा अखबार को दबाने के लिए एक पत्र इनकी तरफ से भेज दिया गया उनको मैं आप कहें तो भेज दूंगा उसमें अन्त में दो बातें बहुत गम्भीर हैं । इसमें मांग की गयी है कि 5 वर्ष की बैलेंसशीट बनी की नहीं उसे भेज दिया जाय और अन्त में कहा गया कि प्रत्येक दशा में 27-4-92 को देना सुनिश्चित करें । तो 5 साल की बैलेंसशीट को भेजने के लिये 25 तारीख को यह चिट्ठी लिख रहे हैं और कहते हैं कि 27 तारीख तक जवाब आ जाय । 25 तारीख को चिट्ठी चल भी नहीं पायी होगी तो 27 को सूचना कैसे पहुंच जायेगी । तो साफ-साफ प्रतीत होता है कि सरकार की कोई दुरभिसन्धि, किसी न किसी तरह का षडयंत्र करके अखबार को बन्द करने की है । तो यह बहुत गम्भीर विषय है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यह पत्रकारिता पर हमले का मामला है । आदरणीय सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ताकि सत्ता पक्ष के विधायक भी इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

श्री रोजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, फैजाबाद से प्रकाशित दैनिक के प्रधान सम्पादक माननीय शीतला सिंह जी के साथ पिछले 30 सालों से मेरा सम्बन्ध है । अभी उनके आमंत्रण पर मैं (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

जिससे यह अपना सम्बन्ध बताते हैं उसी को [xxx] (व्यवधान) मेरा इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) बी०जे०पी० से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बी०जे०पी० में आपके लिये जगह भी नहीं है आप चिन्ता न करें। तो मैं कह रहा था कि उनके आमंत्रण पर फैजाबाद भी गया एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिये (व्यवधान) उनकी शंका चाहे दीर्घ हो या लघु मेरे पास इलाज नहीं है। सरकार का कोई इरादा किसी समाचार पत्र की आजादी पर हमला करने का नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की समाचार संगठनों को पूरी आजादी है। एक बात साफ है माननीय सदस्य ने कहा वह किसी पूंजीपति का अखबार नहीं है। वह अखबार सहकारिता पर आधारित हैं, बहुतों की पूंजी उसमें लगी है तो सरकार का पुनीत दायित्व बनता है कि उन सबकी पूंजी सुरक्षित है अथवा नहीं। जो हमारी सहकारी आन्दोलन की संस्थायें हैं उनमें नियम है कि इतने वर्ष की आडिट रिपोर्ट भेजेंगे। अगर आडिट रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है तो उसके अन्तर्गत 5 वर्ष की आडिट रिपोर्ट भेजी कि नहीं यह हमने भेजा है। उस पर क्या कार्यवाही हो जाय, और हम पर आरोप लगाया जाय, शंका की जाय यह उचित नहीं है। वाक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो, अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाय और फिर आरोप लगाया जाय कि किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है इसलिये पकड़ लिया गया।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

यह तथ्य से परे है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप जरा सुन लें। श्री शीतला सिंह जी को प्रताड़ित करने का या किसी को प्रताड़ित करने का कोई इरादा नहीं है और न समाचार पत्र को बन्द करने का इरादा है (व्यवधान) एक प्रशासनिक प्रक्रिया की (व्यवधान) बात है।

श्री नरेश अग्रवाल–

सहकारिता आन्दोलन पर चोट है, उनके अधिकारों का हनन है। किसी को पत्र भेज दें 25 तारीख को लिखें और कहें कि 27 तारीख को जवाब दें तो यह क्या है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मैंने कहा एक प्रशासनिक प्रक्रिया है (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

नोट–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं (व्यवधान) लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने कहा कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको लेकर किसी की नियत पर शंका करना उचित नहीं है । कोई इरादा जनमोर्चा या किसी और अखबार को छीनने का या बन्द करने का नहीं है; किसी अखबार पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है । यह बात जरूर है कि सहकारिता आन्दोलन के जो नियम हैं, जो कानून या अधिनियम हैं उनका पालन जरूर सुनिश्चित कराया जायेगा ।

[समय अपराह्न 3 बजे]

क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की पूंजी नहीं लगी है । सबकी लगी है । उस प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नोटिस दी गयी होगी । मेरे पास उस नोटिस की कापी नहीं है.....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

चूंकि इस विषय पर सरकार का कोई स्पष्ट विचार नहीं आया है और मैंने आपकी सेवा में पत्र भी भेजा है । इसलिए सरकार का इरादा प्रेस की आजादी खत्म करने जैसा दिखाई देता है । अतः में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से वर्हिगमन करता हूं ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह लोक तन्त्र विरोधी सरकार है । लोक तन्त्र के चारो खम्भों पर यह रोज अटैक कर रही है । जनमोर्चा अखबार चूंकि अपनी स्वतन्त्र और निष्पक्ष लेखनी के बल पर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था और समय-समय पर सरकार की आलोचना किया करता था अतः उसके विषय में इस सरकार की नीयत साफ नहीं है । संसदीय कार्य मंत्री की बातों से यह इरादा साफ लग रहा है कि यह सरकार इस पर प्रशासक बिठलानां चाहती है, उसको अपने कब्जे में लेना चाहती है, इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन छोड़ता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

* श्री इस्लाम साबिर–

मान्यवर, अभी तक तो अयोध्या में मन्दिर तोड़े जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई भी मन्दिर या आश्रम सुरक्षित नहीं बचेगा और सारे मन्दिरों और आश्रमों को तोड़ दिया जायेगा । दिनांक 26 अप्रैल को बरेली जिले में भाजपा के विधायकों और कार्यकर्ता द्वारा हथियारों से लैस होकर 'समता योग आश्रम' पर जबरन कब्जा कर लिया गया । इसके बाद उस आश्रम में जो महिला और पुरुष सेवक थे, उन सबको धक्के देकर मार-मार कर वहां से निकाल दिया गया । और जब पुलिस वहां पर आयी और उसने उसमें रुकावट की और धारा 145 की कार्यवाही की और उसे सील कर दिया तो भाजपा के विधायकों ने आकर पुलिस को गालियां दीं और पुलिस अधिकारियों की लगाई सील को तोड़ दिया और पुनः उस पर अपना कब्जा कर लिया । इतना ही नहीं उन्होंने आश्रम के सारे सामान को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निकाल कर बाहर फेंक दिया । जिसकी पूरी तस्वीरें हमारे पास रखी हुई हैं । उस काण्ड का वीडियो कैसेट बाकायदा बन गया है जिसको मैं आपके पास भेज रहा हूं । इस केस की अब तक पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है । चूंकि आश्रम वालों ने डकैती का मुकदमा लिखाया है, जिला प्रशासन और एस०एस०पी० बरेली ने अभी तक जी०डी० की नकल नहीं दी है । मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि वहां पर जो आश्रम पर कब्जा किया गया है उसको तत्काल भाजपा के कब्जे से मुक्त कराया जाये । चूंकि अभी तक भाजपा के लोग जमीनों और कोठियों पर कब्जा कर रहे थे, जब कोठी और जमीन नहीं मिली तो मन्दिरों और आश्रमों पर कब्जा करने का इरादा बना लिया है उसके तहत यह सुनियोजित कार्यवाही इन्होंने की है । इसलिए मेरा आग्रह है कि उस कब्जे को तत्काल भाजपा से मुक्त कराया जाये ।

* श्री सुरेन्द्र नाथ–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं विज्ञ होंगे कि जब से सत्र चला है, चाहे सम्मानित सत्ता पक्ष के मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह गौर की पत्नी द्वारा मकान पर कब्जे का मामला रहा हो या किसी अन्य मंत्री द्वारा या फिर लखनऊ के किसी विधायक द्वारा जबरन कब्जे का मामला रहा हो, निरन्तर सामाजिक और धार्मिक सम्पत्तियों पर कब्जा करने का इनके दल द्वारा एक अभियान चल रहा है । एक मकान जो मन्दिर का स्वरूप था, जिसमें आश्रम भी था, मालूम नहीं किस तरह से किया गया कि उस पर कब्जा करने के लिए 26 तारीख को दिन में 11 बजे इनकी पार्टी के कुछ लोग हथियार लेकर पहुंचे । इन लोगों में बरेली के सत्ता पक्ष के, एक विधायक डाक्टर दिनेश जौहरी को छोड़ कर सभी विधायक शामिल थे । लेकिन वहां का जो थानाध्यक्ष है उसके सामने जब तोड़ फोड़ की कार्यवाही हो रही थी तो वह चुपचाप खड़ा हुआ था । श्री अनिल, पुलिस अधीक्षक वहां आते हैं और धारा 145 की कार्यवाही करते हैं । यह जब कार्यवाही पुलिस द्वारा कर दी जाती है तो भा०ज०पा० सांसद और विधायकों के नेतृत्व में 40 लोगों की भीड़ उस समता आश्रम में घुस जाती है और वहां का सामान बाहर फेंक देती है । मान्यवर, समाचार पत्रों का हवाला मैं नहीं देना चाहता हूं लेकिन बरेली के समस्त समाचार-पत्रों में यह आम चर्चा है कि भा० ज० पा० के विधायकों और सांसदों का इस बात का दबाव पड़ रहा है कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक को हटा दिया जाय चूंकि उसने इन लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराई है । यदि यह विपक्ष का मामला होता तो गिरफ्तारी हो गई होती किन्तु एफ०आई० आर० बाई नेम होने के बावजूद उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा सामूहिक सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिये । इसलिए यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व और जनहित का हैं, अतः आप इस पर व्यवस्था दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी गम्भीरता के साथ माननीय सदस्य की बात और उनके आरोप सुनें । मेरी जानकारी के अनुसार जिस समता आश्रम का नाम लिया गया है इसके कुछ हिस्से में समता टेन्ट हाउस है । मेरी जानकारी के अनुसार इलाटमेंट लेटर में जिसका नाम दिया गया है उसी के आधार पर मैं यह कह रहा हूं । मान्यवर, रेन्ट कन्ट्रोल के तहत एक मकान जो उसमें विहित प्रक्रिया है उसके

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

तहत एलाटमेन्ट किया गया और कब्जा लिया गया । अब स्वभाविक है कि इस मकान के लिए जिन 5-6 लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, मेरिट के आधार पर एलाटमेन्ट हुआ, और जिनके पक्ष में एलाटमेंट नहीं हुआ, तो उन्हें आक्रोश होना स्वाभाविक है । इसलिए वहां न कोई अशान्ति है, न किसी को कोई खतरा है और शान्ति का वातावरण है । चूंकि विहित प्रक्रिया के अनुसार मकान जिसको एलाट हुआ है उनको कब्जा मिल गया है । इसलिए इस पर कार्य स्थगन का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, इसमें धारा 395/97 में एफ० आई० आर० दर्ज हुई है कि नहीं, यह बता दें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एफ० आई० आर० दर्ज हुई है कि नहीं इसकी मुझे सूचना नहीं है अगर कोई भी प्रथम सूचना अंकित हुई होगी तो सूचना किसके खिलाफ है, किसने की है, बिना भेद-भाव के जो विधिक कार्यवाही उस पर होगी, हम करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य स्थगन प्रस्ताव के आधार पर इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री हरिवंश सहाय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, पूर्वांचल जिलों में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती में इस समय डीजल का अभाव पिछले एक सप्ताह से है । इस समय जब कि मड़ाई का काम हो रहा है, देहातों में शादियां हैं । डीजल न होने के कारण किसानों को मड़ाई के कार्य में परेशानी हो रही है । मेरा विधान सभा क्षेत्र बिहार सीमा पर है । बिहार से डीजल आ रहा है वह भी 10 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक्री हो रहा है । डीजल के अभाव में किसानों की मड़ाई का काम रुक गया है । शादी विवाह में आने-जाने में परेशानी हो रही है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान पूर्वांचल की ओर ले जाना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि पिछले एक सप्ताह से डीजल की आपूर्ति में कमी हो गयी है । एक भारी संकट उत्पन्न हो गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी पूर्वांचल में डीजल की व्यवस्था करायें जिससे किसानों की मड़ाई मे और शादी-विवाह में जो परेशानी हो रही है, वह समाप्त हो जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश में कहीं भी डीजल की कमी नहीं है ।

(व्यवधान)

आप लोग मेरी बात तो सुन लें । बात सुन लें, आपका समाधान हो जायेगा । डीजल आपूर्ति की एक व्यवस्था है हमारे खाद्य विभाग की ओर से । जिसके तहत सब जगह डीजल आपूर्ति कराई जाती है । एक डिपो में कमी है, तो दूसरे डिपो से व्यवस्था करा लेते हैं । इस तरह की भी कोई सूचना नहीं है कि 10 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है । माननीय हरिवंश जी ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है पूर्वांचल के बारे में । इनकी कही सूचना पर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए । शासन की जो सूचना है, आपके माध्यम से मैंने जानकारी दी है कि इस तरह की कोई सूचना नहीं है । फिर भी इस सूचना का पूरी तरह से परीक्षण करवा लिया जायेगा । उन जिलों में यदि अभाव होगा तो उसकी आपूर्ति की जायेगी। इस बात की प्राथमिकता है कि डीजल का प्रयोग उद्योग के लिये, किसानों के कामों के लिये जिस भी कार्य के लिये होगा हम देंगे । हमारा दायित्व है कि डीजल की कमी कहीं भी न होने पाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य स्थगन प्रस्ताव के आधार पर यह सूचना अग्राह्य की जाती है ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

आप बिना सुने कैसे कह रहे हैं कि अनुमति नहीं दे रहा हूं । किस बात की अनुमति नहीं दे रहे हैं मान्यवर ।

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा जो तार इत्यादि लगे हैं । वह तार मान्यवर, इतने पुराने हो गये हैं जिसके कारण पूरे विधान सभा क्षेत्र में 15–20 गांवों में विद्युत के तारों के शार्ट हो जाने के कारण आग लग गई जिसके कारण सैकड़ों एकड़ फसल का नुकसान हुआ, जान-माल का भी नुकसान हुआ । 13/14 अप्रैल, को खैरपुर, थाना इब्राहिमपुर में बिजली के तार के शार्ट होने के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई और उसके साथ ही साथ रामचेत पुत्र श्री दूधनाथ नामक व्यक्ति जलकर मर गया । उसकी उम्र 22 साल की थी अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी उसकी जान चली गई । इस तरह से पूरे क्षेत्र में बिजली के पुराने तारों से आग लग जाने की एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है । एक तरफ बिजली की व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ पुराने तारों के कारण आग लग जा रही है । जिसके कारण जान माल की क्षति हो रही है । आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि जो जान की क्षति हुई है उसमें मुआवजा नहीं दिया गया है जबकि शायद ऐसा प्राविधान है कि विद्युत के कारण अगर कोई मरता है तो उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए इसलिए मैं चाहूंगा क्योंकि उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है, कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा कराई जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो पहले से हो गया है इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक आदमी मर गया है इसमें मुआवजा दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें शलाका में नहीं आई हैं उनकी सूचना है, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री महक सिंह, मोहम्मद हसन, ठाकुर वीरेन्द्र सिंह, डा० जी० एस० विनोद, श्री विजय पाल सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री अखिलेश,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री श्याम लाल रावत, श्री मोहम्मद हसन, श्री स्वामीनाथ यादव, श्री जाहिद हुसैन, श्री राम औतार शाक्य, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री अकबर, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, कुंवर रेवती रमण सिह, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री प्रमोद तिवारी, श्री फतेह बहादुर सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री कमल नयन वर्मा, श्री राम कृष्ण, श्री भोलाशंकर मौर्य, श्री श्याम सुन्दर वर्मा, श्री खालिद गौरी, श्री मुन्ना चैहान, इन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई हैं।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं बिजली न मिलने के कारण। मेरठ में 5-6 घंटे बिजली दी जाती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था उन्होंने अनुरोध स्वीकार भी कर लिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजली के मामले में सूचना दी है किसान परेशान है क्रेसिंग और थ्रेसिंग कर रहे हैं–

(व्यवधान)

किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है इसको आप देख लें इसमें आप आवश्यकता को देखते हुए शासन को निर्देश दें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आगे की मद ले रहा हूं। (व्यवधान) माननीय मलिक जी ने जो सूचना दी है उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने मेरी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया लेकिन मान्यवर, इतना संकट है मेरे जिले पर, आप संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम कहां जाएंगे आप यह बता दें कि आपके अलावा कौन सी जगह हैं।

मान्यवर, मेरे यहां बड़े-बड़े लोगों, विद्वान लोगों की हत्यायें की जा रही हैं। पुलिस रुपया लेकर मुल्जिमों को छोड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, ध्यान आकर्षित करने से क्या होता है शासन मौन रहता है कोई कार्यवाही नहीं होती है ।

मान्यवर, मेरे जनपद मैनपुरी में इन्द्रेश कुमार नाम के एक लड़के को ट्रेक्टर से पकड़ कर ले जाया गया । उसके परिवार वालों ने चौकी पर जाकर सूचना दी लेकिन दरोगा मौके पर नहीं गये और उसका कत्ल हो गया । मुल्जिम पकड़ा गया लेकिन पुलिस ने 50 हजार रुपया लेकर मुल्जिम को छोड़ दिया । इस संबंध में मुख्य मंत्री तथा पुलिस महानिदेशक को लिखा गया । जितने इम्पार्टेन्ट लोग हैं उनकी हत्या हो रही है । 50 हजार, एक लाख रुपया लेकर मुल्जिमों को छोड़ा जा रहा है । यह कुसमरा पुलिस चौकी का मामला है । इसकी जांच करायी जाय और यह जो कार्य हो रहे हैं इनको रोका जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, कल मेरी एक नियम 49 में चर्चा लगी थी जो कोरम के अभावों में स्थगित हो गयी ।....

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठिये । मैं अगली मद ले रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

* सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18 –कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,20,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

प्रस्तुत बजट सहकारिता से सम्बन्धित साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज जो बजट पेश हुआ है उस संबंध में हमें बजट साहित्य नहीं मिला है । आपकी पीठ से जो निदेश जारी किये गये हैं उसके 158 को देखने की कृपा करें। इसमें है कि जो साहित्य भेजा जाय उसकी 600 प्रतियां हिन्दी में आनी चाहिये और अंग्रेजी में यदि वह साहित्य हो तो 250 प्रतियां भेजी जायं और कम से कम 4 दिन पूर्व आपके सचिवालय को भेजी जायं ताकि आपके सचिवालय द्वारा हमें समय पर साहित्य उपलब्ध हो जाय । अक्सर यह देखा जा रहा है कि बजट साहित्य उसी दिन आ रहा है । आज जो बजट है उसका साहित्य अभी मिला है । इस पर मान्यवर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुनी । मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि वह भविष्य में इस निदेश का ध्यान रखेंगे ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (क्रमागत)

सहकारिता मंत्री (श्री सुधीर कुमार बालियान)–

मान्यवर, प्रदेश के किसानों को कृषि उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहकारिता विभाग का विशेष महत्व है । प्रदेश के किसानों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा अल्पकालिक ऋण, जिसको फसली ऋण कहते हैं, उपलब्ध कराया जाता है । कृषि उत्पादन वृद्धि में इनका विशेष योगदान है । विगत वित्तीय वर्ष 1991-92 में प्रदेश के 55.25 लाख कृषकों को 665.18 करोड़ रुपया फसली ऋण उपलब्ध कराया गया । जो वर्ष 1991-92 के लक्ष्य वितरण 575 करोड़ के विपरीत 90.18 करोड़ अधिक है । फसली ऋण वितरण की यह उपलब्धि प्रदेश में अब तक के सभी कीर्तिमान तोड़ कर सर्वोच्च रही है । इसके पूर्व वर्ष 1990-91 में यह ऋण वितरण 475 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत मात्र 353.50 करोड़ रुपये था तथा लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या 31.72 लाख । वर्ष 90-91 के सापेक्ष्य ऋण वितरण में वर्ष 91-92 में 161 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा लाभार्थियों के प्रतिशत में गत वर्ष की तुलना में 160 प्रतिशत थी । वर्ष 1992-93 में 725 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 70 लाख कृषकों को लाभ पहुंचेगा । साथ ही कृषि निवेशों के मूल्यों में बढ़ती हुई लागत को दृष्टि में रखते हुए दिनांक 31-7-91 से अल्पकालीन फसली ऋण हेतु वित्तमान, खाद्यान्न की फसलों हेतु 1500 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1750 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है तथा सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 16,500 रुपये कर दी गई है ।

(कई सदस्यों द्वारा ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ मान लिया जाय एक साथ कहे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो भी आपके पास लिखा हुआ है, उससे सहयोग ले लें लेकिन पढ़ना उचित नहीं हैं । आप सब बैठ जायं । मैंने व्यवस्था दे दी है । आप सब कृपया बैठें । कृपया शांत रहें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सदस्यों को समन्वित ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत दुधारु पशु, बैल, बकरी, मुर्गी पालन, ग्रामीण दस्तकार, लघु उद्योग, सेवा व्यवसाय आदि हेतु मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाते हैं । वर्ष 1991-92 में 50 करोड़ ऋण सापेक्ष 28.92 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये । वर्ष 1990-91 में यह ऋण 26.49 करोड़ रुपये था । मध्यकालीन ऋण के साथ लघु सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों को 33 1/2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों को 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है । वर्ष 1992-93 में 55 करोड़ रुपये के मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा अल्प सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन,

डनलपकार्ट, बागवानी एवं ग्रामीण आवास हेतु दीर्घकालीन ऋण का वितरण किया जाता है । वर्ष 1991-92 में 180.93 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया जो वर्ष 1990-91के ऋण वितरण 152.48 करोड़ के विरुद्ध 28.45 करोड़ रुपये अधिक है । वर्ष 1991-92 में प्रथम बार ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना लागू की गयी जिसके अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु 5.31 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए गये। वर्ष 1992-93 में 2500 ग्रामीण आवास निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का प्राविधान किया गया है । वर्ष 1991-92 में दीन दयाल विकास योजना के अन्तर्गत डेरी विकास विभाग के सहयोग से 17 जनपदों में 1117 मिनी डेरी स्थापित करने हेतु 1.89 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गये । वर्ष 1992-93 में 8133 मिनीडेरी की स्थापना हेतु प्रथम चरण में 3.00 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का प्राविधान किया गया । वर्ष 1992-93 में बैंक के ऋण-पत्रों में विनियोजन हेतु 525.00 लाख रुपये का तथा बैंक के हिस्से में विनियोजन हेतु 100.00 लाख रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है ।

प्रदेश में 50 प्रतिशत विकास खण्डों में एकीकृत ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों को परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण चेक द्वारा भुगतान किये जाने का कार्यक्रम वर्ष 1991-92 में प्रथम बार प्रारम्भ किया गया। नाबार्ड तथा भारत वर्ष की स्वीकृति से इस योजना को सभी विकास खण्डों व इस प्रकार से पूरे प्रान्त में किया जायेगा । बैंक द्वारा वर्ष 1992-93 में नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त करके 16 नई शाखायें भी खोली जायेंगी ।

झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बिजनौर, मेरठ एवं वाराणसी आदि जनपदों में जहां कहीं भूगर्भ जल स्तर बहुत गहरा है और सामान्य प्रकार की बोरिंग सफल नहीं हो पाती व अलाभकारी है वहां परियोजना लागत के आधार पर डीप बोरिंग तथा सबमर्सिबल पम्प की बृहद योजनायें तैयार कराई जा रही हैं ताकि ऐसे क्षेत्र में सिंचन क्षमता में वृद्धि हो सके । नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त करके वर्ष 1992-93 से ऋण वितरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

वर्ष 1992-93 में 1.30 लाख लाभार्थियों को 165.00 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण विभिन्न योजनाओं के लिए उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम है ।

(व्यवधान)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां सहकारिता के विकास की धुरी हैं । इनको स्वावलम्बी एवं स्वायत्रयी बनाने के लिए स्थानीय संसाधन एकत्र करना महत्वपूर्ण है । प्रदेश में 668 मिनी बैंक प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं जिनके द्वारा 12.49 करोड़ रुपये के निक्षेप प्राप्त किये गये । स्थानीय ग्रामवासियों को ग्राम स्तर पर इन बैंकों में अपनी बचत जमा करने की सुविधा प्राप्त है । जमा राशि पर मिनी बैंकों द्वारा अन्य व्यवसायिक बैंकों की अपेक्षा एक प्रतिशत अधिक ब्याज उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 1992-93 में प्रत्येक विकास खण्ड में दो मिनी बैंक प्रारम्भिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा स्थापित कर दिये जायेंगे तथा 1000 नये मिनी बैंक चालू वर्ष के अन्त तक कार्यरत हो जायेंगे ।

सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने एवं व्यवसाय हेतु पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए अंशपूंजी आधार सुदृढ़ करना भी आवश्यक है । अपने सदस्यों से अंशपूंजी एकत्र करने के साथ-साथ

राज्य सरकार द्वारा भी समितियों में अंशपूंजी विनियोजित की जाती रही है। वर्ष 1992-93 में 350.00 लाख रुपये का बजट प्राविधान आवश्यकतानुसार समितियों की अंशपूंजी में विनियोजित करने हेतु इक्विटी बेस फार कोआपरेटिव के अन्तर्गत किया गया है।

प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित कृषि साख समीक्षा समिति (खुसरो कमेटी भी इसको कहते हैं) की संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रारम्भ में प्रत्येक जनपद से समितियों का चयन करके व्यवसाय विकास के लिए योजनाएं बनायी जायं। इस योजनान्तर्गत विकास के लिए योजनाएं बनायी जायं। इस योजनान्तर्गत समितियों का वार्षिक ऋण व्यवसाय, उपभोक्ता व्यवसाय, कृषि उपज का विपणन, निक्षेप तथा आन्तरिक स्रोतों की सुदृढ़ता एवं सर्वांगीण विकास ही अभीष्ट लक्ष्य है। वर्ष 1992-93 में समस्त प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में यह योजना कार्यान्वित की जायेगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उत्तर भाषण तो माननीय मंत्री जी देंगे ही इसलिए इसको संक्षिप्त करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक कह रहे हैं कि आप उत्तर भाषण तो देंगे ही, इसलिए इसको जितना संक्षिप्त कर दें उतना ही अच्छा रहेगा।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

वर्ष 1991-92 में अल्पकालीन तथा मध्य कालीन ऋणों की कुल मांग 872.56 करोड़ रुपये थी, जिसके विरुद्ध 31-3-92 तक वसूली 462.23 करोड़ रुपये की हुई जो कुल मांग का 52.91 प्रतिशत है। गत वर्ष इसी अवधि में केवल 31.76 प्रतिशत वसूली हुई थी। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋणों के अन्तर्गत वर्ष की कुल मांग 166.28 करोड़ रुपये थी जिसके विरुद्ध वसूली 52.80 करोड़ रुपये की हुई जो मांग का 31.07 प्रतिशत है जबकि पूर्ववर्ती वर्ष में वसूली का प्रतिशत 22.6 रहा था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में अल्पकालीन/मध्यकालीन तथा दीर्घ कालीन ऋणों की वसूली अच्छी रही तथा रबी की फसलों की अच्छी स्थिति को देखते हुये वसूली अभियान में 30-6-92 तक प्रगति और भी अच्छी होने की सम्भवना है तथा वसूली अच्छी होने से ऋण वितरण की भी अच्छी सम्भावनायें होंगी तथा भविष्य में कृषकों को अधिक ऋण वितरण कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जायेगा।

प्रदेश में 8587 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों, साधन सहकारी समितियों, किसान सेवा सहकारी समितियों, क्षेत्रीय सहकारी समितियों तथा आदिवासी क्षेत्र की दीर्घकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक, उन्नतिशील बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि यंत्र की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जाती है। कृषि निवेशों की आपूर्ति हेतु 10864 उर्वरक वितरण केन्द्र इन समितियों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 1991-92 में 17.13 लाख मी० टन उर्वरक सम्भार का वितरण अभूतपूर्व कीर्तिमान रहा है। वर्ष 1990-91 में 12.55 लाख मी० टन उर्वरक का वितरण किया गया था। प्रदेश में वितरित कुल उर्वरक सम्भार में 36.8 प्रतिशत वितरण सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है तथा राजकीय एवं संस्थागत माध्यमों से कुल वितरण की तुलना में सहकारी संस्थाओं का योगदान 82.4

प्रतिशत रहा । उर्वरक वितरण की दोहरी मूल्य नीति पूर्ण सफलता से इसी प्रदेश में सर्वप्रथम प्रभावी रूप से लागू की गयी । वर्ष 1992-93 में 24.90 लाख मी० टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रबी वर्ष 1991-92 में दस बहु प्रचलित कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का कार्य भी सहकारी संस्थाओं को सौंपा गया । 5.69 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि रक्षा रसायन वितरित किये गये आगामी वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ रुपये मूल्य की कृषि रक्षा रसायन वितरित किये जाने का लक्ष्य है । प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को उन्नतिशील बीजों का वितरण भी किया जाता है। वर्ष 1991-92 में 3.76 लाख कुन्तल प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया । वर्ष 1992-93 हेतु यह लक्ष्य 5.45 लाख कुन्तल निर्धारित किया गया है । मान्यवर, 1992-93 में 500 नये उर्वरक बिक्री केन्द्र व 500 कृषि रक्षा रसायन बिक्री केन्द्र खोलने की योजना है ताकि कृषि निवेश वितरण का कार्य और ज्यादा सुचारू रूप से चल सके । इसके लिये आय व्ययक में क्रमशः 48 लाख व 75 लाख रुपये का प्राविधान कराया गया है । वर्ष 1991-92 में 600 बिक्री केन्द्रों हेतु द्वितीय किश्त 43.00 लाख रुपये तथा वर्ष 1990-91 में खोले गये 850 बिक्री केन्द्रों की तृतीय किश्त का 40.80 लाख रुपये चालू वर्ष में अनुदान स्वरूप अनुमन्य है ।

मान्यवर, अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान व विकास हेतु वर्ष 1992-93 में 22.03 लाख रुपये की धनराशि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के लिये आय-व्ययक में प्राविधानित है । 100 रुपये प्रति सदस्य को ब्याज रहित मध्यकालीन ऋण सदस्यता हेतु उपलब्ध कराया जायेगा । इस सुविधा से 22030 परिवार लाभान्वित होंगे । वर्ष 1991-92 में 49.25 करोड़ रुपये का फसली ऋण इस वर्ग के 6.45 लाख सदस्यों को लाभान्वित करने हेतु वितरित किया गया है । वर्ष 1992-93 में अनुसूचित जाति के 8 लाख परिवारों को 116 करोड़ रुपये वितरित करने की योजना बनायी गयी है ।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध पालन, भेड़पालन, डनलप कार्ट तथा अन्य व्यवसाय व सेवाओं के लिए 8.30 करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण, अनुसूचित जाति/जनजाति के 11750 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु वितरित किया गया तथा वर्ष 92-93 में 12 करोड़ रु० अनुसूचित जाति/जनजाति के 15 हजार परिवारों को लाभान्वित करने हेतु वितरित होगा । इसी प्रकार वर्ष 1991-92 में 12900 परिवारों को 12.28 करोड़ रु० दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया तथा 1992-93 में 15 हजार परिवारों को 15 करोड़ रु० दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे । इस प्रकार सहकारी समितियों के माध्यम से 8 लाख 26 हजार 900 अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों को लाभान्वित करने की योजना है । परियोजना की कुल लागत 1057.60 लाख रुपये है । 100 प्राइमरी तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा जिससे 60 हजार कृषक परिवार लाभान्वित होंगे । तिलहन उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम चलाये जायेंगे । उत्पादकता में 7 कुन्तल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 13 कुन्तल हेक्टेयर किये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । इस परियोजना में संडीला स्थित तिलहन कम्पलेक्स का सुदृढ़ीकरण व विस्तार भी किया जायेगा । मान्यवर, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से कानपुर, फतेहपुर, इटावा व फर्रुखाबाद में तिलहन विकास हेतु एक परियोजना वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत 160 प्राइमरी तिलहन उत्पादन सहकारी समितियों का गठन किया जाना है जिससे एक लाख कृषक

परिवार लाभान्वित होंगे जिसमें से 30 समितियों का गठन किया जा चुका है । इस परियोजना की लागत 1569 लाख रुपये है । तिलहन उत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रमों के साथ ही एक तेल मिल एक साल्वेंट प्लान भी स्थापित किया जायेगा । इस परियोजना के अन्तर्गत कानपुर में एक तिलहन उत्पादक सहकारी यूनियन का गठन किया जा चुका है । परियोजना में 5 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तिलहन उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की भांति आगरा मण्डल तथा जनपद बुलन्दशहर में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से उत्तर प्रदेश तिलहन सहकारी संघ द्वारा 1991-92 में एक नयी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की जा रही है । परियोजना की कुल लागत 36.40 लाख रुपये हैं । इस परियोजना में 177 प्राइमरी तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा । जिनके माध्यम से तिलहन उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम चलाये जायेंगे । परियोजना में 5 कुन्तल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि के लक्ष्य रखे गये हैं । इस परियोजना में 1.05 लाख कृषक परिवार सीधे लाभान्वित होंगे । इस हेतु वर्ष 92-93 में 57 लाख रुपये का प्राविधान आय व्ययक में किया गया है जिसमें 47 लाख रु० तिलहन संघ को अंशपूंजी तथा 10 लाख रु० प्रबन्धीय अनुदान का प्राविधान मांग की नई मदों से कराया गया है ।

जनपद हरदोई, सीतापुर, लखीमपुरखीरी, उन्नाव एवं शाहजहांपुर में तिलहन विकास की पांच वर्षीय परियोजना वर्ष 92-93 में प्रारिम्भ की जा रही है । परियोजना की कुल लागत 1057.60 लाख रुपये है । 100 प्राइमरी तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जायेगा । जिससे 60 हजार कृषक परिवार लाभान्वित होंगे जिनके माध्यम से तिलहन उत्पादन में वृद्धि के कार्यक्रम चलाये जायेंगे । उत्पादकता में 7 कुन्तल प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 13 कुन्तल प्रति हेक्टेयर किये जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । इस परियोजना में संडीला स्थित तिलहन काम्पलेक्स का सुदृढ़ीकरण व विस्तार भी किया जायेगा । इस हेतु 64.60 लाख रुपये के आय-व्ययक में प्राविधान मांग की नई मद में किया गया है । तिलहन विकास कार्यक्रमों से प्रदेश में तिलहन उत्पादन को नई दिशा मिलेगी तथा इससे 2.65 लाख कृषक परिवार शीघ्र लाभान्वित होंगे ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं देता व्यवस्था किसी माननीय सदस्य के भाषण के बीच में नहीं उठायी जाती है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, क्या लिखित भाषण पढ़ा जा सकता है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें, व्यवस्था पहले हो चुकी है ।

(व्यवधान)

मैंने पहले व्यवस्था दे दी है जो मा० सदस्य कह रहे हैं कि लिखा हुआ पढ़ा जा रहा है, मैंने मा० मंत्री जी से पहले ही कह दिया है कि सहयोग ले सकते हैं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते ।

(अनेक मा० सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

आप लोग शांत रहें, बैठें । मा० मंत्री जी को अपना भाषण पूरा करने दें ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत जनपदों में कार्यरत समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के सर्वांगीण एवं एकीकृत विकास के लिए उत्तर प्रदेश में पांच जनपद क्रमशः जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, रायबरेली एवं मथुरा चयनित किये गये हैं । जनपद जौनपुर एवं वाराणसी की परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और जनपद गोरखपुर, रायबरेली, एवं मथुरा की परियोजनाएं बनाई जा चुकी हैं । इनकी वित्तीय स्वीकृति हेतु एन०सी०डी०सी० को शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा । जनपद जौनपुर एवं वाराणसी की परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र ही प्रारम्भ करने की कार्यवाही चल रही है जिसके लिए मु० 152 लाख रु० की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 92-93 हेतु प्राप्त हो चुकी है । परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां एवं उनके सदस्यों के विकास हेतु कृषि निवेश की आपूर्ति, कृषि उपजों का विपणन, उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण, कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण, कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों के विकास हेतु कुटीर उद्योगों की स्थापना, मत्स्य, सुअर, मुर्गीपालन हेतु आगामी 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार की गई है जिसके क्रियान्वयन का दायित्व उ० प्र० सहकारी बैंक को सौंपा गया है ।

विभागीय कार्यों का निष्पादन प्रभावी एवं त्वरित गति से हो सके और तहसील स्तर पर ही जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण किया जा सके इस आशय हेतु वर्ष 1991-92 में 50 तहसीलों में अपर जिला सहकारी अधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना की गयी । वर्ष 1992-93 में स्थापित किये जाने वाले 50 तहसील कार्यालयों के लिए 12.72 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य भी सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है । वर्ष 1992-93 में ग्रामीण उपभोक्ता योजना में 460 करोड़ व शहरी योजना में 360 करोड़ रुपये का व्यवसाय किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उ० प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ की 4 नई शाखाएं खोलने व व्यवसाय के विस्तार हेतु 115.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्राविधान बजट में किया गया है ।

महिला वर्ग के विकास हेतु एक विशेष कार्य योजना आगरा मण्डल में राज्य सरकार की सहायता से संचालित की जायेगी । यद्यपि स्वीडिश को-आपरेटिव सेन्टर, स्टाक होम के वित्तीय सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली एवं यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन लखनऊ के सौजन्य से जून, 1985 से यह कार्यक्रम आगरा में चल रहा था जो 31 मार्च, 1992 तक चलाया गया किन्तु स्वीडिश सहायता बन्द हो जाने के बाद अब इसे राज्य सरकार द्वारा चालू रखने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए आय-व्ययक प्राविधान मांग की नई मद से 4.28 लाख रुपये का वर्ष 92-93 में कराया गया है । निर्बल, असहाय तथा दीनहीन महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्तर समुन्नत बनाने के उद्देश्य से यह योजना विशेष सहयोगी सिद्ध होगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन से अपेक्षा करूंगा कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि जैसा कि प्रस्तावित है, स्वीकृत करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र सिंह कृपया अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग सहकारिता के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलेचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, अभी जो माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अपना भाषण दिया, उससे एक कहानी याद आयी, कभी रावण भुजा काटकर, सिर काटकर शंकर जी को दिया करता था और कहते थे मैंने यह कर दिया और वह कर दिया, यही स्थिति आज देखने को मिली । जितने भी इन्होंने बिन्दु दिये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता का सिद्धान्त क्या है । सहकारिता का शाश्वत सिद्धान्त जनता से जुड़ा है, यह जनता का एक आन्दोलन है, जनता इसको संचालित करती है यह जनता के लिए जनादेश है । आज आपने बड़ी-बड़ी बातों का जिक्र किया, 8597 जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनको ऋण वितरण की बात कही, मैं कहूंगा कि वे जरा इसका लेखा जोखा प्राप्त करके देख लें इससे पहले क्या था । पिछले वर्षों की आपने गिनती गिनायी है । जो स्थिति इन्होंने प्रकट की ऋणों के बारे में, जो ऋण इन सहकारी समितियों से वितरित किये गये हैं, इस समय जब फर्टीलाइजर के दाम भारत सरकार ने बढ़ाये, 162 रुपये यूरिया जिसमें नाइट्रोजन 46 प्रतिशत है, वह मार्केट में आ गया है, 115 रुपये बोरी के हिसाब से खाद के दाम आपने माने जिसमें 9.37 रुपये सबसीडी दी, उसको काट दें और उनको छोड़ करके लेखा जोखा लें तो इस बात का पता चलेगा । मान्यवर, पहली अप्रैल से इन्होंने जो फर्टीलाइजर पर सबसीडी दी थी, लघु एवं सीमान्त कृषकों को, उसको समाप्त कर दिया गया है । मान्यवर, यह 9.37 रुपये की सबसीडी उत्तर प्रदेश की जनता दल की सरकार के समय से चली आ रही थी इसको इन्होंने बन्द कर दिया, इससे किसानों पर बहुत बड़ा भार आ रहा है । जहां तक किसानों के ऋण बकाया की बात है, दस हजार रुपया कर्जा माफी का विषय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था । लेकिन इस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा । मान्यवर, सहकारिता की क्या दुर्दशा हो गयी है, 1965 का जो अधिनियम है, उसके अन्तर्गत चुनाव होते हैं, उसमें क्लाज 34 है । मान्यवर, जनवरी, 1989 में इसे संशोधित कर दिया गया, संशोधित होने के बाद जब चुनाव हुए तो जो निर्वाचित कमेटियां थीं वह सुचारु रूप से कार्य करने लगीं अब क्या हुआ इसी माह में एक अध्यादेश के माध्यम से पूरी कमेटियों को भंग कर दिया गया ....

मान्यवर, आपके अध्यादेश की मंशा साफ है । इस अध्यादेश के विरोध में कई निर्वाचित लोग उच्च न्यायालय गये और कई मामलों में उच्च न्यायालय ने आदेश किये परन्तु इस सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया है । मैं दूसरे बिन्दु की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । आपने कहा है कि इन समितियों के माध्यम से हम यह-यह कार्य करेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1977 में सहकारी संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के इलेक्शन की एक नियमावली बनाई गयी थी । उस समय आपके मुख्य मंत्री जी मंत्री थे । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते

तो धारा 34 को पुनर्जीवित करके फिर से चुनाव कराने की बात करते । माननीय सहकारिता मंत्री जी किसान परिवार के हैं । लेकिन इस पर उन्होंने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है । एक दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि 1989 में संशोधन कर इस आन्दोलन को राजनीतिक चंगुल से छुटकारा दिलाने की बात की गयी थी, लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है, वे छुटकारा आप नहीं दिला पा रहे हैं । जो ऋण समितियां हैं इसके संबंध में नोमिनेट करने की इनकी मंशा रही है । तो वह नोमिनेशन नहीं हो पा रहा है । ये चाहते हैं कि इसमें अपने लोगों को बिठा दें । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि पुरानी रिट के आधार पर जहां निर्वाचन वहां जो निर्वाचित प्रबन्ध कमेटियां हैं उन्होंने प्राफिट दिया है उन सहकारी समितियों के बनस्पत उसके जहां आपने सरकारी अधिकारियों को नाम निर्देशित कर रखा है । और उन समितियों ने साधनों का दुरुपयोग भी नहीं किया ।

इसी तरह से माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पूरे प्रदेश में एक सहकारिता सप्ताह मनाया जाता है, इन्होंने उसमें एक पुस्तक सहकारिता के नाम से निकाली है, इस पुस्तक में 39 लाख सदस्यों की बात 1992 में कही है लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाय तो ऐसा लगता है कि 20-25 प्रतिशत लोग ही इसमें आयेंगे । मेरी जानकारी के हिसाब से । 1 करोड़ 25 लाख ही बनते हैं लेकिन अगर छानबीन की जाय कि इन समितियों के माध्यम से कितनों ने ऋण प्राप्त किया तो वह 18-20 प्रतिशत ही होंगे इसलिए जो आंकड़े हैं वह भ्रामक हैं । एक और बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के चयन के लिए एक सेवा मण्डल है आज प्रदेश में उस सेवा मण्डल में पिछले पांच-छः महीने से कोई भी सदस्य नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है । जो अध्यक्ष थे वे 31 मार्च को अवकाश प्राप्त कर चुके हैं । उसके बाद भी कुछ दिन रहे और बैठकर किताब पढ़ते रहे और उस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बेकार फेंका जा रहा है । मैं चाहूंगा कि इस सेवा मण्डल का ये जल्दी से जल्दी पुनर्गठन करें । अभी कुछ लोगों का चयन हेतु साक्षात्कार किया गया था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं निकाला गया, क्योंकि ये उसमें मुजफ्फरनगर के कुछ लड़कों को शामिल कराना चाहते थे । इस तरह से जो मेधावी और तेज तर्रार छात्र हैं, वे आज सेवा से वंचित हो रहे हैं । यह चाहते हैं कि किसी तरह से दैनिक वेतन कर्मी के रूप में ये अपने यहां के लड़कों को उसमें करा दें और बाद में अधिकारियों पर दबाव डालकर रेगुलर करा लेंगे ।

(समय 4 बजे)

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो साधन सहकारी समितियां हैं, उनके संबंध में पूर्ववर्ती सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है । चाहे किसी भी स्रोत से हो, उन साधन सहकारी समितियों ने अपने निजी गोदाम, कार्यालय, दफ्तर आदि की व्यवस्था की है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि पी० सी० एफ० ने 99 लाख टन का जो गोदाम बनाया है, इसमें 550 लाख टन गोदाम खाली पड़ा है और उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है ।

आज आप ब्लाक स्तर पर देख लें । मलियावां विधान सभा क्षेत्र और मंत्री जी के अपने क्षेत्र में कितने ब्लाक स्तर पर गोदाम बने हैं, उसमें कितनों का उपयोग हो रहा है, कहीं जानवर बांधे जा रहे हैं, कहीं भूसा रखा जा रहा है । दूसरी तरफ खाद्य विभाग भी गोदामों का निर्माण कर रहा है, उनमें और आपके बीच में एक कोआर्डीनेटेड प्रोग्राम होना चाहिए । जो गोदाम खाली हैं, कम से कम उन्हें किराये पर दे दिया जाय । इसी तरह राज्य भण्डारागार निगम गोदाम बनाता है, उसकी 11.32 लाख टन भण्डारण की क्षमता है लेकिन उसके भी गोदाम खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ 2 लाख टन का एक गोदाम किराये पर लेकर काम रहे हैं । इसी प्रकार उपभोक्ता संघ है, उपभोक्ता संघ द्वारा 60 हजार

मीट्रिक टन का एक गोदाम बनाया जा रहा है । मान्यवर, यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, चाहे विश्व बैंक से प्राप्त हो, चाहे अन्य किसी स्कीम में आया हो, उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन गोदामों का सही प्रयोग होना चाहिए । मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान एक और तरफ ले जाना चाहता हूं । प्रदेश में कुल 10 संघ हैं और इन 10 संघों में से एक है आलू संघ । जितने भी संघ हैं, उसमें से बहुत कम ऐसे हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास कोई बिजनेस है । उत्तर प्रदेश में एक आलू संघ बनाया गया था, जिससे आलू उत्पादक किसानों को उसका उचित लाभ मिले, लेकिन इस संघ को कोई बिजनेस प्रापर तरीके से नहीं मिल रहा है और यह संघ अब खाद बेच रहा है । ऐसी अन्य कई संस्थायें है, जैसे फल संघ है, यह हल्द्वानी में है, यह संघ केवल 2.5 लाख रुपये का व्यवसाय करता है, जबकि एक छोटी सी समिति भी इससे ज्यादा व्यवसाय कर लेती है, तो इस तरह कैसे काम चलेगा ? आज इन सभी संस्थाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है । आज पूरे प्रदेश में 91 सहकारी कोल्ड स्टोरेज हैं, इनमें से 76 कोल्डस्टोरेज आंकड़ों के हिसाब से चल रहे हैं और 15 बन्द हैं, जिनसे कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है । 76 में से वाकई कितने चल रहे हैं, इसको आप दिखवा लें । आज पूरे प्रदेश में आलू भण्डारण को लेकर समस्या खड़ी है । इन शीतगृहों को आप कैसे प्रयोग में लायेंगे, इसकी भी व्यवस्था करें । एक बात और कहना चाहता हूं । एक आलू सुरक्षा निधि बनाई गयी थी, इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है । मेरी मांग है कि आप आलू सुरक्षा निधि के माध्यम से कृषकों को सही लाभ दिलवायें ।

''दैनिक जागरण'' अखबार में समाचार निकला है, इसको आपने देखा होगा, 6 मार्च की खबर....आप इसको स्वयं देख लें तो आपको पता चल जायेगा कि आलू सुरक्षा निधि से जो आलू किसानों को आलू का उचित मूल्य मिलना चाहिए था वह न मिलकर ठेकेदारों व अन्य लोगों के जेब में चला जा रहा है । इसलिए आप इस तरफ ध्यान दें और जो आपके शीतगृह हैं वह प्रोफिट में जायं इस ओर भी ध्यान दें । इसी तरह से इन्होंने अन्य कार्यक्रम भी चलायें हैं । सहकारी शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहता हूं । हमें जो यह बजट फरफारमेंस की पुस्तक दी है इसके पृष्ठ 36 पर कई योजनाओं का जिक्र किया है । 6 प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं उसी पृष्ठ पर इन्होंने यह भी कहा है कि नौ प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं । इससे तो ऐसा लगता है कि मथुरा, बरेली और गोरखपुर में जो प्रशिक्षण केन्द्र हैं वे प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चल रहे हैं ।

इस प्रकार मंत्री जी ने एक भ्रामक सूचना इसमें छापी है । पर्वतीय क्षेत्र में दो केन्द्रों में से अब एक केन्द्र हो गया है । बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए पिछले एक वर्ष में कोआपरेटिव मूवमेंट के तहत एक भी गोष्ठी का आयोजन आपने नहीं किया है । और न ही इसका जिक्र आपने अपने भाषण में किया है । इसलिए सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिए और जनता के बीच में ले जाने के लिए आपको आगे आना चाहिए माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि हमें कुल 15 करोड़ 39 लाख रुपये डिस्ट्रिक्ट प्लान में व राज्य प्लान में मिलता है लेकिन आज माननीय मंत्री जी ने लगभग 1 अरब 12 करोड़ कुछ लाख एवं कुछ हजार रुपये का बजट पेश किया है । एन० सी० डी० सी० व वर्ल्ड बैंक से जो ऋण इन्हें मिलता है उसे भी इन्होंने इसमें जोड़ दिया है । इस प्रकार देखा जाय तो इन्होंने कोआपरेटिव मूवमेंट को एक धक्का पहुंचाया है उसे कमजोर किया है ; इसी पुस्तक के पृष्ठ 54 में बैंकों में जो डिपाजिट हैं उन आकड़ों से लगता है कि अगर इनके सहकारी बैंकों से अनुदान आदि को निकाल दिया जाय तो इनके यहां डिस्पोजल बहुत कम हो जायेगा जबकि यह राष्ट्रीयकृत बैंकों से एक परसेंट ब्याज ज्यादा देते हैं इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । यही जिला सहकारी बैंकों की हालत है । यदि सहकारी आन्दोलन को जनता के बीच ले जाना है तो आप इसके लिए कुछ ठोस कदम उठायें...मैं

माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं इन्होंने दीन दयाल योजना का जिक्र किया जो पूरे प्रदेश में चला रहे हैं । सहकारिता आन्दोलन जन आन्दोलन है जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा अन्य देश के महान राजनेताओं ने गांवों की स्थिति सुधारने के लिए चलाया । गांव-गांव में आज सहकारी समितियां काम कर रही हैं । दीन दयाल योजना लागू करने का उद्देश्य का जिक्र सहकारिता पुस्तक में पृष्ठ 39 में किया है । यदि इस नाम से कोई योजना सहकारी क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव है तो यह सहकारिता आन्दोलन का अपमान होगा । दीन दयाल जी देश के महान व्यक्ति थे उनके प्रति लोगों में श्रद्धा है । इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं का जो इस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है मैं कहूंगा इसे दूर करने का प्रयास करें सहकारिता आन्दोलन राजनीति से हट कर है । सहकारी समितियां किसानों के हित के लिए बनी हैं जो उनको खाद बीज आदि वितरण करती हैं । इस सरकार ने जो दीन दयाल योजना नई चालू कर दी है यह उचित नहीं है जब कि समितियां और बिक्री केन्द्र पहले से काम कर रहे हैं । अधिकांश समितियों का कार्य क्षेत्र एक न्याय पंचायत है इसमें दो-दो उपकेन्द्र और खोल देने से समितियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा और इस पर दैनिक वेतन के कर्मचारी नियुक्त करने से सरकार की मंशा साफ नहीं लगती । इसके साथ ही इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही तो यह क्या कर रहे हैं इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अभी मंत्री जी ने विधान सभा में प्रथम सत्र के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 एवं उसी तरह के एक प्रश्न का उत्तर विधान परिषद् में प्रथम सत्र के दूसरे बुधवार को निर्धारित प्रश्न संख्या 2 में जो उत्तर दिया है कितनी भिन्नता है मैं बताना चाहता हूं । पूछा गया था कि कोआपरेटिव फेडरेशन में अवर अभियन्ता के कितने पद रिक्त हैं विधान सभा में जवाब दिया कि कोई पद रिक्त नहीं हैं और विधान परिषद् में उत्तर दिया कि 12 पद रिक्त हैं । मैं आपका समय इस पर नहीं लेना चाहता हूं । इसी तरह से बस्ती जिले में एम० आर० ई० की एवं आर० एल० ई० जी० पी० एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसमें कई लाख रुपयों का दुरुपयोग हुआ जिसकी जांच सी० डी० ओ० ने की और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो इससे इनकी मंशा साफ हो जाती है । महमूदाबाद गाजीपुर क्रय-विक्रय समिति में 2 लाख 36 हजार का घोटाला है उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

मैं सहकारी समितियों को किस तरह से मजबूत बनाया जाय इसके संबंध में सुझाव देना चाहता हूं । इन समितियों के चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायं और निर्वाचित कमेटी के रूप में जनता के हाथों इसके काम दिये जायं । इसमें किसानों को जो इसके सदस्य होते हैं अधिकार दिया जाय । इन समितियों के जो सदस्य होते हैं उनको ऋण प्राप्त होता है । तथा इनमें जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करना चाहिए । उ० प्र० उपभोक्ता संघ में दैनिक जागरण 1 अप्रैल, 92 को अभी कुछ समय पूर्व अखबार में आया है कि किस तरह से 8 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है । बैंक आफ इण्डिया ने सिक्योरिटी को वापस कर दिया है । तो किस प्रकार आप कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं । इसी तरह से कानपुर में घोटाला हुआ है । हमारे यहां जिला सहकारी बैंक गाजीपुर के प्रशासक ने गलत तरीके से बैठक करके नियुक्तियां कर लीं । बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो लगातार 8 मीटिंग में नहीं आये सहकारी नियमावली के अनुसार वह अयोग्य हो जाते हैं फिर भी उनको बुला कर मीटिंग कर ली ।

इसी तरह से प्रदेश में 54 जिला संघ हैं उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो प्रापर तरीके से चल रहे हैं । पिछली जनता सरकार ने इनकी अंश पूंजी बढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया हैं ।

मैं चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन को बल दें ताकि सहकारी मूवमेंट आगे बढ़ सके । मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए एक बात और कहना चाहता हूं पूरे देश में प्रत्येक नवम्बर में सहकारिता सप्ताह मानाया जाता है । यह सप्ताह पूरे देश में वर्षों से मनाया जाता है लेकिन इस वर्ष यहां सहकारिता सप्ताह नहीं मनाया गया ।

अगर मनाया भी गया तो कागज पर मनाया गया । इसमें जितने भी सहकारी समितियों के सदस्य होते हैं वह आते हैं और किसान आते हैं और जानकारी देते हैं कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाय । लेकिन मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वह इसमें भाग ले सकें अगर समय दे भी देते हैं तो बाद में टाल देते हैं तो फिर किस तरह से यह आन्दोलन आगे बढ़ेगा ।....15-20 दिन पूर्व नव भारत टाइम्स की 'शहर यार समाचार में की न्यूज है वह बड़ी न्यूज आई थी जो इस सरकार की आंख खोल देने वाली है । न्यूज़ यह थी कि मंत्री जी एक दिन चारबाग स्टेशन पर थे, उन्हें उनके राज्य मंत्री जी ने नमस्कार किया लेकिन मंत्री जी राज्य मंत्री को जान नहीं सके और उन्होंने साथ के लोगों से पूछा कि यह कौन थे जो नमस्कार कर रहे थे तो उन राज्य मंत्री ने बताया कि मैं आपका राज्य मंत्री हूं । तो इस तरह की बात समाचार-पत्रों में आती है तो पूरे प्रदेश में लगभग 14 करोड़ आबादी का प्रदेश है, जनता से जुड़ा हुआ मूवमेंट है । तो इसको चलाने के लिए आपको अपनी छाती चौड़ी करनी होगी और सोच विचार के व्यापक बनना होगा । क्योंकि यह सहकारिता गरीबों से जुड़ी हुई है, गरीब और किसानों से जुड़ी हुई है । अभी आपने कहा कि आप अनुसूचित जाति के लोगों को इतना प्राफिट देना चाहते हैं, इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आप सदा इस बात को ध्यान में रखिये कि कैसे, किस तरह हमारा मूवमेंट आगे बढ़ सकता है । इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और जो आगे बातें होंगी, उनको मैं बाद में कह दूंगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सहकारिता के इस बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है । सहकारिता की भावना गांव में प्राचीन काल से चली आ रही है कि उसके किस उत्पादन में किस प्रकार से बढ़ोत्तरी की जाये, कैसे उसमें अधिक से अधिक योगदान किया जाये । हमारे यहां तो वेदों में यह भावना पहले से व्यक्त की गयी है । हमारे यहां वेदों में कहा गया है–"संगम्द्यध्वं संवस्मदवम् संवो वनासिजानताम्, और यह भी कहा गया है सहनाववत सहनौभुनक्त सह वीर्य कर्वावहि तेजलिना वधीनयस्तु याविद" । मान्यवर, हम तो रोज ही कहते हैं कि यह सहकारिता की भावना तो जन-जन में व्याप्त रही है, लेकिन जो आज बजट प्रस्तुत हो रहा है, वह हमारे लिए अत्यन्त प्रसन्नता की बात है । मैंने इस बजट की भावना को देखा है । ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार की जो नीति है गांवों के किसानों को लेकर सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है । इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । पिछली सरकारों ने सहकारी शब्द का रूप ही बदल दिया था । उसकी सरकारी जैसे व्याख्या कर दी गयी थी और इस विभाग को सफेद हाथी कहा जाता था । लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस भाजपा सरकार की नई नीति के अनुसार जो यह विभाग चलाने जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से यह गरीब जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होगा । इस सहकारी विभाग द्वारा जो प्रारम्भिक सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जो ऋण वितरित हो रहे हैं, वे तीन प्रकार के हैं–दीर्घ कालिक, अल्प कालिक और मध्य कालिक । यह ऋण बहुत बड़ी संख्या में अब लोगों को दिये जा रहे हैं । इसका क्षेत्र विस्तृत हो रहा है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बजट में.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

इसमें यह भी प्रसन्नता की बात है कि 500 नये उर्वरक बिक्री केन्द्र तथा 500 कृषि रक्षा रसायन बिक्री केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसानों का और ही हित होगा । मान्यवर, दीन दयाल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को गांवों में रोजगार देने की हमारी सरकार की योजना प्रस्तावित है, जो बहुत अच्छी योजना है और इससे बेरोजगारों को काम मिलेगा ।

मान्यवर, विश्व में व्यक्तिगत स्वामित्व के रूप में पूंजीवाद और सरकारी स्वामित्व के रूप में साम्यवाद प्रचलित था, लेकिन अब दोनों ही असफल हो चुके हैं और अब केवल सहकारिता का ही बोलबाला रह गया है और इसका यानि सहकारिता विभाग का बजट हमारे मा० मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मेरा विश्वास है कि यह बजट निश्चित रूप से सहकारिता आन्दोलन को बल देगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, श्री सुरेन्द्र सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं । सहकारिता विकास ग्राम्य जीवन से संबंधित है और इसके चुनाव न होने से सहकारिता विभाग में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है । इस संबंध में मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । मान्यवर, साधन सहकारी समिति रामपुर, जिला देवरिया, ब्लाक बनकटा, ग्राम रामपुर-परगसहा-बकुल में अनुदान के तौर पर गेहूं का बीज दो लाख रुपये का वितरण के लिए मिला था लेकिन उसे बिहार राज्य में चोर बाजारी में बेच दिया गया । इस बात को ए० आर० और सी० डी० ओ० ने स्वीकार किया है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । इसलिए मैं चाहूंगा इस बीज घोटाले को मंत्री जी दिखवा लें और तत्काल कोई कार्यवाही करें ।

मान्यवर, दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं साधन सहकारी समिति अहिरौली बघेल, ब्लाक बनकटा, जिला देवरिया में 1989 में जनता दल की जब सरकार थी तो उसने घोषणा किया था कि 10,000 के कर्जे माफ करेंगे । सरकार बनने के बाद बीस लाख रुपये इस साधन सहकारी समिति ने विभिन्न लोगों को ऋण दिये और ऋण माफी योजना के अन्तर्गत बीस लाख रुपये माफ कर दिया । उस सूची में जिनके ऋण माफ होना चहिए था उनके नाम नहीं लिखे गये और जिनको माफ नहीं होना था उनके नाम लिख दिये गये और इस तरह सरकार का बीस लाख रुपया चला गया । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय और जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं उनसे यह रुपया वसूल किया जाय । मान्यवर, परगसहां सोसायटी में जो व्यक्ति पात्र नहीं थे उनका ऋण माफ किया गया । इसी तरह बनकटा ब्लाक जिला देवरिया में जहां भाट की जमीन अधिक है जहां आलू का उत्पादन अधिक होता है, उसके संबंध में मेरा सुझाव है कि वहां सहकारिता विभाग एक कोल्डस्टोरेज की स्थापना करे जिससे वहां के किसान उसमें आलू का भण्डारण कर सकें । पिछली सरकार में आपके लोगों ने इस कोल्ड स्टोरेज को प्राथमिकता देकर स्थापित करने के लिए मांग किया था ।

मान्यवर, सेवा मण्डल के गठन न होने के कारण कर्मचारियों का चयन ठीक से नहीं होता है । मेरा आरोप है कि इसका गठन नहीं होगा, अध्यक्ष और मेम्बर नहीं होंगे तो.....डेलीवेजेज के नाम पर इसका

दुरुपयोग होगा और भारी मात्रा में पैसा लिया जायेगा । डेलीवेजेज पर नियुक्तियां की जायेंगी । मैं चाहता हूं कि सेवा मण्डल का तत्काल गठन किया जाय । इस सेवा मण्डल का गठन करके तत्काल रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की जायं । मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री अखिलेश, श्री लाल जी वर्मा, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय आदि सदस्यों द्वारा कोरम पूरा न होने की बात कही गयी)

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम पूरा है ।

* श्री लल्लन प्रसाद त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका आभारी हूं । जिलों में जो सहकारी समितियां हैं, उनके सचिवों द्वारा भारी गड़बड़ियां की जाती हैं । जो ऋण वसूल कर दिया जाता है वह बैंकों में न जमा करके काफी हद तक समितियों के सचिवों ने खुद हड़प लिया है । इस तरह से करोड़ों रुपये सचिवों द्वारा हड़प लिया गया है लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए इन गलत सचिवों के खिलाफ कार्यवाही हो । इसके साथ ही साथ इसमें सम्बद्ध सुपरवाइजर, ए० डी० ओ० के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय । इन्हें भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऋण की वसूली में कलेक्शन चार्ज लगा दिया जाता है । सदस्यों के ऊपर इस कलेक्शन चार्ज की मुक्ति दिलाई जाय । सदस्यों द्वारा समितियों में जो हिस्सा जमा किया जाता है । वह हिस्सा एक तरह से मृत प्राय हो जाता है । इस संबंध में न्यूनतम 6 प्रतिशत वार्षिक डिवीडेंट प्रत्येक सदस्य को दिया जाय । सामान्य रूप से समितियों में वार्षिक बजट लेखा-जोखा स्वीकृत होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता है । मेरा निवेदन है कि समितियों में नियमित रूप से बजट बनाया जाय, उसकी स्वीकृति हो । गत वर्ष के लेखे-जोखे की स्वीकृति और आगामी वर्ष के बजट की स्वीकृति के बाद नियमित रूप से कार्य किया जाय । एक निवेदन मेरा पी० सी० एफ०, डी० सी० एफ० और साधन सहकारी समितियों के बारे में है । यह तीन ऐसी एजेन्सियां हैं जिनके माध्यम से ऋण वितरण होता है । फर्टीलाइजर के अन्दर जो कमीशन दिया जाता है । यू० पी० कोआपरेटिव समितियों के फेडरेशन का ज्यादा धन कमीशन में चला जाता है । 75 प्रतिशत समितियों को दिया जाय और 10 प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन को दिया जाय । 75 प्रतिशत आने के बाद साधन सहकारी समितियां सक्षम हो जायेंगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव जो श्री सुरेन्द्र सिंह ने रखा है, उस पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । सहकारी विभाग का कार्य सहकारी आन्दोलन द्वारा ढंग से चलता है । इस सहकारी विभाग का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण से साधारण किसानों और वहां के नागरिकों से लेकर के और ज्यादा बड़े आदमियों तक ही पहुंचता है । इस विभाग की कार्य प्रणाली लाभ दायक भी है । इसके साथ-साथ कठिनाई भी पैदा हुई है और आगे भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होती रहेगी इसको एक शब्द में कहा जाय सहकारी विभाग या सहकारी आन्दोलन के ऊपर तो ''हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता'' तुलसीदास जी ने कहा है कि इसी तरह से सहकारी विभाग की आलोचना, समालोचना अच्छाई या बुराई अगर करी जाय तो कई दिन लगेंगे तो मैं इस पर न जाकर यह अनुरोध करूंगा कि जिस कार्यों के लिए सहकारी आन्दोलन चलाया गया, जिस उद्देश्य के लिए सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिस उद्देश्य से सहकारी समितियों के कार्यक्रम चलाये गये, उससे जिन लोगों को, इस सहकारी आन्देलन से लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है । सहकारी आन्दोलन के माध्यम से बहुत से लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं खासतौर से उस पक्ष के लोग जिस पक्ष के लोगों के हाथ में सत्ता होती है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अन्जाने में ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा । मान्यवर, उन्नाव जनपद में जिला सहकारी बैंक निर्वाचित डायरेक्टर और उसके अध्यक्षों के द्वारा संचालित हो रहा था यह बात इस सरकार को पसन्द नहीं आई इन्होंने उनको हटाकर जिलाधिकारी को अध्यक्ष बना दिया । जो निर्वाचित अध्यक्ष थे उन्होंने ऐसा मामला पकड़ा जिसमें 54 लाख रुपये का गबन किया गया था वह गबन इस सफाई से किया गया कि मान्यवर, बुनकर सहकारी समिति बनाई गयी उस गांव की जानकारी दिखाई गई जो दरियाबुर्द हो गया था । उस गांव के लोगों को समिति का सदस्य बनाकर 54 लाख रुपया निकाल लिया गया जब उस पैसे की वसूली का समय आया तो बैंक के द्वारा कार्यवाही की गई तब यह मालूम हुआ कि 20 साल पहले यह दरियाबुर्द हो गया था । इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई । जब यह स्थिति आई तो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात आई, तो इस बैंक के अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया । जांच अधिकारी जिन-जिन लोगों ने सही ढंग से जांच की उसको हटा दिया गया और दूसरे आदमी को बिठाल दिया गया । इसमें देखने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दल के एक कार्यकारी सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात की शिकायत की थी कि 54 लाख का गबन है सहकारी बैंक से, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन मान्यवर, दुर्भाग्य से चाहे जैसे सत्तापक्ष के कोई माननीय सुन्दरलाल जी लोधी हैं वह माननीय मुख्य मंत्री जी का अपने को नजदीकी बताते हैं और कहते हैं कि हम मुख्य मंत्री जी के खास आदमी हैं, उन्होंने इस शिकायतकर्ता के पत्र पर दबाव डलवाया और वापस करने की कोशिश की और कहला दिया कि पत्र नहीं लिखा, लेकिन क्या पत्र में लिखा गया संदर्भ गलत है सहकारी मंत्री जी इस पत्र की जांच करा लें अगर पत्र न हो तो में उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा । सरकारी नियम परिचालित है कि जब तक पुरानी जीप डिस्पोज आफ न हो जाय तब तक नयी जीप नहीं खरीदी जा सकती है । लेकिन जिला सहकारी बैंक में नयी जीप खरीदने का आदेश दे दिया गया है । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय सहकारिता मंत्री जी से एक अनुरोध करूंगा । सहकारिता मंत्री जी आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आपके विभाग के भ्रष्ट कर्मचारी आपका बेड़ा गर्क कर देंगे और यदि आप उनकी मदद करेंगे तो जनता आपका बेड़ा गर्क कर देगी । इसलिए दो में से एक ही रास्ता चुनें । आपको ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए चाहे कर्मचारी आपके खिलाफ जितना आन्दोलन करें, शिकायत करें । मुझे विश्वास है कि उन्नाव जनपद के सहकारिता विभाग में जो घपला 54 लाख का हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बृजराज त्रिपाठी–

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमारे सहकारिता मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बड़ा उत्साहबर्धक और प्रगतिशील है । इसको मैं एक-दो आंकड़े देकर सिद्ध करना चाहता हूं वर्ष 1991-92 सहकारिता विभाग द्वारा 575 करोड़ रुपया ऋण बांटने के लिए रखा गया था । वर्तमान बजट में 625 करोड़ रुपया रखा गया है । पिछले वर्ष हमारी सरकार का अल्पकालीन तथा मध्य कालीन ऋण के वसूली का 46.91 प्रतिशत था जबकि इसके पहले 90-91 में यह केवल 31.76 प्रतिशत था । यह उत्साहवर्धक कार्य सहकारिता मंत्री जी ने किया है । इस बजट के माध्यम से एक हजार मिनी बैंक खोलने का प्रस्ताव है जो बड़ा उत्साहवर्धक है । इस बजट के माध्यम से 500 उर्वरक वितरण केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव है इससे किसानों का हित होगा ऐसा मेरा विश्वास है । मैं अपने सहकारिता मंत्री जी के बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और एक-दो सुझाव देना चाहता हूं । पहला सुझाव न्यायिक अभिकरण के बारे में है । उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत जब समितियों और उसके सदस्यों में विवाद उत्पन्न होता है तो धारा 70 के अन्तर्गत उसका निपटारा किया जाता है । उसके लिए सहायक विकास अधिकारी, विकास अधिकारी तथा सहायक निबन्धक उसका निपटारा करते हैं जो उस विभाग से जुड़े हुए होते हैं । मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1965 और उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के प्राविधानों में संशोधन करें और एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायाधिकरण का सृजन किया जाय और समिति तथा किसानों के बीच उत्पन्न हुए विवाद का निर्णय कराया जाय । उर्वरकों का वितरण सहकारी समितियों के द्वारा ठीक है, इसी के साथ एक कृषि रक्षा इकाई हर जनपद में होती है और हर विकास खण्ड में कीटनाशक दवायें कृषि रक्षा इकाईयों के माध्यम से बांटी जायं औषधि कैसे प्रयोग की जाती है, कितनी मात्रा इस्तेमाल की जाय यह बताने के लिए इन इकाईयों में प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं, तो इन कीटनाशक दवाओं का वितरण इन्हीं इकाईयों के द्वारा कराया जाय तो सुविधाजनक होगा । तीसरी बात कहना चहता हूं कि बहराइच में बैंक में एक वरिष्ठ सहायक हैं कृष्ण कान्त अवस्थी वे 27 तारीख को आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं । उनकी बात जिला प्रशासन ने नहीं सुनी । उनकी कुछ मांगें हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रशासक महोदय से कहें कि उनकी न्यायोचित मांगें मान कर उनका अनशन समाप्त करावें । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सहकारिता कोई सरकारी या शासन का विभाग नहीं है । यह एक आन्दोलन है और इसका प्रारम्भ इसी भावना को लेकर इस देश और प्रदेश में शुरू किया गया । मान्यवर, आप जानते हैं कि पूंजीवादी समाज में सामाजिक अर्थ व्यवस्था का शोषण रोकने के लिए समाज के पास सहकारिता के अतिरिक्त दूसरा साधन नहीं हो सकता और यही बात हमारे राजनीतिक मनीषियों के मष्तिष्क में थी । इसीलिए सहकारिता आन्दोलन की शुरुआत की गयी, लेकिन पहला ही कदम गलत हो गया जो पुस्तक में माननीय मंत्री जी ने कहा, पहले ही सेंटेंस में देखें कि "भारत में सर्व प्रथम सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई । मेरा कहना यह है कि इसकी शुरुआत गलत हो गयी । यह सरकारी आन्दोलन था और इसको ऋण देने की योजना के रूप में चलाया गया । इससे इसके पीछे की सारी मंशा इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती । मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीवादी समाज के अन्दर आप स्वयं जानते हैं, आप उसी पृष्ठभूमि से निकले हैं जो कार्ल मार्क्स ने दी थी । पूंजीवादी व्यवस्था में दो बातें होती हैं । एक तो यह कि पूंजीवादी व्यवस्था जब समाज में बढ़ती है तो पूंजी का विकेन्द्रीकरण नहीं हो पाता, एक ओर केन्द्रीयकरण होता है तो दूसरी तरफ दूसरी व्यवस्था आरम्भ हो जाती है । जब देश के अन्दर जो वैज्ञानिक उपकरण सामने आते हैं तो जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया में पहला उपकरण बदलता है तो उससे अर्थ व्यवस्था बदलती है और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बदल जाती है । तो इस वैज्ञानिक युग में नये उपकरण सामने आये तो छोटी पूंजी निवेश का उत्पादन

अलाभकारी होने लगता और उसमें एक सामाजिक असंतुलन होने लगता है । उसमें संतुलन स्थापित करने के लिए सहकारिता के माध्यम से मनीषियों ने सोचा था । देश में सहकारिता के माध्यम से उन लोगों की भागीदारी बने जो छोटी पूंजी वाले हैं, छोटी लागत के हैं, तो छोटे पूंजी निवेश को बढ़ाकर बड़ा कर लें, यह सोचा था । तमाम पूंजी निवेश में वैज्ञानिकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके यह सोचा था ।

दूसरी बात मान्यवर, यह थी कि जो पूंजी का केन्द्रीयकरण बढ़ा है, पैसे से पैसा कमाने वाली प्रवृत्ति विद्यमान हो गयी है तो बढ़ती हुई पूंजी के वर्चस्व को रोकने के लिए एक ही तरीका था कि सहकारिता के माध्यम से रोका जाय । और इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर मान्यवर, इसकी शुरुआत हुई और जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि प्रारम्भ से विश्रंखलता पैदा हो गयी । किनको पुजना था और कौन पुज गये । सहकारिता आन्दोलन केवल व्यक्तिगत लाभ कमाने वालों के हाथ में जाने अनजाने पहुंच गया और यहीं से असफलता शुरू हो गयी । आप सहकारिता मंत्री हैं, आपका सबसे बड़ा काम हर सहकारिता आन्दोलन से जुड़े व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ के लिए सहकारिता आन्दोलन का लाभ उठाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ कारगर-उपाय करने चाहिए । हुआ क्या, सहकारी आवास समितियां बनीं, तो जो बड़े-बड़े कालोनाइजर्स थे, उन्होंने उससे लाभ उठाया, लेकिन लाभ सामान्य व्यक्तियों को नहीं पहुंचा। बड़ी पूंजी के बल पर जो कोलोनाइजर्स कालोनीज के धन्धे से जुड़े, उन्होंने सहकारी आवास संघ का पूरा लाभ उठाया । उन्होंने फर्जी आवास समितियां रजिस्टर्ड कराईं और आवास समितियों को मिलने वाली सुविधा के बैनामे में उनसे फीस आदि वसूल की जाती थी, उसको अपने व्यक्तिगत लाभ में कमाया और इस प्रकार सम्पूर्ण सहकारी आवास सम्पत्तियां इन कोलोनाइजर्स की आय का साधन बन गयीं । इसी प्रकार से गांवों में जो सहकारी समितियां स्थापित हुईं, उन्होंने कर्जे दिये । अगर आप पता लगा लें, उस कर्जे का लाभ किसने उठाया, गांव के जो साहूकार थे, जिनके गरीब और छोटे किसानों पर कर्जे थे और वह कर्जे पटते दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने सहकारी बैंक से अपने दिवालिये आसामियों के लिए कर्जे स्वीकृत करा लिए और उन्हें प्रबंचित करके कर्जे की राशि स्वयं हड़प कर लिए और इस प्रकार से उन्होंने अपनी डूबती हुई पूंजी को इन सहकारी समितियों के माध्यम से बचा लिए । इस प्रकार सहकारी बैंकों ने गांव के गरीब किसान मजदूर और शोषित, पीड़ित जनता का कोई उपकार न करके साहूकारों के हित का साधन किया ।

इस प्रकार सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ से ही असफलता की ओर चला गया । वस्तुतः यह जनान्दोलन था, जो एक सरकारी विभाग के रूप में परिवर्तित हो गया । फलतः इसकी जो उपयोगिता इस प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी । सहकारी बैंक व्यक्तिगत आय का साधन बन गया । सहकारी आन्दोलन में जो लोग जुड़े, उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ में उसका उपयोग किया और दुर्भाग्य यह रहा कि सहकारी आन्दोलन से जितने लोग जुड़े, उनकी मंशा सहकारी आन्दोलन में आगे बढ़ने की कभी नहीं हुई, बल्कि वह उससे व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए कटिबद्ध हो गये । मान्यवर, मैं इसके साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मेरा पहला सुझाव यह है कि गांव के छोटे-छोटे किसानों, गरीब मजदूरों को अपने रोज के कार्यों के लिए जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है और वहां उन्हें कभी-कभी रुकना भी पड़ता है । वहां पर रुकने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है । इसलिए उन्हें अपने रुकने के लिए काफी खर्च करना पड़ता है । कहीं-कहीं तो जिला मुख्यालय बहुत दूर-दूर पड़ते हैं, जैसे मेरे जिले में ही जिला मुख्यालय आगरा में है और बाहा तहसील का जैतपुर गांव आगरा से 85 कि०मी० दूर है । उसी तरह से खैरागढ़ तहसील का तांतपुर गांव 80 कि०मी० दूर है । यहां से जब किसान आगरा जाता है, तो उसे ठहरना ही पड़ता है और ठहरने में उसे भारी खर्चा उठाना पड़ता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि हर जिले में आप एक किसान भवन की स्थापना करा दें । जहां पर किसान दूर-दूर से आकर अपने कार्यों का संचालन कर सकें ओर वह इस बात को समझ सकें कि हमारा परिवार सहकारिता है, उनमें भाईचारा एवं बन्धुत्व की भावना पैदा होगी ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि तिलहन के विकास पर ध्यान देने की बात है, तो मैं कहना चाहता हूं कि तिलहन के अन्दर एक नयी किस्म आयी है, जिसको हमारे इधर राई कहते हैं। राई की सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि इसके भंडारण की क्षमता बहुत कम है, इसकी पैदावार बहुत अधिक होती है, लेकिन यह खराब बहुत जल्दी होती है। तो मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जिस प्रकार से आलू के भंडारण की व्यवस्था की जाती है, बीजों के भंडारण की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार से राई के भी भंडारण की व्यवस्था की जाये। इसके संबंध में आप वैज्ञानिकों से भी सलाह लें और आवश्यक भंडारण के प्रबन्ध किये जायें। मान्यवर, आलू भण्डारण पर चर्चा है, इसलिये मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, सहकारिता विभाग के जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, उनकी बड़ी दुर्गति है, उनमें किसान का आलू खराब हो जाता है और उसकी कोई देनदारी नहीं है। सहकारिता द्वारा चलाये जा रहे कोल्ड स्टोरेज की स्थिति बड़ी दयनीय है।

मान्यवर, खाद की भी बड़ी समस्या है। खाद जो है वह छोटे किसानों को नहीं मिल पाती है। छोटे किसानों के नाम पर खाद ली जाती है, लेकिन वह बड़े-बड़े किसानों के घर पर चली जाती है, पैसे वालों के घर पर चली जाती है, शक्तिशाली लोगों के घर पर चली जाती है, उसका फायदा छोटे किसानों को नहीं हो पाता है, गरीब किसानों को नहीं हो पाता है। छोटे किसानों के नाम से मंजूर होती है, लेकिन खाद वह किसान उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री अशोक दुबे–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सहकारिता भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। प्राचीन काल में भी बिटिया की शादी में घर-घर गल्ला बांट दिया जाता था और आटा पिस-कर घर में आ जाता था तब शायद किसी शब्द कोष में सहकारिता का नाम भी नहीं था। हमारे राष्ट्र के निर्माताओं के मस्तिष्क में सहकारिता की यही पवित्र भावना रही होगी, जब इसे शासन और प्रशासन का अंग बनाया गया। इसी पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर माननीय सहकारिता मंत्री ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि मार्च, 1992 तक 575 करोड़ ऋण के फसली ऋण का जो लक्ष्य था उसके विरुद्ध हमारी सरकार द्वारा 665 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया है। लघु सिंचाई के लिये जिन जनपदों में पानी की सतह बहुत गहरी थी वहां दीर्घ कालीन ऋणों को सफलता नहीं मिलती थी, अब समरसेबल पम्प सेट के रूप में बढ़ी हुई लागत पर दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1000 सहकारी समितियों को मिनी बैंक रूप में खोले जाने की घोषणा से गांवों में खुशहाली का वातावरण बनेगा। मान्यवर, तिलहन के क्षेत्र में विकास की दिशा में एक भगीरथी प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया है, अभी कानपुर तथा आगरा मण्डल तथा बुलन्दशहर इसके केन्द्र खोले जायेंगे तथा विशिष्ट तरीके से मान्यवर, 2.65 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। मान्यवर, लक्ष्य तो मैंने पूरा किया है और साथ ही एक हजार विक्रय केन्द्र खोलने जा रहे हैं। मैं राणा जी की बात से सहमत हूं इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि यह वितरण खराब हाथो में न चला जाये, भ्रष्ट हाथों में न चला जाये। मान्यवर, वास्तव में सहकारिता में प्रदूषण कांग्रेस के समय से ही प्रारम्भ हो गया था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन सबसे ज्यादा सहकारिता प्रदूषित हुआ 1977 में जब जनता पार्टी में सहकारिता मंत्री मुलायम सिंह जी बने । आज भाजपा की सरकार है लेकिन बहुत से समाजवादी जनता पार्टी और कांग्रेस के भ्रष्ट हाथों में आज भी सहकारिता आन्दोलन है इसलिये जिन हाथों में जो वस्तुएं पहुंचनी चाहिए वह नहीं पहुंच पा रही हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि सहकारिता मंत्री सुधीर कुमार बालियान अपना पूरा भगीरथ प्रयास करके इस भ्रष्ट हाथों से सहकारिता आन्दोलन को निकाल कर प्रदेश के पवित्र हाथों में सौंपें । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सहकारिता आन्दोलन के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अभी सत्तापक्ष के सदस्य ने माननीय मुलायम सिंह का नाम लिया कि यह मुलायम सिंह यादव के समय में सहकारिता आन्दोलन गर्त-में चला गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी, क्या मुलायम सिंह का नाम लेना आपको बुरा लग रहा है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, बुरा तो नहीं लग रहा है मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं लेकिन मुझे मजबूरन आज आदरणीय सदन के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ रहा है । मान्यवर, मुलायम सिंह यादव जब सहकारिता मंत्री थे तो इस प्रदेश की सारी जनता को मालूम है कि मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री के रूप में एक सफल मंत्री थे और उन्होंने जितना सहकारिता आन्दोलन में सुधार किया उतना आज तक किसी भी सहकारिता मंत्री ने सुधार नहीं किया । मुझे फक्र है मुलायम सिंह यादव पर और बाद में उनके नेतृत्व में बनी सरकार पर, उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी उसने भी सहकारिता आन्दोलन में क़दम आगे बढ़ाया है । मान्यवर, सहकारिता विभाग जो बहुत बड़ा विभाग है शीर्षस्थ संस्थायें जिला स्तरीय संस्थाएं और प्राथमिक इकाइयां, पी० सी० यू०, पी० सी० एफ० ग्रामीण विकास और उपभोक्ता सहकारी संस्था है । मैं सभी संस्थाओं पर अगर अपना विचार व्यक्त करूं तो शायद घंटों लग सकते हैं । मैं आपके माध्यम से पी० सी० यू० की तरफ मानीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह एक ऐसी संस्था है जो सबसे पुरानी संस्था है लेकिन पी० सी० यू० के अन्तर्गत जो सहकारी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उसका 50 फीसदी अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और 50 फीसदी पी० सी० यू० द्वारा दिया जाता है । इसकी वित्तीय हालत बहुत खराब है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज सदन में घोषणा करें कि 100 फीसदी अनुदान जो सहकारी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनको प्रदान करें ।

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि पी० सी० यू० केवल चन्दे पर आधारित संस्था है । यहां पर 79 के बाद से सुपरवाइजरों की नियुक्ति करना बन्द हो गया है और कोई सुपरवाइजर भर्ती नहीं किया गया है तो एक दिन ऐसा आयेगा जिस दिन कोई सुपरवाइजर नहीं रह जायेगा और जो चन्दे की व्यवस्था है वह बन्द हो जायेगी इसलिये मेरी गुजारिश है कि सुपरवाइजर की जो नियुक्ति बन्द है उसको पुनः प्रारम्भ करें ताकि पी० सी० यू० की हालत अच्छी हो और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पी० सी० यू० सहकारिता आन्दोलन के जो कोआपरेटर्स हैं उनके लिये पांचवां व छठा तल गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग के लिये लिया जाता था ।

अभी विगत समय में मुझे मालूम हुआ है कि पांचवें तल को गेस्ट हाउस के प्रयोग के लिये लिया जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया है और अन्य संस्थाओं को किराये पर दे दिया गया है । कोआपरेटर्स के चन्दे से यह संस्था बनी थी तो उनकी भावना को ध्यान में रखते हुए पांचवां तल पुनः गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग में लाया जाय । पी० सी० यू० का ग्राउंड फ्लोर है उसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि अगर दूसरी जगह उस लोकेशन की इतनी बड़ी दुकान किराये पर दी जाय तो दो चार लाख रुपये पगड़ी के मिलते हैं मुझे ज्ञात हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर देवेन्द्र एण्ड मोटर कम्पनी लिमिटेड को किराये पर दे दिया गया है । इसमें दाल में काला अवश्य है । इसकी वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करायें कि इतनी अच्छी लोकेशन की जगह बिना पगड़ी के कैसे दे दी गयी । इसका नक्शा भी पास नहीं कराया गया है। अभी पी० सी० यू० की बात कही पी० सी० एफ० की नहीं कह पाया, एल० डी० बी० की नहीं कहा पाया । जो जनपदों में बैंक है, उन बैंक के कर्मचारियों की, जो इंजिन डीलर्स होते हैं, उनसे सांठ-गांठ होती है और वे किसान का शोषण करते हैं । मेरे यहां भोगांव में किसान मशीनरी स्टोर्स के नाम से डीलर है उसने एल० डी० बी० से मिलकर किसानों के साथ घोटाला किया है । जो डीलर्स किसानों के साथ धोखा करते हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाय । मेरे यहां मैनपुरी में ए० आर० कोआपरेटिव हैं उनके खिलाफ जनआन्दोलन सा भड़क उठा है । जनपद के सारे सुपरवाइजर्स और कामदार ने हड़ताल कर रखी है । 20–25 दिन से हड़ताल चल रही है । वह ए० आर० भ्रष्ट है लेकिन शासन का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा है । मैं मांग करता हूं कि ए० आर० का अविलम्ब स्थानान्तरण किया जाय और उसके बाद उनके विरुद्ध जांच की जाय । उनके विरुद्ध एक उच्च स्तरीय जांच पहले चली थी लेकिन आश्वासन दिये जाने के बाद भी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके साथ ही श्री सुरेन्द्र सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया । सहकारिता एक आन्दोलन है । कृषि के लिये एक प्रमुख संस्था के रूप में सहकारिता का उदय हुआ लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति इसकी आगे बढ़ाने की नहीं है । 1980 के बाद जब सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त किये गये तो 8 साल तक रहे, उन दिनों में सहकारी समितियों की बड़ी दुर्गति हुई है। पिछली बार सरकार ने 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया । उम्मीद की जाती थी कि आगे स्थिति अच्छी रहेगी और यह कार्य करेंगी लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर से केन्द्रीय समितियों में प्रशासक नियुक्त कर दिया । उसके बाद फिर से दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, प्रशासनिक कार्यों के संबंध में कहना चाहता हूं कि जिन समितियों में कोई कार्य नहीं है एक पैसे का काम नहीं है उनमें बाबुओं की नियुक्तियां हो रही हैं, ए० आर० कर रहे हैं, 10-10, 15-15 हजार रुपये पैसा ले रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जिला कोआपरेटिव बैंक का हस्तक्षेप होना चाहिए । जहां आमदनी नहीं है वहां नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन के विषय में कहना चाहता हूं कि ये जन भागीदारी का आन्दोलन है । ये जनता के द्वारा किया जायेगा, जनता के लिये किया जायेगा लाभ में वितरण सदस्यों के बीच में होगी, इतना ही नहीं उसको सशक्त रूप देने की बात कही जाती है पूरे देश के पैमाने पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात– इन प्रदेशों की सहकारिता कार्यक्रमों की पोजीशन बहुत अच्छी है लेकिन जब हम अपने प्रदेश को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि ये सहकारी आन्दोलन नहीं बल्कि सरकारी आन्दोलन हो गया हैं । राजनीति का शिकार हो गया है । राजनीतिक तिकड़मों के कारण सहकारिता कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है । सहकारिता आन्दोलन में यह व्यवस्था है कि चाहे शेयर होल्डर का जितना अंश हो उसको वोट का अधिकार होगा । पिछले दिनों के दौरान जो सरकार ने सहकारिता ऐक्ट में जो संशोधन पेश किया है उसके अन्तर्गत एक मोनोपोली राज्य सरकार की स्थापित कर दी गयी है । सहकारिता आन्दोलन में जो व्यवस्था है, उसकी जो भावना है, उसका उल्लंघन कर दिया गया है इसलिये सहकारिता को गति नहीं मिल रही है । जिला स्तर पर देखते है तो कैश एण्ड कैरी में जो लघु एवं सीमान्त किश्तों को छूट दी है यूरिया में 35-40 रुपये तक छूट मिलती है । जिन जगहों पर सूखे की स्थिति है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, सोसाइटियों से खाद बीज के वितरण की जो बात है उसके अन्तर्गत होता यह है कि समितियां डिमाण्ड नहीं करती हैं लेकिन ए० आर०, डी० आर० और बैंक के माध्यम से जो लक्ष्य दे दिया जाता है अब जैसे जहां पर सिंचाई है यूरिया की खपत है वहां पर जो चना दिया जाता है, जहां पर सूखी खेती है वहां पर गेहूं दिया जाता है तो इस तरह से निश्चित रूप से बिक्री नहीं हो पाती है । अधिक मात्रा में खाद बीज दे दिया जाता है, बिक्री नहीं हो पाती है, इससे साधारण सोसाइटियों की जिन्दगी खतम हो जाती है । सुपरवाइजर जो होते हैं वे बोगस आदि में दिखाकर बिक्री दिखाते हैं फिर इस तरह से कर्जे की वसूली नहीं हो पाती है । अगर सरकार की दृष्टि है इन सहकारी समितियों को सही ढंग से चलाने की तो इन तमाम कमजोरियों को समाप्त किया जाय । इसी के साथ मैं श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन एक पवित्र आन्दोलन था ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, था नहीं अब भी है ।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस आन्दोलन को लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए धनोपार्जन का साधन बना लिया इस प्रकार से इसका जो मूल उद्देश्य था, गरीब किसान की उन्नति के लिए धन मुहैय्या करायेंगे बिल्कुल उसका उल्टा हुआ । किसानों को जो ऋण दिये गये ट्रांसफर एंट्रियों के द्वारा उस धन को किसानों को प्रकारान्त से न देकर के, अपनी सुविधा के लिए उसका उपयोग किया इस प्रकार से इस पवित्र आन्दोलन के प्रति लोगों को घृणा बनती चली गयी । आज हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका उद्देश्य इस पवित्र आन्दोलन को, उसके मूल उद्देश्य को प्राप्त करके ग्रामीण जनता को, किसानों को, जिसके हित सम्पादन के लिए, उसके सहयोग के लिए यह जो उसकी मूल भावना थी उसके अनुरूप व्यवहार किया है । इसमें 500 नये उर्वरक बिक्री केन्द्र, 500 नये रसायनिक बिक्री केन्द्र एक हजार ग्रामीण क्षेत्रों में खुलवायेंगे, ग्रामीण किसानों को जो ऋण की सुविधा होगी निश्चय ही उससे किसानों का भला होगा और इस पवित्र आन्दोलन की जो मूल भावना है, इसमें जो विकृतियां हो गयी हैं, उसमें सुधार होगा । अब तक इसके अन्दर जो नौकरशाही का बोलबाला है इसमें जो जमा पूंजी सोसाइटी में जमा हैं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सचिव लोग उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, फर्जी बाउचर डाल कर उस पैसे को निकाल रहे हैं । मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं उनमें भी भ्रष्टाचार है । किसानों को जहां दस हजार रुपये का कर्जा दिया जाता है मेरी निश्चित जानकारी में है कि दो हजार, पन्द्रह सौ और कहीं-कहीं पर तीन हजार रुपया काटकर किसानों को दिया जाता है तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार विभाग में व्याप्त है । हमारी सरकार द्वारा मंत्री जी ने यह प्रयास किया है कि किसानों का जो शोषण हो रहा है उसमें सुधार लाने के लिए इसको नियंत्रित करेंगे । मान्यवर, सहकारिता द्वारा जो उर्वरकों का वितरण होता है उसमें भी मिलावट हो रही है.....

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मिलावट से किसानों का नुकसान होता है । अन्त में मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री विजयपाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर और माननीय सुरेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन जिन लोगों के लिए चलाया गया आज उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उल्टा उनका शोषण हो रहा है । इस विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी व्याप्त हो गयी हैं कि उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल काम हैं, माननीय मंत्री जी किसान परिवार से आये हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करेंगे । मान्यवर, इस विभाग में पहले समितियों के लेन देन में दोहरी मार पड़ती थी । उसमें बाबू लोग उनके नाम से कर्जा निकाल देते थे । जब कई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्षों बाद उसकी वसूली की जाती है तो यह पता चलता था कि वह तो बंद हुआ, लेकिन अब भी जब गांव का सीधा किसान कर्जे का पैसा जमा करता है तो उसे फर्जी रसीद जारी कर देते हैं। जब वे बाबू लोग वहां से चले जाते हैं तो किसानों से फिर से वसूली प्रारम्भ कर दी जाती है तो यह इन पर दोहरी मार पड़ती है। एक बात और मान्यवर, कहना चाहूंगा कि जो कर्जा वसूली है जनता दल की सरकार ने एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था, दस हजार का कर्जा माफ किया था लेकिन आज होता क्या है कि सहकारी समितियों के कर्मचारी किसानों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा कर्जा तो माफ नहीं हुआ है और फिर उनसे चार-पांच सौ रुपया ले लेते हैं तो इस तरह से कर्जा माफी के नाम पर उनका शोषण किया जा रहा है वे जिनसे चाहें पैनाल्टी ले लेते हैं जिनसे चाहें नहीं लेते हैं ? मेरी व्यक्तिगत जानकारी में ऐसे दो एक मामले हैं। दो तीन मुद्दों की तरफ और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकार ने सहकारी समितियों के चुनाव कराये थे लेकिन जो वर्तमान सरकार ने एक अध्यादेश लेकर उन निर्वाचित समितियों को भंग कर दिया है .....

इसमें मनोनयन के बजाय चुनाव की तरफ ध्यान देना चाहिये। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक अप्रैल से जो खाद पर सब्सिडी समाप्त की गयी है, उस पर पुनर्विचार आपको करना चाहिये। माननीय मंत्री जी कृषक परिवार से आये हैं और किसानों की समस्याओं को अच्छी प्रकार समझते हैं। मान्यवर, जो उपभोक्ता सहकारी संघ हैं, उन पर 8 करोड़ रुपये का बकाया है, अगर इसी तरह चलता रहा, तो एक करोड़ सालाना बकाया हो जायेगा और जिन समितियों व फर्मों से यह पैसा लिया जाना है, उनके रिकार्ड में कोई पैसा अंकित ही नहीं है, इस तरह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। मान्यवर, शीतगृहों के बारे में कहना चाहता हूं, शीतगृह में जब आलू रखा जाता है और यदि किसान का आलू सड़ जाता है तो यह उसकी जिम्मेवारी है कि किसान को उसका उचित पैसा मिले। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और मेरे साथ खुद भी हुआ है कि आलू सड़ गया और किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। किसान को आलू का नुकसान होता है, उसका कम्पन्सेट किया जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र सरधना के लावड़ कस्बे में आलू के लिए एक शीतगृह स्थापित किया जाय। मान्यवर, आंकड़ों के अनुसार पी०सी०एफ० के 9.90 लाख टन के गोदाम बने हैं, जिसमें साढ़े 5 लाख टन खाली पड़े हैं और ब्लाक स्तर पर यह स्थिति है कि कहीं भूसा भरा हुआ है, कहीं पशु बांधे जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह अनावश्यक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो सेवा मंडल हैं, उनके संबंध में सुरेन्द्र सिंह जी ने भी जैसा कहा कि कहीं अध्यक्ष नहीं है, कहीं कोई सदस्य नहीं है, उस पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि सेवा मण्डल सही प्रकार से काम कर सकें। मान्यवर, मैं एक बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मेरठ में जो पी०सी०एफ० है, वहां बड़ा भारी घोटाला है। चीनी मिल से चीनी ली जाती है और 10–15 दिन पहले से ड्राफ्ट दे दिया जाता है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, देवबंद चीनी मिल है, उससे चीनी ली जानी थी और दिनांक 14-12-91 को 70 लाख रुपये का ड्राफ्ट दे दिया गया, जबकि 31-12-91 को चीनी का उठान हुआ, इस प्रकार 72 हजार रुपये का ब्याज का नुकसान पी०सी०एफ० को हुआ। इस प्रकार ड्राफ्ट बहुत पहले दे दिया जाता है और चीनी बाद में उठाते हैं। इसी प्रकार के और भी घोटाले हैं। इस प्रकार वास्तव में जिन लोगों के लिये सहकारिता आन्दोलन चलाया गया, उनको सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। माननीय मंत्री जी, जिस व्यवस्था में फंसे हुये हैं, वह किसान विरोधी व्यवस्था है और यह सरकार किसान विरोधी है, इनसे

किसानों के हित की कोई आशा नहीं की जा सकती फिर भी मैं कहूंगा कि इन सब चीजों की तरफ मंत्री जी ध्यान दें और अन्त में मैं मा० श्री सुरेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने सहकारिता विभाग के बजट पर माननीय सुरेन्द्र सिंह द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन्, सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि का विकास करने और खेती द्वारा उत्पादित अनाज को पूरे प्रदेश में सही दाम दिलाना है। श्रीमन्, सहकारिता आन्दोलन 1904 में सहकारी ऋण समिति के माध्यम से प्रदेश में लागू हुआ था। श्रीमन्, प्रदेश में 8.597 कृषि ऋण समितियां थीं, जहां तक मुझे जानकारी है और मैं सत्य बोलता हूं, हमारे कुछ विरोधी हैं, भाजपा के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, वह भी सहमत होंगे कि जो इसमें सचिव होते हैं, उन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे यहां जो साधन सहकारी समिति है, पिछले साल उस समिति में इतना बड़ा भ्रष्टाचार सचिव द्वारा हुआ कि वह समिति डिफाल्टर हो गयी। सचिव ने लाख-दो लाख का घोटाला किया और जब डिफाल्टर हो गयी तो वहां खाद, बीज, गेहूं की बुवाई में एक भी बोरी किसी भी किसान को नहीं दिया गया..... मर्यादपुर समिति है, द्वारी समिति है। इस प्रकार से तमाम ऐसी समितियां हैं जिनमें सचिवों द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और उसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी मैं आपसे मिला भी था। मेरे जनपद में ए०आर० भी इसी तरह का है जो बिना पैसे लिये किसी को छोड़ता ही नहीं। मैं इस बात को सत्यपूर्वक कहना चाहता हूं कि जो आपके संघ हैं और जो गोदाम है आज वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। इसलिए आप इस पर भी विचार करें। सहकारिता के माध्यम से गेहूं की खरीद होती है लेकिन आज तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी गेहूं का क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है। इस पर भी आप ध्यान देने की कृपा करें। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार सहकारिता आन्दोलन को बरबाद करने पर तुली हुई है। 1988 से पहले सहकारिता में अध्यक्षों के चुनाव नहीं होते थे, सरकार द्वारा नामीनेशन होता था परन्तु 1988 में इन सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों का चुनाव होने लगा और अध्यक्ष के पद पर जनप्रतिनिधि बैठने लगे थे। चाहे वह सहकारी आवास संस्था हो, पी०सी०एफ० हो या संघ हो इन सब में जन प्रतिनिधि बैठते थे परन्तु अब इस वर्तमान सरकार ने इस पर पुनः रोक लगा दी है। 28 जनवरी, 1992 को एक अध्यादेश जारी कर दिया और अपने सरकारी लोगों को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने की घोषणा कर दी। यह तो इन संस्थाओं का सौभाग्य है कि हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया। पी०सी०एफ० में आपने उत्पादन आयुक्त को अध्यक्ष बना दिया। आवासीय संघ में आवास आयुक्त को अध्यक्ष बना दिया जो सरासर अन्याय है। जब तक इन संस्थाओं/संघों में जन प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक सहकारिता आन्दोलन के साथ न्याय नहीं हो सकता है और किसानों को भी इसका सही लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए माननीय मंत्री जी आप इस पर विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विषय पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है इसलिए इस संबंध में मैं अधिक न बतलाकर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। यह सबको मालूम है कि बड़ी अच्छी भावना से सहकारिता आन्दोलन की शुरूआत की गयी थी परन्तु जब भी इसमें

कुछ खराबी आई तो वह केवल भावनाओं के कारण नहीं अपितु व्यक्तियों की बुरी नियत के कारण आई । इसमें राजनैतिक लोग भी शामिल हैं और इससे ज्यादा हमारे आफीसर्स जिम्मेदार हैं । सहकारिता आन्दोलन के विफल होने का कारण चारित्रिक पतन है । हमारे मंत्री जी युवा हैं और उनमें क्षमा भी है और साथ ही उनमें चारित्रिक क्षमता भी है । इसलिए मैं सोचती हूं कि वह पूरी तरह से इस सहकारिता आन्दोलन की ओर ध्यान देंगे । मेरे यहां 3-4 गांवों में भण्डार गृह बने हैं परन्तु वे केवल कागजों पर हैं । मैंने उनका निरीक्षण किया तो पाया कि खाली उनकी दीवारें ही बनी हैं और उन पर छत नहीं है । यह भण्डारण गृह झिलखुनिया, इगलास व दो अन्य गांवों में है । बेसवा के भण्डारण गृह में एक कर्मचारी है जो 15 साल से वहां पर नियुक्त है तथा भ्रष्टाचार में लिप्त है । कई बार उसका स्थानान्तरण भी किया गया है परन्तु वह केवल कागजों में ही होकर रह गया, उस पर कार्यवाही नहीं हुई । इस प्रकार ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं जिनसे सहकारिता आन्दोलन विखर कर रह गया है । आशा है इस ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करेंगे । क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तेल मिल, दाल मिल यह दोनों चीजें कानपुर में दे दी हैं । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बिल्कुल अपने-अपने मस्तिष्क से बाहर कर दिया है । इसलिए माननीय मंत्री क्षेत्रीय असंतुलन का भी ध्यान रखें । मेरे क्षेत्र इगलास के बारे में माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि वहां पर किसी भी प्रकार का सहकारी आन्दोलन नहीं है । भण्डारण गृह हैं तो उनकी छतें नहीं हैं । हम लोग चुपचाप इसलिए बैठें हैं क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है । इसलिए आप वहां पर दाल मिल व तेल मिल देने हेतु आश्वासन दें । इगलास बहुत पिछड़ा हुआ है । किसी भी तरह की कारखाने की योजना वहां पर नहीं है । वहां पर इस समय राई की उपज बहुत हुई है परन्तु वहां पर उसके लिए कोई भण्डारण की व्यवस्था नहीं है और न शीतगृह ही हैं । यह इसलिए है कि वहां पर विद्युत की कमी है जिसके कारण वहां पर शीतगृह नहीं हैं । इसी तरह से वहां पर जो भी कोआपरेटिव संस्थाएं हैं और जो वहां पर आफीसर्स हैं वे पूरी तरह से आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं । यदि आप सक्रिय होंगे और हर जिले में जाकर दौरा करेंगे तो कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि सहकारिता आन्दोलन सफल न हो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

* श्री ठाकुर पाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सहकारिता कोई एक विभाग नहीं है अपितु एक आन्दोलन है जो जनता द्वारा चलाया जाता है और सारी की सारी समितियों में जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं । इस आन्दोलन को साकार रूप देने के लिए हमारे मंत्री जी ने वर्ष 1992-93 के लिए जो बजट में जो प्राविधान रखें हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । ऋणों की वसूली और ऋणों के वितरण की बजट में जो व्यवस्था की गई है वह अवश्य ही सराहनीय कदम है क्योंकि जब ऋणों की वसूली अच्छी होगी तो वितरण भी उसी अनुपात में किसानों में ज्यादा से ज्यादा होगा । और इस तरह से पैसे का सरकुलेशन बना रहेगा तथा किसानों को भी इससे लाभ होगा । माननीय मंत्री जी ने मिनी बैंकों की योजना का प्राविधान जो बजट में रखा है यह भी एक अच्छा कदम है मेरा सुझाव है कि यह हर न्याय पंचायत पर होनी चाहिए । दूसरा, आपने जो इसकी संख्या 1 हजार रखी है इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि किसानों को दूर न जाकर नजदीक में ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह अपने सारे कार्य कर लें । नये रसायनों व खाद के लिए बिक्री केन्द्र खोलने की जो आपकी योजना है वह बहुत ही सराहनीय कदम है । अन्त में मैं एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर मैं आया हूं वह उद्योग की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । कोई भी उद्योग आज तक वहां पर नहीं लगाया गया है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मेरे क्षेत्र में एक सहकारी शीतगृह स्थापित करें क्योंकि वहां पर आलू का उत्पादन काफी होता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री अखिलेश–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, अगर सहकारिता के क्षेत्र में हम कर्नाटक,महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन की स्थिति का सही रूप से मूल्यांकन हो जायेगा । इस सन्दर्भ में काफी गहराई से देखा जाय तो मेरी समझ में आता है कि जब सहकारिता आन्दोलन जन्म ले रहा था तो तभी से उत्तर प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन के लोगों ने किसानों के विश्वास को छलने व ठगने का काम शुरू कर दिया था । सहकारिता आन्दोलन से हमारे किसानों को जितना फायदा हुआ इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूं परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि किसानों को ठगा जाता रहा है । आज किसानों की इतनी दयनीय हालत हो गयी है कि अगर कभी किसी किसान से यह कहा जाता है कि वह सहकारी समिति का सदस्य क्यों नहीं बनता उसके जो लाभ हैं, उसे वह क्यों नहीं उठाता तो उनसे यह जवाब मिलता है कि अगर सदस्य बन गये तो पता नही सचिव हमारे नाम पर कितना कर्ज निकाल देगा। अब मैं गोरखपुर,महराजगंज, देवरिया जनपद का उदाहरण देना चाहूंगा । वहां वास्तविक स्थिति क्या हैं । अगर कोई किसान सहकारी समिति का सदस्य बना भी है और उसने 500 या 1000 रुपये की खाद ली है तो उनके नाम पर 3-3 व 4-4 हजार रुपये का कर्जा निकाल दिया गया है । आज इस कर्जे की वसूली उन किसानों से हो रही है । सहकारी समितियों के माध्यम से खाद के वितरण की जो व्यवस्था थी वह भी दोहरी व्यवस्था थी । किसान के रूप में जो लघु व सीमान्त कृषक थे उनको दूसरे दर पर खाद प्राप्त हो रही थी और नकद रूप से लेते थे उनको दूसरे दर पर प्राप्त होती थी । इसमें भी इनके सहकारी समिति के सचिवों ने व अधिकारियों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला जो किसान एक बोरी खाद लेता था और उसका जो कोटा होता था उस कोटे को वह पूरा निकाल कर उसके खाते में पैसा डाल देते थे । इस प्रकार लघु सीमान्त कृषकों को खाद में जो छूट दी गई थी वह उन्हें प्राप्त न होकर बिचौलिए, सचिवों व अधिकारियों को प्राप्त हो गयी । इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन से जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है । जब तक आप लोगों में सहकारिता आन्दोलन के प्रति नया विश्वास पैदा नहीं कर पायेंगे तब तक आपका यह आन्दोलन सफल होने वाला नहीं है । विगत 10 महीनों से आप सहकारिता आन्दोलन के प्रारम्भिक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं जब तक आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इन संस्थाओं में नहीं बैठायेंगे तब तक इस विभाग से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट नहीं किया जा सकता । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अवश्य चुनाव करायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आन्दोलन पर जितनी चोट इस सरकार द्वारा की जा रही है मैं समझता हूं इससे पहले शायद ही कभी की गयी हो । आज सरकार आर्डिनेंस के द्वारा सहकारिता आन्दोलन को चलाना चाहती है और न्यायालय के आदेशों को नहीं मान रही है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश नहीं माने जा रहे हैं अधिकारी कहते हैं हमें सरकार के जो आदेश हैं उनको मानना है । तो न्यायालय सर्वोपरि होता है उसके आदेशों को मानना चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारे बनारस में एक राजा का तालाब शीतगृह है जो 1990 से बन्द है सरकार ने 15 लाख रुपया उसको दे दिया । बैंकों के अध्यक्ष इस वक्त डी० एम० हो गए हैं वह शीतगृह जो है उस पर लाखों रुपया बकाया है उसमें करोड़ों का घाटा हो गया है । मैं समझता हूं कि प्रदेश में बहुत से ऐसे शीतगृह होंगे जिनमें सहकारिता का पैसा लगा हुआ है, सहकारी बैंकों का पैसा लगा हुआ है । तो ऐसे पदाधिकारियों ने जिन्होंने फर्जी सोसाइटी बनाकर पैसा खा लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये इससे विभाग के अधिकारियों का भी हाथ है । हमारे यहां राजा का तालाब एक उदाहरण है जिसमें वहां के अधिकारियों की मिलीभगत है ऐसे और भी शीतगृह होंगे तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है । आप ऐसे शीतगृहों को दिखवा लें । शीतगृहों में आलू के भण्डारण की क्षमता कम है उसको बढ़ाया जाना चाहिये जो अच्छी हालत में शीतगृह हैं वह भी नहीं चलाये जा रहे हैं क्योंकि इनमें लाखों की लाइबिलिटी बढ़ गयी है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सुरेन्द्र सिंह जी द्वारा सहकारिता विभाग के बजट में रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । मुझे तो सदन में भी आज सहकारिता का स्वरूप नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इस विभाग के मंत्री जी वहां बैठें हैं और राज्य मंत्री यहां बैठे हैं दोनों अलग-अलग बैठे हैं । तो जब यहीं सहकारिता नहीं है तो बाहर कैसे सहकारिता होगी । मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं सहकारी आन्दोलन से उनका कोई संबंध नहीं है । आज जनता का करोड़ों रुपया सहकारी समितियों में लगा हुआ है । जब सहकारी आन्दोलन मर रहा था तो माननीय लक्ष्मी शंकर यादव जी ने इसे बचाया उन्होंने इसकी नींव को बचाया नहीं तो सहकारिता आन्दोलन खतम हो गया होता । माननीय मुलायम सिंह जी ने भी इसे बचाया । इसलिये आप कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित न करें जिससे सहकारी आन्दोलन को बचा न पाये । धारा 34 का सहयोग लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करेंगे तो निश्चित है कि सहकारी आन्दोलन का रूप सरकारी हो जायेगा । नौकरशाही के हाथ में सहकारी आन्दोलन को देकर सहकारी आन्दोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है । मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियों के सचिवों और ए० आर० ओज० को आपने ठीक करा दिया तो निश्चित रूप से आप एक संकल्प के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह लोग बहुत ही गलत और भ्रष्ट है । देवरिया जनपद में विकास खण्ड गौरी बाजार में रामनगर, लक्ष्मीपुर में एक साधन सहकारी समिति है इसके सचिव जनार्दन पाण्डेय ने वहां पर 14 लाख रुपये का घोटाला कर दिया और इस बारे में मैंने आप के संज्ञान में लाने के लिए यहां आपसे कई बार प्रश्न किये और व्यक्तिगत रूप से भी कहा था लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है और सच्चाई भी छिपायी जा रही । इसके अलावा भी हमारे यहां दो विकास खण्ड हैं जिनके बारे में आपने सदन में कहा है कि इन पर तरह-तरह के आरोप लगाये गये हैं और गबन किया है । जब 73-73 हजार और एक-एक लाख रुपये का गबन हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है....व्यवधान... स्थिति यह है कि सबसे खराब हालत इन सचिवों की है । इस प्रदेश का सचिव 65 वर्ष की आयु हो गयी लेकिन वह अपनी आयु का कोई प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करता है और शपथ लेकर यह कह देता है कि उसने किसी विद्यालय में पढ़ा नहीं है । लेकिन उस पर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । पता नहीं आपके अफसर क्या कर रहे हैं और आपके क्या आदेश हो रहे हैं और वहां के ए० आर० क्या कर रहे हैं ? इस बारे में मेरा एक अनुरोध यह है कि किसी ए० आर० को उस जिले में मौका न दिया जाये, जिस जिले में वह ए० डी० सी० ओ० रह चुका हो । ऐसा करने से वह सारी सोसाइटियों को दुहेगा क्योंकि वह सारी बातें वहां की जानता है । ये सहकारी समितियां मर गई थीं लेकिन जनता दल की सरकार ने ऋण मुक्त योजना लगा कर इसके अन्तर्गत इनको पुनः जीवित किया है । आपके सामने एक ही दायित्व है कि आप अब इन सोसाइटियों को डिफाल्टर न होने दें, उनको बचा लें । इन्हें फिर कोई अधिकारी या ताकत डैमेज या डिफाल्टर करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ आप कड़ा से कड़ा अंकुश लगाने की कृपा करें । आपके माध्यम से यही बातें कह कर मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि अधिक नहीं आप अपने सचिवों और ए० आर० को सुधारें और ए० आर० को उस जिले में न रखें जहां वह ए० डी० सी० ओ० रहा हो । इसकी आप समीक्षा करा लें । कुछ बातें और हैं जिनको कहने से मल्ल जी नाराज हो जायेंगे

क्योंकि मामला ही ऐसा है । इसके साथ मैं श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा रखें कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सहकारिता के बजट मांगों पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आप का आभार प्रकट करता हूं और मा० मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों का समर्थन करता हूं । मा० मंत्री जी ने आंकड़ों के आधार पर जो बजट प्रदेश का प्रस्तुत किया है,वह बड़ा सराहनीय है । प्रदेश की प्रगति के लिए सहकारिता के माध्यम से किसानों को कृषि उत्पादन हेतु जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, वह भी सराहनीय कदम है । इनके अतिरिक्त अब उपभोक्ताओं को भी सहकारी समितियां आन्दोलन द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं सुविधापूर्वक उपलब्ध करायी जा रही हैं । इस तरह ग्रामीण अंचल भी सहकारी आन्दोलन से किसी न किसी रूप में लाभान्वित हो रहा है । सहकारी आन्दोलन से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भी जो साधन हैं उन्हें और बढ़ा कर व्यक्तियों को और साधन मिल सकते हैं । सहकारिता आन्दोलन के आधार पर पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सपने को भी पूरा कर सकते हैं । जिसमें दरिद्र नारायण का उद्धार और बेरोजगारों को रोजी देने की कल्पना की थी ।

हमारे मा० मंत्री जी ने पिछले वर्ष जो स्थानान्तरण उद्योग इस विभाग में चलता था उस पर रोक लगायी है । वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

मान्यवर, पुरानी सरकारों के समय में जो ट्रांसफर इन्ट्री समितियों की जाती थी उसके संबंध में मा० मंत्री जी से अनुरोध है मेरा सुझाव है कि इसको रोकें । किसान पुराने ऋणों का जो भुगतान कर देता है लेकिन आगे किसान के नाम से चढ़ा लिया जाता है, इसको रोकने हेतु सरकार कड़े कदम उठाये जिससे गरीब कृषकों का शोषण रोका जा सके ।

पिछली सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत जो ऋण माफ किये, मा० विपक्षी सदस्य उसे सहकारी समितियों को जीवन मिला बताया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऋण माफी की योजना इन्ट्री प्रथा से ऋण अदा करने वाले जो किसान थे उन्होने ऋण वापस करना बन्द कर दिया । खादों पर सब्सिडी जो केन्द्र सरकार ने दिया वह समितियों के माध्यम से विपरीत हुई वह कार्य जो सराहनीय है । मान्यवर, समिति के सदस्यों को ज्ञान के अभाव में जो समितियों का नेतृत्व में त्याग पूर्ण प्रवर्ती तथा गुणात्मक विकास के अभाव में समितियों की दशा बिगड़ती जा रही है ।

मान्यवर, मेरी मांग है कि गढ़मुक्तेश्वर जनपद गाजियाबाद में एक शीतगृह और एक सहकारी उपभोक्ता भण्डार की स्थापना की जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रत्येक बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री सुरेन्द्र सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन में सभी की भागेदारी है । सहकारिता का तात्पर्य है सभी को साथ लेकर, सहयोग की भावना से इस आन्दोलन को चलाने की व्यवस्था की गयी । इसमें हम सभी मिलकर जो तमाम समस्यायें हैं उनका किस तरह निराकरण किया जाए, इसकी मूल भावना यह थी । लेकिन आज सहकारिता आन्दोलन पूरी तरह से सरकारीकरण हो गया है । जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी थी 1977 में साधन सहकारी समितियों के चुनाव के लिये एक विधान बनाया गया था और लगातार चुनाव हो रहे थे किन्तु कांग्रेस सरकार आयी तो चुनाव रद्द कर दिये गये और हम लोग अनेक बार मांग करते रहे कि चुनाव कराये जाएं किन्तु इस सरकार ने सहकारिता आन्दोलन का अहित किया और सरकारीकरण कर दिया । शीर्षस्थ संस्थाओं में, सभी में, नामिनेशन किया जाने लगा । साधन सहकारी समितियों में भी नामिनेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है । जहां घोषणा भागेदारी की होनी चाहिए थी वहां व्यापारियों को सौंपने की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं चूंकि यह सरकार व्यापारियों की सरकार है और इससे किसानों का अधिक शोषण होगा । सहकारिता विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा है और साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है । भूमि विकास बैंक जिसका नाम बदल दिया गया है । कोई भी इंजन.....। भूमि विकास बैंक से कर्जा लेकर जब कोई चीज खरीदते हैं तो उस चीज का दाम अन्य जगह के दाम की तुलना में डेढ़ दो हजार रुपये ज्यादा देना पड़ता

है । इस तरह से पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है । पूरा पैसा कमीशन में चला जाता है । साधन सहकारी समितियों के सचिव किसानों के नाम पर फर्जी कर्ज लेते हैं । मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता । आप बहुत समय नहीं देंगे । इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बारे में आता हूं । मेरे क्षेत्र में तमाम सहकारी समितियां डिफाल्टर घोषित हुई हैं । वहां के सचिवों ने पूरी तरह से इनका शोषण किया है । मैं अपने क्षेत्र की दो साधन सहकारी समितियों के बारे में बताना चाहता हूं एक है साधन सहकारी समिति अजमेरी बादशाहपुर दूसरी है साधन सहकारी समिति बसहिया विकास खण्ड-वसखारी । इन दोनों साधन सहकारी समितियों के सचिवों ने कुछ लोगों से मिल जुल कर कर्जा लिया और उसे खर्च भी कर दिया । मैंने इसके बारे में सवाल किया था तो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उसमें मानक के अनुसार ऋण वितरित नहीं किया गया इसलिये भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता ।

मान्यवर, मानक के अनुसार ऋण वितरित नहीं किया गया तो इसके लिये कार्यवाही होनी चाहिए थी। मान्यवर, फैजाबाद जनपद में एक सहायक निबन्धक श्री एन० पी० सिंह थे । उन्हें जांच के लिये भेजा गया । उन्होंने जितने सचिव निलम्बित थे, करीब 20 की संख्या में । उन सबसे 20-20 हजार रुपये ले लिये सहायक निरीक्षक श्री जे० पी० श्रीवास्तव जो कि जांच अधिकारी थे । जांच आख्या लेकर डेढ़ लाख के गबन पर 10 हजार लायबिलिटी लेकर उसको बहाल कर दिया । इस तरह से करीब एक लाख चालीस हजार रुपया किसानों का बट्टा खाते में चला गया सिर्फ 10 हजार रुपये ही जमा हो पाये । श्री एन० पी० सिंह के खिलाफ सतर्कता जांच की मांग की गई । जांच कराये जाने के आदेश भी हो गये थे । परन्तु बाद में पता चला कि वह आदेश कहीं रद्दी की टोकरी में डाल दिये गये और उनको प्रमोट करके डी० आर० बना दिया गया । इसी तरह से जो सहायक निरीक्षक, थे उनका भी प्रमोशन किया जा रहा है। इस तरह से भ्रष्टाचार को सरकार स्वयं बढ़ाने का काम कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री लालजी वर्मा–

सहकारी आन्दोलन की मूल भावनाएं हैं । आज गुजरात, महाराष्ट्र में सहकारी आन्दोलन बहुत सफल है । उसमें जरूरत है कि उसका सरकारीकरण न करके जनतांत्रिक भावनाओं से उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाय । उसमें फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करें, बन्द करें । जनता का सहयोग लेकर उसे चलाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सहकारी आन्दोलन सफल होगा । आज इसके लिये जनता को शिक्षित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है । अपने किसानों को शिक्षित करें, गांव में लोगों को शिक्षित करें । उनको बताये कि सहकारी समितियां आपकी हैं, सरकार की नहीं हैं । आपकी इसमें पूरी भागेदारी है । अगर इनका सरकारीकरण हो गया तो जनता भी इस ओर ध्यान नहीं देगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की पूरी तरह से जांच करके इसमें कार्यवाही करेंगे । मैं श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री लीला राम शर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह सहकारी आन्दोलन जो है, यह आज विफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा है । इसके विफलता को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी को बहुत काम करने होंगे । पहले यह देखना पड़ेगा कि आखिर यह आन्दोलन विफलता की ओर क्यों जा रहा है । इसके जो कानून, जो नियम हैं, उनको किस तरह से बदला जाय कि यह विफलता की ओर अग्रसर होने से रुक जाय । आज यह सहकारी आन्दोलन ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । आपका ध्यान उत्तरांचल की ओर ले जाना चाहता हूं वहां जिन कास्तकारों के लिये दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था आपने कर रखी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[समय : 6 बजे]

मान्यवर, अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था कर रहे हैं इसमें जो फार्म भरने पड़ते हैं वह भ्रष्टाचार का कारण हैं । पहाड़ में आप यह व्यवस्था कर दें काश्तकारों की जमीन दो नाली के लिए पांच सौ रुपया ऋण रख दें ताकि लम्बे-चौड़े फार्म न भरने पड़े । सुपरवाइजर की खुशामद न करनी पड़े । ऋण के सरलीकरण की आवश्यकता है जो काश्तकार ऋण लेते हैं उनके पास किताब होनी चाहिये ताकि उन्हें मालूम हो कि उन्होंने कितना पैसा लिया है और कितना उन्हें देना है । मान्यवर, मेरे पहाड़ के क्षेत्र में जो काश्तकार हैं थोड़ी-थोड़ी सब्जी पैदा करते हैं । उसको मार्केट में ले जाने के लिए साधन न होने की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं । इसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सहकारी सुपरवाइजर हर काश्तकार से, जो थोड़ी-थोड़ी सब्जियां वह पैदा करते हैं, लेकर मार्केट में पहुंचाए तो काश्तकार जो पहाड़ के हैं उनको सब्जी उत्पादन करने में सहयोग मिलेगा । इसी तरह से मान्यवर, हमारे जनपद में भूमि विकास बैंक है किसी को पता नहीं है, मुझे एक दिन मालूम हुआ तो वहां गया, श्रीमन्, बैंक के कर्मचारियों के ऊपर एक लाख सालाना खर्च होता है और एक साल के अन्दर उन्होंने 60 हजार ऋण दिया है, इस तरह से कार्य चल रहा है । जब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तब तक सहकारी आन्दोलन कामयाब नहीं हो सकेगा । इसके माध्यम से जो काश्तकार को फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय सुरेन्द्र सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

* श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सहकारी बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर 85 प्रतिशत किसान रहते हैं और किसान का पेशा खेती हैं । खेती को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सहकारिता का कार्यक्रम सहकारिता आन्दोलन बहुत बड़ा आन्दोलन है । इस देश के अन्दर इस प्रदेश के अन्दर किसान उठेगा, तो गांव उठेगा, अगर गांव उठेगा तो प्रदेश उठेगा , प्रदेश उठेगा तो देश उठेगा, जब देश उठेगा तो सारे देश में खुशहाली आएगी । तो जो माननीय मंत्री जी ने सहकारिता का बजट रखा है वह खुशहाली का बजट है, जो इसका विरोध किया गया है यह 44 साल की व्यवस्था का दोष है। कर्जे माफी की बात आई कर्जा माफ हुआ किन लोगों का हुआ, कर्जा मैंने भी लिया था मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ क्यों कि इसके पीछे दुर्भावना थी । कर्जा उन्हीं लोंगों का माफ हुआ जिन लोगों को माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते थे । यह कर्जे माफी की घोषणा दुर्भावना से प्रेरित थी । आम आदमी की इससे लाभ नहीं हुआ । गरीबों को, बेसहारों को, किसानों को, मजलूमों को इस घोषणा का कोई लाभ नहीं हुआ है । हां, माननीय मुख्य मंत्री जी के रिश्तेदारों को लाभ जरूर हुआ होगा जो यहां तारीफ कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप किस समय के मंत्री जी की बात कर रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री वासुदेव सिंह–

मैं उन मुख्य मंत्री जी का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने कर्जे माफी की, 10 हजार तक के कर्जे माफी की आम घोषणा की थी । आप उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे । मान्यवर, तारीफ किसी के सत्कर्मों की करनी चाहिये । अगर किसी के कर्मों में किसी के प्रति अपनापन छिपा होता है तो वह सत्कर्म नहीं होते हैं । मान्यवर, सहकारिता ऐसी पवित्र भावना है जैसी परिवार में होती है । परिवार में पति और पत्नी परिवार के रूप में जुड़ते हैं, फिर दोनों सहकार्य से कर्म करते हुये परिवार को बढ़ाते हैं । इस प्रदेश के अन्दर से यदि सहकारिता समाप्त हो जायगी तो देश का विकास अवरुद्ध हो जायगा । देश के गरीब मजलूम, मजदूर, को आगे बढ़ाने के लिये सहकारिता आन्दोलन की बड़ी आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं सहकारिता मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, सहकारिता विभाग के बजट पर माननीय सुरेन्द्र सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । चंद बातों की ओर मैं सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सहकारिता की जो मूल भावना है उसके बारे में माननीय लालजी वर्मा ने अभी बताया है । सहकारिता के अन्तर्गत जो प्राथमिक सहकारी समितियां हुआ करती हैं उनका जो गठन होता है, सरकारी समिति से अलग हट कर, जनता के बीच में सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने के लिये प्राथमिक सहकारी समितियों का गठन किया जाता है । लेकिन पिछले कई सालों से प्राथमिक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग द्वारा उपेक्षित की जाती रही हैं । प्राथमिक सहकारी समितियों को सहयोग और प्रोत्साहन शासन द्वारा नहीं दिया जाता है । जितनी सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है, मैं समझता हूं कि ज्यादातर मृतप्राय हो चुकी हैं । मैं आशा करता हूं कि प्राथमिक सहकारी समितियों की ओर मंत्री जी ध्यान देंगे । मेरे विधान सभा क्षेत्र चायल, जिला इलाहाबाद में अधिकांश साधन सहकारी समितियां जो गांवों में हैं उनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है । अकबरपुर कसेंदा साधन सहकारी समिति पुरा मुफ्ती साधन सहकारी समिति और नेवादा ब्लाक में तिल्हापुर सहकारी समिति में तथा अन्य समितियों में भी सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर खाद नहीं मिलती है । मैं निवेदन करूंगा कि साधन सहकारी समितियों को गांवों से जोड़ने के लिये, किसानों मजदूरों से जोड़ने के लिये उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कार्यवाही करें ।

अन्त में मैं एक बात माननीय मंत्री जी से और निवेदन करूंगा कि हम विधायकगण जो पत्र उन्हें भेजा करते हैं अक्सर आपके मंत्रालय से उनका उत्तर नहीं मिलता है । मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और विधायकगण जो जनसमस्याओं के लिये आपको पत्र लिखते हैं उनका उत्तर अवश्य दिया करें । इन शब्दों के साथ माननीय सुरेन्द्र सिंह द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सहकारिता की भावना को, जो कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था की मूल बात है, उसको केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिये उपयोग करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा । इस सरकार ने तमाम कोआपरेटिव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सोसाइटीज का बिना चुनाव किये जो नामांकन शुरू किया है, इससे लगता है कि सरकार किसी प्रकार से सहकारिता आन्दोलन का राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहती है ।

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन में, मान्यवर, आपके निर्देश हैं, बहुत संक्षेप में कहूंगा एवं बड़ी बाधा यह रही कि अधिकांश सहकारी समितियां डिफंक हो गयी हैं, कारण यह था कि गरीब लोगों ने जो कर्ज लिया, 100 रुपया लिया, अंगूठा लगवाकर, फर्जी दस्तखत करके 500 रुपया दिखवा दिया और ट्रांसफर इंट्रीज करके 100 रुपये को 1000 रुपये में तब्दीली कर दिया । मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसे समय में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की कि 10 हजार तक के कर्जे माफ किये जाएंगे और मेरे यहां, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कालसी और चकराता, दो विकास खण्डों में इस ऋण माफी योजना में लगभग सभी सहकारी ऋण माफ कर दिया गया और कोआपरेटिव सोसाइटीज फिर से बहाल कर दी गयी । विकास खण्ड विकास नगर व सहसपुर में ऋण माफी से अधिकांश लोग वंचित रह गए क्यों? ट्रांसफर इन्ट्रीज करके उनके कर्जे को नया दर्शा कर उनके साथ सहकारी समितियों के सचिवों ने धोखा धड़ी की है । मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि यह जो ट्रांसफर इन्ट्रीज का सिलसिला है, अनियमितता का भारी कारण बन गयी है । इसके लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज में यह प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये कि सदस्य के पास एक पास बुक कर्ज प्राप्त करते समय हो, उसमें वही इंट्री हो जो लेजर में हो । उस पास बुक की इंट्री पर ही भरोसा किया जाय क्योंकि लेजर को तो कोआपरेटिव सोसाइटी का सचिव टेम्पर कर सकता है, किसी समय कोई भी हेर-फेर कर सकता है । इसलिये शेयर होल्डर के पास जो पास बुक है उसको ही अन्तिम रूप से सही माना जाय । कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में प्रकाशित पुस्तिका में छपा है कि पर्वतीय जनपदों में जड़ी बूटी उत्पादन की बात कही गयी है तो उसमें जब भेषज उत्पादन की बात कही जाती है तो उसमें मार्केटिंग में इतनी टैक्निकेलिटी है कि मार्केटिंग किया जाना सम्भव नहीं है आम आदमी के लिये, इसलिये कहना चाहूंगा कि उसके विपणन की व्यवस्था सरल बनावें। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है । पौध रक्षा की दवाएं कोआपरेटिव सोसाइटीज में दी गयी हैं । जो दवाएं दी गयीं परन्तु जो स्टाफ है वह नहीं जानता कि कीटनाशक दवाओं का किस प्रकार से उपयोग किया जाय । काश्तकारों में वितरण करके उन्हें तकनीकी सपोर्ट नहीं दिया जाता है, लिहाजा यह योजना अपने आप में पूरी तरह से असफल हो गयी है । इसके साथ ही मैं माननीय सुरेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री कृष्ण कुमार नवमान–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह एक दृढ़ निश्चय प्रकट करता है । वह उच्च विचारशीलता का द्योतक तो है ही, यह सरकार दृढ़ निश्चय का भी प्रतीक है । पिछली सरकारें सहकारिता को कोयले की कोठरी के रूप में निरूपित करती थीं । पिछली सरकारों ने इसीलिये इस सहकारिता का नाम बदल कर खाओ और पेट भरो कहना शुरू कर दिया । इसीलिये सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव पर जो भावना उनके मुंह से प्रकट हो रही है उनको आशंका है कि पूर्व में जो ये करते हैं कहीं यह सरकार भी वही न करने लगे । सभी ने आशंका प्रकट की है कि ऋण दिया गया कि नहीं, फर्जी नाम चढ़ा दिये गये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो ऋण दिये गये, उनको जमा नहीं किया गया, जनता का पैसा खा गये, सहकारिता का आन्दोलन मृतप्रायः हो गया था, यह सहकारिता स्वार्थी के हाथों में चली गयी थी, वह शंकायें विपक्षी सदस्यों ने प्रकट की हैं और मैं आस्वश्त कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुराने कीचड़, कूड़ा को साफ करने के लिए एक सुदृढ़ विश्वास के साथ उतरी है । मान्यवर, इसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि एक-एक को गिनाया जाय, तो बहुत समय लग सकता है । मैं अपने जिले की एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी भी राशन की दूकानें सोसाइटीज ने लिये हैं, वह सब भाड़े पर उठा दिये हैं । यह सारे भ्रष्टाचार को दूर करने का बीड़ा मंत्री जी के हाथ में है । वैसे यह अच्छी बात हो रही है कि जो हमारे जिले में सहकारी समितियां बन्द पड़ी थीं, उन्हें चालू किया जा रहा है और जनता में एक-एक नया विश्वास जागृत हो रहा है । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, लगभग दो दर्जन सदस्यों ने इस पर अपना विचार प्रकट किया और सत्ता पक्ष के भी सदस्यों ने निर्वाचित कमेटी पर बल दिया तथा भ्रष्टाचार की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया । यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द उन प्रारम्भिक सहकारी समितियों को जो भी समितियां हैं, उनका जिला स्तर पर फिर उसके बाद प्रदेश स्तर पर तिथि घोषित करके चुनाव जल्द से जल्द करावें । इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो माननीय मंत्री जी ने शुरू में अपने भाषण में कहा था कि यूरिया पर बहुत सब्सीडी दिया, जो इन्होंने पुस्तिका दिया, 92-93 में सब्सीडी का उसमें कोई प्राविधान नहीं है । इस तरह किसानों की काफी उपेक्षा की गयी है और यह हितकारी नीति नहीं साबित होती है । इसलिए जो आने वाला वर्ष है, कम से कम इसको चालू अवश्य करा दें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशिक्षण केन्द्र के लिए जो देहातों में सचल इकाई काम करती हैं, वहां पर जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें सचल इकाइयों का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है । प्रशिक्षकों से वसूली का काम लिया जा रहा है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से कि जो परफामेन्स बजट पुस्तिका के पृष्ठ 21 में उल्लेख किया गया है कि 92-93 में कोई प्राविधान इसके अनुदान देने का नहीं रखा गया है और विभाग में आदेश भी भेज दिये गये हैं कि यूरिया पर किसानों को अनुदान देकर जो बोरी अब लगभग 115 रु० में दी जाती थी, वह अब लगभग 162 रु० में दी जाने लगी है । किसानों पर जुल्म करने का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है ? 90-91 में वास्तविक सहायता लगभग 20.65 करोड़ रु० दी गयी थी, परन्तु इस सरकार द्वारा वर्ष 91-92 में लगभग 16.77 करोड़ रु० ही दी गयी और जो पुस्तिका उस वर्ष 92-93 के लिए दी गयी है, उसमें केवल 13.76 करोड़ रु० का प्राविधान प्रस्तावित है । इस तरह जनता दल सरकार द्वारा 90-91 में जो सहायता दी गयी थी, उससे लगभग 7 करोड़ रु० का प्राविधान किया है, जबकि हर वर्ष बढ़ोत्तरी करके सहायता दी जानी है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादन में बहुत योगदान किया जा रहा है, तो किसानों के लिए कम से कम किसानों के हितकारी इस विभाग का बजट भी तो कुछ अधिक देना चाहिए । इस प्रकार से यह सरकार सहकारी संस्थाओं के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार अपना रही है जिनके 10 हजार रु० के कर्जे माफ करने थे जिसमें बहुत से लोग मर गये, जिनके प्रमाण-पत्र बाद में आये, उन्हें राइट आफ करना जरूरी है । हमारे जनपद गाजीपुर में जिला सहकारी संघ डी०सी०एफ० में वर्तमान प्रशासक एवं सचिव के माध्यम से लाखों रुपये का घोटाला किया गया है । खाद वितरण में ढिलाई की गयी, इसके माध्यम से पारा में एक शीतगृह चलता है, उसमें किसानों के साथ काफी संख्या में अनियमितताएं बरती गयी हैं, जिसमें लाखों रुपये की लूट की गयी है । माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसके ऊपर भी कार्यवाही करें ।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो साधन सहकारी समितियां हैं, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है । आप देखें कि जो सहकारी समितियां हैं, उनके सचिव निरंकुश हो गये हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं रह गया है, सहायक निबन्धक हैं, उनका उन पर दबाव नहीं रह गया है, उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है । आप कहीं पर भी चले जाइये, किसी भी क्षेत्र में चले जायें या और कहीं पर चले जायें उनका सचिव वहां पर नहीं मिलेगा, जबकि उनको रहने को मकान दिया गया है और रहने की व्यवस्था है । तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस तरह का कोई काम करें, जिससे इस पर नियंत्रण पाया जा सके और इसके लिये आप एक व्यापक अभियान चलावें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें, जो जनता के हितों के लिये काम नहीं करते हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियों में बड़ी दुर्व्यवस्था है इसी कारण इनका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, मेरा निवेदन है कि इसमें जो त्रुटियां हैं, उनको दूर करें और इसके व्यापार को बढ़ावें । आप इस ओर जरूर ध्यान दें कि जो सचिव हैं, वह समितियों में जरूर रहें ।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, वहां पर ताला लटकता रहता है और इस तरह की स्थिति रहती है । अगर गरीब किसानों के लिये, लघु किसानों के लिये और अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं, तो इस ओर आप ध्यान दें तथा भौतिक सत्यापन कराके जिससे सही माने में उनको लाभ मिल सके ।

मान्यवर, एक बात धारा 34 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मान्यवर, हमारी मांग है कि धारा 34 का जो स्वरूप है, जनवरी, 1989 में लागू हुआ था, उसे बदस्तूर किया जाये और सरकार अपने काले अध्यादेश को वापस ले, इससे बात साफ हो जायेगी और आपको चुनाव कराना चाहिये, लेकिन मान्यवर, 10 महीने में जो इस सरकार ने किया है, उससे यह नहीं लगता है कि यह सरकार कुछ करेगी । मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि आप इसको करें । आप धारा 34 को वापस लें और नये चुनाव करायें। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्री जी ने यह भी चालू किया है कि इन सहकारी संस्थाओं में अपने खास व सजातीय व्यक्तियों को प्रशासक बनावें ताकि निजी स्वार्थ की पूर्ति भी हो । पार्टी की स्वार्थ पूर्ति के लिये इन्होंने कानून बदला और निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने खास व्यक्तियों को प्रशासक बनाना शुरू कर दिया है । एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि लखनऊ में एक इलेक्ट्रिक सप्लाई सहकारी समिति है, जो लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करती है । वर्षों से इसमें चुनाव नहीं कराये गये हैं और जिलाधिकारी, लखनऊ इसके प्रशासक रहे हैं, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अपने एक सजातीय एक रिटायर्ड अधिकारी को रातों रात डी० एम० के स्थान पर उन्हें प्रशासक बना दिया है । इसमें प्रशासक कमेटी ही बनाते तो भी गनीमत थी और इनकी मंशा संदिग्ध न लगती, परन्तु डी० एम० को हटा कर एक रिटायर्ड अधिकारी को प्रशासक बनाने के पीछे माननीय मंत्री जी की नियत बिल्कुल गलत लगती है, वे नये प्रशासक के माध्यम से अपना निजी स्वार्थ पूर्ति करने का हिसाब बैठाये होंगे ।

मान्यवर, मैं अपने जिले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । हमारे वहां महमूदाबाद क्रय-विक्रय समिति है उसमें 2 लाख से ऊपर की गड़बड़ी है वहां से रिपोर्ट भी आई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । हमारे गाजीपुर जनपद में जिला सहकारी बैंक के सचिव ने 8-8-1991 को एक रिपोर्ट भेजी निबन्धक महोदय को जिसका पत्रांक संख्या 169–4/स० का०/लेखा/परि/91-92 है इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उत्तर प्रदेश की सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम

433(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत मंडल का सदस्य बने रहने का पात्र नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि संचालक मण्डल के एक सदस्य 25-8-90 से 1-6-91 तक अनुपस्थित रहे इसलिए उनको सदस्य नहीं रहना चाहिए । इसमें प्रशासक ने नियमों को ताक पर रख कर काम किया है । इसके अलावा प्रशासक ने नियमों के विपरीत जा करके कई नियुक्तियां की हैं और उसमें भेदभाव बरता गया है इसलिए उसके खिलाफ तत्काल नियमों के तहत कार्यवाही होनी चाहिए । यही नहीं मान्यवर, जिला सहकारी बैंक की शाखा मरदह में शाखा प्रबन्धक द्वारा लाखों रुपये की गड़बड़ियां की गयी हैं तथा डी० आर० द्वारा उसकी जांच भी करायी गयी और दोषी भी पाया गया लेकिन खेद की बात है कि इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और इसलिए देता हूं कि इन्होंने चुनाव करने की कोई तिथि की घोषणा नहीं की है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए किसी भी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है और किसानों के 10 हजार रुपये कर्ज माफी के बारे में कुछ नहीं कहा है, जिला सहकारी बैंकों में जो डिस्पोजल हो रहा है उसमें कमी आ रही है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, मनमाने ढंग से प्रशासक की नियुक्ति किया जाना, सेवा मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों को न बनाया जाना तथा समितियों को जो फर्जी ऋण दिया जा रहा है उस पर कोई कार्यवाही न किया जाना, भ्रष्टाचार पर रोक न लगाना तथा जो बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है वह पिछले साल की अपेक्षा में 7 करोड़ रुपया कम है, इसको बढ़ाया नहीं गया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सुधीर कुमार बालियान–

मान्यवर, विभिन्न विचार कटौती के प्रस्ताव के साथ जुड़ कर आये, मुख्य रूप से एक बात परिलक्षित हुई भ्रष्टाचार के विषय में, मैं इसका उत्तर इन शब्दों में देना चाहता हूं कि पिछले 44 सालों में जो विरासत हमें मिली है उसी का उल्लेख आप लोगों ने किया है । हमने पिछले 10 माह में निश्चित रूप से विभाग को सुधारने का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया है लेकिन इतने लम्बे समय से जिस प्रकार से सहकारिता आन्दोलन को छिन्न-भिन्न किया गया उत्तर प्रदेश में उसको एक नई दिशा एक नया आन्दोलन बनाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है । मान्यवर, अभी कहा गया कि ऋण माफी द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया गया । मान्यवर, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह बात पूर्णतया निराधार है, ऋण माफी की जो धनराशि थी वह आज भी लम्बित है और उससे सहकारिता विभाग को लगातार ब्याज की हानि हो रही है इससे जिला सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति निरन्तर कमजोर होती जा रही है । धनराशि के लिए प्रयास किया गया है कि धनराशि को केन्द्र द्वारा अवमुक्त कराया जाय लेकिन आज स्थिति यह है कि 57 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उत्तर प्रदेश के विभिन्न सहकारी बैंकों को हो चुकी है । इसलिए यह कहना ऋण माफी के द्वारा सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण से विभाग का भला हुआ है, यह नहीं है, इससे बैंक की आर्थिक स्थिति में निरन्तर ह्रास होता रहा है ।

मान्यवर, इस वर्ष शीतगृह जो पिछले वर्ष अपनी अक्षमता के कारण अपनी क्षमता के आधे से भी कम का उपयोग कर पाये थे, इस साल प्रयास किया गया है कि ये संचालित हो सकें । विभिन्न शीतगृहों की अक्षमता इस समय 70 प्रतिशत भरी जा चुकी है । एक प्रयास किया गया है कि इनको चलाने का, इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का । सहकारिता आन्दोलन को जन-आन्दोलन बनाने की बात माननीय सदस्यों ने उठायी । मैं पूछना चाहूंगा कि कितना प्रयास इससे पूर्व इस दिशा में किया गया है ?

निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको दिशा दे सकें और एक आर्थिक ढांचे के रूप में स्थापित कर सकें। जहां तक व्यावसायिक बैंकों से सहकारी बैंकों की तुलना की गयी है, विगत वर्षों के उपरान्त जो आज स्थिति है उसमें सहकारी बैंकों के सापेक्ष व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 41 है। जबकि सहकारी बैंकों का 125 है। इस प्रकार यह कहना कि व्यवसायिक बैंक सहकारी बैंकों से ज्यादा अच्छे रूप में चल रहे हैं, निराधार है। सहकारी बैंकों की प्रगति उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में 61 प्रतिशत लाभार्थियों की संख्या भी पिछले वर्ष के सापेक्ष 160 प्रतिशत है। विगत वर्षों में एक वर्ष में इतनी अच्छी प्रगति कभी भी नहीं हुई है। जिला सहकारी बैंकों में डिपोजिट 31-3-91 को 1208.85 करोड़ रुपये था जबकि इस वर्ष 31-3-92 को 1283.75 करोड़ रुपया है। स्थिति में सुधार हुआ है। धारा-34 के बारे में उल्लेख किया गया है। आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए समितियों की सदस्यता में वृद्धि करना आवश्यक है। जब सदस्यता में वृद्धि होगी तो अंश पूंजी बढ़ेगी आय का 51 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करके प्रगति कर ली जाय तो शासन का अंश 49 प्रतिशत रह जायगा। इसलिए इस धारा को यह कहना कि सहकारिता के विपरीत है, ऐसा नहीं है। विगत 10 माह में हमने उत्तर प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा नये सदस्य बनाये हैं और इस प्रकार से सहकारिता आन्दोलन को दिशा देने का प्रयास किया। पी० सी० यू० की विभिन्न गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। मितव्ययिता के चलते जिस प्रकार गोष्ठियों का आयोजन पहले किया गया था, खर्चों में कटौती करके इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन किया है।

जहां तक स्थानीय मदों पर विभिन्न सदस्यों ने उठाया, आश्वासन देना चाहूंगा कि स्थानीय समस्यायें विभिन्न क्षेत्रों की जो हैं, उनका परीक्षण कराया जायगा और समुचित कार्यवाही की जायगी। कटौती के प्रस्ताव में निश्चित रूप में बजट पर कोई कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूरे सदन से अपेक्षा करूंगा और यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि कोई विपरीत कमेन्ट्स या कोई विपरीत बात बजट के बारे में सदस्यों ने नहीं की है। जहां तक माननीय विधायकों ने अपनी स्थानीय समस्याओं और विचारों का उल्लेख किया है उनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। सदन से अपेक्षा करता हूं कि यह जो 1992-93 का आय-व्ययक सहकारिता विभाग है उसे पारित किया जाय। साथ ही कटौती के प्रस्ताव को वापस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र सिंह जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आप जैसा आदेश करेंगे शिरोधार्य है लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो हम लोगों ने चुनाव कराने की बात कही, उस पर कुछ नहीं कहा कि कब तक चुनाव करायेंगे। तमाम भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसे कैसे वापस लिया जाय। इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,20,94,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,92,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,96,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, किसी भी देश या प्रदेश में उसका अगर विकास होना है तो उसके लिए उसका आर्थिक पक्ष सबसे अधिक मुख्य है । आर्थिक उन्नयन के लिए किसी देश-प्रदेश में उद्योग धन्धे प्रतिष्ठापित हों उस पर यह निर्भर करता है हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मान्यता है कि प्रदेश के अन्दर उद्योग धन्धे लगें । इसके लिए हमने प्रक्रियाओं को सरलीकृत भी किया है । मान्यवर, उद्योग के संबंध में इसका सीधा महत्व है श्रम विभाग का । जो विभिन्न प्रतिष्ठान उद्योग धन्धे हैं उनमें कार्यरत श्रमिकों के वेतन का प्रश्न है चाहे हित लाभ की बात हो उनके सारे हित लाभ को देखने के लिए श्रम विभाग कार्यरत है । इस प्रदेश में कारखाने लगेंगे उद्योग धन्धे लगेंगे तो जो कार्यरत श्रमिक होंगे तो उनका हित यह सर्वोपरि होना चाहिए । मान्यवर, अगर श्रमिक संतुष्ट होगा तो कार्य दिवस भी अधिक होंगे और उसके कारण से उद्योग धन्धों के माध्यम से जो आउट पुट होगा वह अधिक होगा और प्रदेश का विकास होगा । प्रदेश के अन्दर मान्यवर, हमारी सरकार जब बनी है, केन्द्र की तरफ से 62 नियोजनों में उनके वेतन पुनरीक्षण का मामला विचाराधीन था । इसमें से पूर्व में 33 में कर दिया गया था और पिछले छः महीनों में हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो शेष 29 नियोजन थे, उनका भी वेतन पुनरीक्षण का कार्य हमारी सरकार ने कर लिया है । जिसके फलस्वरूप प्रदेश में श्रमिकों को 34 से लेकर 863 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है और इससे उनको बहुत संतोष मिला हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन में की गयी बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप अब श्रमिकों को वार्षिक वेतन-वृद्धि की भी सुविधा मिलेगी, जो अधिकांश नियोजन में पहले नहीं थी । इसके अतिरिक्त मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होगी । शासन के इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 50 लाख से अधिक श्रमिक लाभान्वित होंगे । जो बाल श्रमिक 14 से 16 वर्ष की आयु के थे उन्हें पूर्व में वयस्क के मुकाबले लगभग 67 प्रतिशत वेतन मिलता था, अब इसको हमने बढ़ाकर 95 प्रतिशत कर दिया है । जो किशोर

16 से 18 वर्ष की आयु के थे उन्हें पूर्व में वयस्क के मुकाबले लगभग 75 प्रतिशत वेतन मिलता था, अब उसे बढ़ा कर 99 प्रतिशत कर दिया है । यह भी व्यवस्था की गयी है कि जो अकुशल श्रेणी के श्रमिक ने 5 वर्ष की सेवा अवधि उसी श्रेणी में पूरी कर ली है तो उसे अर्ध कुशल श्रेणी का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता वेतन दिया जाय । इसी प्रकार यदि अर्ध कुशल श्रेणी के किसी श्रमिक ने 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है तो उसे कुशल श्रेणी का पदनाम और वेतन दिया जाये । मान्यवर, न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण इस प्रकार किया गया है कि वर्तमान समय में एक अकुशल श्रमिक को कम से कम 37 रुपया दैनिक मजदूरी मिल सके । इसके अतिरिक्त शासन ने दो और नियोजन-धर्मशाला तथा निजी पुस्तकालय को भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु जोड़ने का निर्णय लिया है । मान्यवर, कृषि मजदूरों की मजदूरी 18 रुपये से बढ़ाकर 23 रुपया तथा 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपया प्रतिदिन कर दी गयी है। मान्यवर, जो विभिन्न प्रतिष्ठान हैं, नियोजन हैं उसमें कैश से भुगतान करने की सुविधा है । इसके बारे में यह शिकायत मिलती थी कि रजिस्टर में कुछ लिखा होता है और देते कुछ और हैं तो इसके बारे में हमने चैक से भुगतान करने का निर्णय लिया है । इसके लिए दिल्ली में एक श्रम मंत्रियों की बैठक हुई थी और उसमें मैंने अनुरोध किया है कि सभी प्रतिष्ठानों में चैक से भुगतान अनिवार्य कर दिया जाये तो इससे जो शिकायतें आती हैं वह दूर हो जायेंगी । मान्यवर, बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित 31 प्रतिष्ठानों, जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, उनको अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोनस की देयता संबंधी अधिसूचना जारी की गयी है । मान्यवर, जब मजदूर वर्ग असंतुष्ट होगा तो वह हड़ताल करेगा और प्रदर्शन करेगा जिसके कारण जो प्रदेश का आर्थिक उन्नयन है उसमें बाधा आयेगी । मान्यवर, आज वर्ष 1990-91 के आंकड़े देखें वर्ष 1990 में हड़ताल और तालाबन्दियों के कारण 16.25 लाख कार्य-दिवसों की हानि हुई थी जबकि वर्ष 1991 में केवल 10.25 लाख कार्य-दिवसों की हानि हुई है । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में हड़ताल और तालाबन्दियों के कारण 72 हड़तालों के फलस्वरूप 9.56 लाख कार्य-दिवसों की हानि हुई थी, जबकि वर्ष 1991 में भी 72 हड़तालें हुईं, लेकिन कार्य-दिवसों की हानि लगभग 1/3 अर्थात् 3.29 लाख ही रही । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 1991 से आज तक कुल 76 हड़तालें तथा 33 तालाबन्दियां हुईं । जिनमें से 71 हड़तालें तथा 23 तालाबन्दियों को निपटाया गया और वर्तमान में 5 हड़तालें तथा 10 तालाबन्दी शेष हैं ।

मान्यवर, भारत सरकार की पालिसी के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, जिनको पुनर्जीवित कर पाना सम्भव नहीं है, के लिए भारत सरकार ने एक एक्जिट पालिसी की घोषणा की है । ऐसे जो रुग्ण प्रतिष्ठान हैं, जिन्हें चलाया नहीं जा सकता, अगर वह बन्द होते हैं तो वहां के कार्यरत कर्मचारियों के लिए धन की व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है ताकि उन कर्मचारियों को कहीं अन्य जगह कार्य मिल सके । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की नीति स्पष्ट है कि किसी भी रुग्ण प्रतिष्ठान को यदि बन्द किया जाता है तो कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को किसी भी तरह से इस तरह की व्यवस्था की जाय, जिससे वह बेकार न हों । मान्यवर, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं । वर्ष 1990 में जहां 74 प्रतिशत औद्योगिक विवाद निपटाये गये, वहीं 1991 में 81 प्रतिशत वाद निपटाये गये । इसी प्रकार वर्ष 1990 में जहां 29,637 दावों में से 13,200 दावे अर्थात् 44 प्रतिशत निस्तारित हुए जिसके फलस्वरूप लगभग 6.58 करोड़ रुपये की धनराशि का लगभग 33,700 श्रमिकों में भुगतान के निर्देश जारी हुए, वहीं 1991 में 31,162 दावों में से 15,000 दावे अर्थात् लगभग 48 प्रतिशत दावे निस्तारित हुए । लगभग 8.61 करोड़ की धनराशि लगभग 35,400

श्रमिकों में भुगतान के निर्देश जारी किये गये । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में कुल 314 एवार्ड प्रतिपालित हो पाये थे तथा 2.29 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, वहीं वर्ष 1991 में 389 एवार्ड का प्रतिपालन कराया गया और 2.72 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये । मान्यवर, इसी प्रकार विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कई निरीक्षण कराये गये । इन निरीक्षणों में गम्भीर उल्लंघनों की शिकायतें आईं, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध कार्यवाहियां की गयीं । आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वर्ष 1990 में 35.389 अभियोजन दायर हुए तथा 12.804 दावे श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दायर हुए थे । इसी प्रकार वर्ष 1991 में 39.065 अभियोजन दायर हुए तथा 14.713 दावे श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा दायर हुए हैं ।

मान्यवर, प्रदेश में बाल श्रमिकों की भी समस्या है, उनके हितार्थ प्रदेश के अन्दर 4 परियोजनायें चल रही हैं और 3 परियोजनायें केन्द्र सरकार को भेजी गयी हैं । इसी तरह प्रदेश के अन्दर कार्यरत श्रमिकों के हित के लिए कई व्यवस्थायें जैसे चिकित्सा, वाचनालय, पुस्तकालय, मनोरंजन, खेलकूद तथा महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई आदि की व्यवस्था भी है । मान्यवर, इस समय 93 श्रम कल्याण केन्द्र चल रहे हैं और श्रमिकों के लिए 30.643 भवन आवास हेतु निर्मित किये गये हैं । प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991 में 1.31.000 नये पेंशनर्स को 100 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत की गयी है और 31 दिसम्बर, 91 के अन्त में कुल पेंशनर्स की संख्या 5.22.452 है, जो 100 रुपया प्रतिमाह पेंशन पाते हैं । मान्यवर, इसी प्रकार 1991 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में 28.453 दावों का निपटारा किया गया, जिसके फलस्वरूप 26.58 करोड़ रुपये की धनराशि कर्मचारियों और उनके आश्रितों में भुगतान की गयी । मान्यवर, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में 19.155 दावों का निस्तारण करके 1.03 करोड़ रुपये की धनराशि आश्रितों में भुगतान की गयी । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर बन्धुआ श्रमिकों की समस्या भी है, इसके उन्मूलन से 27.352 बन्धुआ श्रमिकों को प्रत्येक पर रु० 6.250 की धनराशि व्यय करके उन्हें पुनर्वासित किया जा चुका है.....

(इस समय 6 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हृदय नारायण दीक्षित पीठासीन हुए)

मान्यवर, प्रदेश में श्रमिकों की चिकित्सा के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यरत है यह 1952 में सर्वप्रथम कानपुर में प्रारम्भ हुई तब से यह बढ़ती जा रही है । बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को इससे लाभ मिल रहा है । प्रदेश में इस वक्त 123 ऐलोपैथिक, 6 होम्योपैथिक एवं 5 आयुर्वेदिक औषधालय तथा 14 चिकित्सालय हैं । इसके माध्यम से हम कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ देते हैं –

बीमारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ, अपंगता हित लाभ, आश्रित हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ और अन्तिम संस्कार हित लाभ ।

श्रमिकों के कल्याण के लिए 1992 में एक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय वाराणसी में स्थापित करने की स्वीकृति दी गयी है । मान्यवर, अभी तक 1991-92 तक 1600 रुपया प्रतिमाह पाने वाले संगठित क्षेत्र के श्रमिक राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते थे अब 3000 रुपया तक पाने वाले श्रमिक भी इस योजना के कार्यक्षेत्र में लाये गये हैं ।

मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ प्रस्तावित चिकित्सालयों की स्थापना इस प्रकार है । कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पिपरी (सोनभद्र) यहां चिकित्सालय भवन बन कर तैयार हो गया है लेकिन अभी हस्तांतरित नहीं हुआ है इस पर कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

रायबरेली एवं फिरोजाबाद में एक-एक चिकित्सालय प्रस्तावित है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में 21 एलोपैथिक औषधालय एवं 5 होम्योपैथिक तथा 6 आयुर्वेदिक औषधालय प्रस्तावित हैं ।

मान्यवर, जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुशल कर्मचारियों का होना नितान्त आवश्यक है तो उसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है । प्रदेश में युवक-युवतियों को स्व-रोजगार/रोजगार के लिए उपयुक्त बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना की है । इस समय प्रदेश में 215 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं । इनमें से 63 संस्थान पर्वतीय क्षेत्र में तथा 152 संस्थान मैदानी क्षेत्र में हैं । इन प्रशिक्षण संस्थानों में 22 दो वर्षीय इंजीनियरिंग, 12 एक वर्षीय इंजीनियरिंग तथा 16 एक वर्षीय नान-इंजीनियरिंग कुल मिला कर 50 व्यवसायों में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त है । इसके अतिरिक्त 3 व्यवसायों–ट्रक कार ड्राइविंग, टूरिस्ट गाइड, टाइपिंग व्यवसाय की भी व्यवस्था की गयी है । प्रशिक्षण में अत्यधिक व्यवसाय भी जोड़े जा रहे हैं जैसे कम्प्यूटर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग आदि की व्यवस्था कुछ आई० टी० आई० में की गयी है ।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के अन्दर देश में सर्वप्रथम इंस्टीट्यूट आफ हेयर् ड्रेसिंग एण्ड ब्यूटीकल्चर की स्थापना गाजियाबाद में की गयी है ।

मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिवर्ष लगभग 52 हजार प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

जो हमारे आई० टी० आई० में विद्यार्थी प्रशिक्षित होते हैं उनके लिए विभिन्न व्यवसायों में विशेष व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत शिशिक्षुओं को विभिन्न व्यवसायों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अन्दर जाकर व्यवहारिक प्रशिक्षण ग्रहण करने का अवसर मिलता है । इसमें शिशिक्षुओं को प्रथम वर्ष 290 रु०, द्वितीय वर्ष में 330 रु० तृतीय वर्ष में 380 रु० एवं चतुर्थ वर्ष में 420 रु० प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लगभग 20,000 प्रशिक्षण स्थान उपलब्ध हैं ।

इस समय महिलाओं के लिए पर्वतीय क्षेत्र में लगभग एक हजार तथा मैदानी क्षेत्र में लगभग 3 हजार स्थान प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं ।

प्रशिक्षु योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए क्रमशः 20 व 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं तथा कमजोर वर्ग, विकलांग, महिला वर्ग आदि को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्ष 1991-92 में कुल 17435 स्थान भरे गये थे इनमें अनुसूचित जाति/जन जाति के 3145, विकलांग के 193, महिलाओं के 249, अल्प संख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्ग के 3806 तथा अन्य वर्गों के 10042 शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे । वर्ष 1991-92 में 11 संस्थाओं में भवन निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है

वर्ष 1991-92 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रदेश स्तर की प्रवेश परीक्षा का आरम्भ किया गया है जिससे प्रवेश में हो रही अनियमिततायें समाप्त हो सकें और मैरिट पर ही प्रवेश हो सके । मान्यवर, 1992-93 की जो प्रस्तावित योजनायें हैं, उसमें 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान से अल्प-संख्यक बाहुल्य क्षेत्र के 5 संस्थानों में एक-एक व्यवसाय खोले जाने का प्रविधान किया गया है । मान्यवर, 40 प्रतिशत केन्द्रीय तथा प्लास्टिक उद्योग के अंशदान से 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर व्यवसाय खोले जाने का भी प्राविधान हमने किया है । मान्यवर, जिला योजना के

माध्यम से 92-93 में 5 नये संस्थानों की स्थापना का प्राविधान किया जा रहा है । मान्यवर, जिला योजना के माध्यम से कार्यरत 8 संस्थानों में नये व्यवसाय स्थापित करने का भी हमने निर्णय लिया है । मान्यवर, जिला योजना के माध्यम से व्यवसायों की द्वितीय यूनिट खोले जाने की दृष्टि से हम 6 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी संक्षेप में कर दीजिए ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत, जिसमें 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंशदान होता है, 9 नयी योजनाओं को लिए जाने का विचार है, जैसे–उपकरणों एवं मशीनों का आधुनिकीकरण, मशीन अनुरक्षण सेल की स्थापना, आडियोबिजुअल एड की स्थापना, नये व्यवसायों की वृद्धि, महिलाओं के लिए नये संस्थानों की स्थापना, महिलाओं के नये व्यवसाय खोला जाना, आधारभूत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, अनुदेशन केन्द्रों की स्थापना, उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण आदि । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर रोजगार दिलाने के लिए सेवायोजन सेवा केन्द्र हैं, वहां पर बेरोजगारों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था है । इनके माध्यम से किस तरह की सेवा का अवसर उपलब्ध हो, उसकी भी जानकारी करायी जाती है प्रदेश में 96 सेवायोजन सेवा कार्यालय हमारे स्थापित हैं । वर्ष 1991 में 6.48.031 अभ्यर्थियों ने प्रवेश के विभिन्न सेवायोजन हमारे कार्यालयों में अपना पंजीयन कराया, 32.322 रिक्तियां अधिसूचित हुईं तथा 18085 अभ्यर्थी सेवायोजित कराये गये । वर्षान्त में 27.96.312 अभ्यर्थी विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों की सजीव पंजी पर रहे । मान्यवर, विशेष वर्ग के अभ्यर्थी को सेवायोजन में सहायता देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 1991 में 22.275 अल्प-संख्यक वर्ग के अभ्यर्थी का पंजीयन किया गया और 634 को सेवायोजित कराया गया, अनुसूचित जाति/जन जाति के 1.07.099 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया और 4.440 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया, 53.777 महिलाओं का पंजीयन किया गया और 1452 को सेवायोजित कराया गया । मान्यवर, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जातियों एवं विकलांग वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजन में वृद्धि के उद्देश्य से 52 शिक्षण और मार्ग दर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं । जिनमें कुल प्रवेश क्षमता 4080 है । इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष 1991 में 5100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 444 अभ्यर्थियों को नियोजित यानि स्वतः नियोजित किया गया ।

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि सेवायोजन कार्यालयों में बहुत काम था और वहां पर कम्प्यूटरीकरण की सुविधा नहीं थी, अब वर्ष 1992-93 में 10 सेवायोजन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार से 40 लाख रुपये के अंशदान की स्वीकृत प्राप्त हुई है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के समस्त सेवायोजन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने की हमारी योजना है । वर्ष 1992-93 तक 25 सेवायोजन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हो जायेगा । मान्यवर, अभी तक प्रदेश के अन्दर जो हमारे सेवायोजन केन्द्र हैं उनमें पंजीयन अवश्य कराया जाता है लेकिन यह उनके अधिकार पर निर्भर करता है कि वह इन केन्द्रों से किस प्रकार नाम मांगें । लेकिन हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि भारत सरकार के सेवायोजकों की भांति राज्य सरकार के सेवायोजक भी सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से पंजीकृत अभ्यर्थियों के ही नाम मंगा कर उनमें से चयन कर उन्हें नियुक्ति प्रदान करे । मान्यवर, हम सभी परिचत हैं कि केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान की व्यवस्था करने की सोच रही है । यदि प्रदेश के अन्दर भी निजी प्रतिष्ठान बनाये जायेंगे तो उसके लिए भी सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से प्रयास किया जायेगा कि कैसे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें । अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह बजट का पूरा समर्थन करें और इसको पारित करें ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77– श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, श्रम एक ऐसी चीज है जिसके बिना समाज में कोई भी उत्पादन सम्भव नहीं है । समाज के विकास में श्रम का इतना महत्व है कि इसके बिना समाज का विकास सम्भव नहीं है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक श्रम हो, चाहे उद्योग धन्धे हों, चाहे खेती हो बिना श्रम के बिना उन्हें चलाना सम्भव नहीं है । परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस श्रम से यहां सदन में बैठ कर हम विचार कर रहे हैं जो इतना अच्छा महल है लेकिन इस महल को तैयार करने वाले का पता लगाया जाय तो उसके बच्चों को रहने के लिए झोपड़ी नहीं होगी । जिस श्रम से अच्छे-अच्छे कपड़े और 20-20 हजार रुपये की बनारसी साड़ियां तैयार करने वाला जो मजदूर है उसको वह साड़ी नहीं मिलती है, जिस श्रम से हवाई जहाज बनता है, अच्छी-अच्छी कारें बनती हैं लेकिन उन श्रमिकों को उन गाड़ियों में चलना नसीब नहीं होता है । मान्यवर, यह हमारे समाज की विडम्बना है । अभी मंत्री जी बहुत तारीफ कर रहे थे यह काम किया और एक साल में यह प्रबन्ध कर दिया किन्तु हमारे प्रदेश में श्रमिकों की जो दुर्गति है वैसी शायद हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं होगी । मान्यवर, इस सरकार का विश्वास श्रमिकों में नहीं है क्योंकि यह सरकार अन्ध विश्वासियों की सरकार है । श्रम की प्रतिष्ठा में सरकार का कोई विश्वास नहीं है जबकि श्रम की प्रतिष्ठा किये बिना समाज में उत्पादन सम्भव नहीं है । मंत्री जी अभी कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में काफी औद्योगिक शान्ति है ।

[समय : 7 बजे]

हम बाद में उसके बारे में बतायेंगे । मान्यवर, इस सरकार की नीतियों को मैं स्पष्ट रूप से समझता हूं । एक साल में देखने में यह आया है कि सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी हैं, जन विरोधी हैं । मालिकों और पूंजीपतियों की प्रतिष्ठा की नीति ही इस सरकार की असली नीति है । इस संबंध में मैंने कल सवाल भी उठाया था । इस सरकार ने मान्यवर, जब-जब जहां कहीं भी मजदूरों ने अपनी आवाज उठाई है, अपने वेतन के लिए, महंगाई भत्ते के लिए, बोनस के लिए या दूसरी सुख-सुविधाओं के लिए । पिछले एक साल का मेरा तजुर्बा है कि इस सरकार ने मजदूरों की आवाज को दबाने का प्रयास किया है । मजदूरों की आवाज को शान्त करने के लिए पुलिस के बल पर, लाठी डण्डों के बल पर हड़तालों को, आन्दोलनों को गैर कानूनी करके मालिकों की मदद करने का काम किया है । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि सोनभद्र में बिरला साहब का कारखाना है । बिरला साहब कारखाने के लिए अपनी बिजली उत्पन्न करते हैं । वह कहीं और बिजली नहीं देते हैं । रेनूकोट में रेनू सागर में उनके प्लान्ट चलते हैं । अभी सरकार ने दिसम्बर, 1991 में उसको आवश्यक सेवा निरवहन कानून में लाकर उसमें आन्दोलन हड़ताल पर रोक लगा दी है । मजदूरों द्वारा आन्दोलन स्ट्राइक और हड़ताल करने पर रोक लगा दी गयी है । मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं कि आपकी सरकार टाटा और

बिरला की सरकार है । मजदूरों की हितैषी सरकार नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि अनपरा में सिमप्लैक्स नाम की एक कम्पनी है । जो मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ में शंकर गुहा नियोगी की हत्याकाण्ड से भी जुड़ी है । इस कम्पनी के इशारे पर उस कम्पनी के मैनेजमेंट के लोग पैसे के बल पर इस तरह का गन्दा कार्य करते हैं । मुझे तो शंका है कि उनकी पहुंच इस सरकार तक है । सी० आई० टी० यू० के सोनभद्र के अध्यक्ष और वहीं के संयुक्त मंत्री को गैंगस्टर ऐक्ट में फंसाने का कुत्सित काम आपकी सरकार ने किया है । एक भी ऐसा मुकदमा उनके ऊपर नहीं है कि उन्हें इस तरह से फंसाया जा सके । कल मैंने सदन में सवाल भी उठाया था । किसी तरह से जाल फरेब करके गैंगस्टर ऐक्ट में उनको ले लिया गया । यह काम आपकी ही सरकार का है । इसलिए मैं निवेदन भी करना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी जो चेतावनी कल दे रहे थे । मैं सुन रहा था । वह कह रहे थे कि वह लोग वहां आनपरा में दखल दे रहे थे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह मजदूरों के पक्ष में दखल न दें तो क्या मिल मालिकों के पक्ष में दखल दें । उनकी दलाली करें । मैनेजमेंट की दलाली करें । सरकार मजदूरों का समर्थन नहीं करती है तो क्या यह नेता ट्रेड यूनियन के जो हैं, जिनका काम है मजदूरों के पक्ष में बोलना, उनका साथ देना, उनकी भलाई के लिए उनकी अगुवाई करना । यही काम वह दोनों कर रहे थे और यही बात सिमप्लेक्स कम्पनी और बिरला साहब को खटक रही थी । अगर मजदूर घेरे न होते तो उनकी हत्या कराने की बात थी जैसे कि नियोगी की हत्या की साजिश की गयी थी और उनकी हत्या भी कर दी गयी थी ।

मान्यवर, मैं आपसे, सरकार से कहना चाहता हूं अभी आप बता रहे थे कि इस सरकार में तालाबन्दी पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है, हमारे पास आंकड़े हैं वर्ष 1990 में तालाबन्दी जो मिल मालिकों द्वारा की गयी उसकी संख्या 21 है, 38,000 हजार मजदूर उसका शिकार हुए । अब आप वर्ष 1991 के आंकड़े देख लीजिए तालाबन्दी मिल मालिकों द्वारा जो की गयी है वह 21 से बढ़कर 31 तक पहुंच गयी । जो 38,000 हजार मजदूरों की संख्या थी वह 40,000 हो गयी और आप कहते हैं संख्या कम हुई है । मान्यवर, औद्योगिक तालाबन्दी के बारे में जो कहा गया तो पिछले साल 50 बैठकें की गयीं लगभग साढ़े छः लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ यह भी पिछले दिनों की अपेक्षा ज्यादा है। मान्यवर, जब से आपकी सरकार आयी है जिसकी चर्चा सदन में हो रही थी मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपकी सरकार ने रोक लगा दिया है कि कल कारखानों में और दूसरी जगह के प्रतिष्ठानों में छोटे-मोटे उद्योगों में जांच पड़ताल निरीक्षण में रोक लगा दी गयी है । जो रिपोर्ट आती थी, कार्यवाहियां होती थीं उस पर रोक लगा दी गयी है कि यह मालिकों से पैसा लेते हैं जांच होने पर तो कार्यवाही नहीं होती है आपने आदेश दे दिया है साल में दो बार से ज्यादा अगर निरीक्षक जांच करने जायेंगे तो ऊपर से आदेश लेकर जायेंगे । मान्यवर, जो कैजुअल मजदूर हैं, मस्टर रोल पर काम करने वाले हैं, डेलीवेज पर काम करते हैं रजिस्टर पर उनका नाम नहीं लिखा जाता है सरकार के पास आंकड़े हैं । यह भी नहीं चाहते हैं कि नाम लिखा जाय । इसलिए निरीक्षण पर रोक लगायी गयी है ।

(व्यवधान)

मान्यवर,, सूती उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा । कताई मिलें जो हमारे सूबे में हैं, सहकारी भी हैं और सरकारी भी हैं वहां हमने देखा है कल परसों, नरसों देखा पांच सौ छः सौ मजदूर परेशान हैं कताई मिल बन्द पड़ी है । इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जगहों में कताई मिलें बन्द पड़ी हैं । इस विधान सभा में पांच सौ मजदूर घुस गये थे ।

श्री अधिष्ठाता–

कितना समय लेंगे ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, जल्दी ही कर रहा हूं और भी कताई मिलें हैं । बहादुरगंज (गाजीपुर), रसड़ा (बलिया) मऊ, अकबरपुर आदि जगहों की कताई मिल के मजदूरों की छटनी कर दी गयी है उनकी बहुत दुर्दशा है। दर्जनों कताई मिलें सूबे में बन्द हैं । मैं मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि कताई मिलों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए । मेरी एक-दो बार इस संबंध में वार्ता भी हुई है । आज हजारों कताई मिल मजदूरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या है । उनके जीवन जीने के लिये कोई ठिकाना नहीं । इसी तरह से ए० टी० एल०, प्रतापगढ़ की बात है इस सदन में कई बार मामला उठा है लेकिन वहां के 1300 मजदूरों के बारे में आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । आपने वोट मांगने के समय इनको वचन दिया था कि यदि जीत कर आये और हमारी सरकार बनी तो कारखाना खुलेगा लेकिन एक साल के करीब बीत गया है 1300 मजदूर बेकार घूम रहे हैं ।

अलीगढ़ में पराग वनस्पति मिल है जो बन्द है । मजदूरों ने आरोप लगाया कि वहां पर मुख्य मंत्री जी का दबाव है, प्रशासन कुछ करना चाहता है लेकिन मुख्य मंत्री के दबाव के कारण अधिकारी लाचार हैं । वह कहते हैं कि आप लोग ऊपर जायं । आज सबेरे ही वह मजदूर हमारे यहां आये थे । मान्यवर, इसी तरह से असंगठित मजदूरों का सवाल है । हमारे सूबे में इनकी तादाद डेढ़-दो करोड़ है । इनमें से सबसे ज्यादा खेतिहर मजदूर हैं । इनकी हालत आपसे छिपी नहीं है । आपने 23 रुपये 25 पैसे की न्यूनतम मजदूरी का कानून बना दिया है लेकिन कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है इनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है । हमारे यहां पूरब में चले जाइये मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं चाहे जंगल विभाग में ठेके पर काम करने वाले मजदूर हों या खेतिहर मजदूर हों या पी० डब्लू डी० के मजदूर हों उनको 23 रुपया नहीं मिलता है । आप खेतिहर मजदूरों के लिये कौन सी मशीनरी तैयार करेंगे जो इनको मजदूरी दिला सके । आपके तहसीलदार या बी० डी० ओ० के बस की यह बात नहीं है वह कुछ नहीं कर सकते । इसलिये आप मशीनरी का गठन व चुस्त दुरुस्त करिये जिससे इन मजदूरों को पूरी मजदूरी मिल सके । लेकिन मैं जानता हूं कि इस सरकार में हिम्मत नहीं है आप यह काम करने वाले नहीं है । मान्यवर, इसी तरह से निर्माण निगम और सेतु निगम में काम करने वाले मजदूरों की बात है, सिंचाई विभाग में काम करने वाले मजदूरों की बात है कहीं पर भी इन मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलता है । इन विभागों में जो ठेके पर मजदूर हैं, मस्टर रोल के मजदूर हैं, रोजाना काम करने वाले मजदूर हैं इनका भयंकर शोषण हो रहा है । इनको रोज रखा जाता है और रोज निकाला जाता है । इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है । यह स्थिति हमारे सूबे के मजदूरों की है । मान्यवर, अभी चीनी उद्योग में वेज बोर्ड ने एक प्रस्ताव किया था, जिसे 1990 से लागू होना था, 1990 और 1991 बीत गया, आप तारीफ कर रहे हैं कि यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं, आपको आये 10 माह बीत गये, वह लागू नहीं हुआ, पता नहीं लागू करेंगे या नहीं । इस साल उस वेज बोर्ड के प्रस्ताव का लागू किया जाय । बन्धुवा मजदूरों के बारे में मान्यवर, मैंने आपका आंकड़ा देखा आपकी किताब से कि इतनी संख्या में बन्धुआ मजदूर मुक्त किये गये सोनभद्र, मिर्जापुर की बहुत ज्यादा संख्या है, जो झूठी है। बनारस में तो मैंने बन्धुआ मुक्त मजदूरों को देखा ही नहीं । हकीकत में जो आपके अधिकारी तैयार करते हैं, मैं पहाड़ी क्षेत्र के बारे में नहीं बता सकता हूं लेकिन बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर जाता रहता हूं, साल में दो चार छः बार मीटिंगों में जाता हूं हो सकता है कि 100–200 को मुक्त कर दिये हों और बंधुवा

मजदूरों की लम्बी चौड़ी लिस्ट पेश कर दी कि मुक्ति प्रदान कर दी, पैसा दे दिया रिक्शा या ठेला चलाने के लिये, भैंस खरीदने के लिये, लेकिन आधा पैसा तो अधिकारी खा जाते हैं । आधा भी नहीं मिलता । यह सब आंकड़े गलत हैं । आधा भी सही नहीं है । अब मान्यवर, दो तीन बातें कह कर समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, मैं कह रहा था मजदूरों की आवासीय कालोनियों के बारे में, जो मजदूरों की कालोनियां बनीं, जो बजट में प्राविधान है, एक माननीय सदस्य को देख रहा था, हमारे बनारस के हैं, वह न तो मजदूर हैं, शायद आपके बंधुवा मजदूर हैं, वकील हैं, किसी कारखाने में काम नहीं करते और मजदूरों की आवासीय कालोनी में रहते हैं । सभी कालोनियों का यही हाल है । मजदूरों के बजाय दूसरे लोग रहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जब सभी माननीय सदस्य बोल लेंगे तो आपको जवाब देने का अवसर मिलेगा, उस समय अपनी बात कह सकते हैं । अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, दो बाते कह कर समाप्त कर रहा हूं । एक तो भविष्य निधि के बारे में इसमें एक तो मजदूरों के पैसे की कटौती उनके वेतन से होती है और दूसरे मालिक देते हैं, लेकिन आम बात है कि मजदूरों का पैसा तो काट लिया जाता है लेकिन मालिक पैसा नहीं देते हैं । उनका पैसा स्टेट बैंक के खाते में जमा नहीं होता है । यह सामान्य बात है । उसके भविष्य निधि में जो पैसा होना चाहिए, उसका सूद जो बढ़ता, वह जमा नहीं करने से मजदूरों को नुकसान हो रहा है । अस्पताल जितने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक हैं, उनमें जितना पैसा मजदूरों का जमा होता है, दवाओं का हिसाब देख लें, इन अस्पतालों में जो दवा मिलती है, कटौती के पैसे भर भी दवा नहीं मिलती । वृद्धावस्था पेंशन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा, जो पैसा सरकार ने दिया, पिछले साल 5.22.452 लाभार्थी थे, इसके बराबर के लिये जो पैसा चाहिए वह 63 करोड़ रुपया आता है और माननीय मंत्री जी ने 54 करोड़ का इंतजाम किया है । यह पिछले साल से भी कम है । उन्होंने कहा कि पिछले साल से आगे बढ़ा रहे हैं तो जो 1990-91 में जनता दल की सरकार ने किया, आप वह भी करने को तैयार नहीं हैं । इसको बढ़ावें । आखिरी बात कह कर खतम कर रहा हूं कि हमारे सूबे में लगभग 50 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं । आपने क्या व्यवस्था की है । बहुत मांगें उठ रही हैं, आपने भी वादा किया था । मुझे याद है कि हम इन बेरोजगारों को काम देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे और हिन्दुस्तान में बंगाल और केरल दो सूबे ऐसे हैं, जहां बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है । अगर आप यह साबित कर देते हैं कि पढ़े-लिखे बेरोजगारों के प्रति हमारी सहानुभूति है या आप रोजगार दीजिए या आप रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता दीजिए । हर खेत मजदूरों के लिए रिकार्ड तैयार होता है और 60 वर्ष की उम्र होने पर केरल की सरकार में पेंशन मिलती है । हर खेत मजदूर और हर बुनकर को पेंशन मिल रही है । माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कहा था और आपने भी कहा था जल्दी न्याय दिलायेंगे, लेकिन मान्यवर, कानपुर में बिना घूस लिये हुए रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है । हम भी एक यूनियन चलाते हैं, पत्थर खान मजदूर यूनियन, चकिया बनारस में चलाते हैं । मुझे उम्मीद है कि आप प्रबन्धतंत्र में मजदूरों की भागीदारी जरूर सुनिश्चित करायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी कटौती पर बोलेंगे तो उस पर बल देंगे ।

* श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह एक ऐतिहासिक बजट है और मैं अपने को इससे पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं। मैं श्री दीना नाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव को ध्यान पूर्वक सुन रहा था, मान्यवर, मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन यह गलती उनकी नहीं है,"क्योंकि वह आदत से मजबूर हैं, बुराई किया करते हैं, मान्यवर, इसकी नियत ठीक नहीं है, ये सभी बातों से डरते हैं।"

माननीय मंत्री जी ने सभी 29 नियोजनों में वेतन पुनरीक्षित करके ऐतिहासिक कार्य किया है। इन्होंने बाल श्रमिकों को वयस्कों के मुकाबिले 67 प्रतिशत वेतन मिलता था, उसकी दर बढ़ा कर 95 प्रतिशत कर दी गयी है। जिन किशोर श्रमिकों को वयस्कों के मुकाबिले 75 प्रतिशत वेतन मिलता था, उसे बढ़ा कर 99प्रतिशत करके एक ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम उठाया है। वृद्धावस्था पेंशन में एक लाख इकतीस हजार लोगों को 100 रु० के हिसाब से एक करोड़ 3 लाख रुपया दिया जायगा, यह प्रशंसनीय कार्य है। हमारे माननीय मंत्री जी ने बंधुआ मजदूरों की बात की है। हमारी सरकार ने तो 27 हजार 352 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करके 17 करोड़ 9 लाख 50 हजार रु० उन पर व्यय किया है, लेकिन अभी जो सदस्य कह रहे थे, मान्यवर, इन्होंने तो श्रमिकों से क्या व्यवहार किया कि–"ये मिल मालिकों से मिल कर श्रमिकों का शोषण करते थे। खपता था मजदूर ये जिन के घरों को भरते थे।" मान्यवर, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में 3.56 करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे। यह अपने आप में प्रशंसनीय है। मजदूरों के हितों को सोचने वाली इस सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। महिलाओं को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में 1 हजार महिला प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश एवं मैदानी क्षेत्र की 3 हजार महिलाओं के प्रवेश का आरक्षण महिला कल्याण की ओर इंगित करता है। श्रमिकों की संतुष्टि के लिए पहली बार न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण किया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तरांचल क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। विशेषकर अपने विधान सभा क्षेत्र कर्ण प्रयाग की ओर आपका ध्यान केन्द्रित करता हूं। मान्यवर, विकास खण्ड पावौ और वीरोंखाल में अभी तक कोई भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है अतः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाय एवं पोखड़ा एवं गैरसेंण में आई० टी० आई० के भवन नहीं हैं वहां पर तत्काल भवन का निर्माण कराया जाय, तो आभारी रहूंगा और उत्तरांचल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो पद रिक्त पड़े हैं, उनको तत्काल भरा जाये, यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं माननीय दीना नाथ जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय दीना नाथ जी ने श्रम के महत्व पर अपनी बात रखते हुये कहा है कि आज इस प्रदेश का दुर्भाग्य है और मैं तो यह कहूंगा कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जो मेहनतकश लोग हैं, जो श्रमिक हैं, ऐसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। इसे आप यों कहें कि श्रमिक का नहीं बल्कि श्रम का सम्मान नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने श्रम विभाग के बजट को रखा है और जो निष्कर्ष निकाला है, वह सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। जैसे पिछली सरकारों ने बजट की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

औपचारिकता को पूरा किया था, उसी तरह से ही उन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन कर दिया है, कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया है । मान्यवर, यह बात बहुत प्रबल रूप से कही जा रही है तथा चर्चा का विषय है कि प्रबंधतंत्र में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिये, लेकिन इस बावत माननीय मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्रमिक कारखाना अधिनियम 1948 का बना हुआ है लेकिन आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । इस अधिनियम के जो प्राविधान हैं वह सार्वजनिक एवं सरकारी कारखानों पर लागू नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जो निजी कारखाने हैं, उन पर ही लागू हो पाते हैं और अगर कोई निजी कारखाना मालिक किसी प्राविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो उसे दंड दिया जाता है, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र अथवा कारखाना प्रबन्धक अगर किसी प्राविधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है । इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये और कोई कारगर कदम उठायें, जिससे वहां के श्रमिकों का हित हो सके ।

मान्यवर, एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में बहुत से मजदूर दैनिक वेतन पर मस्टर रोल पर रखा लिये जाते हैं, उनको स्थायी नहीं किया जाता है और यहां तक कि वे उसी अस्थाई पदों पर मर भी जाते हैं, फिर भी उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है, मस्टर रोल पर ही बने रहते हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे देखें और कोई कारगर कदम उठायें, जिससे मजदूरों का हित हो सके ।

मान्यवर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कहना चाहता हूं , मान्यवर, इनके पीछे जो मूल भावना निहित है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है । जो छात्र श्रम करके अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते थे, उनका इस में प्रवेश किया जाता था और उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और प्रशिक्षण प्राप्त करके वह छात्र अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन मान्यवर, अब क्या हो रहा है कि इसमें प्रवेश परीक्षा ली जाती है और मेरिट के आधार पर ही एडमिशन किया जाता है, जिससे गरीब तबके के छात्र एडमिशन नहीं ले पाते हैं और वह मारे मारे फिरते हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं सेवा योजन कार्यालय के बारे में कहना चाहता हूं । यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है । मेरा सुझाव है कि इसको दो भागों में बांट दिया जाना चाहिये—एक तो प्रशिक्षण और दूसरा पंजीकरण और दोनों के अलग-अलग निदेशक भी बना दिये जाने चाहिये ।....

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो श्रम कार्यालय से संबंधित है । श्रमिक राजनीति में रहने के कारण अनुभव है सी० पी० केस और सी० बी० केस होते हैं इसका रिफरेंस होता है । अगर उपश्रमायुक्त के यहां से रेफरेंस लेने हेतु निर्णय होता है तो वह रिफरेंस के लिए जाता है आयुक्त के यहां जो पूरे उत्तर प्रदेश का कानपुर में स्थित है । वहां देखने को मिलता है कि उस श्रम संघ का रिफरेंस होकर उप श्रमायुक्त के यहां आता है जो घूस देने का काम करते हैं जो पूंजीपति है वह वहां जाकर के मजदूरों के हकों को वहां रोक दिया करते हैं घूस देकर के और लालच देकर के और गरीब मजदूर अपना हक नहीं पा पाता है । बड़ी मुश्किल से रिफरेंस होकर आयेगा आजकल पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि ये सिनेमाहाल बड़े-बड़े पूंजीपतियों का होता है और पूंजीपति लोग क्या कर रहे हैं कि अगर सिनेमाहाल से लाभ नहीं हो रहा है तो उसको बन्द करने का काम शुरू हो गया है जैसे विशम्भर सिनेमाहाल, मोतीमहल, नाज सिनेमाहाल इलाहाबाद में और लखनऊ में तुलसी सिनेमाहाल है यह बन्द कर दिये गये हैं और इसमें कार्यरत जो मजदूर हैं वह सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं और वह अपनी ताकत के बल पर सिनेमाहाल को बन्द कर दिया करते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय दीनानाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, जैसा दिनेश चन्द्र सोनकर जी ने कहा है इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए आग्रह करूंगा कि सेवायोजन को और प्रशिक्षण को दोनों को अलग-अलग कर दिया जाय और प्रशिक्षण का निदेशक विभागीय आदमी ही बनाया जाय जिससे कि प्रशिक्षण का काम सुचारुरूप से, ठीक ढंग से चल सके क्योंकि दोनों काम एक दूसरे में मिले होने के कारण जो प्रशिक्षण का काम है वह सही ढंग से नहीं चल पा रहा है और जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं प्राप्त हो पा रहा है। बहुत दिनों से इस पर विचार विमर्श चल रहा है और इस पर कई सरकारों ने गम्भीरता से विचार भी किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करके शीघ्र निर्णय ले करके यह दोनों निदेशालय को अलग करने का काम कर दें।

* श्री सुधाकर–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बजट में माननीय मंत्री जी ने विभिन्न श्रम उद्योगों में श्रमिकों के लिए उपयुक्त काम किया है और मजदूरों की सेवा शर्तों में विशेष सुधार किया है। गत वर्षों में यह देखा जाता था कि विभिन्न स्थानों पर श्रमिकों का बहुत शोषण किया जाता था कहीं पर बन्धुवा मजदूर के रूप में तो कहीं पर उन्हें एक तरह से अवैतनिक रूप में रखा जा रहा था लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और कहीं पर किसी स्थान पर भी यह बंधुवा मजदूर के रूप में और अवैतनिक रूप में अब नहीं रखे जा रहे हैं। मान्यवर, जो श्रमिकों को हवादार आवास चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और प्रविडेन्ट फण्ड आदि अनेक सुविधाएं पिछली बार नहीं दी जाती थी वह भी इस बज़ट के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था की गयी है ताकि किसी भी श्रमिक को चाहे प्राइवेट कारखाने हों या निजी क्षेत्र के कारखाने हों। मैं इस बात की भी बड़ाई करता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि बाल श्रमिक जो पहले कार्य कर रहे थे उनकी ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मा० अधिष्ठाता महोदय आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे मा० मंत्री जी का भाषण सुनने का मौका मिला उन्होंने बाल श्रमिकों पर बड़ा जोर दिया है। यह सरकार बाल श्रमिकों से काम करायेगी , यह न्यायोचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको बन्द किया जाय। इन्होंने कहा कि मजदूरी 37 रु० कर दी है, जवाहर रोंजगार योजना में भी श्रमिक काम करते हैं शासन द्वारा मजदूरी 18 रुपये तय की गयी है। जबकि इन्होंने कहा है कि कम से कम मजदूरी 25 रुपये करेंगे आज गांव में भी 18 रुपये पर मजदूर मिलने वाला नहीं है। अतः इसमें मजदूरी बढ़ाने की कृपा करें। कई बार प्रश्न उठाया सदन में, आटो ट्रैक्टर्स, प्रतापगढ़ के बारे में वहां के कितने श्रमिक सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रतापगढ़ के विधायक द्वारा रखा गया किन्तु मा० मंत्री जी ने श्रमिकों की ओर मस्तिष्क नहीं दौड़ाया। मऊ में दो कतई मिल सरकारी हैं। वहां पर छोटे-छोटे मजदूर काम करते हैं। पूर्वांचल का सबसे बड़ा केन्द्र है मजदूरों का लेकिन बजट में कहीं मऊ का नाम नहीं लिया गया है। वहां पर रसड़ा कताई मिल है वह बन्द होने की स्थिति में हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मधुवन में चित्र मन्दिर है जिलाधिकारी के निदेश पर बन्द कर दिया गया है। वहां के श्रमिक सड़क पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । लखनऊ में डालीगंज में खन्ना मिल एरिया में 1971 में बंगलादेश युद्ध में आये हुए 32 विस्थापितों की एक कालोनी है । उनके पुनर्वास के लिए शासन द्वारा 80 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है । श्रम विभाग ने 91-92 में उन श्रमिकों को एक रुपया भी नहीं दिया है । कोई सुरेन्द्र सिंह इनके विभाग में हैं जो उस 80 रुपये की अनुदान राशि में से 15 रुपया प्रति व्यक्ति काट लेते हैं । कम से कम आप इसकी जांच करवा दें । मान्यवर, श्रमिकों के माध्यम से ही पूरे देश और भारत का उद्योग चलता है और प्रभावित होता है । इसलिए श्रमिकों पर बल देना आपका काम है । इसी के साथ माननीय दीनानाथ यादव द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे श्रम विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं । महोदया, (हंसी)

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अब महोदया हैं या महोदय इसका निराकरण पहले हो जाय ।

एक सदस्य–

मान्यवर, यह महोदया शब्द कार्यवाही से निकलवा दें ।

* श्रीमती गुलाब देवी–

महोदय, यह कल्याणकारी सरकार है यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह एक क्रान्तिकारी बजट है एक अलौकिक बजट है । मान्यवर, यह सरकार मूल्यवान सिद्धान्तों पर चल रही है–सत्यमेव जयते । सत्य के आधार पर हम सत्ता में बैठे हैं लेकिन यह बात यहीं पर पूरी नहीं होती है । सत्य के साथ-साथ हम श्रमेव जयते का भी नारा देते हैं (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) बिना श्रम के यह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है । मान्यवर, यह जो बजट रखा है श्रमिकों के लिए इसमें विशेष महत्व दिया गया है । जितनी भी सरकारें आई उन्होंने मजदूरों को बन्धुआ बनाकर रखा । 14 साल कम उम्र के बच्चों के साथ अन्याय किया एक श्रमिक के रूप में असहाय महिलाओं के साथ अत्याचार किया उनको पूर्ण रूप से पारिश्रमिक नहीं दिया गया । लेकिन इस सरकार ने पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की है और उनको पूरी सुविधाएं प्रदान की गई हैं । 93 श्रमिक कल्याण केन्द्रों की व्यवस्था सरकार ने की है । मान्यवर, 1990 में जो हड़तालें हुईं, जो तालाबन्दी हुई उनकी संख्या जो थी उससे 16.25 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई । 1991 में जो तालाबन्दी आदि हुई उसमें 10.25 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई । 69 हड़तालों का गठित होने से 30 दिन के अन्दर निपटारा कर दिया गया । यह एक ऐतिहासिक रिकार्ड है । 84 हड़तालें ऐसी हैं जिनको नोटिस जारी किये गये, नोटिस जारी किये जाने समय समझौता करा दिया गया । हड़तालें नहीं हुईं । यह इस सरकार की पहल का द्योतक है ।

जहां दुर्घटनाओं की बात है दुर्घटनाओं की सूचना इस सरकार के काल में बहुत कम है । 1990 में 5381 दुर्घटनाओं की सूचनाएं जिसमें 84 प्राणघातक दुर्घटनाएं हुईं । 1991 में केवल 68 67 दुर्घटनाएं हुईं इसमें केवल 75 दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो प्राण घातक हैं । मान्यवर, चन्दौसी तहसील जिला मुरादाबाद के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्तर्गत आती है । मान्यवर, पिछली सरकार ने वहां पर आई० टी० जो था जो महिलाओं को पूर्ण रूप से प्रशिक्षण देता था सिलाई का उन्होंने उस प्रशिक्षण को समाप्त कर दिया अब मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगी कि चन्दौसी में महिलाओं की प्रशिक्षण की व्यवस्था पुनः चालू की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, प्रजातंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है विपक्ष का पावन दायित्व होता है कि यदि सत्ता पक्ष मनमानी करने पर उतारू हो जाय तो निष्पक्षता से उस पर अंकुश रखे यह अपने दायित्व नहीं निभा रहे हैं । सही को गलत कहना यह न्यायापूर्ण नहीं है । इस प्रदेश को आगे ले जाना है तो गलत काम पर अंकुश रखिये और सही उपलब्धियों को जनता के बीच में उजागर कीजिए ऐसा मेरा अनुरोध है। इसी के साथ मैं इस बजट का भरपूर समर्थन करती हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं । अभी माननीय सदस्या बोल रही थी उन्होंने जो सुझाव दिया है उस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मान लिया जाय विपक्ष का दायित्व वे लोग हमसे लें लें सत्ता पक्ष का दायित्व हम लोगों को दे दें और उधर से इधर आ जायं और हम लोग इधर से उधर चले जायं । मान्यवर, विधाता कभी क्रूर मजाक करता है । जो श्रम शक्ति का ज्ञान नहीं रखते जिनके परिवार में पसीना बहाना किसी ने देखा नहीं झोपड़ी देखी नहीं टाट पट्टी देखी नहीं जो पैदा हुए ए० सी० में मारबल पर चलने लगे वे लोग श्रमिकों के शोषण की बात करें और शर्म की आवाजें लगायें तो यह कहां तक उचित है । मंत्री जी के लिए तक मैं समझता हूं यह कभी आर० एस० एस० में नहीं रहे होंगे । मान्यवर, श्रमिकों के शोषण की बात आम चर्चा का विषय है सदन के बाहर सभी सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों इसे स्वीकार करते हैं । बाल श्रमिकों की अभी बात कही गयी, लखनऊ में जितने होटल हैं उनमें आप देख लें 10-10 साल के लड़के काम करते दिखाई देंगे । माननीय मंत्रियों के घर में अधिकारियों के घर में बाल श्रमिक काम करते हैं । मेरी यह चुनौती है आप चाहें तो उस पक्ष के ही किसी माननीय सदस्य को भेजकर दिखवा सकते हैं । आपने न्यूनतम वेतन 33 रुपये दिये जाने की बात कही लेकिन यह नियम व्यवहार में लागू नहीं होते । मुजफ्फरनगर में जितनी पेपर मिल हैं किसी एक में भी मिनीमम वेजेज का नियम लागू नहीं है। वहां जो अधिकारी बैठता है वह पैसा लेता है । यह आज से नहीं शुरू से काम हुआ चला आ रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज हालत यह है कि ए० सी० लगाने की बात आती है चाहे झोपड़ी में रहते हों, आप इलाहाबाद से चुनकर आते है, मैं कहना चाहता हूं कि पहले मकान बनवा दें फिर कहीं जाकर ए० सी० लगे । जो सड़क के किनारे पेड़ों के नीचे लोग पड़े रहकर व्यापार करते हैं उनमें भी ए० सी० की भावना आती है । वे तमाम लोग श्रमिकों के आवास पर कब्जा कर लेते हैं । मान्यवर, मैं एक बात यह कहना

चाहता हूं कि मेरे पास एक छोटा सा रिप्रजेन्टेशन आया था डा० वेदपाल महामंत्री आई० टी० इम्प्लाइज एसोसियेशन जिसका रजिस्ट्रेशन नं० 4804 है, उन्होंने लिखा इस प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में निजी क्षेत्र में आई० टी० आई० स्थापित करने की अनुमति दी गई, 110 आई० टी० आई० स्कूल ऐसे हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। पता नहीं कौन सा क्रूर मजाक किया गया कि उसमें प्रवेश बन्द कर दिया गया। प्रवेश लेने की अनुमति है और उनका परीक्षाफल रोक दिया गया है तो आज 15 हजार छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं।

आई० टी० आई० स्कूल में प्रवेश के लिए एक लाख पचास हजार छात्रों का पंजीकरण हुआ था तो उसमें कितनों को प्रवेश मिल सका है, कितनों को आप प्रवेश दे रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया सामाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह–

जो रिजल्ट रोका गया है उसको आप दिखवा लें। इसमें चार हजार कर्मचारी हैं उनका भी शोषण बन्द हो जायेगा। सेवा योजन कार्यालय की बात कही गयी तो आज 50 हजार ऐसे लोग हैं जो सेवा योजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज करायें हैं और वह बेरोजगारों की श्रेणी में हैं। उन्हें सेवायोजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो मेरा अनुरोध है कि इस विभाग को पार्टी से ऊपर रखें, संगठन से ऊपर रखें। यह प्रदेश के करोड़ों-करोड़ों लोगों की धरोहर है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र मुजफ्फरनगर की बात कहना चाहूंगा वहां का सेवायोजन अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट है। वहां पर सेवा योजन कार्यालय मात्र 1200/-प्रतिमाह पर एक मकान में चल रहा था, उस मकान का मालिक उसे खाली नहीं करा सकता था क्योंकि वह रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत मकान था, परन्तु उसने आई० टी० आई० का छात्रावास खाली करा दिया और उसमें सेवायोजन कार्यालय का दफ्तर खोल दिया। पता चला है कि वह आर० एस० एस० का कोई व्यक्ति है। तो आप एक तरफ तो आई० टी० आई० की बात करते हैं। जो छात्र बेचारे वहां पढ़ने के लिए आते हैं वह शहर में मकान लेकर दो-दो, तीन-तीन सौ में लेकर रहते हैं और आपने एक कार्यकर्ता की सुविधा के लिए, अपनी पार्टी की सुविधा के लिए उसे खाली करवा दिया तो यह दिखवा लें। मान्यवर, बंधुवा मजदूरों की बात कही गयी आज उनके नाम पर बड़ा हड़कम्प मचा हुआ है। आज वह खेतों में काम करते हैं और अन्य काम करते हैं उन्हें पैसे का लालच देकर ईंट-भट्टे वाले, क्रेशर उद्योग वाले कम मजदूरी देकर अधिक काम करवाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो बंधुवा मजदूरों के नाम पर जो ब्लैक मार्केटिंग का कार्य करते हैं वह भी नहीं होना चाहिए। मान्यवर, श्रम की बात कही गयी। मान्यवर, मैं तो यह मानता हूं कि इनका श्रम और मेहनत से इनका कोई रिश्ता नहीं है, जो श्रम कल्याण के लिए इन्होंने घोषणा की है यह तो मात्र एक ढिढ़ोरा है। आज होना यह चाहिए कि रोजगार परक शिक्षा दी जाये परन्तु इन्होंने रोजगार परक शिक्षा को रोक दिया है। मान्यवर, मेरा ग्रामीण अंचल है, मेरे क्षेत्र में आई० टी० आई० खोलने की बात हुई थी और उसका सर्वे भी हो गया था मगर कोई शाखा वाला आदमी नहीं था, केवल मेहनत करने वाले आदमी थे.....

(व्यवधान)

तो उसको खोलने का कष्ट करें और जो विद्वान साथी हैं, जो कूप मण्डूक हैं और काक की तरह कांव-कांव चिल्लाते हैं उन्हें क्या मालूम (व्यवधान) अन्त मैं माननीय दीना नाथ सिंह यादव जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* श्री राम किशन ददाजू–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा अनुदान संख्या 76 व 77 के माध्यम से 99,88,686 रुपये का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत ही अच्छा बजट है। मान्यवर, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि यह बजट ठीक नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कारखानों की संख्या 7,042 है और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या औसतन 4,65,252 हैं। जब से हमारी सरकार सत्ता में आई, तब से श्रमिकों के शोषण को रोकने का महत्वपूर्ण काम किया गया है। आप वर्ष 1990-91 की तुलना करके देखें। 1990 में 6198 छापे मारे गये, जिनमें कुल 52 केस दर्ज किये गये, वहीं 1991 में 7,730 छापे मारे गये और 73 केस दर्ज किये गये, इस प्रकार यह इतना अच्छा बजट है, फिर भी विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि बजट अच्छा नहीं है।

मान्यवर, 1990 में 562 केसों का निस्तारण किया गया और 3,90,757 रुपये जुर्माने के रूप में धनराशि वसूल की गयी, जबकि वर्ष 1991 में 725 केसों का निस्तारण किया गया और जो दोष सिद्ध हुये, उसमें 6,10,192 रुपये की धनराशि जुर्माने के तौर पर वसूल की गयी, उसके बावजूद यह कहते हैं कि बजट अच्छा नहीं है और सरकार श्रमिक विरोधी है। मान्यवर, प्रदेश में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की संख्या 1990 में 3,270 थी। वर्ष 1991 में यह घटकर 3136 रह गयी। इस प्रकार तमाम फर्जी यूनियनें चल रही थीं, जिसकों चेकिंग के दौरान हमारी सरकार ने पकड़ा।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कारखानों में सायरन की व्यवस्था की जाय। देखने में यह बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन इसके लग जाने से क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जायेगा "सत्सैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।" इस प्रकार इससे क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा। मान्यवर, फिरोजाबाद की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा फिरोजाबाद श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है और वहां मजदूरों की संख्या 2,67,737 हैं। फिरोजाबाद में 35 जिलों के श्रमिक काम करते हैं। चूड़ी उद्योग यहां का सबसे बड़ा उद्योग है और इसमें 30 हजार श्रमिक काम करते हैं। चूड़ी पकाई की 1200 भट्ठियां हैं, जिसमें 12,000 मजदूर काम करते हैं, इसी प्रकार चूड़ी जुड़ाई में 3000 श्रमिक काम करते हैं। चूड़ी कटाई में 3,000 और चूड़ी गोदामों की संख्या 8 हजार है। इसी प्रकार ब्लोइंग कारखानों की संख्या 50 है, जिसमें 75 हजार मजदूर काम करते हैं। इतना बड़ा उद्योग होने के बावजूद वहां कोई रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं है। सन् 1976 में कांग्रेस के शासनकाल में वहां एक रैनबसेरा का शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन उसके बाद से उस पर कोई काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां श्रमिकों के लिये उस रैनबसेरा को बनवाकर पूर्ण करवाया जाय।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि श्रमिकों के लिये आइडेन्टिटी कार्ड की व्यवस्था की जाय, क्योंकि जब मजदूर काम करके निकलता है तो पुलिस द्वारा उसे उत्पीड़ित किया जाता है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आइडेन्टिटी कार्ड होने से उसे इस चीज से बचाया जा सकेगा । मान्यवर, एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां श्रमिकों से 8 घन्टा काम लिया जाता है, जबकि साढ़े 4 घन्टे काम लिया जाना चाहिये, इस पर भी रोक लगनी चाहिये ।

मान्यवर, वहां ए० जी० टी०, श्रम विभाग और फैक्टरी इंस्पेक्टर बंद कारखानों को चालू होने की रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे श्रमिकों का अहित होता है, इसके लिये उड़तदस्तों की व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे इसको रोका जा सके । इसके अतिरिक्त मैं फिरोजाबाद में एक आई० टी० आई० के निर्माण की मांग करता हूं .....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

[समय–रात्रि 8 बजे]

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

* श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । अभी माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में लम्बे चौड़े आंकड़े देकर यह बताने की कोशिश की है कि यह सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिये कार्यरत है हालांकि कहानी बिल्कुल इसके उल्टी हैं । अगर आप गहराई से देखें आज मजदूरों की आहें, सिसकियां और कराहें ही सुनाई पड़ती हैं । मैं कम समय में दो तीन बातों की तरफ इशारा करना चाहता हूं । हमारे प्रदेश में जो संगठित क्षेत्र के उद्योग हैं उनकी स्थिति क्या है । जो टैक्सटाइल उद्योग हैं उसमें आज लगभग 30 हजार मजदूर सड़कों पर हैं जो बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं । (समय 8 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) जो सरकारी क्षेत्र की मिलें हैं उनकी जो उत्पादन क्षमता है उससे 50% ही उत्पादन हो रहा है । एक टैक्सटाइल मिल में लगभग 5000 मजदूर काम करते हैं उसमें 27 सौ मजदूर ही काम कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र की जितनी मिलें हैं उनमें एक हजार से लेकर 12 सौ तक ही मजदूर काम कर रहे हैं जहां पहले दो तीन हजार मजदूर काम करते थे । इसी तरह से प्राइवेट क्षेत्र की मिलें भी बन्द हो रही हैं जिससे मजदूरों की बड़ी संख्या बेरोजगारी का शिकार है । मैं जिस जिले से आता हूं वहां ए० टी० सी० की मिल है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की स्पिनिंग मिल है उसमें भयंकर गोलमाल है । वहां पिछले बर्ष हड़ताल हुई थी जिसकी सजा मजदूरों को आज भी मिल रही हैं । वहां आज भी 50 मजदूर बेरोजगारी के शिकार हैं जो दरदर की ठोकरें खा रहें हैं । मजदूरों के जो मूल अधिकार हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको दबाया जा रहा है । अपने अधिकारों की मांग करने पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है । वहां बुरी तरह से पैसे की लूट हो रही है, उत्पादन घटता चला जा रहा है । यही स्थिति प्रदेश की अन्य मिलों की है । इसका मुख्य कारण यह है कि टैक्निकल लोग जो पहले उच्च पदों पर होते थे उनकी जगह आई० ए० एस० आफिसर्स शीर्ष पदों पर बैठा दिये गये हैं जिसकी वजह से वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह टैक्निकल बातों को नहीं समझ पा रहे हैं । उत्तर प्रदेश में कताई मिलों की स्थिति दुरुस्त की जाय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्योंकि हमारे प्रदेश में बुनकरों की तादात बहुत ज्यादा है इसीलिये यह मिलें लगाई गयी थीं ताकि उनको सस्ता सूत मिल सके और इससे कपड़े का भी उत्पादन बढ़ेगा । मैं इस बात पर जोर देता हूं मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि जो बन्द मिलें हैं उनकों खोलने का वह प्रयत्न करें ।

आज लेबर लौज को पैरों तले रौंधा जा रहा है उसका मैनेजरों द्वारा वायोलेशन हो रहा है उसको रोका जाय । आज एक अजीब परम्परा कताई मिलों में अपनाई जा रही हैं वहां पर 90 दिनों के लिये श्रमिकों की भर्ती होती है और 90 दिनों के बाद उनका रिन्यूवल होता है ताकि वह स्थायी न हो सके । आज जो असंठित मजदूर हैं चाहे वह बीड़ी उद्योग में हों, चाहे ईंट भट्ठे के उद्योग में हों, चाहे चूड़ी उद्योग में हों, चाहे दरी उद्योग में हों, चाहे चर्म उद्योग में हों उन सब की स्थिति बड़ी खराब है । इसी तरह से अलीगढ़ के ताले के छोटे-छोटे कुठीर उद्योग जो हैं वह बन्द होने की स्थिति में है उनकी ओर सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । प्रबन्ध में मजदूरों की भागदारी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए । इसके बारे में हमारे मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है । इसके अलावा एक कारखाने में एक यूनियन का कानून बनना चाहिए, और यदि गुप्त मतदान के द्वारा एक कारखाने में एक यूनियन सही रूप में स्थापित कर दी जाती है तो श्रमिक अशान्ति को बहुत हद तक रोका जा सकता है । इसके अलावा श्रमिक अशान्ति को रोकने के नाम पर सरकार जो अपनी पुलिस मिल-मालिकों के कहने उनके परिसर में भेज कर मजदूरों का दामन करवाती है इसको भी रोकना चाहिए । इस पर रोक लगाने के अवश्य उपाय आपको करने चाहिए । इसके लिए यह कानून बनना चाहिए कि मालिकान के बुलाने पर वहां पुलिस कभी न घुस सके और वह अपने विवेक से वहां जाये और श्रमिक शान्ति स्थापित करे । इसके साथ यह जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उस पर बल देता हूं और उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, इस कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर, जैसा हम लोग प्रायः कहते भी हैं , जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है उससे किसी श्रमिक कल्याण की अपेक्षा करना असम्भव प्रतीत होता है । क्योंकि यह व्यापारियों की सरकार है और इन व्यापारियों का काम ही शोषण करना है, चाहे उपभोक्ताओं का शोषण करें या मजदूरों का करें । मान्यवर, इस देश के अन्दर पहली बार एक क्रान्तिकारी सोच को जन्म दिया गया था, मैं आज बधाई देना चाहता हूं तत्कालीन प्रधान मंत्री विश्वनाथ सिंह जी को, जिन्होंने पहली बार देश में इस विचार धारा को जन्म दिया कि वर्कर्स पार्टीसपेशन हो मैनेजमेंट में...व्यवधान .....तो उस प्रकार से मजदूरों की कारखानों में भागीदारी का उन्होंने एक विचार देश को दिया । आज एक बड़ा सीधा उदाहरण मैं अपने क्षेत्र का दे रहा हूं । यह सरकार बात कर रही है मजदूरों के कल्याण की, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे जिला देहरादून में वाण्डेड लेबर्स के तहत एक योजना चल रही थी किन्तु 31 मार्च से उसका कार्यालय बन्द कर दिया गया है और उसमें तैनात 57 कर्मचारियों को हटा दिया गया । उनके अन्यत्र समायोजन हेतु कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गयी । मान्यवर, इस देश के अन्दर यह सबसे बड़ा कलंक है कि बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है । यह कलंक और भी गम्भीर हो जाता है जब इन बाल श्रमिकों का शोषण होता है । इस बजट में इस कुप्रथा को रोकने के कोई भी उपाय नहीं बताये गये हैं । मान्यवर, कल्याणकारी सरकार यह अपने को कहते हैं लेकिन वृद्धावस्था पेंशन जो पिछली सरकार ने समाज के असहाय लोगों को दी थी, उस वृद्धावस्था पेंशन का जो बजटरी प्राविजन था उसको इस सरकार में घटा दिया गया है....व्यवधान....

अधिष्ठाता महोदय ने 4-4 मिनट का समय दिया था, लेकिन यह तो मेरे साथ ज्यादती होगी । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चकराता में एक आई० टी० आई० वर्ष 84-85 से निर्माणाधीन है, लेकिन अभी तक भी उसका भवन बनकर तैयार नहीं हुआ है और सरकार कहती हैं कि जन जाति क्षेत्रों में विशेष आई० टी० आई० खोलकर इनको रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे । इसी तरह मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कालसी में भी एक आई० टी० आई० विचाराधीन है ।

मान्यवर, मजदूरों के शोषण की बात सबसे ज्यादा हो रही है । मस्टर रोल और वर्क चार्ज पर जो मजदूर काम करते हैं उनके हितों का सवाल है जैसे सिंचाई विभाग, पी० डब्लू०डी० में मजदूर वर्क चार्ज में जो काम कर रहे हैं उनका बहुत शोषण हो रहा है, इसलिए सरकार इस ओर ध्यान दे । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, जो इस समय ग्रान्ट प्रस्तुत है इसमें पैसे का प्रश्न कम है श्रम नीति का प्रश्न अधिक है । मान्यवर, यदि सफल विवेचना करें तो 4 मुख्य बातें हैं । पहली औद्योगिक शान्ति, दूसरी उत्पादन में वृद्धि तीसरी श्रमिक वर्ग में इफीशियन्सी, गुणवत्ता और चौथी रोजगार का सृजन हो । इन चारों बातों के आधार पर आज श्रम मंत्री के बजट भाषण का मूल्यांकन करते हैं तो आज की सरकार की श्रमिक नीति बिल्कुल असफल है और श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होने वाला है ।

मान्यवर, यदि श्रमिकों का विभाजन किया जाए तो दो तरह से विभाजन कर सकते हैं । एक संगठित मजदूर हैं जो बड़े-बड़े कल कारखानों में काम करते हैं । उनकी संगठित यूनियन हैं और उसके बल पर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं । मान्यवर, दूसरी तरफ असंगठित मजदूर हैं जो छोटे-छोटे कल कारखानों और उद्योग धंधों में काम करते हैं एवं वह बिखरे होते हैं जिसके कारण उनका संगठन कायम नहीं हो सकता है, इसलियें उनकी सबसे खराब स्थिति है फिर वह चाहे दुकानदार का कर्मचारी हो या छोटी-छोटी मिलों में काम करने वाला मजदूर हो उनकी हालत खस्ता रहती है । मान्यवर, शर्मनाक बात है जो श्रम कानून बने हैं उनका सही ढंग से पालन नहीं होता है जिससे उनका शोषण निरन्तर बढ़ता रहता है और मालिक उनको कभी भी निकाल सकता है जिससे उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती है । इसलिये अनुरोध है कि श्रम कानून जो लागू हैं उनका सख्ती से इन असंगठित क्षेत्रों में लागू किया जाए और निरीक्षण करने की पद्धति जो है उसको तेज किया जाए जिससे उनको उचित मजदूरी मिल सके ।

मान्यवर, सरकार एक स्वयं इम्पलायर है और बहुत से उसके कर्मचारी हैं और कल कारखानों को निगमों के माध्यम से सरकार संचालित करती है । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार का इम्प्लायर का सही ढंग से मजदूरों के प्रति रवैया नहीं है और दूसरे इम्प्लायर जो हैं वह अपने मजदूरों को जो मुख्य सुविधायें देते हैं वैसी सुविधायें सरकार नहीं देती है बल्कि उनको मुकदमें बाजी में फंसाने का काम करती है ।

मान्यवर, बीमा योजना के संबंध में मा० मंत्री जी ने कहा चूंकि वह कानपुर के हैं और कानपुर इंडस्ट्रियल नगर है वहां फिर चाहे पांडुनगर का बीमा अस्पताल हो या अन्य अस्पताल हों उनसे मा० मंत्री जी परिचित हैं ....।

लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज तक किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है । इसके साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं । जो आई० टी० आई० स्कूल हैं, उनमें जो ट्रेड अब

तक चलते आ रहे हैं, उन ट्रेडों में समयानुसार परिवर्तन होना चाहिए । आज किस बात की आवश्यकता है और किस तरह का काम आजकल सिखाया जाय जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जा सकें । इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

इस तरह से उस ट्रेड में सुधार किया जाय और वह सिखाया जाय । इसी तरह से मैं एक निवेदन करूंगा कि सरकारी जो कालेजेज हैं, इन्सटीट्यूट हैं, उनमें 15/15 साल से दैनिक मजदूरी पर लोग काम कर रहे हैं । आज तक यह सरकार निश्चय नहीं कर पाई है कि उनको कब तक रेग्युलर किया जायेगा । माननीय श्रम मंत्री जी ने वृद्धावस्था पेंशन की बड़ी जोरदार ढंग से वकालत की है । मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस सारे प्रदेश में जो एक सामाजिक योजना थी, सामाजिक सुरक्षा की योजना थी, उसका उत्तरदायित्व खत्म कर दिया है । जिला योजना के अन्तर्गत देकर एक ऐसा कार्य किया है जिससे वृद्ध लोगों के अन्दर जो यह भावना था कि सरकार हमारी सामाजिक सुरक्षा करेगी, वह खत्म हो गयी है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय दीना नाथ सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लल्लन प्रसाद त्रिपाठी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं । यह श्रमिकों के हित में प्रस्तुत किया गया बजट है । दो/तीन सुझाव हमारे हैं । मुख्तया देखा गया है कि उद्योगों में जैसा हमारा उत्तर प्रदेश का शुगर कारपोरेशन है । शुगर कारपोरेशन की इकाइयों में भी मजदूरों से एल० आई० सी० और प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे काट लिये जाते हैं लेकिन संबंधित खाते या संस्था में जमा नहीं किये जाते हैं जिसके कारण मजदूरों में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । इसके साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ उद्योगों में निजी चिकित्सक रखकर फर्जी मेडिकल दिखाकर काफी पैसा खर्च किया जाता है । इसको भी रोकने के लिये कारगर कदम उठाये जाने चाहिये, श्रमिक विवाद निपटाने के लिये निर्धारित अवधि तय की जानी चाहिए ताकि मामले ज्यादा समय तक लम्बित न रहें । इसके अतिरिक्त बहुत से न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी है, उसको पूरा किया जाय ताकि मामले ज्यादा समय तक लम्बित न रहें । श्रम मंत्री ने इस बजट के माध्यम से काफी कल्याणकारी प्रस्ताव रखे हैं । इस सम्बन्ध में आज तक जितनी भी कठिनाइयां थीं उनके निराकरण हेतु व्यापक सुधार किये जा रहे हैं । मैं अपने को माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट से सम्बद्ध करता हूं ।

श्री दीना नाथ सिंह यादव––

मान्यवर, मैंने अभी सभी माननीय सदस्यों की बातों को सुना है। लगभग एक दर्जन माननीय सदस्यों ने चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों अपने विचार और बेहतर सुझाव रखें हैं । मैं दो-तीन चीजों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि वह या तो आज घोषणा कर देंगे या कम से कम हम लोगों को विश्वास दिलायेंगे क्योंकि इस पर गम्भीरतापूर्वक इनके मंत्रालय द्वारा विचार किया जायेगा । एक तो हमारे माननीय सदस्यों ने न्यूनतम मजदूरी को कानून

लागू किये जाने की बात कही है । आज लाखों की तादात में मजदूर ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हे न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है । इसलिये हम आपसे गुजारिश करेंगे कि यह हम लोगों को विश्वास दिलाएं इसकी गारन्टी दी जाए कि आने वाले दिनों में न्यूनतम वेज लागू किया जाएगा । यह भी खासतौर से बात आई है कि बहुत सी मिलें छोटे-छोटे कारखाने बन्द है । छटनी हुई है । ऐसे कारखानों को चालू किया जाएगा और जो नाजायज छटनी हुई हैं उनको काम पर रखा जाएगा । मान्यवर कताई मिल के बारे में कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे । ए० टी० एल० और कताई मिलों को ठीक प्रकार से चलवायें मान्यवर, एक सुझाव आया है और मैं भी कह रहा हूं कि प्रबन्ध में सभी स्तर पर ऊपर से नीचे तक मजदूरों की भागीदारी हो । इस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और आने वाले दिनों में कुछ निश्चित उद्योगों में लागू करने का प्रयास करेंगे । चौथी बात मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय दिनेश जी ने कही इन्होंने एक सुझाव दिया सेवायोजन कार्यालय जो हैं इसमें दो कार्य होते हैं रजिस्ट्रेशन के कार्य और शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य होता है । तो इसके लिए दो विभाग बनायें जाएं जिससे काम में सुविधा हो, मैं समझता हूं कि यह अच्छा सुझाव है । माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए । मान्यवर, माननीय पाण्डेय जी ने मऊ जिले के बारे में कहा था मेरा ध्यान उस ओर नहीं गया था । जवाहर रोजगार योजना में 23 रु० से 25 रुपये मजदूरी तय कर दी है । जवाहर रोजगार योजना में लाखों-लाख मजदूर मार्च, अप्रैल के महीने में काम करते हैं इतनी गर्मी में काम करते हैं और वहां उनको 18 रुपये मजदूरी मिलती है । मैं निश्चित रूप से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह घोषणा करें कि जवाहर रोजगार योजना में 25 रुपये मजदूरी दी जाएगी और उसे अदा करने की गारन्टी दी जाए । मान्यवर, हमारे माननीय मुन्ना जी चकराता के बारे में कह रहे थे कि आई० टी० आई० कालेज 1984 से बनना शुरु हुआ है । और अभी भी बन रहा है अभी तक बन नहीं पाया है । 1984 में पैसा भी स्वीकार हो गया था । तो इसमें माननीय मंत्री जी घोषणा करें और उसका निर्माण करा दें तथा आई० टी० आई० को भी चालू कर दिया जाए । इन्हीं शब्दों के साथ और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर फिर बल दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी कटौती के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और जो सुझाव दिए गए हैं उनको लागू करेंगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी सम्मानित सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए उनके बारे में कहना चाहता हूं दीनानाथ जी ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों की स्थिति खराब है, तो जैसा बजट भाषण में भी मैंने कहा हमारी सरकार में न्यूनतम मजदूरी में जितने दिनों में पुनरीक्षण करने की बात थी वह पुनरीक्षित कर दी गई है सभी नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित कर दी गई है ।

श्री दीनानाथ जी ने कहा कि यह श्रमिक विरोधी तथा टाटा बिरला की सरकार है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह जनता की सरकार है और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए यह सरकार है–(मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, दीनानाथ जी ने 1991 में तालाबन्दियों के संदर्भ में कहा–

जैसा मैंने पहले अपने भाषण में बताया कि 1990 में मानव दिवसों की हानि 16.25 लाख थी जो 91-92 में घटकर 10.25 लाख दिवस हो गयी । इसका कारण है कि हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके हड़ताल और तालाबन्दी को खत्म कराया जिससे मानव दिवसों की हानि कम हुई । मान्यवर, फैक्टरियों की जांच की बात कही गयी । हमने इस तरह की प्रक्रिया बनायी है कि जितनी फैक्टरियां हैं उनकी सबकी जांच हो सके । पूर्व सरकार के समय में सभी फैक्टरियों की जांच नहीं होती थी तमाम फैक्टरियां छूट जातीं थीं । अब हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अधिकांश फैक्टरियों की जांच होगी । कताई मिलों के ले आउट के बारे में कहा गया । मैं बताना चाहता हूं कि कैबिनेट की एक सब कमेटी में इस पर विचार चल रहा है । न्यूनतम वेजेज के बारे में यहां पर कहा गया । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि अगर किसी विभाग के बारे में उनकी जानकारी हो तो हम कार्यवाही करेंगे और प्रयास करेंगे कि वहां न्यूनतम मजदूरी लागू की जाय । मजदूर कालोनियों में बाहरी लोगों के निवास करने की बात कही गयी । मैंने कुछ समय पूर्व इस संबंध में अधिकारियों से बैठक की थी कई श्रम कालोनियों के बारे में शिकायतें थीं तो हम कालोनियों का सर्वेक्षण करा रहे हैं उसके लिए समय निश्चित किया है और जानकारी मिलते ही अपेक्षित कार्यवाही की जायगी ।

मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गयी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है, भा०ज०पा० सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है । मान्यवर, लेबर कोर्ट्स में डिले की बात उठायी गयी । मैं बताना चाहता हूं कि जितने प्रेजाइडिंग आफिसर्स के स्थान रिक्त थे उनको भर दिया गया है ताकि डिले समाप्त हो । कुछ माननीय सदस्यों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों के बारे में कहा । कई भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है । सम्मानित सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी कि डिले को समाप्त किया जाय और शीघ्र निर्माण हो । मान्यवर, सेवायोजन कार्यालय में गड़बड़ी के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा । इसके बारे में जैसा मैंने बताया था कि सेवायोजन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था की जा रही है वहां पर लिस्टिंग और फाइलिंग होगी और इस प्रकार की शिकायतें काफी हद तक कम हो जायेंगी । माननीय नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण और सेवायोजनों को अलग-अलग कर दिया जाय । तो जैसे उद्योग और श्रम का संबंध है उसी प्रकार से प्रशिक्षण और सेवायोजन का संबंध है । इनको अलग करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है । प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही सेवायोजन का अवसर मिलता है । इन दोनों में एडीशनल डाइरेक्टर्स हैं । यदि यहां की वर्किंग के बारे में कोई सुझाव होंगे तो उनका स्वागत किया जायगा । मान्यवर, बाल श्रमिक समस्या के बारे में बात की गयी । जैसा मैंने बताया था इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने काफी हद तक प्रयास किया है । नयी दिल्ली में 6 फरवरी, 92 को श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कहा था और सुझाव रखा था कि श्रमिक प्रतिषेध और नियम अधिनियम, 1986 में जो प्राविधान हैं उनमें संशोधन किया जाय। इसमें 10 हजार रुपये दण्ड की व्यवस्था है लेकिन प्रेक्टिस में यह देखा गया है कि दण्ड कम लगाया जाता है । जो सेवायोजक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करता है उनको दण्डित करने की बात कही है । जिन क्षेत्रों में बाल श्रमिकों का बाहुल्य है वहां पर इक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेटों को बाल नियोजन संबंधी उल्लंघनों पर दण्ड देने के अधिकार की व्यवस्था की बात कही है ताकि समरी ट्रायल करके मामलों को जल्दी निपटाया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अब तो लगता है कि हर बात का जवाब आ गया ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने फिरोजाबाद की बात कही कि फैक्ट्रियों में साइरन की व्यवस्था की जाय तो इस पर विचार करेंगे । मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने प्रदेश के अन्दर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की बात कही । मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व में जो आई० टी० आई० खोले गये, पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर खोले गये । हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में मेरिट के आधार पर आवश्यकता होगी, वहां पर आई० टी० आई० खोलेंगे । मेरा अनुमान है मैं नाम बता सकता हूं, एक ही जिले में 12 आई० टी० आई० हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं संक्षेप करना चाहता हूं, आप उसको विस्तार कर रहे हैं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो मेरा बजट प्रस्ताव हैं, उसको स्वीकार करें और कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दीना नाथ यादव सिंह जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री दीना नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, 100 दिन चले अढ़ाई कोस । इतने बेशकीमती सुझाव दिये गये मगर मंत्री जी उस पर तो कुछ कहे ही नहीं । मंत्री जी यह सब तो पहले ही बोल चुके हैं । इसलिए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76– श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,92,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77– श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,96,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

फैजाबाद जनपद के अकबरपुर, टाण्डा, जलालपुर तहसीलों को मिलाकर डा० राम मनोहर लोहिया नगर नाम से एक नये जनपद का सृजन किये जाने विषयक नियम 103 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 10 माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 28-4-1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की प्रदेश में ऊर्जा विभाग द्वारा एल० टी० लाइन पर एक्शटेंशन में प्रतिबन्ध लगा दिये जाने से विद्युत उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया । दूसरी सूचना श्री भोलाशंकर मौर्य, श्री लाल चन्द निषाद तथा श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा की जनपद बदायूं की सहसवान तहसील के अन्तर्गत ग्राम सिरासोल पट्टी ग्राम सभा के प्रधान द्वारा परती एवं आबादी हेतु सुरक्षित भूमि को अवैध रूप से विक्रय किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गयी । तीसरी सूचना माननीय पवन कुमार पाण्डेय की जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, टाण्डा से प्रभावित किसान परिवारों के सदस्यों को राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने के संबंध में है इसें केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं, चौथी सूचना सन्त श्री राम द्विवेदी की जनपद फैजाबाद में बीकापुर की राजकीय नलकूपों की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, पांचवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्मित दुगड्डा चौकी पिपलीघर मोटर मार्ग को पूरा कराये जाने के संबंध में है । प्रश्नगत सूचना पर केवल वक्तव्य 27-4-92 को स्वीकृत हो चुका है इसलिए अस्वीकार किया गया, छठी सूचना श्री राम औतार शाक्य की जनपद इटावा के औरैया तहसील स्थित बंजारा समाज कल्याण ट्रस्ट को शासन द्वारा घोषित अनुदान उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया, सातवीं सूचना श्री किशोरी लाल यादव, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राज नारायण बिन्द की जनपद जौनपुर के कस्बा मड़ियाहू निवासी श्री भोला शंकर मौर्य के परिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान कर जीवन सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया । आठवीं सूचना श्री स्वामी नाथ यादव, नवीं सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह, दसवीं सूचना श्री रमेश पोखरियाल "निशंक", ग्यारहवीं सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, बारहवीं सूचना श्री मोहम्मद हसन, तेरहवीं सूचना श्री भगवती सिंह विशारद, चौदहवीं सूचना श्री बची सिंह रावत की है । इन सूचनाओं को अग्राह्य किया गया ।

जनपद देवरिया की नहरों में पानी न छोड़े जाने से फसलों की हुई क्षति से किसानों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

गण्डक नहर प्रणाली द्वारा महराजगंज देवरिया एवं गोरखपुर जनपदों में नहरी पानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

[मान्यवर, बाल्मीकि नगर से गण्डक नदी के दाहिने किनारे से मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर 18.900 कि०मी० तक नैपाल राज्य में तथा 131.40 कि०मी० तक उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम सारण नहर है । गण्डक नदी पर निर्मित इस बैराज तथा शीर्ष से 18.900 कि०मी० तक नैपाल राज्य की सीमा में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर का संचालन एवं रख-रखाव बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है ।

2–दोनों राज्यों के रबी एवं खरीफ की फसलों की पानी की मांग के अनुसार गण्डक नियंत्रण परिषद् द्वारा 25 मार्च से 15 अप्रैल तक नहर बन्दी की अवधि निर्धारित की गयी है । नहर बन्दी की अवधि को 21 दिन तक सीमित करते हुए नहर को 22-4-92 से चलाये जाने का अनुरोध भी इस वर्ष बिहार राज्य जल संसाधन विभाग से किया गया था किन्तु बिहार राज्य द्वारा सहमत न होने पर पुनः दिनांक 28-4-92 से नहर चलाने के लिए आग्रह किया गया तथा जल संसाधन विभाग बिहार राज्य द्वारा दिनांक 4-5-92 से नहर चलाने की सूचना दी गयी ।

3–उपरोक्त से स्पष्ट है कि नहर इस अवधि में बन्द होने की कोई नई प्रथा नहीं प्रारम्भ की गयी है बल्कि गण्डक नियंत्रक परिषद् द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर की वार्षिक बन्दी विगत वर्षों में 25 मार्च से अप्रैल के अन्तिम सप्ताह या विशेष कारणों से मई के प्रथम सप्ताह तक होती रही है जिसका उल्लेख रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के रोस्टरों में किया जाता रहा है । वार्षिक बन्दी इस नहर प्रणाली पर सदैव से बैराज बाल्मीकीनगर नहर का शीर्ष तथा नहरों की मरम्मत हेतु होती रही है ।

4–गण्डक नहर प्रणाली से कमाण्ड के महराजगंज देवरिया एवं गोरखपुर जनपदों में गन्ना एवं अन्य जायद फसल का अनुमानित बोया गया क्षेत्रफल लगभग 29,800 हेक्टेयर है ।

5–इस वर्ष रबी में अधिक पानी की मांग के कारण नहर 25 मार्च के स्थान पर 30 मार्च को बन्द की गयी, जिसके कारण इस वर्ष रबी फसल की सींच में बढ़ोत्तरी हुई ।]

सदन में कोरम के अभाव की सूचना

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर)

श्री महक सिंह–

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम के लिए घण्टी बजाई जाय ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी)

(गणपूर्ति न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कोरम नहीं पूरा है । कोरम के अभाव में सदन स्थगित किया जाता है अब हम उठते हैं 6 मई, 1992 को पुनः 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 41 मिनट पर बुधवार 6 मई, 1992 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

28 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 13 पर)

प्रेषक,

नीरा यादव,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1–शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग –2

लखनऊ : दिनांक 6 जुलाई, 1991

विषय :–अधिवर्षता आयु के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति को समाप्त किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा समय-समय पर सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति सामान्यतः न किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं । समसंख्यक शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 1989 द्वारा यह आदेश पारित किये गये हैं कि पूर्व में जिन अधिकारियों./कर्मचारियों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति स्वीकृत की गयी है, उनका सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति तत्काल समाप्त कर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाय । इस क्रम में समसंख्या शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 1990 तथा शासनादेश संख्या- 17/56/90-का- 2. दिनांक 16 जुलाई, 1990 द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त के उपरान्त दैनिक वेतन, संविदा, अनुबन्ध, वेतनमान, मानदेय तथा अवैतनिक आधार पर की गयी नियुक्तियां भी पुनर्नियुक्ति के अन्तर्गत सम्मिलित हैं । सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति विषयक उपरोक्त वर्तमान व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगी ।

2–शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित दो प्रकरणों को उक्त आदेशों के अपवाद स्वरूप स्वीकार करने का निर्णय लिया है :–

(1) कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1/2/1984-का-2. दिनांक 24 अगस्त, 1984 के साथ प्रेषित शासनादेश संख्या-1/2/1984-का-2. दिनांक 2 अगस्त, 1984 तथा 9 मार्च, 1988 द्वारा वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त अनुमन्य 1 वर्ष का सेवा विस्तार तथा तदोपरान्त 1 वर्ष की पुनर्नियुक्ति ।

(2) शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–1772/15-(14)-30(67)/71, दिनांक 6 मई, 1982 द्वारा राष्ट्रीय/राज्य पुरुस्कार प्राप्त अध्यापकों को उनकी अधिवर्षता आयु के उपरान्त अनुमन्य दो वर्ष का सेवा विस्तार ।

भवदीया,

नीरा यादव,

सचिव ।

संख्या–1/2/1973(1) कार्मिक–2. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

2–निबन्धक, उच्च नयायालय, इलाहाबाद ।

3–सचिव, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ।

4–सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

5–सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

6–महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

7–सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

8–गोपन अनुभाग–1 को उनके पत्र संख्या 4/2/10/91, दिनांक 3-7-91 के संदर्भ में ।

आज्ञा से,

जय दयाल पुरी,

संयुक्त सचिव ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर)

श्री बी० के० मिश्र के विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण

पद एवं स्थान	अवधि
1–प्लानिंग आफीसर, आर० आई० पी०, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।	दिनांक 1-11-74 से 9-1-76 तक
2–सहायक उद्योग, निदेशक, (प्लानिंग एण्ड स्टैटिस्टक) उद्योग निदेशालय, कानपुर ।	दिनांक 10-1-76 से 31-12-77 तक
3–जिला उद्योग अधिकारी, कानपुर ।	दिनांक 1-1-78 से 18-1-78 तक
4–डिप्टी मैनेजर, (प्लानिंग एवं स्टैटिस्टक) यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कानपुर (वाह्य सेवा पर)	दिनांक 19-1-78 से 25-2-81 तक
5–सहायक उद्योग निदेशक, सी० आई० उद्योग निदेशालय, कानपुर ।	दिनांक 26-2-81 से 31-7-81 तक
6–सहायक उद्योग निदेशक (नियोजन) हथकरघा निदेशालय, कानपुर । (उद्योग निदेशालय से प्रतिनियुक्ति पर)	दिनांक 1-8-81 से 31-12-90 तक
7–सह निदेशक, हथकरघा (विकास एवं बुनकर कल्याण) हथकरघा निदेशालय, कानपुर ।	दिनांक 1-1-91 से अब तक

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72पर)

जनवरी, 1990 से जनवरी, 1992 तक उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा टेण्डरों को निरस्त करके पुनः टेण्डर मांगे जाने की सूचना

क्रम सं०	कार्य का नाम	पुनः टेण्डर मांगने की तिथि
1	2	3
1	गोमती नगर योजना के फेज-3 में 262 भवनों का निर्माण कार्य	9-8-1991
2	गोमती नगर योजना के फेज-3 में 77 एल० आई० जी० भवनों का अवशेष कार्य ।	4-9-1991
3	गोमती नगर योजना के फेज-3 में 161 ई० डब्लू० एस० भवनों का निर्माण कार्य ।	12-10-1991
4	गोमती नगर योजना के फेज-3 में 250 ई० डब्लू० एस० भवनों का निर्माण कार्य ।	23-11-1991
5	गोमती नगर योजना के फेज-3 में 202 ई० डब्लू० एस० भवनों का निर्माण कार्य ।	4-9-1991
6	गोमती नगर योजना विवेक खण्ड–1 में सड़कों पर प्रीमिकिसिंग का कार्य	30-12-1991
7	गोमती नगर योजना विवेक खण्ड–4 में सड़कों पर प्रीमिकिसिंग का कार्य	30-12-1991
8	गोमती नगर योजना विश्वास खण्ड–1 में सड़कों पर प्रीमिकिसिंग का कार्य	30-12-1991
9	गोमती नगर योजना विश्वास खण्ड–2 में सड़कों पर प्रीमिकिसिंग का कार्य	30-12-1991
10	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर बी में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	जून,1991
11	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर आई० में 120 एल० आई० जी० (तीन मंजिले) भवनों का निर्माण कार्य	8-4-1991 (निरस्त)
12	टी० टी० हाल का निर्माण कार्य	(निरस्त)
13	शारदा योजना में बरसाती नाले का निर्माण कार्य (भाग–1)	28-12-1991 व 8-2-1992
14	शारदा नगर योजना रुचि खण्ड–1 में 25 एच० आई० जी० भवनों का निर्माण कार्य	25-11-91 (निरस्त)
15	शारदा नगर योजना के रश्मि खण्ड में ओवर हेड टैंक का निर्माण	
16	शारदा नगर योजना के रूचि खण्ड में वाटरमेन लाइन का कार्य	

1	2	3
17	शारदा नगर योजना के रश्मि खण्ड में सीवर लाइन का कार्य	
18	शारदा नगर योजना रुचि खण्ड में आन्तरिक सीवर लाइन का कार्य	
19	हरदोई रोड योजना में 60 मीटर चौड़ी सड़क का कार्य	9-12-1991
20	वजीरहसन रोड में 96 भवनों का (दो ग्रुप में) निर्माण कार्य	
21	मानसरोवर योजना लखनऊ के सेक्टर एम०, एन में एल० टी० मेन्स का निर्माण।	8-6-1990
22	अंसल हाउसिंग स्कीम हेतु कम्पोजिट मेन्स लेईंग का कार्य (पार्ट–1)	8-6-1990
23	मानसरोवर के सेक्टर के में एल० टी० मेंस का निर्माण कार्य	8-6-1990
24	मानसरोवर योजना के सेक्टर के–1 में एल० टी० मेंस का निर्माण कार्य	8-6-1990
25	मानसरोवर योजना में 11/433 के०वी० सब स्टेशन का निर्माण कार्य	8-6-1990
26	मानसरोवर योजना के सेक्टर जे में एल० टी० मेन्स का निर्माण कार्य	8-6-1990
27	कानपुर रोड योजना में 30, 24 एवं 18 मीटर चौड़ी सड़क पर हाट मिक्स प्लाट पर कार्पेटिंग कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति (पार्ट–ए)	
28	कानपुर रोड योजना में 30, 24 एवं 18 मीटर चौड़ी सड़क पर हाट मिक्स प्लाट पर कार्पेटिंग कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति (पार्ट–बी)	
29	कानपुर रोड योजना में 30, 24 एवं 18 मीटर चौड़ी सड़क पर हाट मिक्स प्लाट पर कार्पेटिंग कार्य हेतु सामग्री की आपूर्ति (पार्ट–सी)	
30	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं हेतु 410 एस० पी० 28 स्टी टेबुलर पोल की आपूर्ति का कार्य।	28-12-1991
31	कैलाश कुंज काम्पलेक्स में फायर फाइटिंग का कार्य	
32	शारदा नगर योजना के रश्मि खण्ड में वाह्य विद्युतीकरण का कार्य	30-6-1991 व 2-11-1991

पी० एस० यू० पी०–एल० 222 विधान सभा (373)–1993–572 डी० टी० पी० ।